



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report
2012-2013

अनुक्रमणिका INDEX

क्र. No.	विषय सूची	Contents	पृष्ठ क्र. Page No.
1.	निदेशक मण्डल	Board of Directors	2
2.	महाप्रबंधक	General Managers	3
3.	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का वक्तव्य	Statement of Chairman & Managing Director	4
4.	नोटिस	Notice	8
5.	प्रगति एक नज़र में	Progress at a glance	12
6.	निदेशकों की रिपोर्ट	Directors' Report	13
	• प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	• Management Discussion and Analysis	13
	• वर्ष 2012-13 का कार्य निष्पादन	• Performance in 2012-13	15
	• संगठन और समर्थन सेवाएं	• Organisation and Support System	20
	• सामाजिक बैंकिंग	• Social Banking	31
	• बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं / परियोजनाएं	• Important Schemes/Projects of the Bank	32
	• निगमित सामाजिक दायित्व	• Corporate Social Responsibility	34
	• अग्रणी बैंक योजना	• Lead Bank Scheme	35
	• सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं	• Subsidiaries/Joint Ventures and Sponsored Institutions	37
	• राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	• Implementation of Official Language Policy	38
	• निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन	• Directors' Responsibility Statement	39
	• निदेशक मंडल में परिवर्तन	• Changes in the Board of Directors	39
	• आभार	• Acknowledgements	39
7.	कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	Report of the Board of Directors on Corporate Governance	40
8.	तुलनपत्र	Balance Sheet	58
9.	लाभ व हानि लेखा	Profit & Loss Account	59
10.	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	68
11.	खातों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	74
12.	नकदी प्रवाह का विवरण	Statement of Cash Flow	107
13.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	Auditors' Report	109
14.	समेकित वित्तीय विवरण	Consolidated Financial Statement	112
15.	इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा फार्म	Electronic Clearing Service (ECS) Form	139
16.	उपस्थिति पर्ची	Attendance Slip	140
17.	प्रॉक्सी फार्म	Proxy Form	141

संवैधानिक लेखा परीक्षक STATUTORY AUDITORS

कृते एन कुमार छाबरा एंड कं
सनदी लेखाकार
चंडीगढ़ 160 022

For N. Kumar Chhabra & Co.
Chartered Accountants
Chandigarh – 160 022

कृते जे सी भल्ला एंड कं.
सनदी लेखाकार
नोएडा, उ.प्र. - 201 301

For J C Bhalla & Co.
Chartered Accountants
Noida, U.P. - 201 301

कृते डी एस पी एंड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
नई दिल्ली 110 005

For DSP & Associates
Chartered Accountants
New Delhi – 110 005

कृते जी बसु एंड कं.
सनदी लेखाकार
कोलकाता 700 072

For G Basu & Co.
Chartered Accountants
Kolkata -700 072

कृते कीर्तने एंड पंडित
सनदी लेखाकार
पुणे - 411 004

For Kirtane & Pandit
Chartered Accountants
Pune – 411 004

कृते सिंह रे मिश्रा एंड कं.
सनदी लेखाकार
भुवनेश्वर 751 001

For Singh Ray Mishra & Co.
Chartered Accountants
Bhubaneswar-751 001.



श्री नरेन्द्र सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Shri Narendra Singh
Chairman & Managing Director

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारको,

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आर्थिक स्थिति - मंद आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति की सतत उच्च दर, उच्च चालू खाता घाटा और बचत एवं निवेश की कमियों से चिह्नित रही। सामान्यतः इन प्रतिकूल आर्थिक परिस्थिति तथा विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन के बावजूद भी आप के बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न मानदंडों में सशक्त निष्पादन दर्शाया है। यह आपके सतत हार्दिक समर्थन, हमारे ग्राहकों द्वारा संरक्षण तथा सभी स्टाफ सदस्यों द्वारा कर्तव्यनिष्ठ सहभागिता के कारण संभव हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान बैंक के कार्य निष्पादन की विशिष्टताएं निम्नानुसार हैं :

1. वित्तीय वर्ष 2012 के ₹ 1,515.24 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013 हेतु परिचालन लाभ में 41.81 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की गई और यह बढ़कर ₹ 2,148.70 करोड़ हो गया। परिचालन लाभ में तीव्र

STATEMENT OF CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Dear Shareholders,

It gives me great pleasure in presenting the Annual Report and Financial Statements of your Bank for the year ended 31st March 2013.

In the year under review, the economic condition was marked by continued deceleration in economic growth, persistent high rate of inflation, high current account deficit, slowing of savings and investments. Even against these rough weather in economy in general and in banking sector in particular, your Bank posted a strong performance in all the business parameters during the year. This could happen due to your continued whole-hearted support, patronage of the customers besides dedication of all staff members.

Performance highlights of the Bank during FY13 are as under.

1. Operating profit registered a healthy growth of 41.81 per cent and increased to ₹ 2,148.70 crore for FY13 compared to ₹ 1,515.24 crore for FY12. The fast growth

- वृद्धि कारोबार में उच्च वृद्धि और 3 प्रतिशत से ऊपर के निवल ब्याज मार्जिन के कारण संभव हुई.
2. वित्तीय वर्ष 2012 के ₹ 430.83 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013 हेतु निवल लाभ 76.29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 759.52 करोड़ रहा.
3. कुल आय ₹ 2,670.80 करोड़ से बढ़ कर ₹ 10,525.43 करोड़ हुआ जिसमें वि.व. 2011-12 से 34 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई.
4. वित्तीय वर्ष 2013 हेतु निवल ब्याज ₹ 516.25 करोड़ से बढ़ा जो वर्ष में ₹ 3033.34 करोड़ रहा.
5. वित्तीय वर्ष 2013 में अन्य आय की वृद्धि ₹ 912.00 करोड़ रही जो वित्तीय वर्ष 2012 में ₹ 640.67 करोड़ था, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर ₹ 42.35 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई.
6. वित्तीय वर्ष 2013 के लिए निवल ब्याज मार्जिन (एन आई एम) यथेष्ट 3.10% रहा.
7. आर्थिक मंदी के मद्देनजर आस्ति गुणवत्ता पर दबाव बना रहा. तथापि कठिन समय में भी बैंक वित्तीय वर्ष 2013 में सकल अनर्जक आस्ति अनुपात में कमी कर इसे 1.49 प्रतिशत कर सका जो कि वित्तीय वर्ष 2012 में 2.28 प्रतिशत था. संपूर्ण रूप से सकल अनर्जक आस्तियां 31.03.2013 को ₹ 1,137.55 करोड़ रहीं. जिसमें वर्ष के दौरान ₹ 159.48 करोड़ की कमी प्रदर्शित हुई.
8. वित्तीय वर्ष 2013 के समापन पर निवल अनर्जक आस्ति अनुपात कम होकर 0.52 प्रतिशत (₹ 392.93 करोड़) रहा जो कि गत वर्ष 0.84 प्रतिशत (₹ 469.57 करोड़) था.
9. अनर्जक आस्ति प्रावधान व्याप्ति प्रतिशत 31 मार्च 2012 के 80.36 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2013 को 83.86 प्रतिशत रहा.
10. बैंक की निवल संपत्ति 31.03.2012 के ₹ 3,775.42 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2013 को ₹ 5,026.57 करोड़ हो गई.
11. व्यवसाय के मोर्चे पर बैंक का कुल व्यवसाय 31 मार्च 2012 के ₹ 1,33,508 करोड़ की तुलना में 27.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च 2013 को ₹ 1,70,734 करोड़ हो गया.
12. कुल जमाराशियां 31.03.2012 के ₹ 76,529 करोड़ की तुलना में 23.27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च 2013 को ₹ 94,337 करोड़ हो गई.
13. चालू खाता एवं बचत खाता (कासा) जमाराशियां वर्ष के दौरान बढ़कर ₹ 38476 करोड़ हो गई जिससे 21.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई. बैंक की कुल जमाराशियों में कासा जमाराशियों का अंश बढ़कर 31.03.2013 को 40.79 प्रतिशत हो गया.
- in operating profit was possible because of high growth in business and net interest margin above 3 per cent.
2. Net profit for FY13 was at ₹ 759.52 crore as compared to ₹ 430.83 crore for FY12 recording a growth rate of 76.29 per cent.
3. Total Income increased by ₹ 2,670.80 crore to ₹ 10,525.43 crore recording growth rate of 34 per cent over FY 2011-12.
4. Net interest income for FY13 increased by ₹ 516.25 cr during the year to ₹ 3,033.34 crore.
5. Other income has increased in FY13 to ₹ 912.00 crore from ₹ 640.67 crore in FY12 and recorded a growth of 42.35 per cent on y-o-y basis.
6. Net Interest Margin (NIM) stood at healthy 3.10% for FY13.
7. In view of the economic slowdown, there was a pressure on the asset quality. Even in the difficult times, the Bank could reduce the gross non-performing asset (NPA) ratio to 1.49 per cent in FY13 from 2.28 per cent in FY12. In absolute terms the Gross NPAs stood at ₹ 1,137.55 crore as on 31.03.2013 showing a reduction of ₹ 159.48 crore during the year.
8. Net NPA ratio reduced to 0.52 per cent (₹ 392.93 crore) at the end of FY13 from 0.84 per cent (₹ 469.57 crore) a year ago.
9. The NPA provision coverage ratio stood at 83.68 per cent as at 31.03.2013 as against 80.36 per cent as at 31.03.2012.
10. Net worth of the Bank increased to ₹ 5,026.57 crore as at 31.03.2013 from ₹ 3775.42 crore as at 31.03.2012.
11. On the business front, total business of the Bank registered growth of 27.88 per cent to ₹ 1,70,734 crore as at 31st March 2013 as compared to ₹ 1,33,508 crore as at 31st March 2012.
12. Total deposits increased to ₹ 94,337 cr as on 31.03.2013 against ₹ 76,529 cr as on 31.03.2012 and recorded growth of 23.27 per cent.

14. सकल अग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 34.08 प्रतिशत वृद्धि हुई और यह 31 मार्च 2013 को ₹ 76,397 करोड़ रहे.
15. मार्च 2013 की समाप्ति पर प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम ₹ 24,719 करोड़ रहे जो कि 40 प्रतिशत के अपेक्षित स्तर की तुलना में एनबीसी के 43.20 प्रतिशत रहे. वर्ष के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम में 28.75 की वृद्धि हुई.
16. वर्ष हेतु प्रति कर्मचारी व्यवसाय ₹ 12.56 करोड़ रहा जो 31.03.2012 को ₹ 9.67 करोड़ था.
17. वित्तीय वर्ष 13 में प्रति कर्मचारी निवल लाभ जो वर्ष 12 के ₹ 3.12 लाख से बढ़कर ₹ 5.59 लाख रहा .
18. बेसल II मानदंडों के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) न्यूनतम 9 प्रतिशत की विनियामक आवश्यकता की तुलना में 12.59 प्रतिशत के संतोषप्रद स्तर पर रहा. वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार से ₹ 406 करोड़ (शेयर प्रीमियम समेत) की इक्विटी पूंजी के रूप में पूंजी सहायता प्राप्त की.वर्ष के दौरान बैंक ने लोअर टीयर II को उगाहा जिसकी रकम ₹ 1000 करोड़ रही.
13. Current account and savings account (CASA) deposits increased to ₹ 38,476 crore during the year, registering a growth of 21.64 per cent. Share of CASA deposits in total deposits stood at 40.79 per cent as at 31.03.2013.
14. Gross advances increased by 34.08 per cent y-o-y to reach ₹ 76,397 crore as at 31.03.2013.
15. Priority Sector advances stood at ₹ 24,719 crore at the end of March 2013 which worked out to 43.20 per cent of ANBC against the required level of 40 per cent. Priority sector advances registered growth of 28.75 per cent in the year.
16. Business per employee was ₹ 12.56 crore as against ₹ 9.67 crore as on 31.03.2012.
17. Net profit per employee improved to ₹ 5.59 lakh in FY 2012-13 from ₹ 3.12 lakh in FY 2011-12.
18. Capital adequacy ratio (CRAR) under Basel II norms was comfortable at 12.59 per cent as against the minimum 9 per cent regulatory requirement. During the year, the Bank received capital support from the Government of India in the form of equity capital amounting to ₹ 406 crore (including share premium). During the year the Bank also raised Lower Tier II bonds amounting to ₹ 1000 crore.


व्यवसाय में त्वरित वृद्धि करने तथा कार्य-क्षमता में सुधार हेतु बैंक ने प्रमुख रूप से निम्नांकित पहल की :

- क. 139 नई शाखाएं खोली गईं, जिससे बैंक का शाखा नेटवर्क बढ़कर 1728 हो गया.
- ख. 190 नए एटीएम स्थापित किए गए, जिससे एटीएम की कुल संख्या 692 हो गई.
- ग. वित्तीय समावेशन पहल ("स्वाभिमान") के अंतर्गत बैंक ने 2000 से कम की जनसंख्या वाले (फेस-II) सभी 569 आबंटित बैंकरहित गांवों को व्याप्त किया, जो कि उपरोक्त 2,000 से ज्यादा वाले 1215 बैंकरहित गांवों (फेस-I) से अतिरिक्त हैं. वर्ष 2012-13 के दौरान वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक ने 1,64,694 ग्राहकों को सूचीबद्ध किया.
- घ. भारत सरकार के आर्थिक सहायता के सीधे नकद अंतरण योजना के अंतर्गत 33 जिलों में बैंक सहभागी रहा. डी सी टी के इन 33 जिलों में बैंक के पास 31 मार्च 2013 को 41,21,253 खाते रहे, यद्यपि 395 शाखाओं में एक परिवार एक खाता कार्यक्रम विद्यमान रहा.
- ङ. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की पहल के अंतर्गत बैंक ने ₹ 251 लाख की रकम महाराष्ट्र सरकार के मुख्य मंत्री के सूखा राहत निधि में प्रदान किये जिससे राज्य सरकार को कृषि योजना एवं साथ-साथ हरीतिमा के लिए पानी की सुविधा में पहल करने में मदद मिलेगी.
- च. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2013 से एक वार्षिक छात्रवृत्ति योजना स्थापित की है जो " महाबैंक मेरिट स्कालरशिप "के नाम से है तथा वर्ष के दौरान 309 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की.
- a. 139 new branches were opened taking the branch network to 1728.
- b. 190 ATMs were installed taking the total number of ATMs to 692.
- c. Under the financial inclusion initiative ("Swabhiman"), the Bank covered 569 villages having population below 2,000 (Phase-II) in addition to covering all 1,215 allotted unbanked villages having population above 2,000 (Phase-I). During the year 2012-13, under financial inclusion programme the Bank enrolled 1,64,694 customers.
- d. The Bank is participating in the Government of India scheme of Direct Cash Transfer of subsidies in 33 districts. As on 31st March 2013 the Bank had 41,21,253 accounts in these 33 DCT districts though 395 branches under one family one account programme.
- e. Under corporate social responsibility initiatives, the Bank contributed ₹ 251 lakh to the Chief Minister's Drought Relief Fund of Maharashtra state to help the state government in its initiatives for water to agriculture projects besides flora and fauna.
- f. The Bank instituted an annual scholarship scheme, namely "Mahabank Merit Scholarship", from FY13 and awarded scholarship to 309 students in the year.

छ. बैंक ने ₹ 15,000 की रकम प्रत्येक 551 सरकारी सहायता वाले प्राइमरी स्कूल के लिए दिया जो मूल सुविधाओं जैसे पीने के पानी का शुद्धीकरण, बिजली के पंखे और शौचालयों के निर्माण के लिए उपयोगी होगा जिससे स्वच्छता सुधार होगा.

बैंकिंग के लिए कठिन होने के बावजूद भी बैंक ने वर्ष के दौरान काफी अच्छा प्रदर्शन किया. मजबूत नींव डालने के साथ बैंक अपने मार्केट शेयर को सुधारने के लिए द्रुतदर व्यवसाय विकास के लिए प्रयत्नशील है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ग्राहकोन्मुख उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करता रहा है. ग्राहकों के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तकनीकी के योगदान एवं जहां जहां जरूरी हो विद्यमान प्रक्रिया के विकास के माध्यम से बैंक प्रयत्नशील रहेगा.

आपके समर्थन एवं संरक्षण के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जिसके कारण बैंक को वित्तीय वर्ष 2013 में बेहतर कार्य निष्पादन दर्ज करने में सहायता मिली. बैंक को देश के अग्रणी सरकारी क्षेत्र के बैंक के रूप में परिवर्तित करने के लिए भविष्य में भी आपके सतत सहयोग और संरक्षण की कामना करता हूं.




नरेन्द्र सिंह

अध्यक्ष एवं पबंध निदेशक

g. Contributed ₹ 15,000 each to 551 Government aided primary schools for improving basic facilities such as drinking water purifier, electric fans and construction of toilets for improving hygiene.

The Bank posted a good performance in a year difficult for banking. With the foundations laid strong the Bank is looking forward to achieve faster business growth to improve its market share further. Bank of Maharashtra has been launching customer centric products and services. The Bank would endeavor to continue fulfilling various customer needs by leveraging technology and reorientation of processes whenever required.

I thank you for your support and patronage, which has helped the Bank in registering good performance in FY13. I solicit your continued cooperation and patronage in future also for transforming the Bank into a top public sector bank in the country.



Narendra Singh

Chairman & Managing Director

बैंक ऑफ महाराष्ट्र


प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005

नोटिस

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की दसवीं वार्षिक आम सभा सोमवार दिनांक 14 जून 2013 को सुबह 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501 शिवाजीनगर, पुणे 411005 में निम्नलिखित कारोबार करने हेतु होगी:

- 31 मार्च 2013 के तुलनपत्र तथा 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि खाते, बैंक के लेखों और तुलनपत्र व लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की अवधि के दौरान बैंक की गतिविधियाँ तथा कार्यनिष्पादन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उसे अनुमोदित व स्वीकार करना.
- 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु लाभांश घोषित करना.

स्थान : पुणे
दिनांक : 07 मई 2013



(नरेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

टिप्पणियां

1. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित रहकर वोट डालने के पात्र शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने और वोट डालने के लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी की नियुक्ति करने का अधिकार है. ऐसा प्रॉक्सी व्यक्ति बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है.

प्रॉक्सी फार्म में विनिर्दिष्ट स्थान पर प्राक्सी प्रभावी करने के लिए प्रॉक्सी फार्म साधारण वार्षिक आम सभा की दिनांक से चार दिन पूर्व अर्थात् सोमवार, दिनांक 10 जून 2013 के लिए निर्धारित कार्य के घंटे समाप्त होने के चार दिन पूर्व मिल जाना चाहिए.

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक किसी कंपनी या निगम निकाय जो बैंक के शेयरधारक हो, के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता जब तक कि उसे नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की प्रति, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित सत्यप्रति है जिसमें प्रतिनिधि की नियुक्ति का संकल्प पारित है, बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तिथि से चार दिन पूर्व अर्थात् सोमवार, दिनांक 10 जून 2013 को या उससे पहले कार्यालय समय की समाप्ति तक या उससे पूर्व जमा नहीं की जाती.

3. उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है. शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र में दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर यह पर्ची आम सभा के स्थान पर देने की कृपा करें. प्रॉक्सी/शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि यथाप्रसंग उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र पर उल्लेख करें कि "प्रॉक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि".

4. बहियों का बंद होना

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही शनिवार 01 जून 2013 से शुक्रवार 14 जून 2013 (दोनों दिन मिलाकर) तक दसवीं वार्षिक आम सभा और लाभांश भुगतान की पात्रता का निर्धारण करने के लिए बंद रहेंगे.

5. लाभांश का भुगतान

शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम सभा में यदि लाभांश की घोषणा की जाती है तो उसका भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम :

- इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के संबंध में शुक्रवार दिनांक 31 मई 2013 को कारोबार समाप्ति पर लाभकारी मालिक के रूप में एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा दी जाने वाली सूची में रहेंगे, और
- भौतिक फॉर्म के संबंध में शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2013 को शेयरधारकों के रजिस्टर में लिखे होंगे और शेयरधारकों से प्राप्त वैध अंतरण अनुरोध को शुक्रवार, दिनांक 31 मई 2013 को कारोबार समय की समाप्ति के पूर्व प्रभावी किया गया हो.

लाभांश वारंट वार्षिक आम बैठक के तीस दिनों के भीतर मेल द्वारा भेजा जाएगा.

6. अप्रदत्त / अदावी लाभांश, यदि कुछ हो

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अधिग्रहण) 1970 की धारा 10 बी और वित्तीय संस्थान विधि (संशोधित) अधिनियम 2006 (जो दिनांक 16.10.2006 से लागू हुआ) के अनुसार लाभांश की कोई भी रकम जो कि अप्रदत्त लाभांश खाते को अंतरित की जाती है और इस अंतरण के दिनांक से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त / अदावी रहती है तो इसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी (1) के अंतर्गत स्थापित "निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधी" (आईईपीएफ) को अंतरित की जाएगी और तत्पश्चात बैंक के प्रति या आईईपीएफ के प्रति इस संबंध में लाभांश के भुगतान हेतु कोई भी दावा नहीं रहेगा.

तदनुसार उक्त प्रावधानों के अनुसरण में वर्ष 2003-2004 और इसके बाद के वित्तीय वर्ष से अप्रदत्त / अदावी रही लाभांश की ऐसी सभी राशियाँ अप्रदत्त लाभांश खाते को अंतरित किए जाने के दिनांक से सात वर्ष के पश्चात "निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधी" (आईईपीएफ) को अंतरित की जाएगी.

जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2011-12 तक उनका लाभांश प्राप्त नहीं किया है/ भुनाया नहीं है उनसे अनुरोध है कि वे अपने वैध दावे पंजीयक और अंतरण एजेंट- एमसीएस लि. को प्रस्तुत करें.

7. शेयर अंतरण फार्म का प्रस्तुतीकरण

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र को अंतरण के लिए नीचे पैरा क्र. 8 में

दिए गए पते पर रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को भेजे जाएंगे ताकि 31 मई 2013 को या उससे पूर्व उनके कार्यालय में प्राप्त हो जाये.

8. पते में परिवर्तन

भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में परिवर्तन की सूचना, यदि कोई है, तो निम्नलिखित पते पर शेयर अंतरण एजेंट और रजिस्ट्रार (आरटीए) को भेजें:

एमसीएस लिमिटेड,
(इकाई: बैंक ऑफ महाराष्ट्र),
आफिस क्रमांक 21/22, ग्राउण्ड फ्लोर,
काशीराम जमनादास बिल्डिंग,
5, पी.डिमेलो रोड़ (घाडियाल गोदी),
मस्जिद (पूर्व), मुंबई - 400 009
फोन : (022) 2372 6253-56
फैक्स : (022) 2372 6252
ई-मेल : uday_mcs@yahoo.in

डिमेंट रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में परिवर्तन की सूचना, यदि कोई है, तो सीधे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपन्ट्स को दें.

9. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा सुविधा-एन-ईसीएस / इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवाएं (ईसीएस) तथा बैंक ब्यौरों में परिवर्तन

बैंक सभी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान, जहां उपलब्ध हो वहां, एन-ईसीएस/ईसीएस सुविधा के माध्यम से करने की व्यवस्था करेगा. किसी केन्द्र पर एन-ईसीएस/ईसीएस सुविधा न होने पर बैंक लाभांश वारंट प्रिंट कर शेयरधारकों को भेजेगा.

भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक शेयरधारक इस रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रारूप में बैंक को अपने अधिदेश के साथ अपना प्राधिकार दे सकते हैं. वर्ष 2012-13 के लिए लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा सुविधा के माध्यम से करने के अनुरोध रजिस्ट्रार व अंतरण एजेन्ट-एमसीएस लि. को भी नीचे अनुच्छेद 8 में दिए गए पते पर दिनांक 31 मई 2013 से पूर्व प्रस्तुत किए जाने चाहिए.

डिमटेरियालाइज्ड रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक कृपा नोट करें कि संबंधित डिपॉजिटरीज में पंजिकृत ईसीएस अधिदेश के अनुसार लाभांश भेजने हेतु विचार किया जाएगा. अपने बैंक खातों के विवरण में परिवर्तन कराने के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपन्ट्स को बैंक खातों का पूर्ण विवरण देते हुए परिवर्तन करने का अनुरोध 31 मई 2013 को या उससे पूर्व करें.

बैंक में खाता रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे लाभांश जमा करने हेतु बैंक को अपने सीबीएस बैंक खातों के विवरण उपलब्ध कराएं.

10. शेयरधारक/प्राक्सीधारक/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति वार्षिक आम सभा में अपने साथ लाएं.

11. लेखों के संबंध में अधिक जानकारी के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक के प्रधान कार्यालय में स्थित निवेशक सेवाएं विभाग को इस आशय का लिखित अनुरोध इस प्रकार भेजें कि वह वार्षिक आम सभा की दिनांक से एक सप्ताह पूर्व उन्हें मिल जाएं ताकि प्रबंधन सूचनाएं तैयार रख सके. शेयरधारक नोट करें कि सूचनाएं/स्पष्टीकरण केवल वार्षिक आम सभा में ही उपलब्ध कराए जाएंगे.

BANK OF MAHARASHTRA
HEAD OFFICE: 'LOKMANGAL', 1501, SHIVAJINAGAR, PUNE - 411 005

NOTICE

Notice is hereby given that the Tenth Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Maharashtra will be held on Friday, the 14th June 2013 at 10.30 a.m at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005 to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2013 and the Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2013, the Report of Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."
2. To declare dividend for the year ended 31st March, 2013.

Place: Pune

Date: 07 May 2013

(Narendra Singh)

Chairman and Managing Director

NOTES:

1. Appointment of Proxy:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The Proxy form, in order to be effective, must be received at the place specified in the Proxy form not less than Four Days before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closure hours of the Bank on Monday, 10th June 2013.

2. Appointment of an Authorised Representative:

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorised representative of a Company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him / her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head office of the Bank not less than Four Days before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closure hours of the Bank on Monday, 10th June 2013.

3. Attendance Slip-cum-Entry pass

For the convenience of the shareholders, attendance Slip-cum-Entry pass is annexed to this Report. Shareholders / Proxy Holders / Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Authorised Representative of a shareholder should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

4. Book Closure

The Register of shareholders and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Saturday the 1st June 2013 to Friday; the 14th June 2013 (both days inclusive) for the Purpose of the Tenth Annual General Meeting and for ascertaining the shareholders entitled for dividend, if any.

5. Payment of Dividend

Payment of dividend if declared by the shareholders in the Annual General Meeting will be paid to those shareholders whose names appear:

- a) As beneficial owners as at the close of business hours on Friday, May 31st 2013 as per the lists to be furnished by NSDL /CDSL in respect of the shares held in electronic form, and
- b) In the Register of Shareholders as on Friday, June 14, 2013 after giving effect to the valid transfer requests received from the shareholders holding shares in physical form, before close of business hours as on Friday, May 31,2013.

Dividend warrants shall be mailed within thirty days from the date of Annual General Meeting.

6. Unpaid / Unclaimed dividend, if any

In terms of Section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, and Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006, (which has come into force from 16.10.2006), any amount of dividend which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid / unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" (IEPF) established under section 205C(1) of the Companies Act, 1956 and thereafter, no claim for payment of dividend shall lie in respect thereof either to the Bank or to IEPF.

Accordingly, in line with the above provisions, all such amounts of dividend remaining unpaid / unclaimed from the financial year 2003-04 and onwaredes will be transferred "Investor Education and Protection Fund" after seven years from the date on which it has been transferred to 'unpaid dividend account'.

Shareholders who have not received / encashed their dividend upto the financial year 2011-12, are requested to lodge their valid claim(s) with Registrar and Transfer Agent - MCS Ltd.

7. Lodgement of Share Transfer Form/s

Share Certificates along with transfer deeds, duly executed, for transfer of shares, should be forwarded to the Registrar and

Share Transfer Agent (RTA) at the address given under para no:8. so as to reach their office on or before the closure of office hours on May 31, 2013.

8. Change of address

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank at the following address:

MCS Limited,
Unit: Bank of Maharashtra,
Office No.21/22, Ground Floor,
Kashiram Jamnadas Bldg.,
5, P.D' Mello Road,
(Ghadiyal Godi),
Masjid (E), Mumbai-400 009.
Tel No: 022-2372 6253-56
Fax: 022-2372 6252
Email: uday_mcs@yahoo.in

Shareholders holding shares in Dematerialized Form are requested to intimate changes, if any, in their address directly to the respective Depository Participants.

9. National Electronic Clearing Services-N-ECS/ Electronic Clearing Services (ECS) and Change in Bank Details

The Bank will arrange to make payment of dividend through N-ECS / ECS facility, wherever available, to all shareholders of the Bank. In the absence of NECS / ECS facility at certain centers, the Bank shall print and send the physical dividend warrants to the shareholders.

Shareholders holding their shares in physical form, who wish to avail ECS facility may authorize the Bank with their ECS Mandate in the prescribed form annexed to this Report. The request for payment of dividend through ECS for the year 2012-13 should be lodged with Registrar and Share Transfer Agent (RTA)-MCS Ltd. at address mentioned under para 8 so as to reach them on or before 31st May, 2013.

Shareholders holding shares in Dematerialized form may please note that ECS mandate as recorded with the respective depositories will be considered for sending dividend through ECS. Shareholders who wish to change Bank account details are requested to advise their Depository Participants only about such change with complete details of Bank Account on or before 31st May, 2013.

Shareholders maintaining account with the Bank are requested to provide to the Bank, CBS Bank account details to credit their accounts towards payment of dividend.

10. Shareholders/Proxy holders/representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting.

11. Shareholders who wish to seek any information on the accounts are requested to write to the Investor Services Department of the Bank at its Head Office, which should reach the Bank at least one week before the date of the Annual General Meeting so as to enable the Management to keep the information ready. Shareholders may note that information/clarification shall be provided only at the Annual General Meeting.

प्रगति-एक नज़र में PROGRESS AT A GLANCE

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

	2010-11	2011-12	2012-13
प्रदत्त पूंजी Paid-up Capital	1,070	1,178	1,249
आरक्षित Reserves	2,901	3,545	5,147
कुल जमाराशियां Total Deposits	66,845	76,529	94,337
वृद्धि % Growth %	5.59	14.49	23.27
कुल जमाराशियों में कासा का अंश (%) CASA Share in Total Deposits (%)	40.44	41.33	40.79
अग्रिम Advances	47,487	56,979	76,397
वृद्धि % Growth %	16.03	19.99	34.08
खुदरा अग्रिम Retail Advances	5488	6008	8281
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	16,480	19,199	24,719
कृषि Agriculture	4,691	6,090	7,972
कृषि (वितरण) Agriculture (Disbursal)	2,874	3,146	3,238
माइक्रो व सूक्ष्म उद्यम Micro and Small Enterprises	7,037	8,631	11,289
अल्पसंख्यक क्षेत्रों को अग्रिम Advances to Minority Sections	875	885	1,871
अ जा / अ ज जा ग्राहकों को अग्रिम Advances to SC/ST Clients	790	781	1,161
निर्यात ऋण Export Credit	757	873	1,886
कुल आय Total Income	6,093	7,855	10,525
कुल व्यय Total Expenditure	5,239	6,339	8,377
परिचालन लाभ Operating Profit	855	1,515	2,149
निवल लाभ Net Profit	330	431	760
शाखाओं की संख्या Number of Branches	1,536	1,589	1,728
एटीएम की संख्या Number of ATMs	417	502	692
स्व-सहायता समूह(सं.) Self Help Groups (No.)	84,087	90,093	95,819
प्रमुख निष्पादन अनुपात (%) Key Performance Ratios (%)			
पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बेसल II (%) Capital Adequacy Ratio - Basel II (%)	13.35	12.43	12.59
प्रति शेयर आय (₹) Earning Per Share (₹)	6.86	7.59	11.88
प्रति शेयर बही मूल्य (₹) Book Value Per Share (₹)	44.04	54.06	67.10
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ करोड़ में) Business Per Employee (₹ crore)	8.25	9.67	12.56
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में) Profit Per Employee (₹ lakh)	2.38	3.12	5.59
औसत आस्तियों पर आय Return on Average Assets	0.47	0.55	0.74
लागत आय अनुपात Cost to Income Ratio	65.79	52.02	45.54
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात Gross NPA Ratio	2.47	2.28	1.49
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात Net NPA Ratio	1.32	0.84	0.52
प्रावधान व्याप्ति अनुपात Provision Coverage Ratio	65.56	80.36	83.68
ऋण-जमा अनुपात Credit-Deposit Ratio	71.04	74.45	80.98
एएनबीसी के प्रति प्राथमिकता ऋण Priority Credit to Adjusted Net Bank Credit	40.66	40.81	43.20

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशक 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ व हानि खाते और व्यवसाय एवं परिचालन पर रिपोर्ट के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

1. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण:

1.1 वर्ष 2012-13 में आर्थिक परिदृश्य:

पिछले कुछ वर्षों के आर्थिक संकटों के प्रभाव-विस्तार के कारण वर्ष 2012-13 का वैश्विक आर्थिक परिदृश्य चुनौतीपूर्ण था। तथापि, यूरो क्षेत्र में सहयोगात्मक नीति कार्रवाई और अमेरिका के राजकोषीय क्लिफ से निपटने हेतु किए गए उपायों के चलते वर्ष 2012-13 में सामान्य से इतर जोखिम कुछ कम हुए। तीव्रतम गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था की विकास की दर भी प्रभावित हुई किंतु सकल वैश्विक विकास के एक तिहाई विकास के साथ यह वैश्विक महाशक्ति बनी रही। जापान की अर्थव्यवस्था ने 2012 की चौथी तिमाही में करार बंद कर दिए। ब्रिक्स देशों में से ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में त्वरित विकास हुआ। वैश्विक उतार चढ़ावों के कारण उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का विकास काफी कम हो गया। मांग के कमजोर बने रहने से मुद्रास्फीति परिदृश्य सौम्य बने रहे और तेल व खाद्य जैसी प्रमुख वस्तुओं की आपूर्ति में सुधार की संभावनाओं ने उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों के दबाव को अवरुद्ध रखा। प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा आक्रामक मौद्रिक सहजता का पालन, यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय समेकन के कारण उभरती अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करने की नीतिगत पहलों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार के तनाव को काफी हद तक कम किया।

वर्ष के आरंभ में अनेक विकसित अर्थव्यवस्थाएं, विशेष रूप से यूरोप पहले ही दोहरी मंदी की मार झेल रही थीं, जबकि राष्ट्रिक कर्ज संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्थाएं, और अधिक मंदी के स्तर पर चली गईं। बढ़ती बेरोजगारी, मौद्रिक मितव्ययिता के कारण गंभीर हो गई कमजोर सकल मांग और सार्वजनिक कर्ज के बोझ से बहुत सी विकसित अर्थव्यवस्थाएं पेंचदार गिरावट के चक्र में उलझ गईं। आसपास हो रहे इन परिवर्तनों से विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अछूती न रह सकीं। तथापि, वर्ष के परवर्ती भाग में कुछ आशा की किरण थीं। यूरो क्षेत्र का विभाजन न होने देना और अमेरिका में राजकोषीय क्लिफ के कारण राजकोषीय संकुचन रोकना पिछले वर्ष की दो सबसे बड़ी उपलब्धियां रहीं। साथ ही, अमेरिकी आवासीय क्षेत्र में सुधार के चिन्ह और मांग में मजबूती दिखाई दे रही है। आईएमएफ-डब्ल्यूईओ के संदर्भ में वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2012 में 3.2 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है और वर्ष 2013 में इसके 3.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

घरेलू स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2011-12 में 6.2 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्शाने के बाद वर्ष 2012-13 में मंद हो गई। विकास दर में गिरावट का विश्लेषण शास्त्रीय "स्फीति-वृद्धि" ट्रेड-ऑफ के दृष्टिकोण से किया जा सकता है। वर्ष 2008-09 के वैश्विक मंदी के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने विकास की निरंतरता बनाए रखने के लिए वांछित प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जिनके कारण वर्ष 2009 से 2011 तक विकास में तेजी सुनिश्चित की जा सकी। हालांकि, इससे अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता बढ़ी हुई मांग को पूरा करने में असमर्थ हो गई, परिणामस्वरूप, भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमतों में वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था "स्फीति-वृद्धि" ट्रेड-ऑफ के दुष्चक्र की ओर अग्रसर हुई।

उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से केवल चीन और इंडोनेशिया ही भारत से अधिक गति से विकास कर रहे हैं। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2012-13 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.0 प्रतिशत का विकास हुआ और इसका कोई भी क्षेत्र विकास से अछूता न रहा। पिछले वर्ष की तुलना में रबी का उत्पादन बेहतर होने की संभावना है। हालांकि, इससे खरीफ के उत्पादन में आई गिरावट की भरपाई नहीं हो सकती। वर्ष 2012-13 के फसल उत्पादन (खरीफ और रबी) के दूसरे अग्रिम अनुमान पिछले साल के अंतिम अनुमान से 3.5 प्रतिशत की गिरावट दर्शाते हैं। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 3.5 फीसदी की तुलना में वर्ष 2012-13 (अप्रैल - फरवरी) के दौरान घटकर 0.9 प्रतिशत रह गई।

उठाए गए कदमों की वजह से वर्ष 2012-13 में हेडलाइन मुद्रास्फीति औसतन 7.3 प्रतिशत रही और वर्षांत में घटकर 6.0 प्रतिशत रह गई। समग्र मुद्रास्फीति संयमित होते हुए भी, अप्रैल 2012 में सब्जियों की कीमतों में असामान्य उछाल और उसके बाद मानसून देरी

DIRECTORS' REPORT

Your Directors have great pleasure in presenting before you the Annual Report of the Bank along with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2013.

1. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS:

1.1 Economic scenario 2012-13

The global economic environment in the year 2012-13 was challenging with the spillover of last years looming at large. However, downside tail risks have receded in 2012-13 because of the supportive policy action in the euro area and the measures to tackle fiscal cliff in US. Growth rate of the fastest growing economy was also impacted but it continues to remain the global powerhouse, directly accounting for about a third of global growth. Japan's economy stopped contracting in Q4 of 2012. Among BRICS countries, growth accelerated in Brazil and South Africa. Growth in emerging & developing economies bottomed due to global headwinds. Global Inflation scenario remained benign as demand remained weak and improved supply prospects in key commodities such as oil and food also restrained commodity price pressures. International financial market stress moderated greatly following aggressive monetary easing by major central banks, as also policy initiatives on fiscal consolidation in the euro area economies, encouraging capital flows into emerging economies.

The year opened wherein number of developed economies, especially in Europe, had already fallen into a double-dip recession, while those facing sovereign debt distresses moved into even deeper recession. Many developed economies were caught in downward spiral dynamics with high unemployment, weak aggregate demand compounded by fiscal austerity, and high public debt burdens. Developing economies could not remain aloof from the developments around them. However, in the later part of the year, there were some signs of hope. Two of the biggest achievements of the past year were namely averting the breakup of euro area and fiscal contraction due to the fiscal cliff in US. Moreover US experienced some signs of recovery in the housing sector. In terms of International Monetary Fund - World Economic Outlook (IMF-WEO) the global economy grew at the rate of 3.2 per cent in the year 2012 and is projected to grow at 3.3 per cent in the year 2013.

On domestic front, Indian economy bottomed in the year 2012-13, after achieving 6.2 percent in 2011-12. The decline in the growth rate may be analyzed from the viewpoint of classical "inflation-growth" trade off. Indian economy grew at the rate of 6.7 per cent in the wake of global recession in the year 2008-09. Government & Reserve Bank of India provided the desired stimulus for maintaining the growth momentum, which ensured a pickup in growth in the years 2009 to 2011. However, the stimulus also led to overheating of the economy. As a result, Indian economy experienced increase in the prices leading to the vicious cycle of inflation-growth trade-off.

Among emerging economies, only China and Indonesia are growing faster than India. As per the advance estimates of Central Statistical Organization, Indian Economy grew by 5.0 percent in the year 2012-13 with no sector remaining unaffected. Rabi production is expected to be better than a year ago. However, it may not fully offset the decline in kharif output. The second advance estimates of crop production (kharif and rabi) for 2012-13 indicate decline of 3.5 percent in relation to final estimates of previous year. Growth in industrial production decelerated to 0.9 per cent during 2012-13 (April-February) from 3.5 per cent in the corresponding period of the previous year.

In view of the steps taken, headline inflation, moderated to an average of 7.3 per cent in 2012-13 with the year-end inflation recording at 6.0 per cent. Notwithstanding the moderation in overall inflation, elevated

के कारण अनाज की कीमतों में वृद्धि की वजह से ऊंची खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति पूरे वर्ष दबाव का स्रोत बनी रही। यद्यपि थोक मूल्य सूचकांक मुद्रा स्फीति में कुछ कमी आई, नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आकलन के अनुसार फुटकर मुद्रा स्फीति, मुख्यतः खाद्य मुद्रा स्फीति के कारण वर्ष 2012-13 में औसतन 10.2 प्रतिशत रही। सरकार ने ईंधन की कीमतों में सुधार आरंभ किए, जिनका लाभ आने वाले समय में मिलेगा।

वर्ष 2012-13 के दौरान भारतीय बैंकिंग उद्योग का कार्यनिष्पादन

भारतीय रिजर्व बैंक के पास लगातार उच्च सरकारी नकदी शेष और वर्ष के अधिकांश भाग में अधिक वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात के कारण वर्ष भर तरलता पर दबाव बना रहा। वर्ष की पहली छमाही के दौरान दैनिक तरलता समायोजन सुविधा के तहत बैंकों द्वारा शुद्ध औसत तरलता उधारी (एलएएफ), 730 बिलियन रुपए थी जो दूसरी छमाही के दौरान उल्लेखनीय रूप से बढ़कर रुपये 1012 बिलियन रुपए हो गई। तरलता पर दबाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान तीन बार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित नकदी निधि अनुपात में 75 बीपीएस और सांविधिक तरलता अनुपात(एसएलआर) में 100 बीपीएस की कमी की। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के माध्यम से रुपये 1,546 बिलियन रुपए की तरलता उपलब्ध कराई।

मार्च 2013 के अंत तक मुद्रा आपूर्ति (एम 3) की वृद्धि 13.3 प्रतिशत नोट की गई थी, जो भारतीय रिजर्व बैंक की संशोधित संकेतात्मक वक्रपथ के 13.0 प्रतिशत से कुछ ऊपर थी। वर्ष 2012-13 के आरंभ के 18.2 प्रतिशत की तुलना में गैर-खाद्य ऋण प्रगति धीमी होकर वर्ष की अधिकांश अवधि में 16.0 प्रतिशत के आसपास बनी रही। मार्च 2013 तक गैर-खाद्य ऋण प्रगति 14.0 प्रतिशत तक गिर गई जो भारतीय रिजर्व बैंक के 16.0 प्रतिशत के संकेतात्मक अनुमान से कम रही, जो जोखिम टालने और मांग में कमी को दर्शाते हैं।

वर्ष 2012-13 में औद्योगिक क्षेत्र के मध्यम श्रेणी के उद्योगों; सेवा क्षेत्र में नौवहन और व्यावसायिक सेवाओं और वैयक्तिक ऋण क्षेत्र में शेयर और बाण्ड की जमानत पर ऋण व टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऋण के अतिरिक्त सभी मुख्य क्षेत्रों को दिए गए बैंक ऋण में सकारात्मक वृद्धि हुई।

बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण में से सर्वाधिक लगभग 41 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र को और लगभग 21 प्रतिशत सेवा क्षेत्र को दिया गया। यद्यपि खाद्य ऋण, मुख्यतः खाद्यान्न की सरकारी खरीद हेतु अग्रिम में उतार-चढ़ाव रहा किंतु कृषि और इतर क्षेत्र को दिए गए ऋणों में वर्ष 2011-12 की तीसरी तिमाही के उपरांत वृद्धि हुई।

परिदृश्य

अमेरिका में जब्ती का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को ऋण परिसीमन रोकने हेतु लाए गए प्रस्ताव से कम किया जा सकता है। तथापि, मुख्य संकेत धीमी वैश्विक प्रगति की ओर इंगित करते हैं। राजनैतिक अर्थव्यवस्था जोखिम, जो अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में विश्वसनीय और दृढ़निश्चयी नीतिगत कार्रवाई को रोकते या विलंबित करते हैं, सुधार को रोक रहे हैं। आगे बढ़ रही विकसनशील अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं की कठिनाइयों के फैलाव का संकट गहराया हुआ है। जबकि वैश्विक मुद्रा स्फीति दबाव कम होने की आशा है, उत्पादन में भारी अंतर के कारण, संभावना है कि बहुत सी अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं को बड़ी हुई ऊर्जा कीमतों का सामना करना पड़े। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हाल की वर्ल्ड इकॉनामिक आउटलुक रिपोर्ट ने वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2013 की अनुमानित 3.3 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2014 में वास्तविक 4 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की है। नए बाजारों और विकसनशील अर्थव्यवस्थाओं में सुदृढ़ प्रगति की आशा है; यह उत्तरोत्तर वर्ष 2012 के 5.0 प्रतिशत से वर्ष 2013 में 5% प्रतिशत और वर्ष 2014 में 5% प्रतिशत रहेगी।

वर्ष 2013-14 के दौरान, घरेलू आर्थिक गतिविधियों में पिछले वर्ष से थोड़ा सुधार होने की आशा है। यद्यपि, सरकार ने नीति सुधारों के लिए कई कदम उठाए हैं, जो वृद्धि गतिकि में तेजी लाएगा, किंतु बहुत कुछ वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2013-14 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की है और थोक मूल्य सूचकांक स्फीति 2013-14 के दौरान 5.5 प्रतिशत की सीमा में रहना अनुमानित है।

food price inflation was a source of upside pressure through the year owing to the unusual spike in vegetable prices in April 2012 followed by rise in cereal prices on account of the delayed monsoon. Even as WPI inflation eased, retail inflation, as measured by the new consumer price index, averaged 10.2 per cent during 2012-13, largely driven by food inflation. Government started with the reforms in fuel prices, which will pay back in the long run.

Performance of Indian Banking Industry in 2012-13

Liquidity remained under pressure throughout the year because of persistently high government cash balances with the Reserve Bank of India (RBI) and elevated incremental credit to deposit ratio for much of the year. The net average liquidity borrowings by the Banks under the daily liquidity adjustment facility (LAF), was at ₹ 730 billion during the first half of the year, which increased significantly to ₹ 1,012 billion during the second half. In order to alleviate liquidity pressures, the Reserve Bank lowered the CRR of SCBs cumulatively by 75 bps on three occasions and the statutory liquidity ratio (SLR) by 100 bps during the year. Additionally, the Reserve Bank injected liquidity to the tune of ₹ 1,546 billion through open market operation (OMO) purchase of Government Securities.

Money supply (M3) growth was noted at 13.3 per cent by end-March 2013, slightly above the RBI revised indicative trajectory of 13.0 per cent. Non - food credit growth decelerated from 18.2 per cent at the beginning of 2012-13 and remained close to 16.0 per cent for the major part of the year. By March 2013, non-food credit growth dropped to 14.0 percent, lower than the RBI indicative projection of 16.0 per cent, reflecting some risk aversion and muted demand.

Bank credit to all major sectors in 2012-13 showed positive growth with an exception of medium industries in the industry sector; shipping and professional services in the services sector and consumer durables and advances against shares and bonds in the personal loans sector.

Industry remained the dominant sector accounting for around 41 per cent of total credit disbursed by the banks, followed by services sector at around 21 per cent. While food credit, primarily advanced for food procurement, has fluctuated, credit to the agriculture and allied sector has grown after Q3 of 2011-12.

Outlook

The impact of sequestration in the US on the global economy is likely to be muted in view of legislation initiated to avert the debt ceiling. Nevertheless, lead indicators point to sluggish global growth. Political economy risks that block or delay credible and determined policy actions in advanced economies (AEs) are inhibiting recovery. For Emerging Developing Economies (EDEs), risks of spillovers from AEs remain significant. While global inflationary pressures are likely to be subdued, given still large output gaps, several EDEs could potentially face the threat of elevated energy prices. However IMF's latest World Economic Outlook (WEO) report forecasts real global GDP growth to rise to 4 per cent in 2014 from 3.3 per cent projected for 2013. Growth in emerging market and developing economies is expected to remain robust; strengthening from about 5.0 per cent in 2012 to 5¼ per cent in 2013 and 5% per cent in 2014.

During 2013-14, domestic economic activity is expected to show only a modest improvement over last year. Although, Government has taken a host of policy reforms which would provide impetus to the growth dynamics, but a lot is dependent on global cues. RBI has for 2013-14 projected a GDP growth at 5.7 per cent and WPI inflation is expected to be range bound around 5.5 per cent during 2013-14.

भारत में वित्तीय क्षेत्र का निष्पादन अल्पवधि और दीर्घवधि- दोनों घटकों पर निर्भर करेगा. आने वाले समय में, भारत सहित पूरे विश्व में निवेश गतिविधियों को बनाए रखने के लिए वैश्विक उत्पाद में सुदृढ़ वृद्धि आवश्यक होगी. अल्पवधि में, उच्चतर संबद्ध आय की अपेक्षा, निवेशकों का जोखिम बोध और वैश्विक चलनिधि घरेलू इक्विटी मार्केट को निधियों के प्रवाह का स्तर निर्धारित करेगी. वृद्धि अनुमानों और भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रास्फीति उपायों की संगतता अनुसार वर्ष 2013-14 हेतु एम-3 की वृद्धि 13.0 प्रतिशत, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल जमा राशियों में 14.0 प्रतिशत वृद्धि और गैर-खाद्य ऋणों में 15.0 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है.

2. आपके बैंक का वर्ष 2012-13 का कार्य निष्पादन

2.1 कारोबार

आपके बैंक का कुल कारोबार पिछले वर्ष के ₹ 133508 करोड़ की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 27.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2013 को ₹ 170734 करोड़ हो गया.

2.2 जमा राशियां

बैंक की कुल जमा राशियां मार्च 2012 की समाप्ति के ₹ 76529 करोड़ के स्तर की तुलना में 23.27 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष के दौरान ₹ 94337 करोड़ हो गईं.

चालू व बचत बैंक (कासा) जमा राशियों में 21.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 31.03.2013 को ये ₹ 38476 करोड़ हो गईं. बैंक की कुल जमा राशियों में चालू व बचत खातों की जमा राशियों का हिस्सा 31.03.2013 को 40.79 प्रतिशत रहा, जो कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सर्वोच्च में से एक है.

2.3 ऋण अभिनियोजन

भारत सरकार के उधारी मानदण्डों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक में उधारी नीति लागू है. यह नीति गुणात्मक ऋण वृद्धि पर बल देती है और विनियामक आवश्यकताओं के साथ-साथ विवेकपूर्ण विगोपन सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करती है.

बैंक के सकल अग्रिम 31.03.2012 के ₹ 56,979 करोड़ से 34.08 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़कर 31.03.2013 को ₹ 76397 करोड़ हो गए. उत्साहपूर्ण सेवा उन्मुखता और इसके साथ ही त्वरित मंजूरीयों तथा ग्राहक उन्मुख दृष्टिकोण से बैंक वर्ष 2012-13 के दौरान बैंकिंग उद्योग की औसत से अधिक की ऋण वृद्धि दर्ज करने में समर्थ हो सका.

उच्चतर ऋण वृद्धि के साथ 31.3.2012 को ऋण जमा अनुपात 74.45 प्रतिशत था जो 31.03.2013 को बढ़कर 80.98 प्रतिशत हो गया.

ऋण सुपुर्दगी तंत्र में सुधार हेतु विभिन्न कदम उठाए गए जिसके द्वारा ऋण की समग्र गुणवत्ता में समझौता किए बिना कायाकल्प के समय में कमी लाई गई.

मिड कॉर्पोरेट वर्टिकल दो वर्ष पूर्व तैयार किया गया था और यह सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है तथा बैंक की त्वरित ऋण वृद्धि में योगदान दे रहा है. वर्ष 2012-13 के दौरान इस क्षेत्र के अंतर्गत ऋण 44% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 7963 करोड़ से बढ़कर ₹ 11472 करोड़ हो गए. अग्रिमों पर आय में वृद्धि और ऋण जोखिम में कमी हेतु मिड कॉर्पोरेट भविष्य में भी बैंक के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक जारी रहेगा.

2.3.1 ऋणों का क्षेत्रवार विनियोजन

अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों को वित्तपोषण के समय बैंक ने विकेंद्रित ऋण संविभाग बनाए रखने का प्रयास किया है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों को ऋण विस्तारण सुनिश्चित हो सके. बैंक ने अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान देने वाले कोर, विनिर्माण, प्राथमिकता क्षेत्र तथा आधारभूत परियोजनाओं को समर्थन देने के अपने प्रयास जारी रखें. राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि प्राथमिकताओं के अनुरूप बैंक का यह फोकस भविष्य में भी जारी रहेगा.

The performance of the financial sector in India, will be influenced by both short-term and long-term factors. In the long run, a strong growth in global output will be essential for sustaining investment activities across the globe, including India. In the short run, factors like expectation of higher relative returns, risk perception of investors, and global liquidity will decide the level of flow of funds to the domestic equity market. Consistent with the growth projections & inflation threshold RBI has projected M3 growth for 2013-14 at 13.0 per cent, aggregate deposits of Scheduled Commercial Banks (SCBs) at 14.0 per cent and growth in non food credit at 15.0 per cent.

2. PERFORMANCE OF YOUR BANK 2012-13

2.1 Business

Total business of your Bank stood at ₹ 1,70,734 crore as on 31.03.2013, as compared to ₹ 1,33,508 crore a year ago, registering a year-on-year growth of 27.88 per cent.

2.2 Deposits

Total deposits of the Bank stood at ₹ 94,337 crore, up by 23.27 per cent over the level of ₹ 76,529 crore as at the end of March 2012.

Current & Savings Bank (CASA) deposits increased by 21.64 per cent and stood at ₹ 38,476 crore as on 31.03.2013. Share of CASA deposits in total deposits of your Bank stood at 40.79 per cent as on 31.03.2013 which is one of the highest among Public Sector Banks.

2.3 Credit Deployment

The Bank has put in place a lending policy in conformity with the guidelines issued by RBI and also the lending norms of the Government of India. It emphasizes on qualitative credit growth and ensures compliance with regulatory requirements as well as the prudential exposure limits.

Gross advances of the Bank increased from ₹ 56,979 crore as on 31.3.2012 to ₹ 76,397 crore as on 31.3.2013 with growth of 34.08 per cent. Passionate service orientation coupled with speedier sanctions and customer centric approach enabled the Bank in registering a robust credit growth much above the banking industry average during the year 2012-13.

With a higher Credit growth, the Credit deposit ratio (CDR) as on 31.3.2013 stood at 80.98 per cent as against 74.45 per cent as on 31.03.2012.

Several steps have been taken for improving credit delivery mechanism whereby the turnaround time is brought down without compromising the overall quality of credit.

The Mid corporate vertical which has been created over two years ago, has been functioning successfully and contributing to the robust credit growth of the Bank. During the year 2012-13, the credit under this segment has increased from ₹ 7963 crore to ₹ 11472 crore registering growth of 44%. Mid corporate shall continue to be one of the thrust areas for the Bank in future for increasing yield on advances and dispersion of credit risk.

2.3.1 Sectoral Deployment of Credit

While financing to various segments of the economy, the Bank has endeavoured to maintain a diversified credit portfolio, with a view to ensuring credit dispersion across sectors. The Bank has continued its efforts to support core, manufacturing and priority sectors, as well as infrastructure projects, which serve to drive economic growth. This focus of the Bank will continue in future, in line with the national economic growth priorities.

दिनांक 31.03.2013 को उद्योगवार ऋण अभिनियोजन निम्नानुसार रहा-

क्र. सं.	विनियोजित ऋण	31.03.2013 को बकाया ₹ करोड़ में	कुल बकाया ऋण से प्रतिशत	31.03.2012 को बकाया ₹ करोड़ में	कुल बकाया ऋण से प्रतिशत
1	उद्योग	41,307.25	54.49%	31,603.21	55.46%
	इसमें से				
	i अवसंरचनात्मक	12,223.59	16.13%	7,755.14	13.61%
	ii रसायन, डाय व पेन्ट इत्यादि	1,387.15	1.83%	1,704.72	2.99%
	iii पेट्रोलियम	1,552.71	2.05%	769.86	1.35%
	iv लोहा व स्टील	1,640.21	2.16%	1,082.72	1.90%
	v एनबीएफसी व व्यापार	12,671.06	16.72%	13,070.08	22.94%
	vi इंजीनियरिंग	2,496.14	3.29%	1,768.28	3.10%
	vii निर्माण	318.29	0.42%	337.78	0.59%
	viii अन्य उद्योग	9018.10	11.90%	5,114.63	8.98%
2	कृषि	7,378.35	9.73%	6,089.23	10.69%
3	एमएसएमई	16,788.21	22.15%	8,630.81	15.15%
4	आवास	6,578.23	8.68%	5,056.34	8.87%
5	शिक्षा	551.59	0.73%	489.28	0.86%
6	निर्यात	1,886.06	2.49%	873.04	1.53%
7	वाणिज्यिक भू संपदा	3,551.63	4.69%	927.41	1.63%

2.3.2 ऋण प्रशासन और निगरानी

अग्रिम संविभाग पर कड़ी निगरानी रखने की दृष्टि से बैंक की प्रणालियां हैं, जिनके द्वारा आसन्न वास्तविक समय आधार पर दबावग्रस्त खातों की कड़ी निगरानी हेतु दैनिक आधार पर सीबीएस प्रणाली से शीघ्र चेतावनी संकेत दिए जाते हैं। पूर्व सावधानी के लिए ग्राहकों को प्रणाली निर्मित एसएमएस अलर्ट भेजे जाते हैं। बैंक में समन्वित वेब आधारित रिपोर्टिंग आरंभ की गई है, जिससे ऋण संविभाग की प्रभावी निगरानी हेतु शाखाओं/अंचलों/प्रधान कार्यालय के बीच त्वरित संप्रेषण संभव हुआ है।

उधार खातों की ऋण गुणवत्ता की और अधिक निगरानी आवधिक रूप से आस्ति कार्यानिष्पादन पुनरीक्षण, ऋण एवं स्टॉक लेखा परीक्षा के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। पात्र मामलों में पुनर्भुगतान शर्तों का समय पर पुनःअनुसूचीकरण किया जाता है।

2.4 आस्ति निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अनर्जक आस्तियों में नकद वसूली ₹ 411.23 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 379.45 करोड़) रही, इसमें से लेजर शेष में ₹ 198.73 करोड़ (₹ 248.91 करोड़), बट्टे खाते में डाले गए खातों में ₹ 156.77 करोड़ (₹ 96.01 करोड़) और न लगाए गए ब्याज के मामलों में ₹ 55.73 करोड़ (₹ 34.53 करोड़) की वसूली हुई है। यह ₹ 105.19 करोड़ (₹ 109.02 करोड़) की अनर्जक आस्तियों को कोटि-उन्नयित करने के अलावा है।

शाखाओं द्वारा चूककर्ता उधारकर्ताओं के साथ पत्रों, नोटिसों, वसूली कैम्पों, लोक अदालतों, सरफेसी के अंतर्गत कार्रवाई और डीआरटी के माध्यम से गहन अनुवर्तन के कारण इस वर्ष की उपलब्धि संभव हो पाई है।

₹ 10.00 लाख तक के लेजर शेष वाले छोटे आकार की अनर्जक आस्तियों में एनपीए वसूली में वृद्धि और सुधार हेतु बैंक ने अंचल कार्यालयों में 5 अतिरिक्त सूक्ष्म आस्ति वसूली कक्षाओं (एमएआरसी) की स्थापना की, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 25 हो गई। इन कक्षाओं ने बहुत उत्साहवर्धक वसूली कार्यानिष्पादन दर्शाया और सूक्ष्म आस्ति वसूली कक्षाओं ने ₹ 210.53 करोड़ (₹ 244.75 करोड़) की वसूली की। बैंक की कुल नकद वसूली में एमएआरसी का वसूली निष्पादन का हिस्सा 51.20% (64.50%) रहा।

Industry wise credit deployment as on 31.03.2013 is as under:

Sr. No.	Credit deployed	Outstanding as on 31.03.2013 ₹ in crore	Percentage to total credit outstanding	Outstanding as on 31.03.2012 ₹ in crore	Percentage to total credit outstanding
1	Industry	41,307.25	54.49%	31,603.21	55.46%
	Of which				
	i. Infrastructure	12,223.59	16.13%	7,755.14	13.61%
	ii. Chemicals, Dyes, Paints etc	1,387.15	1.83%	1,704.72	2.99%
	iii. Petroleum	1,552.71	2.05%	769.86	1.35%
	iv. Iron & Steel	1,640.21	2.16%	1,082.72	1.90%
	v. NBFCs & Trading	12,671.06	16.72%	13,070.08	22.94%
	vi. Engineering	2,496.14	3.29%	1,768.28	3.10%
	vii. Construction	318.29	0.42%	337.78	0.59%
	viii. Other Industries	9018.10	11.90%	5,114.63	8.98%
2	Agriculture	7,378.35	9.73%	6,089.23	10.69%
3	MSME	16,788.21	22.15%	8,630.81	15.15%
4	Housing	6,578.23	8.68%	5,056.34	8.87%
5	Education	551.59	0.73%	489.28	0.86%
6	Exports	1,886.06	2.49%	873.04	1.53%
7	Commercial Real Estate	3,551.63	4.69%	927.41	1.63%

2.3.2 Credit Administration and Monitoring

For the view point of keeping a close track of advance portfolio, Bank has put in place systems whereby, early warning signals are captured from the Core Banking Solutions (CBS), on daily basis for close monitoring of stressed accounts on near real time basis. System generated SMS alerts are sent to the customers to pre-empt delinquency. An integrated web-based reporting has been introduced in the Bank to enable instant communication between branches/Zones/Head Office for effective monitoring of credit portfolio.

The credit quality of borrowal accounts is further monitored through periodical asset performance review, credit audits & stock audits. Timely rescheduling of repayment terms is undertaken in deserving cases.

2.4 Asset Performance

During the Financial Year (FY) 2012-13, total cash recovery in NPAs was ₹ 411.23 crore (last year ₹ 379.45 crore). Of this, recovery in Ledger balance was ₹ 198.73 crore (₹ 248.91 crore), recovery in written off accounts was ₹ 156.77 crore (₹ 96.01 crore) and recovery in cases of unapplied interest was ₹ 55.73 crore (₹ 34.53 crore). This was besides up gradation of NPAs to the tune of ₹ 105.19 crore (₹ 109.02 crore).

This year's achievement was possible due to intensive follow up adopted by the branches with the defaulting borrowers through letters, notices, recovery camps, Lok Adalats, actions under SARFAESI and through DRTs.

To address and improve recovery in small sized NPAs having ledger balances upto ₹ 10.00 lakh, the Bank established additional 5 Micro Asset Recovery Cells (MARC) at Zonal offices, thereby making total 25 MARCs. The recovery performance through this vertical was encouraging with MARCs recovering ₹ 210.53 crore (₹ 244.75 crore). The share of recovery of MARCs in total cash recovery of the bank was 51.20% (64.50 per cent).

बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भी ₹ 5.00 लाख तक के लेजर शेष वाले अनर्जक आस्तियों में वसूली हेतु विशेष एक बार निपटारा (ओटीएस) योजना को जारी रखा. इस योजना के अंतर्गत अनर्जक आस्तियों में पिछले वर्ष की ₹ 59.54 करोड़ की तुलना में कुल ₹ 66.73 करोड़ की वसूली हुई.

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के सकल अनर्जक आस्ति अनुपात में सुधार हुआ और यह 31.03.2012 के 2.28% से बेहतर होकर 1.49% हो गया. इसी प्रकार निवल अनर्जक आस्ति अनुपात विगत वर्ष के 0.84% की तुलना में 31.03.2013 को 0.52% रहा. बैंक का निवल अनर्जक आस्ति अनुपात न केवल समकक्ष बैंकों से बल्कि कई बड़े बैंकों से भी बेहतर है.

2.5 विदेशी मुद्रा कारोबार और निर्यात वित्त

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने ₹ 30437 करोड़ (₹ 25430 करोड़) का व्यापारी आवर्त और ₹ 414162 करोड़ (₹ 158986 करोड़) का अन्तर बैंक आवर्त हासिल किया और 60.41 करोड़ (₹ 43.75 करोड़) का विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ अर्जित किया. बकाया निर्यात ऋण 31.03.2012 के ₹ 873.04 करोड़ की तुलना में 31.03.2013 को ₹ 1908.31 करोड़ के रहे. मुंबई स्थित खजाना और अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग शाखा (ए-श्रेणी शाखा) और समूचे देश में फैले 33 बी-श्रेणी शाखाएं हमारे ग्राहकों की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं. अनिवासी भारतीय ग्राहकों (एनआरआई) को त्वरित सेवा देने के उद्देश्य से बैंक ने डेक्कन जिमखाना शाखा, पुणे में एनआरआई कक्ष का आरंभ किया और अपने एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाईन विप्रेषण सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं.

2.6 निवेश

बैंक के निवल निवेश 31.03.2012 के ₹ 26,031.36 करोड़ की तुलना में 31.03.2013 को ₹ 31,430.31 करोड़ के रहे. दिनांक 31.03.2013 को कुल निवेश संविभाग में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत निवेश का 81.75 प्रतिशत शामिल है, जबकि विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस) का 16.99 प्रतिशत शामिल है. गत वर्ष के दौरान निवेश गतिविधि पर हुई निवल ब्याज आय ₹ 1708.57 करोड़ थी जो इस वर्ष बढ़कर ₹ 2231.28 करोड़ हो गई इस प्रकार 30.59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई.

2.7 उधारियां

भारतीय रिजर्व बैंक, नाबाई तथा सिडबी से लिए गए ₹ 4,213.62 करोड़ के पुनर्वित्त सहित दिनांक 31.3.2013 को बैंक की उधारियां ₹ 12,877.49 करोड़ की थीं. दि. 31.03.2012 को कुल उधारियां ₹ 6,944.75 करोड़ की थीं.

2.8 व्यापारी बैंकिंग

वर्ष के दौरान बैंक ने जारीकर्ता व भुगतानकर्ता एजेंट के रूप में ₹ 19509 करोड़ के कमर्शियल पेपर के 122 निर्गमों का संचलन अपने ग्राहकों के लिए किया और ₹ 18.97 लाख की कमीशन आय प्राप्त की.

2.9 निक्षेपी सेवाएं

बैंक सितंबर 1999 से ही भारतीय केंद्रीय निक्षेपी सेवाएं लिमिटेड (सीडीएसएल) का निक्षेपी सहभागी (डीपी) है. डी-मेट खातों में शेष इत्यादि जैसे खाता स्तरीय प्रश्नों की जानकारी बैंक की सभी 131 अभिनिर्धारित शाखाओं में उपलब्ध है. बैंक की सभी शाखाएं मुंबई के डिमैट कक्ष के माध्यम से डी-मेट खाता खोल सकती हैं. इन्टरनेट के माध्यम से खाते की स्थिति देखने के लिए बैंक (सीडीएसएल के माध्यम से) निःशुल्क ईएसएसआई सुविधा उपलब्ध कर रहा है. महासेवा (ग्राहक सेवा केंद्र) पर प्रश्न अनुपालन सुविधा उपलब्ध है. बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए महा-ई-ट्रेड (ऑन लाइन ट्रेडिंग) सेवाओं हेतु विद्यमान रेलिगियर सेक्युरिटीज लिमिटेड सहित दो अन्य शेयर ब्रोकिंग कंपनियों यथा रिलायंस सेक्युरिटीज लिमिटेड और वेन्चुरा सेक्युरिटीज लिमिटेड से गठजोड़ किया है.

डी-मेट के अंतर्गत नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए बैंक राजीव गांधी इक्विटी योजना के अंतर्गत खोले गए डी-मेट खातों को तीन वर्ष के लिए वार्षिक रखरखाव प्रभारों में छूट प्रदान करती है.

The Bank continued during this FY a special 'One Time Settlement' (OTS) scheme for recovery in NPA accounts having ledger balance up to ₹ 5.00 lakh. The total recovery in NPAs under this scheme was ₹ 66.73 crore as against ₹ 59.54 crore in the previous year.

The Gross NPA ratio of the Bank has improved to 1.49 per cent during the financial year from 2.28 per cent as of 31.03.2012. Similarly the ratio of Net NPAs stood at 0.52 per cent as on 31.03.2013 as against 0.84 per cent a year ago. The NPA ratios of the Bank are much better than not only of the peer Banks but also of many large Banks.

2.5 Foreign Exchange Business and Export Finance

During the year 2012-13, the Bank has achieved merchant turnover of ₹ 30,437 crore (₹ 25,430 crore) and an inter-bank turnover of ₹ 4,14,162 crore (₹ 1,58,986 crore) and earned Forex profit of ₹ 60.41 crore (₹ 43.75 crore). The outstanding export credit as on 31st March 2013 was ₹ 1908.31 crore as against ₹ 873.04 crore as on 31st March 2012. The Treasury & International Banking Branch at Mumbai (A-Category branch) and 33 B-Category branches across the country cater to the International business needs of the customers of the Bank. In order to provide prompt service to Non Resident Indian (NRI) Clients, Bank has a NRI Cell at Deccan Gymkhana Branch, Pune which provides online remittance facilities for its NRI customers.

2.6 Investments

The net investments of the Bank stood at ₹ 31,430.31 crore as on 31.03.2013 as compared to ₹ 26,031.36 crore as on 31.03.2012. Investments under Held to Maturity (HTM) category consist of 81.75 per cent while Available for Sale (AFS) comprised 16.99 per cent of total investment portfolio as on 31.03.2013. The net interest income from investment activity increased to ₹ 2,231.28 crore from ₹ 1,708.57 crore during the last year, a growth of 30.59 per cent.

2.7 Borrowings

The borrowings of the Bank as on 31.03.2013 stood at ₹ 12,877.49 crore, including refinance availed from RBI, NABARD and SIDBI to the extent of ₹ 4,213.62 crore. The total borrowings as at 31.03.2012 were ₹ 6,944.75 crore.

2.8 Merchant Banking

The Bank handled 122 issues of Commercial Paper amounting to ₹ 19,509 crore for its clients as an issuing and paying agent during the year and earned a commission income of ₹ 18.97 lakh.

2.9 Depository Services

The Bank is Depository Participant (DP) of Central Depository Services of India Ltd. (CDSL) since September 1999. Account level queries related to Demat account balances etc. are available at the 131 identified branches of the Bank. All the branches of the Bank can open Demat account through the Demat Cell of Mumbai. The Bank also provides free "EASI" facility (through CDSL) to view account position through internet. Query compliance facility is available at Maha Seva (Customer Care Centre). The Bank has added tie up with two Share Broking Companies i.e. Reliance Securities Ltd and Ventura Securities Ltd for Maha-e-trade (Online Share Trading) Services for its customers along with existing Religare Securities Ltd.

In order to add new customers in its fold under Demat, Bank is offering waiver in annual maintenance charges for the Demat Accounts opened under Rajiv Gandhi Equity Scheme for three years.

2.10 बैंक-बीमा

कारपोरेट एजेंसी समझौते के अन्तर्गत बैंक की सभी शाखाएं यूनाईटेड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड और भारतीय जीवन बीमा निगम के क्रमशः गैर जीवन बीमा व जीवन बीमा उत्पादों का विक्रय करने हेतु प्राधिकृत हैं. बैंक ने वर्ष 2012-13 के दौरान 65,350 गैर-जीवन बीमा और 34,460 जीवन बीमा पॉलिसियाँ बेचीं. भारतीय जीवन बीमा निगम ने अच्छे कार्य निष्पादन के कारण बैंक की 232 शाखाओं को "बीमा बैंक" घोषित किया. इसके अलावा 22 अंचलों को "बीमा बैंक" घोषित किया गया. बैंक ने सर्वोच्च प्रति आउटलेट एफपीआई संग्रहित किया है.

बैंक तीन प्रकार की समूह बीमा योजना यथा जमा खाता धारकों के लिए ₹ 1 लाख के जीवन बीमा कवर वाली 'महा सुरक्षा जमा योजना', आवास ऋण प्राप्त करनेवालों के लिए बंधक मोचन बीमा योजना 'महा गृह सुरक्षा' और अपने ग्राहकों के लिए पारिवारिक फ्लोटर मेडिकलेम पॉलिसी 'महास्वास्थ्य योजना' उपलब्ध कराता है.

बैंक वर्ष 2012-13 के दौरान जीवन बीमा व्यवसाय से 59 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 6.58 करोड़ और गैर-जीवन बीमा व्यवसाय से ₹ 3.75 करोड़ का कमीशन अर्जित किया.

2.11 म्युचुअल फंड गतिविधि

बैंक ने म्युचुअल फंड उत्पादों के विक्रय के लिए 25 एएमसी (आस्ति प्रबंधन कंपनियों) के साथ गठबंधन किया है. बैंक द्वारा म्युचुअल फंड व्यवसाय जुटाया गया और वर्ष के दौरान ₹ 41.30 लाख की कमीशन आय अर्जित की.

2.12 सरकारी कारोबार

शाखाओं द्वारा वर्ष 2012-2013 के दौरान, कुल 4,54,493 प्रत्यक्ष कर चालान वसूले गए और इसी प्रकार अप्रत्यक्ष कर के 3,38,495 चालान वसूले गए. कर वसूली व्यवसाय से ₹ 3.20 करोड़ का कुल कमीशन प्राप्त हुआ.

बैंक ने केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसिंग कक्ष (सीपीपीसी) पुणे में 1,10,000 केन्द्र सरकार, रक्षा, रेलवे और टेलिकॉम पेंशनरों की मासिक पेंशन की गणना कर उसे खाते में जमा करने का कार्य आरंभ किया है. नए पीपीओ/पीपीओ के शुद्धिपत्र का भुगतान और जांच, केन्द्र सरकार के पेंशनरों का मास्टर डाटा बेस इत्यादि का कार्य केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसिंग कक्ष, पुणे द्वारा किया जा रहा है. इसके कारण त्वरित और सही पेंशन का भुगतान और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निधियों का शीघ्र निपटान संभव हुआ है. पेंशन शिकायतों के लिए समयबद्ध शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना भी की गई.

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों तथा महाराष्ट्र में वैट संग्रहण की अनूठी सुविधाएं महा ई-सेवा के माध्यम से सभी शाखाओं के काउंटरों पर प्रदान की गई हैं. नेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए करों के ई-भुगतान की सुविधा, प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष करों/वैट भुगतान (महाराष्ट्र सरकार के लिए) हेतु भी उपलब्ध है.

कर भुगतान सुविधा, सीमा-शुल्क के ई-भुगतान के लिए आरंभ की गई है और जीआरएस में समन्वय के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य सरकार के करों का संग्रहण ऑनलाईन तथा काउंटर पर भी किया जा रहा है. बैंक ने राज्य सरकार के वाणिज्यिक करों के संग्रहण हेतु कर्नाटक और दिल्ली राज्यों को भी समाविष्ट किया है. बैंक उत्तर प्रदेश में सभी शाखाओं में काउंटर पर वैट संग्रहण की सुविधाएं प्रदान कर रहा है.

2.13 गैर-ब्याजी आय

31.03.2012 को समाप्त वर्ष में अर्जित ₹ 640.67 करोड़ की गैर-ब्याजी आय की तुलना में 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 912.00 करोड़ की गैर-ब्याजी आय हुई. वित्तीय वर्ष 2012-2013 के दौरान निवेशों की विक्री से लाभ को छोड़कर गैर-ब्याजी आय में ₹ 139.50 करोड़ की वृद्धि हुई. इस प्रकार पिछले वर्ष पर 22.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई. बैंक ने बट्टे खातों, विदेशी मुद्रा व्यवसाय और अन्य विविध आय में वसूली से उच्च गैर-ब्याजी आय प्राप्त की.

2.14 आय, व्यय और लाभप्रदता

बैंक की कुल आय ₹ 7,854.63 करोड़ से बढ़कर ₹ 10,525.43 करोड़ की हो गई. इस प्रकार वर्ष के दौरान 34.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

2.10 Bancassurance

All the branches of the Bank are authorized to sell life and non-life insurance products of Life Insurance Corporation of India and United India Insurance Co. Ltd. under corporate agency arrangements, respectively. The Bank has sold 65,350 Non-life Insurance Policies and 34,463 Life Insurance policies during the year 2012-13. The LIC accredited 232 branches of the Bank as Bima Bank, besides 22 Zones which were declared as BIMA banks. The Bank collected highest per outlet FPI.

The Bank offers three group insurance schemes namely 'Maha Suraksha Deposit Scheme' a life insurance cover of ₹ 1 lakh for deposit account holders; 'Maha Grih Suraksha' a mortgage redemption insurance scheme for those, who are availing Home Loans and 'Maha Swasthya Yojana Scheme', a Family Floater Mediclaim Policy for its customers.

The Bank earned a commission of ₹ 6.58 crore for life insurance, showing growth of 59 per cent and ₹ 3.75 crore for non-life insurance business during the year 2012-13.

2.11 Mutual Fund Activity

The Bank has a tie-up with 25 AMCs (Asset Management Companies) for selling Mutual Fund products. The mutual fund business mobilized by the Bank earned commission income of ₹ 41.30 lakh during the year.

2.12 Government Business

During the year 2012-13, 4,54,493 challans of Direct Taxes were collected, similarly 3,38,495 challans of Indirect taxes were collected by the branches. Total commission to the tune of ₹ 3.20 crore was received on Tax collection business.

The Bank has started processing and crediting monthly pension payments of more than 1,10,000 Central Government, Defence, Railway and Telecom pensioners at Central Pension Processing Cell (CPPC), Pune. The processing and payment for new PPOs/ corrigendum PPOs Master Data base for Central Government pensioners etc are being handled by CPPC. This facilitates faster and accurate payment of pension as well as quick settlement of funds by RBI. Timely complaint redressal system has also been established for pension complaints.

The unique facility of Direct & Indirect Taxes & VAT collection of Maharashtra is provided by the Bank, at the branch counter in all branches through Maha e-seva services. E-payment of Taxes facility available for net banking customers is also available for Direct / Indirect Taxes / VAT payments (for Govt. of Maharashtra).

The tax payment facility has been introduced for e-payment of custom duty & the Maharashtra State taxes are collected through integration in Govt. Revenue Accounting System (GRAS), both online and across the counters. The Bank has added Karnataka and Delhi states for collection of state Government commercial taxes. Bank is offering its services in VAT Collection in U.P in all branches.

2.13 Non Interest Income

The non-interest income stood at ₹ 912.00 crores for the year ended 31.03.2013 as against ₹ 640.67 crore for the year ended 31.03.2012. Non-interest income (other than profit from sale of investment), increased by ₹ 139.50 crore in the FY 2012-13, showing a growth of 22.19% over previous year. The Bank has received higher non interest income from recovery in written off accounts, forex business and other miscellaneous income.

2.14 Income, Expenditure and Profitability

The total income of the Bank grew from ₹ 7,854.63 crore to ₹ 10,525.43 crore indicating a growth of 34.00 per cent during the year.

विस्तृत आय/ व्यय घटक निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12	अंतर (%)
अग्रिम / बिलों पर ब्याज / डिस्काउंट	7,298.50	5,490.63	32.93
निवेश पर आय	2,231.28	1,708.57	30.59
अन्तर बैंक उधारी पर ब्याज व अन्य ब्याज	83.65	14.76	466.73
ब्याज आय	9,613.43	7,213.96	33.26
गैर-ब्याजी आय	912.00	640.67	42.35
कुल आय	10,525.43	7,854.63	34.00
जमा पर ब्याज	5,879.25	4,293.81	36.92
उधारी पर ब्याज	700.83	403.07	73.87
ब्याज खर्च	6,580.08	4,696.88	40.09
स्टाफ खर्च	1,187.82	1,113.02	6.72
गैर स्टाफ खर्च	608.82	529.50	14.98
कुल गैर-ब्याजी खर्च	1,796.64	1,642.52	9.38
कुल खर्च	8,376.73	6,339.39	32.14
परिचालनगत लाभ	2,148.70	1,515.24	41.81
प्रावधान व आकस्मिकताएं	1,389.18	1,084.41	28.10
निवल लाभ	759.52	430.83	76.29

The detailed income/ expenditure components are as under:

(₹ in crore)

Particulars	2012-13	2011-12	Variation (per cent)
Interest / discount on advances / bills	7,298.50	5,490.63	32.93
Income on investments	2,231.28	1,708.57	30.59
Interest on interbank lending & other Interest	83.65	14.76	466.73
Total interest income	9,613.43	7,213.96	33.26
Non-interest income	912.00	640.67	42.35
Total Income	10,525.43	7,854.63	34.00
Interest on deposits	5,879.25	4,293.81	36.92
Interest on borrowings	700.83	403.07	73.87
Interest expenditure	6,580.08	4,696.88	40.09
Staff expenses	1,187.82	1,113.02	6.72
Non staff expenses	608.82	529.50	14.98
Total Non interest expenses	1,796.64	1,642.52	9.38
Total Expenses	8,376.73	6,339.39	32.14
Operating Profit	2,148.70	1,515.24	41.81
Provisions and Contingencies	1,389.18	1,084.41	28.10
Net Profit	759.52	430.83	76.29

2.15 वित्तीय अनुपात :

विवरण	2012-13	2011-12
प्रति शेयर आय (₹)	11.88	7.59
आय से लागत का अनुपात (प्रतिशत)	45.54	52.02
आस्तियों पर आय (प्रतिशत)	0.74	0.55
इक्विटी पर आय (प्रतिशत)	17.32	14.15
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	67.10	54.06
प्रति शाखा लाभ (₹ लाख में)	43.95	27.11
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	5.59	3.12
प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ में)	98.80	84.02
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)	12.56	9.67
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	9.33	9.22
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याजी आय	0.88	0.82
निवल ब्याज मार्जिन (प्रतिशत)	3.10	3.22
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ I	2.08	1.94
औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में स्टाफ खर्च	1.15	1.42
लाभांश (प्रतिशत)	23.00	22.00
नेटवर्थ (₹ करोड़ में)	5,026.57	3,775.42
सीआरएआर (%) बेसल II	12.59	12.43
जिसमें से टियर I सीआरएआर (%) बेसल II	7.57	8.31

2.15 Financial ratios

Particulars	2012-13	2011-12
EPS (₹)	11.88	7.59
Cost to Income Ratio (per cent)	45.54	52.02
Return on assets (per cent)	0.74	0.55
Return on equity (per cent)	17.32	14.15
Book value per share (₹)	67.10	54.06
Profit per Branch (₹ in lakh)	43.95	27.11
Profit per employee (₹ in lakh)	5.59	3.12
Business per Branch (₹ in crore)	98.80	84.02
Business per employee (₹ in crore)	12.56	9.67
Interest Income as per cent to Average Working Funds	9.33	9.22
Non Interest income as per cent to Average Working Funds	0.88	0.82
Net Interest Margin (per cent)	3.10	3.22
Operating Profit as per cent to Average Working Funds	2.08	1.94
Staff Expenses as a per cent to Average Working Funds	1.15	1.42
Dividend (per cent)	23.00	22.00
Net worth (₹ Crore)	5,026.57	3,775.42
CRAR (%) (Basel II)	12.59	12.43
Of which, Tier I CRAR (%) (Basel II)	7.57	8.31

2.16 भारत सरकार से पूंजी

वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार से ₹ 406.00 करोड़ (₹ 334.12 करोड़ के शेयर प्रीमियम सहित) की इक्विटी शेयर पूंजी अधिमान आधार पर शेयरों के आबंटन के रूप में प्राप्त की। पूंजी लगाने से इक्विटी शेयर पूंजी में भारत सरकार की शेयर धारिता 31.03.2013 को बढ़कर 81.24% हो गई।

2.16 Capital from Government of India

During the year, the Bank received equity share capital amounting to ₹ 406.00 crore (including share premium of ₹ 334.12 crore) from Government of India (GOI) through allotment of shares on preferential basis. With capital infusion, the share holding of GOI in equity share capital increased to 81.24 per cent as on 31.03.2013.

वर्ष के दौरान बैंक ने टियर II पूंजी और सीआरएआर के संवर्धन हेतु 9.00% प्रति वर्ष की दर से ₹ 1000.00 करोड़ की निम्न टियर II बॉन्ड उगाहे.

During the year, the Bank also raised Lower Tier II bonds amounting to ₹ 1000.00 crore @ 9.00 per cent p.a. to augment Tier II capital and CRAR.

2.17 नेट वर्थ

बैंक की नेट वर्थ 31.03.2012 के ₹ 3775.42 करोड़ से बढ़कर 31.03.2013 को ₹ 5,026.57 करोड़ हो गई.

2.17 Networth

The Bank's Net worth increased from ₹ 3,775.42 crore as on 31.03.2012 to ₹ 5,026.57 crore as on 31.03.2013.

2.18 पूंजी पर्याप्तता अनुपात

दिनांक 31.03.2013 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात बेसल II मानदंडों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9 प्रतिशत के मानदंड की तुलना में 12.59 प्रतिशत रहा. टीयर I पूंजी पर्याप्तता अनुपात बेसल II के अंतर्गत 7.57 प्रतिशत रहा.

2.18 Capital Adequacy Ratio

The Capital Adequacy Ratio of the Bank stood at 12.59 per cent as on 31.03.2013, against the minimum 9 per cent prescribed by RBI in terms of Basel II norms. The Tier I capital adequacy ratio stood at 7.57 per cent under Basel II.

2.19 लाभांश

निदेशक मंडल ने 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए 23 प्रतिशत का लाभांश प्रस्तावित किया है.

2.19 Dividend

The Board of Directors have proposed a dividend of 23 per cent for the year ended 31.03.2013.

3. संगठन और समर्थन प्रणाली

3. ORGANISATION AND SUPPORT SYSTEM

3.1 शाखा विस्तार

बैंक ने वर्ष के दौरान 139 नई शाखाएं खोलीं जो कि बैंक के प्रारंभ से लेकर अब तक किसी भी वित्तीय वर्ष में सर्वोच्च संख्या है. दिनांक 31.03.2013 को बैंक शाखा नेटवर्क में कुल 1728 शाखाएं थीं. यह शाखा नेटवर्क 29 राज्यों तथा 2 संघशासित क्षेत्रों में फैला हुआ है. इस शाखा नेटवर्क में विदेशी मुद्रा, सरकारी कारोबार, खजाना एवं अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, औद्योगिक वित्त, लघु उद्योग तथा उच्च तकनीक कृषि क्षेत्रों की विशेषज्ञ शाखाएं, पेंशन भुगतान शाखा, केंद्रीय पेंशन प्रोसेसिंग कक्ष, रिटेल हब, स्व-सहायता समूह तथा अस्ति वसूली शाखाएं शामिल हैं.

3.1 Branch Expansion

During the year, the Bank opened 139 new branches, the largest number of branches opened by the Bank in a financial year since inception. As on 31.03.2013, the total branch network comprised of 1728 branches spread over 29 states and 2 union territories. The branch network includes specialized branches in the areas of foreign exchange, government business, treasury & international banking, industrial finance, small-scale industry and hi-tech agriculture, pension payment, pension processing, retail credit, Self Help Groups and asset recovery.

दिनांक 31.03.2013 को शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण नीचे सारणी में दिया गया है:

Area wise classification of branches as on 31.03.2013 is given in the table below:

अ.क्र.	वर्गीकरण	31.3.2012 को	31.03.2013 को
1	ग्रामीण	546	591
2	अर्ध-शहरी	301	357
3	शहरी	319	344
4	महानगरीय	423	436
	कुल जोड़	1589	1728

Sr. No.	Classification	As on 31.03.12	As on 31.03.13
1	Rural	546	591
2	Semi-Urban	301	357
3	Urban	319	344
4	Metropolitan	423	436
	Total	1589	1728

3.2 मानव संसाधन प्रबंधन

बैंक ने व्यापक मनुष्यबल नीति लागू की है. नीति में आवश्यकता आधारित व उचित मानव संसाधन हासिल करने, प्रशिक्षण, कार्य संवर्धन, पुरस्कार, कार्यनिष्पादन के लिए मान्यता व जिम्मेदारी, पदोन्नति व कल्याण इत्यादि के माध्यम से कर्मचारियों को रोके रखने तथा इनके विकास हेतु योजना दी गई है.

3.2 Human Resources Management

The Bank has put in place a comprehensive HRM Policy that provides the road map for acquiring appropriate & need based human resources, its development through training, job enrichment, reward and recognition for better performance, career progression, welfare and retention.

वर्ष के दौरान बैंक ने 253 परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती की. वर्ष के दौरान बैंक ने 329 लिपिकों की नियुक्ति भी की.

During the year, the Bank recruited 253 probationary officers. The Bank also recruited 329 Clerks during the year.

एमएमजीएस II, और अधिक की श्रेणियों में अधिकारियों की अंतर श्रेणी पदोन्नति की गई. वर्ष 2012-13 में कुल 550 अधिकारी उच्च श्रेणी में पदोन्नत किए गए.

Inter scale promotions of officers were carried out for promotions to Scales MMGS II and above. Total 550 officers were promoted to higher scales in the year 2012-13.

बैंकिंग गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन दर्शाने वाले कर्मचारियों को मान्यता देने व अन्यो को अच्छे कार्यनिष्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न योजनाएं यथा बेहतर प्रबंधित शाखा / अंचल ट्रॉफी, बेहतर कार्य करने वाली शाखाओं के सभी स्टाफ सदस्यों को नकदी पुरस्कार देने की योजनाएं प्रचलित हैं. अ.जा./ अ.ज.जा. समुदाय को अग्रिमों के वितरण में उत्कृष्ट कार्य करने वाली शाखा को भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के नाम से चल ट्रॉफी का पुरस्कार दिया गया.

To recognize outstanding performance in Banking activities and to motivate others to perform better, various schemes like Better Managed Branch/ Region trophy, cash incentives to all staff of Best Performing Branches etc. are in vogue in the Bank. The excellent performing branch in disbursement of advances to SC/ST community is awarded a Rolling Trophy in name of Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar.

वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, ऐच्छिक सेवामुक्ति एवं मृत्यु के कारण बैंक से सेवामुक्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या 946 थी.

During the year, 946 employees ceased to be in service on account of retirement, resignation, termination and death.

सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित सभी स्टाफ सदस्यों के कल्याणार्थ बैंक के पास विभिन्न योजनाएं हैं। कर्मचारियों के कल्याण के लिए बैंक निवल लाभ का 3 प्रतिशत आबंटित करता रहा है। ट्रस्ट द्वारा योजनाओं का प्रशासन किया जाता है।

उद्योग संबंधित मामलों के उचित, पारदर्शक व दृढ़ संचलन के जरिए बैंक का प्रयास सौहार्द्रपूर्ण औद्योगिक संबंध वातावरण बनाने का रहा।

बैंक, भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन करता है। आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा अ.जा./ अ.ज.जा. / ओ.बी.सी./ शारीरिक रूप से विकलांग व भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु प्रधान कार्यालय में तथा सभी अंचल कार्यालयों में विशेष कक्ष कार्यरत हैं। बैंक ने प्रधान कार्यालय में दो मुख्य संपर्क अधिकारी नामित किए हैं और इस उद्देश्य के लिए सभी 34 अंचल कार्यालयों में अ.जा. /अ.ज.जा. कक्ष स्थापित किए हैं। वर्ष के दौरान आरक्षण नीति के कार्यान्वयन तथा अन्य संवैधानिक सुरक्षा पर चर्चा करने और कारोबार वृद्धि में उनका सहभाग सुनिश्चित करने हेतु अ.जा./ अ.ज.जा. / ओ.बी.सी. एम्प्लॉईज एसोसिएशन के साथ आवधिक बैठकें आयोजित की गईं। अंचल स्तर पर भी नियमित बैठकें आयोजित की गईं।

विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :

अ.क्र.	विवरण	कर्मचारियों की संख्या	कुल से प्रतिशत
1.	महिला कर्मचारी	3378	24.85
2.	विकलांग कर्मचारी	181	1.33
3.	अनुसूचित जाति कर्मचारी	2680	19.72
4.	अनुसूचित जनजाति कर्मचारी	1010	7.45
5.	अन्य पिछड़ी जाति कर्मचारी	1210	8.90

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार रोस्टर रखे गए व उनकी नियमित निरीक्षण / जांच की गईं।

प्रशिक्षण गतिविधियां

बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली वर्तमान व उभरते हुए कारोबारी अवसरों के अनुरूप विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से कुशलता अन्तर के मूल्यांकन पर जोर देती है। ऋण में कुशलता निर्माण, फोरेक्स, ग्राहक संबंध प्रबंधन, उत्पाद व सेवाओं का विपणन, ऋण निगरानी व वसूली, जोखिम प्रबंधन, तकनीक आधारित बैंकिंग, शाखा प्रबंधन, सांविधिक, विधिक, कानूनी व नीति आवश्यकताओं का अनुपालन निवारक सतर्कता इत्यादि के प्रशिक्षण पर वर्ष के दौरान विशेष ध्यान दिया गया।

एसएमई वित्तपोषण, रिटेल उधारी, कृषि वित्त व ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए।

बैंक का शीर्ष प्रशिक्षण महाविद्यालय है, जिसके पर्यवेक्षण में तीन प्रशिक्षण संस्थान पुणे, मुंबई व नागपुर में कार्यरत हैं। सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान व कम्प्यूटर लैब प्रभावी ग्राहक सेवा तथा कुशल पृष्ठ कार्यालय कार्य हेतु कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हैं।

वर्ष के दौरान प्रशिक्षण गतिविधियों की विशेषताएं निम्नानुसार हैं-

- वर्ष के दौरान 383 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए जिनमें से 144 कार्यक्रम अधिकारियों के लिए, 178 कार्यक्रम लिपिकों के लिए और 61 कार्यक्रम अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए चलाए गए।
- 4054 अधिकारियों, 2736 लिपिकों और 949 अधीनस्थ कर्मचारियों सहित कुल 7739 कर्मचारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभाग लिया।
- वर्ष के दौरान 1233 अनुसूचित जाति और 428 अनुसूचित जनजाति और 1557 महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।
- वर्ष के दौरान 1605 स्टाफ सदस्यों को सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया।

The Bank has been allocating up to 3 per cent of its net profit towards various schemes for the welfare of staff including retired staff. The welfare schemes are administered by a Central Welfare Committee consisting of management & employees representatives.

The Bank has endeavoured to promote a healthy industrial relations climate through fair, transparent and firm handling of industry related matters.

The Bank has been complying with the reservation policy of Government of India. Special Cells at Head Office and all Zonal Offices are functioning to monitor the implementation of the reservation policies and to redress grievances of SC/ST/OBC & Physically challenged employees as well as ex-servicemen. The Bank has designated Chief Liaison Officer at Head Office and has set up SC/ST Cells at each of its 34 Zonal Offices for the purpose. During the year, periodical meetings were held with SC/ST/OBC Employees Association to discuss implementation of reservation policy and other constitutional safe guards and also to facilitate involvement in business growth. Similar meetings were also held at Zonal level.

The number of employees belonging to different categories is as under:

Sr. No.	Category of Employees	No. of Employees	Percentage to total
1.	Women	3378	24.85
2.	Physically Challenged	181	1.33
3.	SC Employees	2680	19.72
4.	ST Employees	1010	7.45
5.	OBC Employees	1210	8.90

Rosters have been maintained as per Government guidelines and are regularly inspected/ checked.

Training Activities:

The Bank has a training system which facilitates attention to regular periodic assessment of skill gaps at various levels in relation to existing and emerging business opportunities. Skill building in credit, forex, customer relationship management, marketing of products and services, credit monitoring and recovery, risk management, technology based banking, branch management, complying with statutory, legal and policy requirements and preventive vigilance received special attention during the year.

The training programmes were also held on thrust areas like financing SMEs, retail lending, agriculture finance and rural development.

The Bank has an apex Training College at Pune with three training establishments operating under it, one each at Mumbai, Nagpur and Pune. Information Technology Training Institute and Computer Labs train the Officers and staff to utilize information technology for effective customer service and efficient back office functions.

The highlights of training activity during the year are as under:

- 383 training programs were conducted during the year out of which 144 were for officers, 178 for clerks and 61 for substaff.
- Total of 7739 staff members participated in various training programs, consisting of 4054 officers, 2736 clerks and 949 sub staff.
- A total of 1233 SCs, 428 STs and 1557 women employees were trained during the year.
- During the year, 1605 employees were trained in Information Technology.

- 285 कर्मचारी विभिन्न बाह्य प्रशिक्षण संस्थाओं में भी प्रतिनियुक्त किए गए.
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापि प्राप्त करने हेतु 14 कार्यपालकों को भारत से बाहर के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रतिनियुक्त किया गया.
- मई - जून 2012 के दौरान अजा / अजजा कर्मचारियों के लिए पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण हेतु 6 कार्यक्रम आयोजित किए गए.
- वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए 4 पूर्व-सेवानिवृत्ति समुपदेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए. निवेश पर व्याख्यान के अलावा, सहभागियों हेतु स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम भी आयोजित किए गए.
- ऋण मूल्यांकन, वैकल्पिक व्यवसाय स्रोत उत्पादों, विपणन और कर भुगतान पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किया गया. इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 272 कर्मचारियों ने सहभाग लिया.

3.3 प्रौद्योगिकी पहल

वर्ष 2012-13 बैंक के लिए महत्वपूर्ण रहा है. आधार समर्थित भुगतान पद्धति, आधार भुगतान तात्कालिक पद्धति, रूपे किसान कार्ड, अंतरबैंक मोबाईल भुगतान पद्धति, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित वित्तीय समावेशन जैसे प्रौद्योगिकी पहल के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में बैंक सक्रिय रूप से सहभागिता कर रहा है और साथ ही भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पहल में सहभागिता के लिए प्रौद्योगिकी को कार्यान्वित कर रहा है. वर्ष के दौरान बैंक ने अपने 502 एटीएम नेटवर्क में 37 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज करते हुए 692 एटीएम तक विस्तार किया. बैंक व्यवसाय एवं संबंधित गतिविधियों में प्रौद्योगिकी के अग्रणी में रहा है.

सभी शाखाओं, आंचलिक कार्यालयों, प्रशिक्षण महाविद्यालय/प्रशिक्षण केन्द्रों तथा प्रधान कार्यालय के साथ संबद्ध तथा कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म के अंतर्गत कार्यशील बैंक का अपना निगमित नेटवर्क "महानेट" है. इसके विशाल और सुरक्षित नेटवर्क प्रौद्योगिकी वास्तुकला से ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित होती हैं. नेटवर्क की उपलब्धता और विश्वसनीयता में आगामी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान बैंक ने नेटवर्क से उच्च व्यतिरिक्त एवं विश्वसनीय मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्वीचिंग- (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) आधारित वास्तुकला में स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारंभ की है. इससे बैंक को विश्वास है कि बैंक के नये नेटवर्क से ग्राहकों को बेहतर सेवा देने में सौपानवत् सफलता मिलेगी और अधिक ग्राहक केन्द्रित सेवा लागू करने में सहायता मिलेगी. प्रव्रजन प्रक्रिया चालू है. इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में शाखाओं को उच्च उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आपात संप्रेषण माध्यम जैसे 3 जी, सीडीएमए आदि जैसे समानांतर कार्यान्वयन में बैंक अग्रगामी रहा है.

एक आधुनिक टायर III डाटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर की स्थापना की गई है. नियर डिजास्टर रिकवरी साईट का कार्यान्वयन भी सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है जिससे किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में, बैंक के जीरो डाटा लॉस उद्देश्य की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जा सकेगा. बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ ऐसे बैंकों में है, जिसने पिछले दो वर्षों में नियर डिजास्टर रिकवरी साईट को कार्यान्वित किया है. बैंक द्वारा संपन्न डिजास्टर रिकवरी कवायद के दौरान नियर साईट की प्रभावोत्पादकता वर्ष के दौरान दो बार की जाती है.

एटीएम व डेबिट कार्डों की लोकप्रियता में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बैंक अपने एटीएम नेटवर्क में विस्तार करना चाहता है. इस दिशा में वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने 37 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज करते हुए अपने एटीएम नेटवर्क का 502 से 692 तक विस्तार किया है. आगामी वर्ष में एटीएम आधार में पुनः विस्तार का प्रस्ताव है.

एक छत के नीचे समेकित प्रौद्योगिकी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक ने एक और एटीएम गैलरी शिवाजीनगर, पुणे में कार्यान्वित किया है. इस गैलरी में अनेक नई प्रौद्योगिकी का समावेश है और इससे एटीएम, चेक जमा मशीन, सिक्का विक्री मशीन एवं स्व अद्यतन पासबुक प्रिंटर सुविधा प्राप्त होती है.

अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड के लिए बैंक ने वीसा के साथ और रूपे डेबिट कार्ड के लिए एनपीसीआई के सहयोग किया है. बैंक भारत सरकार की पहल-रूपे किसान डेबिट कार्ड को लागू करने वाला पहला बैंक बन गया है.

- 285 employees were deputed to different external training establishments.
- 14 Executives were deputed to Training Institutes outside India for International Exposure.
- 6 programmes for pre-promotional training to SC/ST employees were conducted during May-June 2012. Total 158 candidates attended the training.
- 4 programs on pre-retirement counselling were conducted for the employees retiring during the year. Besides lecture on investment planning, health check up of participants were also arranged.
- Training through Video Conference was conducted on credit appraisal, alternate business channel products, and marketing and tax payments. In total 272 employees participated in these training programmes.

3.3 Technology Initiatives

The year 2012-2013 has been a momentous one for the Bank. The Bank has been actively participating for successfully implementing the technology initiatives such as Aadhaar Enabled Payment System, Aadhaar Payment Bridge System, Rupay Kisan Card, Interbank Mobile Payment System (IMPS), IT enabled Financial Inclusion and also implementing technology for participating in the Direct Benefit Transfer initiatives launched by the Government of India. During the year, Bank expanded its ATM Network from 502 to 692 ATMs, registering an increase of more than 37 per cent. Bank has been in the forefront of Technology in Business & related activities.

Bank has its own Corporate Network "MAHANET" with all Branches, Zonal Offices, Training Colleges / Centers and Head Office interconnected and working under Core Banking Platform. Its robust & secure Network Technology Architecture ensures seamless services to the customers. With a view to further enhancing the availability & reliability of the network, during the year Bank initiated the process of migration of the network to highly redundant and reliable Multi Protocol Label Switching (MPLS) – VPN (Virtual Private Network) based architecture. With this, Bank is sure that the Bank's new network is scalable so as to serve customers even better and introduce more customer centric applications. The migration process is underway. As a part of this process, the Bank has also pioneered in implementing niche network technologies such as 3G, CDMA, etc as back up communication media to ensure high availability to the branches.

A state-of-art Tier III Data Centre and Disaster Recovery (DR) Centre has been set up. The implementation of Near DR Site has also been successfully completed, which would ensure to achieve the Bank's Zero Data Loss Objective, in the event of any untoward incident. The Bank is one of the few Public Sector Banks to implement Near DR Site over last two years. The efficacy of Near Site is tested twice a year during DR Drills conducted by the Bank.

With the rising popularity of the ATM/Debit cards, the Bank intends to expand its ATM Network. In this direction, during the year 2012-13, Bank expanded its ATM Network from 502 to 692, registering an increase of more than 37 per cent. In the ensuing year, it is proposed to increase the ATM base further.

With a view to provide integrated technology services under one roof, Bank has implemented one more ATM Gallery at Shivaji Nagar, Pune. The gallery embraces the new technology and provides ATMs, Cheque Deposit Machine, Coin Vending Machine and Self Updating Passbook Printer.

Bank has collaborated with VISA for International Debit Cards and with NPCI for Rupay Debit Cards. Bank has also been the first Bank to launch Rupay Kisan Debit Card – a Government of India initiative.

भुगतान एवं निपटान पद्धति अर्थात वास्तविक समय सकल निपटान और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के लिए सरलीकृत स्ट्रेट थ्रो प्रक्रिया प्रतिमान बृहद प्लेटफॉर्म पर कार्यरत है. ई-लेनदेन को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण को लोकप्रिय बनाने के लिए बैंक ने ₹ 1.00 लाख तक की राशि के एनईएफटी लेनदेन पर सेवा प्रभार में छूट दी है.

वैकल्पिक माध्यमों जैसे एटीएम, आरटीजीएस, एनईएफटी, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाईल बैंकिंग, इसीएस इत्यादि के माध्यम से लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बैंक विशेष प्रयास कर रहा है. ग्राहकों द्वारा 30 प्रतिशत से अधिक लेनदेन इन वैकल्पिक माध्यमों के द्वारा की जाती है. बैंक इन माध्यमों के प्रयोग में वृद्धि के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, जिसे वर्ष के दौरान कार्यान्वित किया गया है, के माध्यम से लगातार जोर दे रहा है.

हमारे इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरलीकृत करों के ऑनलाईन भुगतान, उपयोगिता बिल भुगतान, ऑनलाईन शॉपिंग, ई-कॉमर्स, रेलवे आरक्षण, जीवन बीमा किश्तों के भुगतान आदि विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और कर जमा विवरण 26एस तथा बैंक के साथ डीमैट खातों को देखने की सुविधा प्रदान की गई है.

सदैव विकसित सूचना सुरक्षा प्रवृत्ति तथा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा में सुरक्षा अभिलक्षण वृद्धि के उत्तरदायित्व के प्रतिसाद के प्रयासों के एक भाग के एक रूप में हिताधिकारी निबंधन एवं ऑनलाईन मचैट भुगतान के लिए वन टाइम पासवर्ड को कार्यान्वित किया गया है.

बैंक के पास विशाल सूचना सुरक्षा प्रबंधन पद्धति ढांचा उपलब्ध है. इसकी सूचना सुरक्षा नीति कथन "बैंक ऑफ महाराष्ट्र सुरक्षित व्यवसाय परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों की नाजुक जानकारी की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है."

सूचना सुरक्षा प्रबंधन पद्धति ढांचे को और सशक्त बनाने के लिए बैंक को इसके डाटा सेंटर, डिजास्टर रिकवरी सेंटर एवं सीबीएस परियोजना कार्यालय सहित सूचना प्रौद्योगिकी खंड को आईएसओ 27001:2005 प्रमाणन प्राप्त हुआ है. बैंक द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि आईएसओ 27001:2005 प्रमाणन वर्ष 2012-13 के लिए भी बना रहे.

बैंक ने 24x7 आधार पर महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी संरचना निगरानी के लिए सीमित सुरक्षा परिचालन केन्द्र की स्थापना की है. इस सुरक्षा परिचालन केन्द्र से बैंक को सुरक्षा घटनाओं की निगरानी तथा अनुपालन आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए स्थिर, अग्रसक्रिय निगरानी सुरक्षा खतरे को प्रभावी रूप से पता लगाने में सहायता मिलेगी. इससे बैंक कोर सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा एवं अनुप्रयुक्त संरचना द्वारा सृजित निरंतर खोज प्रक्रिया को स्वचालित रूप से जानने में समर्थ होगा. अन्य सेवाएँ जो कार्यान्वयन के अधीन हैं उसमें एंटी फिशिंग, एंटी ट्रोजन सेवाएँ शामिल हैं.

ग्राहक पहल के एक भाग के रूप में वर्ष के दौरान बैंक ने ग्राहकों के लिए नये बचत बैंक खाते खोलने और नई पेंशन योजना के अन्तर्गत खाते खोलने जैसे अनेक ऑनलाईन सुविधाएँ कार्यान्वित की हैं. बैंक द्वारा आवास, शिक्षा, वाहन, एमएसएमई तथा कोई अन्य ऋण उत्पाद (ग्राहक की अन्य साख सुविधा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य आवेदन) हेतु विभिन्न साख सुविधाओं के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सुविधा प्रदान की गई है.

ग्राहकों में सायबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता फैलाने एवं सुरक्षित ऑनलाईन बैंकिंग को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से बैंक को इस बात का उल्लेख करते हुए गर्व है कि दिल्ली एवं जयपुर अंचलों के हमारे ग्राहकों के लिए सायबर सुरक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का परिचालन करते समय सुरक्षा जांचबिन्दु पर महत्वपूर्ण जानकारी एवं संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम प्रावधानों की जानकारी कार्यरत सायबर सुरक्षा पेशेवरों द्वारा दी गई. इस प्रशिक्षण को अच्छा प्रतिसाद मिला और ग्राहकों द्वारा इसकी सराहना की गई. इस संबंध में प्राप्त प्रतिसूचनाओं के आधार पर इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन वर्ष के दौरान अन्य स्थानों पर भी आयोजित करने का प्रस्ताव है.

दक्षिणी ग्रिड के अंतर्गत चेन्नई, बेंगलूरु, कोयंबटूर, चंडीगढ़, पुडुचेरी, कोचिन और तिरुवनंतपुरम जैसे बड़े केन्द्रों को शामिल करते हुए चेक ट्रंक्शन प्रणाली (सीटीएस) को सभी 15 केन्द्रों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है.

The payment and settlement systems viz., RTGS and NEFT are running on robust platform facilitating straight-through-processing (STP) model. In order to promote e-transactions & popularize the usage of NEFT Transactions, Bank waived service charges on NEFT transactions up to ₹ 1.00 lakh.

The Bank is also taking special efforts to encourage transactions through alternate channels such as ATM, RTGS / NEFT, Internet Banking, Mobile Banking, ECS etc. More than 30 per cent transactions are carried out by customers through these alternate channels. Bank is constantly pursuing efforts to enhance usage of these channels through various incentive schemes which have been implemented during the year.

Various facilities are provided through our Internet Banking platform for facilitating online payment of taxes, utility bill payments, online shopping / e-commerce, railway reservation, LIC premium payment, etc and facility for viewing tax credit statement 26AS and Demat account with the Bank.

As a part of the effort to respond to the ever evolving information security trends and the responsibility to enhance security features in the Internet Banking facility, the feature of One Time Password (OTP) has been implemented for beneficiary registration and online merchant payments.

Bank has robust Information Security Management System (ISMS) framework in place. Its information security policy statement being: "Bank of Maharashtra is committed to protect and safeguard the critical information of all stakeholders in order to ensure secure business operations"

In order to strengthen the ISMS framework further, Bank had gone for ISO 27001:2005 Certification for its IT division including Data Centre, Disaster Recovery Centre and CBS Project Office. Bank has ensured continuation of the ISO 27001:2005 certification for the year 2012-13.

Bank has set up captive Security Operations Centre (SOC) for monitoring Critical IT Infrastructure on 24 x 7 basis. The SOC shall enable the Bank to effectively address security threats by constant, proactive monitoring of security events and meet the compliance requirements. This has enabled the Bank to automate the vulnerability discovery process by constantly analyzing the logs generated by the core IT security and application infrastructure. The other services which are under implementation are Anti-Phishing, Anti-Trojan services.

As a part of Customer Initiatives, during this year Bank implemented many online facilities to customers for opening of savings bank accounts and also accounts under New Pension Scheme. Bank also provided facility for submitting applications online for various credit facilities including Housing, Education, Vehicle, MSME and any other Loan product (Generic application to accommodate any other credit facility requirement of the customer).

In order to spread cyber security awareness amongst the customers, and encourage safe online banking, Bank is proud to state that special training programs on Cyber Security & IT Act were conducted for our customers in Delhi & Jaipur Zones. In this training, valuable input on security check-points while operating Internet Banking facility & related IT Act provisions was imparted by practicing cyber security professionals. The trainings were well received & appreciated by the customers. Based on the feedback received, it is proposed to conduct such training programs at other locations as well during this year.

Cheque Truncation System (CTS) has been successfully implemented in all the 15 centres under Southern Grid covering major centres like Chennai, Bangalore, Coimbatore, Chandigarh, Puducherry, Cochin and Thiruvananthapuram.

बैंक ने सीबीएस खातों एवं आधार भुगतान ब्रिज पद्धति के आधार सीडिंग के लिए प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे अन्नश्री, जानकी सुरक्षा योजना, विद्यार्थी छात्रवृत्ति इत्यादि के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए प्राप्त विप्रेषण नियमित रूप से प्राप्त हो रहे हैं और निर्बाध रूप से हिताधिकारियों के खातों में जमा किये जा रहे हैं। भारत सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम और आधार समर्थित भुगतान पद्धति के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी संरचना का गठन किया गया है।

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग संरचना को वर्ष के दौरान संवर्द्धित किया गया। इस संरचना का व्यापक प्रयोग प्रधान कार्यालय के कार्यात्मक विभागों द्वारा आंचलिक कार्यालयों के साथ विचार-विनिमय के लिए किया गया जिससे प्रबंधन द्वारा त्वरित निर्णय में सुविधा हुई और साथ ही परिचालन लागत में भी कमी आई है। बैंक ने राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम) के साथ भी संयोजन स्थापित किया है और जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें पूरे देश भर के विभिन्न अंचलों के अधिकारियों ने सहभाग किया। विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा 227 शाखाओं को शामिल करते हुए प्रत्येक जिला केन्द्र में एक शाखा को उपलब्ध कराई गई।

बैंक ने चयनित शाखाओं में स्व अद्यतन पासबुक प्रिंटिंग मशीन और चेक जमा मशीन स्थापित किया है। बैंक ने ग्राहकों को बार-कोडेड पासबुक जारी करना आरंभ कर दिया है जिसका प्रयोग स्व अद्यतन पासबुक प्रिंटिंग मशीन में किया जा सकता है।

विवरणों और विवरणों से संबंधित कुछ बैंक ऑफिस कार्यों को बैंक ने केन्द्रीकृत किया है जिससे शाखा कर्मियों को व्यवसाय विकास एवं ग्राहक सेवा पर केन्द्रित करने में सहायता मिलेगी।

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक- महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की सभी शाखाएँ वर्ष 2011 से ही सीबीएस के अंतर्गत कार्यरत हैं और ग्राहकों एवं व्यवसाय विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पहल को कार्यान्वित कर रही हैं।

बैंक का वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित नई सूचना प्रौद्योगिकी पहल के लिए उपाय करने का प्रस्ताव है:

- बेहतर उत्पादकता पर केन्द्रित सुपुर्दगी चैनलों में बेहतर ग्राहक अनुभव, उन्नत बिक्रय निष्पादन, प्रतिभा प्रबंधन के लिए मानव संसाधन पहल और अनुक्रमण योजना और बेहतर पूंजी दक्षता शाखा रूपांतरण पहल।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आदेशित स्वचालित उपलब्ध सामग्री प्रवाह का कार्यान्वयन।
- बैंक का अपना एटीएम स्वीच एवं भुगतान गेटवे की ओर एटीएम आधार एवं कार्य में पर्याप्त वृद्धि।
- शाखा कर्मचारियों के लिए द्वि-कारक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण तथा ग्राहक भुगतान के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का कार्यान्वयन।
- मोबाईल फोन के विविधतापूर्ण कार्य कर सकने और सुरक्षित लेनदेन उपलब्ध कराने हेतु समेकित/बहुमुखी मोबाईल बैंकिंग आवेदन।

3.4 बैंक द्वारा की गई ग्राहक केन्द्रित पहलें

समूचे वर्ष के दौरान ग्राहक संतोष बनाए रखने के लिए बैंक ने ग्राहक सेवा के उच्च मानकों का पालन किया।

भारतीय बैंकिंग आचार संहिता और मानक बोर्ड का सदस्य के रूप में बैंक ने ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धताओं की आचार संहिता, एसएमई के प्रति बैंक की प्रतिबद्धताओं की आचार संहिता को स्वीकार किया। निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित जमा, चेकों / लिखतों की वसूली, शिकायतों का समाधान, क्षतिपूर्ति और मृत जमाकर्ताओं के दावों के निपटारे हेतु परिचालनगत कार्यविधि के दस्तावेज तैयार किए हैं। इन नीतियों को बैंक के वेबसाईट पर प्रदर्शित किया गया है।

ग्राहक संतुष्टि को सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक शिकायतों का समाधान, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति की आवधिक बैठकें होती हैं। प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालय में भी गठित ग्राहक सेवा की स्थायी समितियों की बैठकें विभिन्न ग्राहक सेवा संबंधी मामलों और ग्राहक सेवा में सुधार हेतु सतत आधार पर होती हैं।

Bank has successfully implemented the technology for Aadhaar Seeding of the CBS accounts and Aadhaar Payment Bridge System. The remittances for direct benefit transfer (DBT) under various GOI schemes such as Annashree, Janani Suraksha Yojana, Student Scholarships etc. are regularly being received and seamlessly credited to the accounts of the beneficiaries. The technology infrastructure is set up for the implementation of Direct Benefit Transfer (DBT) program of Government of India and the Aadhaar Enabled Payment System.

The Video Conferencing infrastructure was augmented during the year. The infrastructure is extensively used by functional departments in Head Office for interacting with Zonal Offices that has facilitated speedy decisions by the management and also reduced operational costs. Bank has also established connectivity with NIBM & successfully conducted training program on Risk Management in which officials from various Zones participated from across the country. Video Conferencing facility is provided at one branch in each District Centre covering 227 Branches.

Bank has installed Self Update Pass Book Printing machines and Cheque Deposit Machines at select branches. Bank has commenced issuance of bar coded passbooks to customers which can be used in the Self Update Pass Book Printing machines.

Bank has centralized some of its back office functions relating to the statements and returns thereby enabling the branch personnel to concentrate more on business development and customer service.

All the branches of Maharashtra Gramin Bank, the Regional Rural Bank sponsored by the Bank are working under CBS since 2011 & are implementing various initiatives to be in tune to meet the demands of customers and business development.

Bank proposes to take up following new IT Initiatives during 2013-14.

- Branch Transformation Initiatives with focus on greater productivity, better customer experience across delivery channels, improved sales performance, HR initiatives for talent management & succession planning and better capital efficiency.
- Implementation of Automated Data Flow (ADF) as mandated by Reserve Bank of India.
- Substantially increase the ATM base & work towards Procurement of Bank's Own ATM Switch and Payment Gateway.
- Implement Two Factor Biometric Authentication for Branch Staff & Biometric Authentication for Customer payments.
- Integrated/versatile Mobile Banking application that can work with variety of mobile phones and provide secure transactions.

3.4 Customer Centric Initiatives taken by the Bank

The Bank has pursued high standards of customer service to ensure customer satisfaction throughout the year.

As member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI), Bank has adopted the Code of Bank's Commitment to Customers and Bank's Code of Commitment to SMEs. Duly documented policies approved by the Board on "Deposits", "Collection of Cheques/ instruments", "Redressal of Grievances", "Compensation" and "Operational Procedure for settlement of claims of Deceased Depositors" are in place. These policies are displayed on Bank's website.

The Committee of the Board on Customer Service meets periodically to monitor the quality of customer service, redressal of customer grievances to ensure customer satisfaction. The Standing Committee on Customer Service at Head Office and Zonal Level Customer Service Committees at all the Zonal offices also meet regularly to address and review various customer related matters to take steps for improvement on an ongoing basis.

सभी शाखाओं में ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया है। जमाकर्ता, कंपनियों, व्यापारियों और वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी संवर्ग के ग्राहकों को शाखा/अंचल/प्रधान कार्यालय स्तर की बैठकों में बुलाया जाता है ताकि बैंक की सेवाओं और उत्पादों के संबंध में उनके विचार और सुझाव प्राप्त किए जा सकें। ग्राहक शिकायतों का त्वरित निवारण करने के लिए ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र कार्यरत है। बैंक के केंद्रीय कार्यालय और सभी अंचल कार्यालयों में शिकायत प्रबंधन कक्ष कार्यरत हैं। ग्राहक सेवा पर बोर्ड समिति और प्रधान कार्यालय की ग्राहक सेवा पर गठित स्थायी समिति नियमित आधार पर ग्राहक शिकायतों के निपटारे की प्रगति की निगरानी करती है।

बैंक ने गोइपोरिया समिति, डॉ. एस. एस. तारापोर समिति और दामोदरन समिति की ग्राहक सेवा से संबंधित सभी प्रमुख सिफारिशों का कार्यान्वयन कर दिया है।

बैंक ने शिकायत दर्ज करने या ग्राहकों से सेवा पर प्रतिसूचनाएं एवं सुझाव मांगने, प्राप्ति की सूचना देने एवं उनकी प्रतिसूचनाओं/शिकायत की स्थिति दर्शाने के लिए इंटरनेट आधारित तंत्र विकसित किया है।

बैंक ने "मेरा फोल्डर" नामक एक फोल्डर मुद्रित किया है, जिसमें सभी ग्राहक सेवा नीतियां, सेवा प्रभागों पर जानकारी, सरकारी योजनाबद्ध ऋणों पर दिशानिर्देश, लोकपाल और बीसीएसबीआई संहिता का समावेश है। इसे मराठी, हिन्दी और अंग्रेजी में मुद्रित कराया गया है और सभी शाखाओं और अंचलों को आपूर्ति की गई है, ताकि इसे सभी ग्राहकों को मांग पर उपलब्ध कराया जा सके।

मानकीकृत जन शिकायत निवारण प्रणाली:

बैंक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली द्वारा 11.06.2012 को आरंभ किए गए "मानकीकृत जन शिकायत निवारण प्रणाली" के कार्यान्वयन हेतु प्रक्रियारत है। प्रधान कार्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आयोजना विभाग समन्वित जन शिकायत प्रणाली हेतु एक गृह सॉफ्टवेयर विकसित कर रहे हैं।

शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु कियोस्क मशीन का संस्थापन:

ग्राहकों को शिकायतें/सुझाव ऑनलाइन रजिस्टर करने हेतु प्रधान कार्यालय में कियोस्क मशीन की व्यवस्था की गई है और इसका परिचालन 14.03.2013 से प्रारंभ हुआ है।

3.5 अपने ग्राहकों को जानिए / धन शोधन निवारण प्रणाली

बैंक के पास निदेशक मंडल से अनुमोदित केवायसी-एमएल-सीएफटी नीतियां हैं। इन नीतियों के आधार पर बैंक केवायसी मानदंड, एमएल मानक और सीएफटी उपाय लागू करता है। पूर्ण केवायसी अनुपालन में ग्राहकों और उसी प्रकार कर्मचारियों को भी शिक्षित करना शामिल है। इसके लिए बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए-

ग्राहकों के लाभार्थ बैंक के वेबसाइट पर केवायसी दस्तावेजों की व्यापक सूची अपलोड की गई। कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में केवायसी-एमएल-सीएफटी पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए गए।

3.6 जोखिम प्रबंधन

बैंक कारोबार जटिल से जटिल हो रहा है और विभिन्न प्रकार की जोखिम रोजाना के बैंकिंग कारोबार में विद्यमान हैं। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में जोखिम प्रबंधन संरचना और उद्योग की श्रेष्ठ प्रथाओं के प्रति स्वयं अपना बेंचमार्क तैयार किया है। इससे बैंक प्रमुख जोखिम क्षेत्र, उपाय, निगरानी और जोखिम के क्षमतापूर्ण प्रबंध के अभिनिर्धारण में समर्थ हो पाता है।

बैंक का निदेशक मंडल सभी जोखिम प्रबंधन नीतियों और रणनीतियों की पुनरीक्षा करता है और बैंक के समग्र जोखिम आकार के अनुसार नियंत्रण प्रणालियां तैयार करता है। निदेशक मंडल बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) से सहयोग प्राप्त करता है और आरएमसीबी उप समितियों यथा ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) तथा आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) से सहयोग प्राप्त करता है। इन समितियों की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक करते हैं तथा कार्यपालक निदेशक और महाप्रबंधकगण इन समितियों के सदस्य होते हैं।

Customer Service Committees at all the branches are formed and a cross section of customers representing depositors, Corporates, businessmen, senior citizens are invited to attend the Customer Service meetings at Branch/Zonal/Head Office level, to have feedback and suggestions on schemes, products and services. Full-fledged grievances redressal machinery is in place to respond promptly to customer grievances. Complaint Management Cells are operative at Head Office and all Zonal Offices of the Bank. The Committee of the Board on Customer Service and Standing Committee on Customer Service at Head Office monitor the progress of redressal of customer grievances regularly.

The Bank has implemented all major recommendations of Goiporia Committee, Dr.S.S.Tarapore Committee and Damodaran Committee relating to customer service.

The Bank has in place internet based mechanism for lodging the complaint or to give suggestions/ feedback on services by the customers and for providing acknowledgement and status of their feedback/ complaint.

Bank has printed folder called "My Folder" containing all customer service policies, information on service charges, guidelines on Government Schematic Loans, Ombudsman and BCSBI codes. The same is printed in Marathi, Hindi and English and supplied to all branches and Zones for making the same available to all customers on demand.

Standardized Public Grievances Redressal System:

Bank is in process of implementing "Standardized Public Grievances Redressal System (SPGRS)" introduced by GOI, MOF, Department of Financial Services, New Delhi on 11.06.2012. I T Department and Planning Department in Head Office are developing In House software for Integrated Public Grievances System.

Installation of Kiosk Machine for online registration of complaints:

Kiosk Machine arrangement has been made at Head Office to enable the customers to register on line complaints/suggestions, and its operation has started w.e.f. 14.03.2013.

3.5 KYC/AML

The Bank has Board approved KYC-AML-CFT Policy in place. The said Policy is the foundation on which the Bank's implementation of KYC norms, AML standards and CFT measures is based. The full KYC compliance entails staff education as well as customer education for which the following measures are taken by the Bank.

A comprehensive list of KYC documents is uploaded on the Bank's web site for the benefit of customers. Regular training sessions are conducted on KYC-AML-CFT guidelines at the Bank's training establishments to sensitize the employees.

3.6 Risk Management

Banks are faced with a variety of risks while conducting day to day banking operations. Bank has its Risk Management Frame work in accordance with the RBI Guidelines and benchmarks itself against the industry best practices. This enables the Bank to identify measure, monitor and manage risk efficiently.

The Board of Directors of the Bank reviews all Risk Management Policies and Strategies and establishes control systems in line with the Bank's aggregate Risk Appetite. The Board of Directors is supported by the Risk Management Committee of the Board (RMC) and RMC is supported by sub-committees known as Credit Risk Management Committee (CRMC), Market Risk Management Committee (MRMC), Operational Risk Management Committee (ORMC) and Asset Liability Management Committee (ALCO). These Committees are headed by Chairman and Managing Director and Executive Director and General Managers are the members of the Committees.

जोखिम प्रबंधन नीतियां :

बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार की हैं यथा (i) ऋण जोखिम प्रबंधन नीति (ii) बाजार जोखिम प्रबंधन नीति (iii) आस्ति देयता प्रबंधन (iv) परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति (v) दबाव परीक्षण नीति (vi) आउटसोर्सिंग नीति (vii) व्यवसाय निरंतरता आयोजना नीति (viii) विगोपन नीति (ix) ऋण जोखिम कमी तकनीक का उपयोग और संपार्श्विक प्रबंधन नीति तथा (x) आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी).

ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम किसी उधारकर्ता के या उसके प्रतिपक्ष के द्वारा इसके वित्तीय दायित्व की पूर्ति में विफलता के परिणामस्वरूप अथवा उधारकर्ता के या उसके प्रतिपक्ष के द्वारा ऋण गुणवत्ता में गिरावट के परिणामस्वरूप होनेवाली हानि की संभावना है. बैंक की समग्र जोखिम प्रबंधन नीति का ऋण जोखिम प्रबंधन एक अंतरंग अंग है. बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन समिति गठित की है जो कि आवधिक अंतराल पर ऋण प्रशासन तथा निगरानी से संबंधित नीतियों, कार्य पद्धतियों और प्रणालियों की पुनरीक्षा करती है.

बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए व्यापक उधार नीति, ऋण पुनरीक्षण नीति तथा जोखिम प्रबंधन नीति को लागू किया है. इन नीतियों में विभिन्न दिशानिर्देश, कार्यविधियों, मानकों और विवेकी / विगोपन मानदंडों का विवरण दिया गया है.

उधारी प्रस्ताव में जोखिम संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए बैंक ने बेसल - II आवश्यकताओं के अंतर्गत आंतरिक रूप से विकसित ऋण जोखिम रेटिंग फ्रेमवर्क (सीआरआरएफ), वर्तमान और उसी प्रकार प्रवेशस्तरीय उधारकर्ता की रेटिंग विभिन्न आस्ति संवर्गों में करने हेतु लागू किया है.

गृह विकसित रेटिंग मॉडल का प्रयोग गैर-एसएलआर निवेशों की रेटिंग के लिए भी किया जाता है. बैंक प्रतिष्ठित ऋण रेटिंग एजेन्सी से उद्योग जोखिम रेटिंग का उपयोग करता है और ऋण जोखिम रेटिंग मॉडलों में उद्योग जोखिम अंकन के लिए समाविष्ट करता है. प्रभावकारिता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा इन मॉडलों का आवधिक रूप से वैधीकरण किया जाता है.

लाभ योजना को हासिल करने और जोखिम वहन क्षमता के अंतर्गत ऋण संविभाग तैयार करने की दृष्टि से बैंक ने प्रवेश स्तरीय विगोपनों के लिए न्यूनतम रेटिंग निर्धारित किए हैं. ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य को ऋण मंजूरी के कार्य से अलग करने के लिए विभिन्न स्तरों पर तथा खजाना व अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग (टीआईबीडी) में ऋण अनुमोदन ग्रीड स्थापित किए हैं, जो समिति दृष्टिकोण के माध्यम से जोखिम संभावनाओं का पता लगाते हैं.

बैंक ने एक निर्धारित अवधि के दौरान उधारकर्ताओं की ऋण जोखिम योग्यताक्रम का माइग्रेशन विश्लेषण किया और बेसल-II आवश्यकताओं के क्रम में चूक की संभावनाओं का अनुमान लगाया. रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ हासिल करने के लिए जोखिम आधारित मूल्यांकन फ्रेमवर्क लागू किया गया और आवधिक आधार पर पुनरीक्षा की गई.

ऋण जोखिम के निर्धारण के लिए बैंक आवधिक रूप से निम्नलिखित अध्ययन करता है:

- उधारी नीति के अनुसार विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन
- ऋण संविभाग पुनरीक्षा
- ऋण जमाव जोखिम का निर्धारण
- ऋणों और अग्रिमों का त्वरित निपटान
- घरेलू जोखिम प्रबंधन
- अन्य बैंकों को सकल विगोपन
- दबाव जांच रिपोर्ट

इन अध्ययनों के नतीजों को आवधिक आधार पर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन समिति तथा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है.

Risk Management Policies

Bank has put in place various Board approved Risk Management Policies viz. (i) Credit Risk Management Policy, (ii) Market Risk Management Policy, (iii) Asset Liability Management, (iv) Operational Risk Management Policy, (v) Stress Testing Policy, (vi) Outsourcing Policy, (vii) Business Continuity Planning Policy, (viii) Disclosure Policy, (ix) Utilisation of Credit Risk Mitigation Techniques and Collateral Management Policy and (x) Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).

Credit Risk Management

Credit risk is the possibility of a loss being incurred as the result of a borrower or counterparty failing to meet its financial obligations or as a result of deterioration in the credit quality of the borrower or counterparty. The Credit Risk Management process forms an integral part of overall risk management of the Bank. The Bank has constituted Credit Risk Management Committee (CRMC) which reviews the policies, procedures and systems relating to credit administration and monitoring, at periodic intervals.

The Bank has put in place comprehensive Lending Policy, Loan Review Policy and Credit Risk Management Policy for credit risk management. The policies prescribe various guidelines, procedures, standards and prudential / exposure norms.

To evaluate the risk perception in a lending proposition, the Bank has put in place an in-house developed Credit Risk Rating Framework (CRRF) for rating of existing as well as entry level borrowers in various asset classes, as desired under Basel II. In house developed rating model is also in use to rate Non-SLR Investments. The Bank utilizes industry risk rating from reputed credit rating agency and incorporates the industry risk score in the Credit Risk Rating Models. These models are periodically validated by independent experts to ensure the efficacy and relevance.

The Bank has prescribed threshold ratings for entry level exposures with a view to building up credit portfolio within the risk appetite and achieves the profit plan. With a view to separating the Credit Risk Management function from credit sanctioning, Credit Approval Grids are set up at various levels and at Treasury & International Banking Division (TIBD), Mumbai, which assess the risk perception through a committee approach.

The Bank has undertaken migration analysis of credit risk rating of borrowers over a time horizon and probability of default has been estimated in line with Basel II requirements. To achieve risk-return trade off, risk based pricing framework has been implemented and reviewed periodically.

The Bank undertakes following studies periodically to assess Credit Risk:

- Compliance to Prudential Norms as per Lending Policy
- Credit Portfolio Review
- Assessment of Credit Concentration Risk
- Quick Mortality of Loans and Advances
- Country Risk Management
- Aggregate exposure on other banks
- Stress Test Report

Findings of these studies are placed before the Credit Risk Management Committee (CRMC), Risk Management Committee (RMC) and the Board on periodical basis.

बाजार जोखिम प्रबंधन

ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा दरों और इक्विटी मूल्य में परिवर्तन और गतिशीलता के कारण बैंक को बाजार जोखिम होती है। ये परिवर्तन बैंक की आय और पूंजी पर असर डालते हैं और बैंक की तरलता और लाभप्रदता को भी प्रभावित करते हैं।

बैंक की एक पृथक बाजार जोखिम प्रबंधन समिति है जो कि नियमित आधार पर बाजार जोखिम प्रबंधन नीति की पुनरीक्षा करती है और आशोधन, यदि कुछ हो, की रिपोर्ट जोखिम प्रबंधन समिति तथा निदेशक मंडल को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करती है। बैंक की एमआरएम नीति व्यापक प्रक्रियाओं पर विचार करती है यथा जिसके द्वारा बैंक ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम, इक्विटी मूल्य जोखिम तथा ऑप्शन जोखिम के क्षेत्रों में जोखिमों का अभिनिर्धारण करेगा। आंतरिक रिपोर्टिंग, विनियामक रिपोर्टिंग और पिलर III विगोपनों हेतु रिपोर्टिंग संरचना निर्धारित की गई है।

ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

ब्याज दर जोखिम ऐसा जोखिम है जिसमें बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है। ब्याज दरों में परिवर्तन इसके निवल ब्याज आय के परिवर्तन के माध्यम से बैंक की आय (अर्थात् रिपोर्ट किया गया लाभ) पर प्रभाव डालता है और साथ ही इसकी दर संवेशनशील आस्तियों, देयताओं और तुलनपत्र से अलग ली गई स्थितियों के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन के माध्यम से बैंक की इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) या निवल संपत्ति को भी प्रभावित करता है। ब्याज दर जोखिम की उक्त दो परिप्रेक्ष्यों में पुनरीक्षा की जाती है तो इसे क्रमशः 'अर्जन परिप्रेक्ष्य' तथा 'आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य' कहा जाता है। तदनुसार बैंक ब्याज दर जोखिम के प्रबंध के लिए निम्नलिखित साधनों का प्रयोग करता है :

- पारंपरिक गैप विश्लेषण (टीजीए) जिसे मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशील गैप रिपोर्ट निर्माण के माध्यम से लिया जाता है।
- जोखिम पर अर्जन ब्याज दरों में 1% बदलाव के कारण निवल ब्याज आय पर ब्याज के परिकलन पर आधारित है। इसमें आधार जोखिम, एंबेडेड ऑप्शन जोखिम, आय समाधान जोखिम, निवल ब्याज स्थिति जोखिम, मूल्य जोखिम और पुनर्निवेश जोखिम समाविष्ट हैं।
- अवधि अंतराल विश्लेषण (डीजीए) जो इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) से ब्याज दर संचलन की संवेदनशीलता के अनुसार ब्याज दर जोखिम के प्रति बैंक के विगोपनों पर ध्यान केन्द्रित करता है।
- संविभाग में ब्याज दर जोखिम पर विचार करते हुए बैंक ने एएफएस + एचएफटी श्रेणी हेतु आशोधित अवधि की उच्चतम सीमाएं और साथ ही कुल निवेश संविभाग हेतु उच्चतम सीमाएं निर्धारित की हैं।
- खजाना स्थिति हेतु जोखिम मूल्य (वीएआर) का परिकलन 99% विश्वास स्तर हेतु 1 दिन, 10 दिन और 30 दिन के लिए परिकलित किया जाता है।

बैंक ने आस्ति देयता प्रबंधन समिति का गठन किया है, जिसकी बैठक तरलता की स्थिति और ब्याज दर परिदृश्य इत्यादि का पुनरीक्षण करने के लिए नियमित अंतरालों पर होती है। आस्ति देयता प्रबंधन समिति जमा / अग्रिमों की ब्याज दरों की समीक्षा के द्वारा बाजार जोखिम और तरलता जोखिम का प्रबंधन और पर्यवेक्षण करती है। आस्ति देयता प्रबंधन समिति विभिन्न जोखिम सीमाओं के पालन की निगरानी करती है और वर्तमान ब्याज दर परिदृश्य और बाजार में तरलता की स्थिति के आधार पर लाभ को अधिकतम करने और समग्र तुलनपत्र के प्रबंधन का कार्य भी करती है।

वार्षिक रूप से पुनरीक्षित और बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन नीति में तरलता जोखिम, बाजार दर जोखिम के प्रबंधन और बेसल III अनुपालन के मानदंड निर्धारित हैं और आस्ति देयता मूल्यन, लाभ आयोजना और वृद्धि प्रदर्शन, निधियन और पूंजी आयोजना तथा विनियामक रिपोर्टिंग संरचना हेतु रणनीतियां निर्दिष्ट की गई हैं।

निवेश जोखिम को निवेश जोखिम नीति तथा निवेश जोखिम प्रबंधन नीति में दिए गए उपायों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।

विदेश विनिमय जोखिम के प्रबंधन, खुली विदेशी विनिमय स्थिति हेतु विवेकपूर्ण सीमाएं समग्र अंतराल स्थिति विदेशी विनिमय दैनिक सीमा, ओवरनाईट सीमा, निवल ओपन ओवर नाईट स्थिति, बंधित हानि सीमा, विदेशी उधारियां/निवेश/स्वैप के लिए सीमा, अंतरबैंक विगोपन सीमाएं आदि के लिए निर्धारण हैं। इन सीमाओं की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है।

Market Risk Management

Market Risk is the risk to the Bank resulting from adverse movements in market prices due to changes in interest rates, foreign exchange rates and equity price. The changes impact the Bank's earnings and capital and can have ramifications on the Bank's liquidity and profitability.

Bank has its separate Market Risk Management Committee which reviews MRM Policy on regular basis and reports modifications, if any, to the Risk Management Committee & the Board for approval. The Bank's MRM Policy aims to set out the broad processes i.e. by which the Bank will identify risks in the areas of Interest Rate Risk, Forex Risk, Equity Price Risk and Options Risk. Reporting framework has been prescribed for internal reporting, Regulatory reporting and Pillar III disclosures.

Interest Rate Risk Management

Interest rate risk is the risk where changes in market interest rates affect a bank's financial position. Changes in interest rates impact a bank's earnings (i.e. reported profits) through changes in its Net Interest Income (NII) and also impact a bank's Market Value of Equity (MVE) or Net Worth through changes in the economic value of its rate sensitive assets, liabilities and off-balance sheet positions. The interest rate risk, when viewed from these two perspectives, is known as 'earnings perspective' and 'economic value perspective', respectively.

Accordingly, Bank uses the following tools to manage interest rate risk:

- Traditional Gap Analysis (TGA) which is undertaken through the preparation of Interest Rate Sensitive Gap Reports on a monthly basis.
- Earning at Risk is based on Calculation of impact on NII due to 1% change in interest rates. It also takes into account Basis Risk, Embedded Option Risk, Yield Curve Risk, Net Interest Position Risk, Price Risk and Reinvestment Risk.
- Duration Gap Analysis (DGA) which focuses on the bank's exposure to interest rate risk in banking book (IRRBB) in terms of sensitivity of Market Value of its Equity (MVE) to interest rate movements.
- Considering the interest rate risk in the portfolio, the Bank has set upper limits of Modified Duration for AFS+HFT category and also the upper limit for total investment portfolio.
- Value at Risk (VaR) for treasury positions is calculated for 1 Day, 10 Days and 30 Days for 99% Confidence Level.

The Bank has constituted Asset Liability Management Committee (ALCO), which meets at regular intervals to review the interest rate scenarios, liquidity positions in the banking book etc. The ALCO manages and supervises Liquidity Risk through review of rates of interest on deposits / advances. ALCO also monitors adherence to various risk limits and determines the business strategy in light of prevailing interest rate scenario and liquidity position in the market with a view to optimizing profit and overall balance sheet management while managing interest rate risk.

The ALM Policy, which is reviewed annually and approved by the Board, prescribes the parameters for management of Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Basel III Compliance and lays down Strategies for Asset Liability Pricing, Profit Planning and Growth Projections, Funding and Capital Planning and Regulatory Reporting Framework.

Investment Risk is managed through the prescriptions made in the Investment Management Policy & Investment Risk Management Policy.

Management of Foreign Exchange Risk, prudential limits for open foreign exchange position, aggregate gap position, Daylight limit, Overnight limit, Net open overnight position, Stop loss limit, Limit for undertaking swaps/investment/ borrowing overseas, interbank exposure limits etc. have been put in place. These limits are monitored regularly.

पखवाड़ा आधार पर अल्पावधि डायनेमिक तरलता और दैनिक आधार पर संरचनात्मक तरलता स्थिति की पुनरीक्षा द्वारा परिपक्वता असंतुलन हेतु गैप विश्लेषण के माध्यम से तरलता जोखिम का आकलन किया जाता है तथा प्रबंध किया जाता है। बैंक गैप विश्लेषण व्यवहार अध्ययन आयोजित करता है। दबाव परीक्षण आवधिक रूप से किया जाता है।

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन

परिचालनगत जोखिम आंतरिक प्रक्रिया, व्यक्ति या प्रणालियों या बाह्य घटनाओं की अपर्याप्तता विफलता के परिणामस्वरूप उत्पन्न हानि का जोखिम है। बैंक का मूल उद्देश्य प्रारंभिक अभिनिर्धारण, अभिलेखन, मूल्यांकन, निगरानी, रोकथाम और परिचालन जोखिमों को कम करने के साथ-साथ सार्थक प्रबंधन रिपोर्टिंग है।

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) परिचालनगत जोखिम से संबंधित मामलों की पुनरीक्षा के लिए नियमित रूप से बैठक करती है। ओआरएमसी नीति तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधन संरचना के अंतर्गत बैंक प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) और नियंत्रण स्वनिर्धारण सर्वेक्षण (आरसीएसए), पूर्व के खत्म हो गए आंकड़ों के विश्लेषण द्वारा परिचालनगत जोखिमों का अभिनिर्धारण, आकलन और नियंत्रण/प्रशमन करता है। बैंक की परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति में बैंक में परिचालनगत जोखिम को नापने, उसकी निगरानी करने और उसे नियंत्रित करने हेतु विस्तृत रूपरेखा दी गई है। बैंक जोखिमग्रस्त क्षेत्रों को पहचानने और प्रणाली तथा कार्यविधि में उचित सुधार, प्रशिक्षण के माध्यम से समुचित उपचारात्मक कदम उठा रहा है ताकि परिचालनगत जोखिम को नियंत्रित किया जा सके। परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति की नियमित बैठकें परिचालनगत जोखिम से संबंधित मामलों की समीक्षा करने हेतु ली जाती हैं। बैंक ने कारोबार सततता योजना को लागू किया है। आउटसोर्सिंग नीति भी तैयार की गई है जो बाजार में उपलब्ध विशेषज्ञता के उपयोग को सुगम बनाती है और आउटसोर्सिंग से संबंधित जोखिम को न्यूनतम करती है।

जोखिम आधारित सर्वेक्षण के अंतर्गत तिमाही आधार पर जोखिम प्रोफाइल टेम्पलेट की व्याप्ति के साथ 5 व्यवसाय जोखिम और 2 नियंत्रण जोखिम तैयार किए जाते हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाते हैं।

जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के अंतर्गत शाखाओं की रेटिंग की जा रही है और प्रत्येक तिमाही में स्थिति की पुनरीक्षा की जाती है।

बेसल-II कार्यान्वयन

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) की शर्तों के अनुसार बैंक बेसल II अनुपालनयुक्त है। पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण ऋण जोखिम के लिए, मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण बाजार जोखिम के लिए और मूल संकेतक दृष्टिकोण परिचालनगत जोखिम के लिए अपनाया है। बेसल II के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार निगमित विगोपन संबंधित जोखिम को नापने के लिए अनुमोदित ऋण रेटिंग एजेंसियों की ऋण रेटिंग का उपयोग किया जाता है। बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन नीति तथा दबाव परीक्षण नीति को भी लागू किया है।

बैंक ने बोर्ड से अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया को तैयार किया है जिसके अंतर्गत बेसल II मानदंडों के पिलर 2 की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पिलर 1 जोखिम (अर्थात् ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनगत जोखिम) को छोड़कर जोखिम को नापने और पहचानने का कार्य शामिल है। भारतीय रिज़र्व बैंक के बेसल II की पिलर 3 आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रकटन मानदंडों का पालन किया गया है। 31 मार्च 2013 को यथास्थिति वर्ष की समाप्ति के विगोपन वार्षिक रिपोर्ट के भाग हैं और बैंक के वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की गई हैं।

आंतरिक सॉफ्टवेयर - ऋण सूचना और निगरानी प्रणाली दिनांक 02.07.2012 की नई पूंजी पर्याप्तता संरचना के कार्यान्वयन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसरण में बेसल II के संरचना के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता के परिकलन हेतु प्रयुक्त होती है। सीआईएमएस का उपयोग बेसल II के अंतर्गत मानक दृष्टिकोण के लिए ऋण जोखिम विवरणों के निर्माण, ऋण सुविधाओं के न लिए गए हिस्से के विवरण और एक्सबीआरएल में पूंजी पर्याप्तता रिपोर्ट फॉर्मेट के लिए किया जा रहा है।

The 'Liquidity Risk' is measured and managed through 'Gap analysis' for maturity mismatches by reviewing structural liquidity position on daily basis and short term dynamic liquidity on fortnightly basis. Bank is conducting behavioral studies in GAP analysis. Stress testing is undertaken periodically.

Operational Risk Management

Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people or systems or from external events. Bank's primary aim is the early identification, recording, assessment, monitoring, prevention and mitigation of operational risks, as well as timely and meaningful management reporting.

The Operational Risk Management Committee (ORMC) meets regularly to review the matters related to operational risk. Under the Operational Risk Management Framework and ORM Policy, Bank is identifying, measuring, monitoring and controlling/mitigating operational risks by analyzing historical loss data, Risk and Control Self-Assessment Surveys (RCSAs) and Key Risk Indicators (KRIs). The Bank has put in place policy on Business Continuity Planning. A policy on outsourcing is also formulated which facilitates use of expertise available in the market with adequate safeguards against risk associated with outsourcing.

Under the Risk based supervision, Risk Profile Template covering five business risks and two control risks are prepared on quarterly basis and submitted to RBI.

Rating of the branches is being done under Risk-based Internal Audit (RBI) and the position is reviewed every quarter.

Implementation of Basel II

The Bank is Basel II compliant in terms of the New Capital Adequacy Framework (Basel II) guidelines issued by RBI. Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Measurement Approach for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk as per RBI guidelines for capital adequacy computation. External credit ratings from approved rating agencies are used for risk weighting of corporate exposures as required under Basel II. Bank has also put in place a Policy on Disclosure, Policy on Utilization of Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management and Policy on Stress Testing approved by the Board.

The Bank has evolved Board approved internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) which covers identification and measurement of risks other than Pillar 1 risks (i.e. Credit Risk, Market Risk & Operational Risk), to meet the requirements of Pillar 2 of Basel II norms. The Bank has adhered to disclosure norms as stipulated in the guidelines of RBI to meet Pillar 3 requirements of Basel II. The year-end disclosures as on March 31, 2013 are part of the Annual Report and also displayed on the Bank's website.

In-house software – "Credit Information and Monitoring System (CIMS)" is used for computation of Capital Adequacy under Basel II framework, in line with RBI Master Circular on implementation of New Capital Adequacy Framework dated 02.07.2012. CIMS is used for generating credit risk statements for Standardised Approach under Basel II, statement of un-availed portion of credit facilities and capital adequacy report in Extensible Business Reporting Language (XBRL) format.

बेसल II संरचना और जोखिम प्रबंधन में उद्योग की श्रेष्ठ प्रथाओं के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण के कार्यान्वयन हेतु बैंक ने ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिम के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए हैं।

बैंक बेसल II संरचना के उन्नत दृष्टिकोण में प्रवर्जन द्वारा जोखिम और पूंजी प्रबंधन क्षमताओं में वृद्धि करेगा। उन्नत दृष्टिकोण में ऋण जोखिम हेतु एफआईआरबीए तथा एआईआरबीए, परिचालनगत जोखिम हेतु मानकीकृत और उन्नत मापदंड दृष्टिकोण (टीएसए व एएमए) तथा बाजार जोखिम हेतु आंतरिक मॉडेल दृष्टिकोण (आईएमए) का समावेश है।

प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों के मध्य बेसल II मानदंडों की बेहतर जागरूकता सुनिश्चित की गई है। बाहरी प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के माध्यम से प्रधान कार्यालय में कार्यरत जोखिम प्रबंधन दल की कुशलताओं और ज्ञान का निरंतर कोटिउन्नयन किया जाता है।

बेसल III का कार्यान्वयन

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बेसल III पूंजी विनियमन के कार्यान्वयन के लिए 02 मई 2012 को दिशानिर्देश जारी किए हैं ये दिशानिर्देश 01 अप्रैल 2013 से चरणबद्ध रूप में प्रभावी होंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक के बेसल III दिशानिर्देशों ने (i) बैंक के तुलन पत्र की जोखिम के अतिरिक्त मानक के रूप में न्यूनतम उत्तोलन अनुपात 4.5% (ii) व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) और निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएफएसआर) नामक दो नकदी अनुपातों के द्वारा नकदी मानक को आरंभ किया। जनवरी 2013 और जनवरी 2017 के बीच समानांतर उपयोग के दौरान बैंकों को न्यूनतम 4.5% का व्याप्ति अनुपात बनाए रखना होगा। 01 जनवरी 2018 से समानांतर प्रभावी होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक विनियामक नकदी अनुपात निर्धारित किया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए बेसल III के दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन करने के लिए बैंक के पास पर्याप्त प्रबंधन सूचना प्रणाली उपलब्ध है और निर्धारित अवधि के अनुसार रिपोर्टिंग/प्रकटन किया जाएगा।

3.7 आंतरिक नियंत्रक प्रणालियां

निरीक्षण और संगामी लेखा परीक्षा:

परिचालनगत जोखिम को अभिनिर्धारित करने, मूल्यांकन कर उसे कम करने के लिए बैंक ने निरीक्षण व लेखा परीक्षा के द्वारा विभिन्न आंतरिक नियंत्रक उपाय अपनाए हैं।

शाखाओं की आंतरिक लेखा परीक्षा :

जिलानी समिति की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए बैंक के 62% से अधिक व्यवसाय को कवर करने के लिए कुल शाखाओं के 63% से अधिक शाखाओं का निरीक्षण किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए बैंक ने 01.01.2013 से परंपरागत आंतरिक निरीक्षण के विपरीत एकल आधार पर शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा आरंभ की है और पूर्व में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) को समानांतर आधार पर किया गया।

वर्ष के दौरान बैंक ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कुछ रणनीतिक निर्णयों को कार्यान्वित किया जैसे कि,

- शाखा में निरीक्षण के दौरान ही कम से कम 51% अनियमितताओं का समय पर परिशोधन करना।
- दस्तावेजों के मशीनीकरण प्रणाली का कार्यान्वयन
- शाखा निरीक्षण, संगामी लेखा प्रणाली और ऑफसाइट निगरानी में सुधार करने वेब आधारित प्रणाली की पहल करना

आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए बैंक सेठ समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए तैयार है।

वर्ष के दौरान बैंक ने सभी निरीक्षक अधिकारियों तथा निरीक्षण कक्ष के प्रमुखों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जिससे कि उन्हें नीतियों, पद्धतियों, व्यवसाय परिवेश, बैंकों के लिए संभावनाएं व चुनौतियां, जोखिम के उभरते हुए क्षेत्र और शाखा तथा कार्यालयों में विद्यमान एवं आसन्न जोखिमों के संबंध में उच्च प्रबंधन को सतर्क करने में उनकी भूमिका को अद्यतित किया जा सके।

For implementation of the advanced approaches under the Basel II framework and industry best practices in risk management, the Bank has appointed consultants for Credit, Market and Operational Risk.

The Bank will enhance its Risk and Capital Management capabilities by migrating to the Advanced Approaches of the Basel II framework. Advanced approaches include Foundation and Advanced Internal Ratings Based Approach ('FIRBA' & 'AIRBA') for Credit Risk, Standardized and Advanced Measurement Approach ('TSA' & 'AMA') for Operational Risk and Internal Models Approach ('IMA') for Market Risk.

Improvement in awareness of Basel II norms amongst the employees is ensured through training. Knowledge and skill levels of risk management team at Head Office are constantly upgraded through exposure to external trainings, workshops and seminars.

Implementation of Basel III

RBI has issued Guidelines on Implementation of Basel III Capital Regulations in India on 2nd May, 2012. These Guidelines will become effective from April 1, 2013 in a phased manner.

Basel III guidelines of RBI have also introduced (i) a minimum Leverage Ratio of 4.5 per cent as an additional standard of riskiness of a Bank's balance sheet. (ii) Liquidity standards by way of two liquidity ratios namely Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR). During the parallel run between January, 2013 and January, 2017, banks will strive to maintain a minimum Leverage Ratio of 4.5 per cent. The regulatory leverage ratio requirements would be prescribed by RBI after a parallel becomes effective from Jan. 1, 2018.

Bank is having adequate MIS for implementation of the Basel III guidelines issued by RBI and reporting/ disclosures will be done as per periodicity prescribed.

3.7 Internal Control Systems

Inspection & Concurrent Audit:

The Inspection and Audit system & various measures of internal control are adopted by the Bank to ensure identification /assessment and mitigations of operational risks.

Internal Audit of branches:-

Inspection of more than 63 per cent of total branches was conducted so as to cover more than 62 per cent of the business of the bank while complying with the Jilani Committee recommendations. Complying with the RBI Guidelines, the Bank has also started Risk Based Internal Audit of the branches w.e.f. 01.01.2013 on standalone basis as against the conventional internal inspection and RBIA being done on parallel basis earlier.

During the year, the Bank has implemented some strategic decisions so as to strengthen the internal control system such as,

- On the spot rectification of atleast 51 per cent irregularities during the course inspection itself in the branches.
- Implementation of Document mechanization system.
- Initiating the process of Web Based application system so as to improve Branch Inspection, Concurrent Audit system and Off-site surveillance.

The Bank is prepared to implement Seth Committee Recommendations so as to strengthen the Internal Audit System.

During the year, the Bank also organized conference of all Inspecting Officials and Heads of Inspection Cells so as to update them on policies, procedures, business environment, opportunities and challenges for banks, emerging areas of risks and their role in alerting the Top Management of existing and impending risks at branches and offices.

आकस्मिक निरीक्षण:

घोष समिति की सिफारिशों के अनुसरण में शाखाओं के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए 91 शाखाओं में आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

संगामी लेखा परीक्षा :

जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा जिसमें सकल जमाशियों के 51% और कुल अग्रिमों के 74.29% को समाविष्ट करने के अतिरिक्त व्यवसाय के प्रतिशत के अनुसार बैंक ने अपनी शाखाओं और विभागों की लेखा परीक्षा सुनिश्चित की है।

आय व व्यय लेखा परीक्षा:

आय रिसाव का अभिनिर्धारण करने व उसकी वसूली करने के लिए अक्टूबर 2011 से सितंबर 2012 की अवधि के लिए 995 शाखाओं की आय व व्यय लेखा परीक्षा की गई। वर्ष के दौरान सभी अंचल कार्यालयों की अर्ध वार्षिक व्यय लेखा परीक्षा की गई।

प्रबंधन लेखा परीक्षा :

17 अंचल कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के 14 विभागों की पर्यवेक्षण और नियंत्रण के क्रम में उनकी प्रभावशीलता का निर्धारण करने के लिए प्रबंधन लेखा परीक्षा की गई।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक का निरीक्षण :

बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष के दौरान बैंक का निरीक्षण किया गया और साथ ही दो शाखाओं का भी निरीक्षण किया गया।

धन शोधन निवारण

बैंक ने भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देशों एवं धन शोधन निवारण अधिनियम के रोकथाम के अनुसार धन शोधन निवारण मापदंडों की समीक्षा की है। धन शोधन निवारण प्रणाली के बेहतर प्रभाव के लिए यह प्रस्तावित है कि एक केंद्रीयकृत धन शोधन निवारण कक्ष स्थापित किया जाए।

3.8 सतर्कता

बैंक में सतर्कता गतिविधियां प्रबंधन का अंतरंग अंग है। इसका उद्देश्य प्रबंधकीय कुशलता और प्रभावशीलता के स्तर में वृद्धि करना और कुशल प्रशासन के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना है जहां अधिकारी अपने कार्य बिना किसी डर और भेदभाव से कर सकें। बैंक में सतर्कता का कार्य लचीलेपन और जवाबदेही के मध्य उचित संतुलन कायम रखता है।

जालसाजियों को टालने, उनका पता लगाने, उनका वर्गीकरण करने और उनकी रिपोर्टिंग करने व की जाने वाली कार्यवाही सुझाने के लिए "जालसाजी जोखिम प्रबंधन नीति" बैंक ने तैयार कर मार्गदर्शन एवं उपयोग हेतु सभी कर्मचारियों व क्षेत्र कार्यकर्ताओं में परिचालित की है।

'शेडो ऑफ एक्सलेंस एंटीसिडेंट ऑफ ए प्रा. लि. कं.' के मामले के अध्ययन के लिए माननीय मुख्य सतर्कता आयुक्त श्री प्रदीप कुमार के कर-कमलों द्वारा दिनांक 07.07.2012 को बैंक के महाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी व उनकी टीम को 'वर्ष 2012 के लिए - राष्ट्रीय सतर्कता उत्कृष्ट अवार्ड' प्रदान किया गया।

बैंक द्वारा जालसाजी से वीजा प्राप्त करने के संबंध में प्रस्तुत किए गए मामले के अध्ययन के लिए विजिलेंस स्टडी सर्कल (मुंबई चैप्टर) द्वारा दिनांक 28.08.2012 को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। अध्ययन मामले का विषय था 'ए केस स्टडी ऑफ गुड परपज बट विद फ्राड्युलेंट इंटेन्शंस'।

3.9 अनुपालन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर बैंक ने अनुपालन नीति बनाई है। अनुपालन विभाग मुख्य अनुपालन अधिकारी की प्रमुखता में अनुपालन कार्यकलापों की निगरानी करता है। यह समय-समय पर लागू होने वाले सांविधिक/विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। अनुपालन की स्थिति की समीक्षा उच्च

Surprise Inspection:

Surprise inspection of 91 branches, focusing mainly on high risk areas was also carried out in pursuance of Ghosh Committee recommendations.

Concurrent Audit:

The Bank also ensured concurrent audit of its branches and departments which covered business of 51 per cent of aggregate deposit and 74.29 per cent of total advances in addition to business covered in RBIA.

Income & Expenditure Audit:

Income & Expenditure Audit for the period from October 2011 to September 2012 was carried out at 995 branches to identify and recover income leakage, if any. Half yearly expenses audit of all the Zonal offices was carried out during the year.

Management audit:

For assessing their effectiveness of Zonal Offices and different departments in the Head Office in terms of supervision and control, Management Audit of 17 Zonal offices and 14 departments at Head Office was carried out during the year.

RBI Inspection under Section 35 of the Banking Regulation Act:

The Bank was also subject to RBI inspection under Sec.35 of the Banking Regulation Act. Besides that two branches were also inspected during the year.

AML:

Bank has also reviewed the AML parameters as per IBA guidelines and Prevention of Anti Money Laundering Act. In order to improve the efficacy of the AML system, it is proposed to have centralized AML cell.

3.8 Vigilance

Vigilance activity in the Bank is an integral part of the managerial function. Its objective is to enhance the level of managerial efficiency, effectiveness and to ensure a proper climate for an efficient administration, where officials can perform the duties without any fear or favour. 'Vigilance' in the Bank is maintaining a proper balance between flexibility and accountability.

Preventive Vigilance is the most important aspect of vigilance. With a view to improve functioning at all levels, the Bank has taken several necessary steps.

'Fraud Risk Management Policy' on prevention, detection, classification and reporting of frauds including action to be taken, has been adopted by the Bank and circulated for the guidance and use of the branches and field functionaries.

'Vigilance Manual' has been issued by the bank and various aspects of vigilance and other related issues have been dwelt upon for information and necessary action of the field functionaries.

On 07.07.2012 "NATIONAL VIGILANCE EXCELLENCE AWARD- FOR 2012" for the case study 'Shadow of Excellence Antecedents of a Pvt. Ltd. Company' was awarded at the hands of Shri Pradeep Kumar, Hon. Chief Vigilance Commissioner to the General Manager & Chief Vigilance Officer and his team.

On 28th August 2012, the Vigilance Study Circle (Mumbai Chapter) has given 2nd prize for best case study submitted by the Bank in respect of obtaining of Visa by fraudulent means. The case study was titled as "A Case Study of Good Purpose but with Fraudulent Intentions."

3.9 Compliance

The Bank has put in place a Compliance Policy, based on the guidelines of Reserve Bank of India. The Compliance Department, headed by the Chief Compliance Officer monitors the compliance functions. It ensures the implementation of the statutory/regulatory

प्रबंधन/बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा आवधिक आधार पर की जाती है. बैंक में अनुपालन कार्य के प्रति जागरूकता में सुधार लाने के लिए अधिकारी/स्टाफ सदस्यों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुपालन पर एक सत्र शामिल किया गया है.

3.10 विपणन और प्रचार

भारतीय बैंक संघ के सहयोग से बैंक ने पुणे में बैंकॉन 2012 का आयोजन किया. समूचे देश भर में इसका भरपूर प्रचार हुआ. ब्रांड छवि निर्माण तथा बैंक के विभिन्न उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु अनेक कार्यक्रमों को प्रायोजित किया जैसे ग्रामीण सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को पंखे, वाटर प्युरिफायर, ग्रामीण प्रचार के अंतर्गत जिला परिषद सातारा को पीने के पानी की टंकियां, नगर परिषद, श्रीरामपुर को पानी का टैंकर, "पुणे फेस्टिवल" "संगीत उत्सव" आदि.

3.11 नागरिक अधिकार पत्र

वर्ष 2000-01 से बैंक ने नागरिक अधिकार पत्र स्वीकार किया है. इस अधिकार पत्र में ग्राहकों के प्रति बैंक के दायित्वों व कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है. अधिकार पत्र को बैंक की सभी शाखाओं और बैंक की वेब साइट पर प्रदर्शित किया गया है. इसका समय समय पर अद्यतन किया जाता है. नोटों और सिक्कों को बदलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का नागरिक अधिकार पत्र भी बैंक ने स्वीकार किया है.

4. सामाजिक बैंकिंग

4.1 प्राथमिकता क्षेत्र को उधार

बैंक का यह सतत प्रयास रहा है कि लघु और सीमान्त कृषकों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों, फुटकर व्यापारियों, पेशेवरों व स्वनिर्भर व्यक्तियों, महिला उद्यमियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर किन्तु उद्यमशील व्यक्तियों को उत्पादक प्रयोजनों हेतु समय पर अबाधित रूप से ऋण उपलब्ध कराते हुए समान और सुस्थिर आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाए.

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत 31 मार्च 2013 को कुल बकाया अग्रिम ₹ 24719.36 करोड़ के थे, जो समायोजित निवल बैंक ऋण के 43.20 प्रतिशत थे.

प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों में मार्च 2012 के स्तर पर ₹ 5520.36 करोड़ की वास्तविक वृद्धि दर्ज की गई जिसके परिणामस्वरूप वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 28.75% की वृद्धि हुई.

4.2 कृषि

वर्ष 2012-13 के दौरान कृषि और सहायक गतिविधियों के लिए बैंक ने ₹ 3237.88 करोड़ के ऋण वितरित किए. कृषि क्षेत्र को कुल बकाया अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 30.93 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई जिससे 31.03.2013 को कृषि क्षेत्र को इनका स्तर ₹ 7972.50 करोड़ हो गया.

कृषि अग्रिमों में वृद्धि करने के लिए बैंक ने किसानों को बाधारहित ऋण उपलब्ध कराते हुए सभी शाखाओं के लिए जागरूकता/सुग्राही कार्यक्रम आयोजित किए.

4.2.1 महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड

इस योजना ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता अर्जित की जहां इसका सफलतापूर्वक और तेजी से प्रचार किया जा रहा है. बैंक ने किसानों को कुल 3,83,180 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए. 31 मार्च 2013 को यथास्थिति एमकेसीसी हिताधिकारियों को ऋण प्रवाह बढ़कर ₹ 3,019.42 करोड़ हो गया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 47.63% वृद्धि हुई.

4.3 सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई)

सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का अग्रदूत माना जाता है. ये उद्योग कम निवेश वाले उद्यमों को प्रोत्साहित करने और शहरों की ओर प्रवास को रोकने के लिए स्थानीय कौशल और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करते हैं. आकर्षक व कम ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराए गए. वर्ष के दौरान बैंक के वेबसाइट पर ऑन लाइन पूछताछ पोर्टल उपलब्ध कराया गया है.

guidelines coming into force from time to time. The status of compliance is placed for review to the Top Management / Audit Committee of the Board periodically. To improve the awareness on the compliance functions in the Bank, sessions are appropriately included in various training programmes arranged for the officers /staff members.

3.10 Marketing & Publicity

Bank in association with Indian Banks' Association conducted BANCON-2012 at Pune. Event was widely publicized throughout the country. Bank also sponsored many programs like "supply of Fans water purifiers etc to Rural Govt. Primary Schools" "Drinking water tanks to Zilla Parishd Satara" under rural publicity and "Water Tanker to Nagar Parishad Shirampur, "Pune Festival", "Music Festival" etc for publicizing Bank's brand image and various Bank's products.

3.11 Citizen's Charter

The Bank has adopted the Charter since 2000-01, which details the duties and responsibilities of the Bank towards its customers. The Charter is displayed at all the branches and at the website and has been updated from time to time. The Bank has also adopted a Citizen Charter of RBI on exchange of notes and coins.

4. SOCIAL BANKING

4.1 Priority Sector Lending

It has been the constant endeavor of the Bank to facilitate equitable and sustainable economic development by timely and hassle-free availability of credit for productive purposes to Small and Marginal Farmers, Micro & Small Enterprises, Retail Traders, Professional & Self Employed, Women Entrepreneurs and entrepreneurs from economically weaker sections.

The outstanding advances under Priority Sector as of 31st March 2013 aggregate to ₹ 24719.36 crore, constituting 43.20 per cent of the Adjusted Net Bank Credit.

The rise in Priority Sector Advances in absolute terms is ₹ 5520.36 crore over previous year March 2012, resulting into growth of 28.75 per cent on y-o-y basis.

4.2 Agriculture

The Bank disbursed ₹ 3237.88 crore for agriculture and allied activities during the year 2012-13. The total outstanding advances to agriculture sector have shown a growth of 30.93 per cent on y-o-y basis, to reach a level of ₹ 7972.50 crore as on 31.03.2013.

The Bank undertook awareness/sensitization programmes for all the branches for increasing advances to agriculture by providing hassle free credit to farmers.

4.2.1 Mahabank Kisan Credit Card (MKCC)

This scheme gained popularity especially in rural areas where it is being propagated successfully and vigorously. The Bank has issued total 3,83,180 Kisan Credit Cards to farmers. Credit flow to MKCC beneficiaries has increased to ₹ 3,019.42 crore as on 31.03.2013, resulting into growth of 47.63 per cent on y-o-y basis.

4.3 Micro and Small Enterprises (MSE)

SMEs are recognized as a major growth engine for the Indian economy. They generate opportunities for direct and indirect employment by facilitating use of natural resources and local skills to stem the tide of migration to urban areas and promote low investment enterprises. Finance is made available to viable enterprises at an attractive and low rate of interest. On line enquiry portal is made available on the Bank's website during the year.

बैंक ने एमएसई ग्राहकों के लिए भारतीय बैंक संघ द्वारा बनाए गए सरलीकृत ऋण आवेदन को अपनाया है और उसे अपनी वेब साइट पर प्रदर्शित किया है। बैंक ने सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता सहिता को भी अपनाया है और उसे बैंक वेब साइट पर प्रदर्शित किया है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बैंक की उधारी 31.03.2012 को ₹ 8,630.82 करोड़ की थी, जो 31 मार्च 2013 को बढ़कर ₹ 11,288.91 करोड़ की हो गई। इस प्रकार वर्ष दर वर्ष आधार पर 30.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

4.3.1 महा-उद्यमी

इस योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सहायक प्रतिभूति और/या अन्य पार्टी की गारंटी के बिना बैंक अधिकतम ₹. 100.00 लाख का ऋण उपलब्ध कराता है।

भारत सरकार की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये ऋण गारंटी निधि योजना के अन्तर्गत इस योजना के खातों को संरक्षा प्राप्त है। बैंक, संपूर्ण गारंटी फीस और 50% वार्षिक सेवा फीस का वहन करता है, जिसका भुगतान सीजीटीएमएसई के अंतर्गत न्यास को करना पड़ता है। मार्च 2013 तक बैंक ने योजना के अंतर्गत 9534 उधारकर्ताओं को ₹ 764.35 करोड़ के ऋण मंजूर किए। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण गारंटी निधि योजना के अन्तर्गत कवरेज 64.97 प्रतिशत से बढ़ा।

5. बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं/परियोजनाएं

5.1 रिटेल क्षेत्र को ऋण प्रवाह

बैंक वेतनभोगी व्यक्तियों, पेशेवरों, व्यवसायियों और पेंशनरों को उपभोक्ता वस्तुएं, दो/चार पहिया वाहन और साथ ही अन्य वैयक्तिक आवश्यकताओं हेतु रिटेल ऋण उपलब्ध करा रहा है।

5.1.1 फुटकर ऋणों की केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग

बैंक ने गुणवत्तापूर्ण और बाधारहित फुटकर ऋण वितरण के लिए सभी अंचलों में 15 रिटेल आस्ति शाखाएं और 18 रिटेल प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किए।

5.1.2 महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना

भारत में स्वर्ण आभूषण पीढियों से बचत के साधन के रूप में विद्यमान है। एक तरल और मूल्यवान संपत्ति होने के कारण कारोबार, कृषि, शादी, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि जैसी तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेने हेतु जमानत के रूप में एक विश्वसनीय और स्वीकार्ययोग्य संपत्ति का कार्य करती है। हमारे ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक ने दिनांक 01.11.2010 से "महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना" के नाम से नया फुटकर ऋण उत्पाद आरंभ किया।

5.1.3 महाबैंक टॉप-अप ऋण योजना

बैंक के नियमित आवास ऋणकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण सुविधा देने के लिए बैंक ने दिनांक 01.11.2010 से "महाबैंक टॉप-अप ऋण योजना" के नाम से नए फुटकर ऋण उत्पाद का आरंभ किया।

5.2 आम जनता को आवास ऋण

अनिवासी भारतीय सहित सभी आर्थिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक की आवास ऋण योजना है। भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वर्ष के दौरान बैंक के आवास ऋण में 34.05% की वृद्धि हुई और 31.03.2013 को यह बढ़कर ₹. 6,578.24 करोड़ के स्तर पर पहुंच गए। 50,000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक भारत सरकार की स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष के दौरान बैंक ने आवास ऋण हेतु आवेदन के लिए ऑनलाइन सुविधा आरंभ की है जिसे बेहतर प्रतिसाद मिला है।

5.2.1 ₹ 15.00 लाख तक के आवास ऋणों पर एक प्रतिशत का ब्याज अनुदान.

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने ₹ 15.00 लाख तक के आवास ऋण के उधारकर्ताओं को 1 प्रतिशत की सरकारी ब्याज अनुदान के रूप में ₹ 25.00 लाख तक की सहायता दी। वर्ष 2012-13 के दौरान योजना के अंतर्गत 4262 उधारकर्ताओं को ₹ 5.28 करोड़ तक इसका लाभ मिला।

The Bank has adopted Simplified Loan Application for MSEs and the same is displayed on the Bank's website. The Bank has also adopted Bank's Code of Commitment to Micro and Small Enterprise and it is displayed on the Bank's website.

The Bank's lending to Micro and Small Enterprises which was at the level of ₹ 8,630.82 crore as at 31.03.2012, increased to ₹ 11,288.91 crore as at 31.03.2013, which translates into a y-o-y growth of 30.80 per cent.

4.3.1 Maha-Entrepreneur

Under the scheme, the Bank is providing for supporting SMEs in rural areas finance up to ₹ 100.00 lakh to Micro and Small Enterprises without Collateral Security and/ or Third Party Guarantee.

Accounts under the scheme are covered under Credit Guarantee Fund Scheme for Micro, Small and Medium Enterprises of Government of India. The Bank is bearing the entire guarantee fee and 50 per cent of annual service fee, which is to be paid to the Trust under CGTMSE. The Bank sanctioned loans of ₹ 764.35 crore to 9,534 borrowers under this scheme up to March 2013. During the current FY, coverage under Credit Guarantee Fund Scheme has increased by 64.97 per cent.

5. IMPORTANT SCHEMES/PROJECTS OF THE BANK

5.1 Credit Flow to Retail Sector

The Bank is providing retail loans to salaried persons, professionals, businessmen and pensioners for purchase of consumer durables, two/four wheeler vehicles and also for other personal needs.

5.1.1 Centralized processing of retail loans

The Bank has opened 15 Retail Assets Branches and 18 Retail Processing Centers covering all the Zones for hassle free and quality disbursement of retail loans.

5.1.2 Mahabank Gold Loan Scheme

Gold ornaments are the traditional and inherited form of savings among the people in India. Being one of the most liquid and precious asset, it serves as a dependable and acceptable form of security to raise loans for meeting immediate financial needs for business, agricultural, consumption purposes such as marriage, medical, educational expenses etc., With a view to meet the requirement of our customers, Bank has launched a new Retail Loan product "Mahabank Gold Loan Scheme" w.e.f. 01.11.2010.

5.1.3 Mahabank Top-Up Loan Scheme

In order to extend additional credit support to our regular housing loan borrowers, Bank has launched another new Retail Loan product "Mahabank Top-Up loan scheme" w.e.f. 01.11.2010.

5.2 Housing loan to public

The Bank has in place Housing Loan Scheme to meet the needs of all economic segments including NRIs. Financing housing sector in rural and urban parts of India is a thrust area.

The Bank's lending to housing sector has grown by 34.05 percent during the year to reach the level of ₹ 6,578.24 crore as at 31.03.2013. The Bank is also implementing Golden Jubilee Rural Housing Scheme of the Government of India in rural areas having population not exceeding 50,000. Bank has launched online facility for applying for housing loan during the year, which has evoked good response.

5.2.1 One per cent Interest Subvention on Housing Loan up to ₹ 15.00 Lakh

As per GOI guidelines, Bank has provided 1 per cent interest subvention to borrowers, who availed housing loans upto ₹ 15.00 lakh, with cost of project upto ₹ 25.00 lakh. During the year 2012-13, 4262 number of borrowers benefited under the scheme to the extent of ₹ 5.28 crore.

5.3 आदर्श शैक्षणिक ऋण योजना

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने का अवसर प्राप्त हो, बैंक आदर्श शैक्षणिक ऋण योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। मार्च 2013 को बैंक के शैक्षणिक ऋण ₹ 551.59 करोड़ थे, जो 27149 छात्रों में वितरित किए गए। बैंक ने वेब एक्सेस के जरिये शैक्षणिक ऋण के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध की है।

5.4 सूक्ष्म वित्त

बैंक ने ग्रामीण और शहरी गरीबों को आर्थिक गतिविधियां आरंभ करने के लिए ऋण देने के कार्य को हमेशा महत्व दिया है। महिलाओं को सशक्त बनाने में स्व-सहायता समूह काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं। बैंक ने सभी छह अग्रणी जिलों और गोरेगांव, मुंबई में स्वसहायता समूह विशेषज्ञ शाखाओं का आरंभ किया है।

31.03.2013 को बैंक द्वारा 95,819 स्वसहायता समूहों का गठन किया गया था, जिनमें से मार्च 2013 को यथास्थिति 93,266 स्वसहायता समूहों ने बैंक से ₹ 169.89 करोड़ की कुल वित्तीय सहायता प्राप्त की है।

5.5 अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों को सहायता:

बैंक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों को सक्रिय रूप से वित्तीय सहायता दे रहा है। 31 मार्च, 2013 को बैंक के अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों को बकाया ऋण ₹ 1,160.67 करोड़ के थे, जो कमजोर वर्गों को अग्रिमों का 24.73 प्रतिशत हैं।

5.6 अल्पसंख्यक समुदाय को अग्रिम

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण का सुगम प्रवाह सुनिश्चित करने और इसकी पुनरीक्षा करने के लिए बैंक के केंद्रीय कार्यालय में एक विशेष कक्ष का गठन किया गया है। मार्च 2013 को अल्पसंख्यक समुदाय के बकाया अग्रिम ₹ 1871.39 करोड़ के थे, जो 66719 लाभार्थियों में वितरित थे।

5.7 द्वार तक बैंकिंग सेवाएं

बैंक ने अपने दूरस्थ ग्राहकों को द्वार तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना आरंभ किया है और सेवाओं में ग्राहकों के द्वार तक कार्पोरेट एवं खुदरा नकदी लेने और पहुंचाने तथा चेक संग्रहण सेवाएं शामिल हैं।

5.8 बैंक ऑफ महाराष्ट्र - एसबीआई अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड

एसबीआई कार्ड के साथ गठजोड़ व्यवस्था से बैंक अपने ग्राहकों को सह ब्रांडेड अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड प्रदान कर रहा है। कार्ड दो प्रकारों में यथा प्लैटिनम एवं गोल्ड कार्ड के रूप में प्रदान किया जा रहा है। मार्च 2013 तक बैंक ने अपने ग्राहकों को 16603 कार्ड जारी किए हैं।

5.9 स्वर्ण सिक्कों की खुदरा बिक्री

बैंक ने अपने स्थापना दिवस 16.09.2012 को स्वर्ण सिक्कों की खुदरा बिक्री आरंभ की और बैंक ने वित्तीय वर्ष में 58.47 किलो के स्वर्ण सिक्के बेचे हैं। स्वर्ण सिक्के एमकेएस मिंट (स्विट्जरलैंड) एस.ए.से खरीदे जाते हैं और इसकी शुद्धता 999.9% रहती है और ये इंटरनेशनल एस्से प्रमाणन के साथ सर्टिफिक में आते हैं। बैंक ने देवताओं की छाप और बिना छाप वाले 2 ग्राम, 5 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम स्वर्ण सिक्के और 20 ग्राम एवं 50 ग्राम की छह की बिक्री आरंभ की है। इसकी कीमत अन्य बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धी है।

बैंक ने महा स्वर्ण आरडी योजना आरंभ की है जो एक वर्ष की अवधि की है और इसकी मासिक किस्त न्यूनतम ₹. 600/- प्रति माह है और परिपक्वता आगम से स्वर्ण सिक्के की खरीदी करने पर ग्राहक को ₹.35/- प्रति ग्राम छूट भी प्रदान की जाती है। सभी शाखाओं को महा स्वर्ण आर डी योजना के अंतर्गत खाते खोलने को प्राधिकृत किया गया है।

5.10 राष्ट्रीय पेंशन योजना (स्वावलंबन)

राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए बैंक एनएसडीएल के साथ पीओपी के रूप में पंजीकृत है। 1618 शाखाएं (सेवा शाखा, आस्ति वसूली जैसी शाखाओं को छोड़कर) एनएसडीएल के साथ पीओपी-एसपी के रूप में पंजीकृत हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना खाता खोलने के लिए ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

5.3 Model Educational Loan scheme

With the objective of ensuring that all deserving students get opportunity to pursue higher education, the Bank implemented a Model Educational Loan Scheme. As of March 2013, the Bank had lent ₹ 551.59 crore to 27,149 students. The Bank has provided the facility of submission of application for education loan through web-access (on line) also.

5.4 Micro Finance

The Bank has always recognized the importance of credit to rural and urban poor for taking economic activity. The SHGs have proved to be effective instruments for empowerment of women. Bank has specialized SHG branches in all six lead districts and Goregaon, Mumbai.

As on 31.03.2013, there were 95,819 SHGs formed by the Bank, out of which 93,266 SHGs have been linked with the bank credit, with outstanding of ₹ 169.89 crore as on March 2013.

5.5 Assistance to SC/ST beneficiaries:

The Bank has been actively extending finance to SC/ST beneficiaries through various schemes. Total finance as on 31.03.2013 to SC/ST beneficiaries stood at ₹ 1,160.67 crore, constituting 24.73 per cent of advances to weaker sections.

5.6 Advances to Minority Community

A special cell has been set up at Head Office to review & ensure smooth flow of Credit to minority community. As of March 2013, the outstanding advances to minority communities were at ₹ 1871.39 crore to 66,719 beneficiaries.

5.7 Door Step banking Services

Bank has introduced Door Step Banking Services for its High End Customers and the services include Corporate and Retail Cash pickup and delivery & Cheque Collection Services, at clients' Doorstep. The Service has been initially introduced in Mumbai and Pune on Pilot basis in the current year.

5.8 BOM SBI International Credit Card

Bank is offering Co-branded International Credit Card to its customer under tie-up arrangement with SBI Cards. The card is offered in two variants viz. Platinum and gold card. As on 31st March 2013, the outstanding number of Cards issued to its customer is 16603.

5.9 Retail Sale of Gold Coins

Bank has introduced retail Sale of Gold Coin on 16.09.2012 on its Foundation Day and has sold 58.47 kg of Gold Coins in FY. The Gold Coin is procured from MKS mint (Switzerland) S.A and is of 999.9 per cent purity and comes Certipack with international assay certification. Bank has Introduced Gold Coin in 2 gm, 5 gm, 8 gm, and 10 gm with deity and without deity & bar for 20 gm, 50 gm standard. The pricing is kept competitive with other banks.

Bank has introduced Maha Swarna RD scheme for one year term with monthly installment not less than ₹ 600 p.m. and customers get a concession of ₹ 35 per gm on the purchase of Gold Coin out of the maturity proceed. All branches are authorised to open Mahaswarna RD scheme.

5.10 National Pension System (Swavlamban)

Bank is registered with NSDL as POP for National Pension System. 1618 branches (i.e. branches excluding branches like Service branch, Asset Recovery) are registered with NSDL as POP SP. Online facility to open NPS A/c is provided.

हमारा बैंक राष्ट्रीय पेंशन योजना लाईफ योजना के लिए पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत है तथा पुणे मुख्य शाखा एनपीएस लाईट ओवरसाईट ऑफिस के रूप में एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है. मार्च 2013 तक 1615 शाखाएं वसूली केंद्र के रूप में पंजीकृत हैं. बैंक विभिन्न ग्राहकों के बीच राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में जागरूकता ला रहा है.

5.11 गठजोड़

5.11.1 एसएचसीआईएल के लिए लीड जनरेशन एजेंट के रूप में सूचीबद्ध.

बैंक ने महाराष्ट्र में स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसएचसीआईएल) के साथ गठजोड़ किया है जहां बैंक एसएचसीआईएल के साथ लीड जनरेशन एजेंट के रूप में सूचीबद्ध है. बैंक की भूमिका है कि वह समूचे महाराष्ट्र में ई-स्टैपिंग प्रणाली को लोकप्रिय बनाएँ और ग्राहकों को जानकारी दें और उन्हें ई-स्टैपिंग व्यवसाय के लिए एसएचसीआईएल कार्यालय का मार्गदर्शन करें.

5.11.2 "टाईम्सऑफमनी" के द्वारा "रेमिट2इंडिया"

बैंक ने अनिवासी भारतीय ग्राहकों द्वारा धनप्रेषण के लिए उपलब्ध प्लैटफॉर्म रेमिट2इंडिया को आरंभ करने के लिए टाईम्सऑफमनी के साथ गठजोड़ किया है.

5.11.3 आईबीआईबीओ, एटीएओएम, टाईम्सऑफमनी का भुगतान गेटवे

बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए ई-कॉमर्स और उपयोगी बिल भुगतान सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आईबीआईबीओ, एटीएओएम, टाईम्सऑफमनी के साथ गठजोड़ किया है.

5.11.4 ईसीएस अधिदेश और प्रत्यक्ष नामे प्रणाली

बैंक ने नए अधिदेश और पीडीसी के प्रत्यक्ष नामे प्रणाली के ईसीएस अधिदेश जांच हेतु बजाज फायनांस लि. के साथ गठजोड़ किया है.

5.11.5 ऑनलाईन शुल्क संग्रहण

वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न संस्थाओं के साथ गठजोड़ किया है जहां बैंक को शाखाओं द्वारा संस्थाओं के लिए शुल्क संग्रहण करने पर कमीशन प्राप्त हो रहा है. बैंक मुंबई विश्वविद्यालय के लिए बाह्य शैक्षणिक कार्यक्रम के छात्रों से शुल्क संग्रहण ऑनलाईन रूप से कर रही है. मुंबई विश्वविद्यालय ने 5 बैंकों के समूह में से हमारे बैंक का चयन किया है.

6. निगमित सामाजिक दायित्व

कृषि व जल परियोजनाओं के लिए सरकारी पहलों की सहायता करने के लिए बैंक ने महाराष्ट्र राज्य के सूखा राहत हेतु मुख्य मंत्री सहायता कोष में ₹.251 लाख का अंशदान दिया है.

बैंक ने महाराष्ट्र के पुणे जिले के हड़पसर और भिगवण में स्थित ग्रामीण विकास केंद्रों द्वारा किसानों के लाभार्थ "प्रयोगशाला से खेतों तक" परियोजना, खारी मिट्टी का विकास, मिट्टी की जांच, इत्यादि जैसी विभिन्न प्रकार की विकासात्मक गतिविधियां चलाई जाती हैं. बैंक ने आरसीएफ लिमिटेड, मुंबई के सहयोग से आरडीसी भिगवण में मार्डफ ट्रस्ट के माध्यम से मिट्टी जांच प्रयोगशाला (एसटीएल) स्थापित की है. प्रयोगशाला में मिट्टी और पानी के नमूनों की जांच की जाती है और परामर्श दिए जाते हैं. पुणे, अहमदनगर, सोलापुर और सातारा के जिलों के किसान इस प्रयोगशाला का लाभ उठा रहे हैं.

बैंक द्वारा स्थापित महाबैंक कृषि अनुसंधान और ग्रामीण विकास फाउंडेशन (मारडेफ) नामक न्यास विभिन्न प्रकार के ग्रामीण सुधार कार्यक्रम और परियोजनाएं चलाता है. मारडेफ डेअरी, बकरीपालन, अंगूर की खेती, उर्वरकों का उपयोग, कृषि ऋण योजनाओं की जानकारी इत्यादि जैसे कृषि के विभिन्न विषयों पर किसानों को प्रशिक्षण देता है. मार्डफ ट्रस्ट ने आरडीसी, भिगवण और हड़पसर के किसानों हेतु 105 प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किए तथा अप्रैल 2011 से मार्च 2013 तक 3463 किसान लाभान्वित हुए.

बैंक ने ग्रामीण युवाओं तथा महिलाओं को छोटे व्यवसायिक उद्यमों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु कौशल अर्जन करने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए सात महाबैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (एमसेटी) की स्थापना की है. संस्थान के पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती, जालना, ठाणे तथा नाशिक में प्रशिक्षण केंद्र हैं. संस्थान ने अब तक 9449 शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए 71% का स्थायित्व दर हासिल किया.

Our Bank is registered as aggregator with PFRDA for NPS Lite Scheme & Pune Main Branch is registered with NSDL as NPS Lite oversight office (NLOO). 1615 branches are registered as collection centres in March 2013. Bank is creating awareness on NPS among various customers.

5.11 Tie Up

5.11.1 Empanelment as lead Generation agent for SHCIL.

Bank has entered into tie up arrangement with Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL) in Maharashtra wherein Bank is empanelled with SHCIL as the lead generation agent. The bank role is to popularize e-stamping system across Maharashtra and provide information to customers and guide customers to SHCIL office for their e-stamp business.

5.11.2 'Remit India' by 'Times of money'

Bank has tie up with timesofmoney for introducing remit India an online platform for remittance of funds by NRI customers.

5.11.3 Payment Gateway of IBIBO, ATOM, Times of Money

Bank has tie up with IBIBO, ATOM and timesofmoney for facilitating e-commerce and utility bill payment facility to its internet banking customers.

5.11.4 ECS Mandate and Direct Debit System

Bank has tied up with Bajaj Finance Ltd. for ECS Mandate verification of Fresh Mandate and Direct debit system of PDC's.

5.11.5 Online Fee Collection

Bank has entered into tie up with various Institutions during the year where bank is getting commission on collection of fees for Institute from Branches. The Bank is collecting online fee collection for Mumbai University from the students appearing for external educational programme. The Mumbai University selected Bank from the group of 5 Banks.

6. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Bank contributed ₹ 251 Lakh towards Chief Minister's Relief Fund for drought relief to the state of Maharashtra to help Government initiatives for agriculture and water projects.

The Rural Development Centres at Hadapsar and Bhigwan in Pune District of Maharashtra have been undertaking various rural developmental activities for the benefit of farmers viz. Lab to Land Project, Re-development of Saline Soils, Soil Testing etc. Bank has established Soil Testing Lab (STL) through MARDEF Trust at RDC Bhigwan in association with RCF Ltd., Mumbai. In the lab samples of soil & water are tested and counseling is done. Farmers from the districts of Pune, Ahmednagar, Solapur and Satara are taking benefit of the lab.

A Trust viz. Mahabank Agricultural Research and Rural Development Foundation (MARDEF) established by the Bank, undertakes various projects and village improvement programmes. MARDEF is imparting training to farmers on various subjects in agriculture, e.g. Dairy, Goat rearing, best practices in farming, application of fertilizers, agriculture credit schemes, etc. MARDEF Trust has implemented 105 training programmes for farmers at RDC Bhigwan & Hadapsar and has benefited 3463 farmers from April 2011 to March, 2013.

The Bank has established Seven Mahabank Self Employment Training Institutes (MSETI) for providing training to rural youth and women to enable them to acquire skills for self-employment through small business enterprises. The Institute has centers located at Pune, Nagpur, Aurangabad, Amravati, Jalna, Thane and Nasik. The Institute has so far imparted training to 9449 educated unemployed youth, with a settlement rate of 71 per cent.

बैंक द्वारा गठित ग्रामीण महिला व बाल विकास मंडल (जीएमवीबीवीएम) एक गैर सरकारी संगठन है। यह संगठन स्व सहायता समूहों के गठन, पोषण, प्रशिक्षण और उन्हें ऋण से संबद्ध करने का कार्य सक्रिय रूप से कर रहा है। ग्रामीण महिला व बाल विकास मंडल पुणे शहर में "सावित्री" नामक दुकान के माध्यम से स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन में सहयोग देता है। मंडल स्व सहायता समूहों को कच्चा माल खरीदने और गुणवत्ता उत्पादन के संबंध में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है।

बैंक ने बैंकिंग योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए छह अग्रणी जिलों यथा पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सातारा, जालना व ठाणे वित्तीय साक्षरता एवं ऋण समुपदेशन (एफएलसीसी) केन्द्रों का शुभारंभ किया है।

निगमित सामाजिक दायित्व के भाग के रूप में बैंक ने बोर्ड के अनुमोदन से 2013-2016 की अवधि के लिए 2000 से कम जनसंख्या वाले सेवा क्षेत्र ग्रामों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय समावेशन योजना कार्यान्वित की है। पिछले वर्ष में स्वाभिमान के विस्तार के अनुसार बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए 1600 से 2000 की जनसंख्या वाले 569 ग्रामों को समाविष्ट किया है। वर्ष 2012-13 के दौरान कुल 1.64 लाख नामांकन किए गए और 1.24 लाख खाते बीसीए द्वारा खोले गए हैं और 11.93 लाख मूल बचत खाते शाखाओं द्वारा खोले गए हैं।

वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को उनकी गतिविधियों को चलाने के लिए आवश्यक इनपुट प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता की। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- जरूरतमंद मरीजों को कृत्रिम अंग लगाना
- शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट स्कूल हेतु डीजल जनरेटर सेट
- मानसिक रूप से विकलांग एवं सेरेब्रल पाल्सी बच्चों, कैंसर के मरीजों के सुविधाई भवन/कक्षाएं/किंडरगार्डन व भौतिक सुविधाएं।
- जरूरतमंदों के लिए झोपड़पट्टी में कैंसर जांच शिविरों का आयोजन

बैंक ने जहां भी बैंक की शाखा का नेटवर्क है वहां जिले वार 309 मेधावी छात्रों को महाबैंक मेधावी छात्रवृत्ति प्रदान की है।

बैंक ने 551 सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों को मूल सुविधाओं में सुधार करने जैसे पीने के पानी के लिए वाटर प्युरिफायर, बिजली के पंखे और स्वच्छता में सुधार हेतु शौचालय के निर्माण के लिए प्रत्येक विद्यालय को ₹ 15,000/- की राशि प्रदान की है।

बैंक चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, व्यावसायिक प्रशिक्षण मूल सुविधाएं इत्यादि के लिए अपना योगदान देते हुए सदैव समाज के लिए खड़ा रहा है। बैंक सामाजिक कल्याण में अपना योगदान दे रहा है और प्रायोजनों और वित्तीय सहायता प्रदान करने के माध्यम से उभरते हुए खिलाड़ियों की सहायता आरंभ से ही कर रहा है जिससे कि वे देश के लिए गौरव अर्जित कर सकें।

7. अग्रणी बैंक योजना

7.1 अग्रणी बैंक योजना

महाराष्ट्र राज्य के आठ जिलों यथा औरंगाबाद, जालना, नाशिक, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, सातारा व ठाणे में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व बैंक के पास है। मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिलों की अग्रणी बैंक के रूप में कार्य करने का उत्तरदायित्व बैंक को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान दिया गया। हर वर्ष इन जिलों के लिए ऋण योजनाएं तैयार की जाती हैं और अन्य बैंकों की सहायता से इन्हें कार्यान्वित किया जाता है। वर्ष के दौरान हमारे अग्रणी जिलों के संबंध में अग्रिमों के संवितरण के संबंध में हमारे बैंक का कार्य निष्पादन मार्च 2013 के लक्ष्य की तुलना में 144% रहा।

7.2 राज्य स्तरीय बैंकर समिति

बैंक, महाराष्ट्र राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजक है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति के समन्वयक के रूप में बैंक राज्य में वार्षिक ऋण योजना, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, वित्तीय समावेशन और राज्य में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु नियमित रूप से तिमाही बैठकों का आयोजन करता है। चार तिमाही बैठकों के अलावा राज्य स्तरीय बैंकर समिति की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया जो कृषि को ऋण प्रदान करने विशेषकर फसल ऋणों पर केंद्रित थी। इसकी अध्यक्षता महाराष्ट्र के माननीय मुख्य मंत्री द्वारा की गई। अध्यक्ष, एसएलबीसी ने खरीफ मौसम के दौरान उधारी में वृद्धि के लिए अग्रणी जिला प्रबंधकों की दो विशेष बैठकें

Gramin Mahila Va Balak Vikas Mandal (GMVBVM), an NGO formed by Bank of Maharashtra and National Institute of Bank Management is actively involved in formation, nurturing, training and ensuring linkage of SHGs to Bank Credit. The GMVBVM also helps SHGs in marketing products of SHGs through outlets established in Pune City under the name "SAVITRI". The GMVBVM guides and actively helps SHGs for selection and purchase of raw materials and quality production.

The Bank has opened FLCC centers in Six Lead Districts namely Pune, Nasik, Aurangabad, Satara, Jalna & Thane for creating awareness about banking schemes.

As a part of corporate social responsibility, Bank has implemented Financial Inclusion Plan for extending banking services in service area villages with population below 2000 for the period 2013-2016 with approval of Board. During last year as per extension of Swabhimana, Bank has covered 569 villages with population between 1600 to 2000 for FI purpose. During 2012-13, total enrolments made are 1.64 lakh; 1.24 lakh accounts have been opened by BCAs and 11.93 lakh Basic Savings Deposit Bank accounts have been opened by the branches.

Bank has helped various NGOs during the year extending financial support to acquire necessary inputs for carrying their activities. These include the following:

- Fixing of artificial limbs to the needy patients.
- Diesel Generator set for the school meant for physically challenged children
- Building / classroom / Kindergarten equipments for the needy, mentally retarded and cerebral palsy children, cancer patients and Old age home.
- Conducting cancer detection camps in slums for the needy.

Bank awarded Mahabank meritorious scholarships to 309 meritorious students, district wise, all over India wherever Bank has existing branch network.

Bank contributed ₹ 15,000 each for 551 Government aided primary schools for improving the basic facilities such as water purifier for drinking water, Electric fans and construction of toilets for improving hygiene.

Moreover Bank has always stood for the cause of society by contributing at large for improving medical facilities, vocational training, basic amenities etc. Bank is also helping emerging sports persons at budding stage by sponsorships and providing financial assistance to bring the glory to the Nation and contributing to social cause.

7. LEAD BANK SCHEME

7.1 Lead Bank Scheme

Bank has Lead Bank responsibility in eight districts of Maharashtra State viz. Aurangabad, Jalna, Nasik, Mumbai City, Mumbai suburb, Pune, Satara & Thane. The responsibility of working as lead bank in the districts of Mumbai and Mumbai Suburb Districts was given to bank during the last financial year. The achievement of Annual Credit Plan in the districts where bank was working as lead bank was 144 per cent of the targets allotted to the districts as of March 2013.

7.2 State Level Bankers' Committee

Bank is the Convener of State Level bankers' Committee (SLBC) for the State of Maharashtra. Quarterly meetings are held regularly to oversee the implementation of State Annual Credit Plan, Priority Sector lending, financial inclusion and Government Sponsored Schemes in the State. In addition to four quarterly meetings, a special SLBC meeting was convened, the focus of which was kept on lending to agriculture and particularly for crops. The same was chaired by the Chief Minister of Maharashtra. The Chairman, SLBC took two exclusive meetings of Lead District Managers to boost up lending during Kharif season and to review other important issues. As a result, banks in Maharashtra

आयोजित कीं। इसके फलस्वरूप महाराष्ट्र में बैंकों ने फसल ऋण का 102 प्रतिशत प्राप्त किया और वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धि 31 प्रतिशत रही।

2000 से अधिक आबादी वाले बैंकिंग सुविधा से वंचित 4292 गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु गांवों के अभिनिर्धारण के कार्य में तेजी लाने के लिए राज्य विशिष्ट वित्तीय समावेशन योजना (स्वाभिमान) तैयार की गई। बैंकों ने राज्य में ईट सीमेन्ट से बनी शाखाओं, कारोबार प्रतिनिधियों की नियुक्ति और कियोस प्रकार के मॉडल के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु आर्बिट्रि गांवों की व्याप्ति 100 प्रतिशत रही। आईसीटी आधारित द्वार तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र के बैंकों को 1600 से 2000 की जनसंख्या वाले 2852 अतिरिक्त ग्राम आर्बिट्रि किए हैं।

राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक के रूप में प्रत्यक्ष जमा अंतरण के कार्यान्वयन के लिए बैंक सभी सदस्य बैंकों के साथ समन्वय भी कर रहा है। बैंक ने खाते खोलने और लाभार्थियों के आधार क्रमांकों के लिए विशेष प्रयास किए हैं। जिलाधीशों और सदस्य बैंकों के साथ बैठकें आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त सभी संबंधितों को योजना की प्रगति और इसके महत्व के बारे में नियमित रूप से लिखा गया। बैंक ने सुपुर्दगी माध्यमों की उपलब्धता जैसे शाखाएं खोलना, एटीएम स्थापित करना और व्यवसाय प्रतिनिधि की सेवाएं उपलब्ध करवाने की प्रगति की निगरानी के लिए भी आगे रहा है।

7.3 आधार (यूआईडीएआई) के लिए रजिस्ट्रार

बैंक आधार (भारतीय निवासियों के लिए 12 अंकों का विशिष्ट पहचान क्रमांक) के अंतर्गत पंजीयन करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का पंजीयन करने के लिए नॉन-स्टेट रजिस्ट्रार हैं।

बैंक ने पुणे, मुंबई व ठाणे में प्रायोगिक तौर पर विशिष्ट पहचान क्रमांक जारी करने के लिए प्रक्रिया पूर्ण की तथा 56781 निवासियों का सफलतापूर्वक पंजीयन किया। बैंक ने प्रक्रिया में और गति लाई तथा दस समूहों में आधार जारी करने के लिए नामांकन एजेंसियों की नियुक्ति की है। इन एजेंसियों ने एक लाख से अधिक आधार नामांकन का कार्य पूर्ण किया है।

आधार सक्षम बैंक खाते (ईबीए) खोलने के लिए बैंक खातों को आधार क्रमांक से संलग्न करने की कार्यक्षमता बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इससे खाताधारक सरकारी निधि/लाभ अपने खाते में सीधे प्राप्त कर सकेंगे। बैंक ने लगभग सात लाख आधार क्रमांकों को उनके खातों से जोड़ने का कार्य कर लिया है।

7.4 वित्तीय समावेशन योजना - स्वाभिमान

स्वाभिमान अभियान बैंक खाता खोलने को सुगम बनाता है, आवश्यकता आधारित ऋण सुविधाएं, धन प्रेषण सुविधाएं उपलब्ध करता है और कारोबार प्रतिनिधि/ग्राहक सेवा प्रतिनिधि मॉडल के माध्यम से शाखा रहित मॉडल सहित तकनीक और विभिन्न मॉडलों का उपयोग कर ग्रामीण भारत में वित्तीय साक्षरता लाने में सहायता करता है।

बैंकिंग सुविधा से वंचित हमारे बैंक को आर्बिट्रि सभी गांवों में शाखा रहित बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करने हेतु आईटी सक्षम वित्तीय समावेशन योजना लागू कर रहा है। बैंक ने 1133 ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों के माध्यम से 1215 गांवों (चरण-1) में तथा 2000 से कम की जनसंख्या वाले 569 गांवों (चरण-2) में स्वाभिमान सेवा उपलब्ध कराई है। वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने व्यवसाय प्रतिनिधि के माध्यम से 1,64,694 ग्राहकों का पंजीयन किया है और मार्च 2013 के अंत तक हमारे पास 19,54,047 नो फ्रिल खाते हैं जिनकी शेष राशि ₹ 1,07,72,94,420/- है।

भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 34 अधिसूचित योजनाओं के अनुदान को 43 जिलों में लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष नकदी अंतरण योजना को कार्यान्वित किया जाए। इन 43 जिलों में से हम 33 जिलों में 395 शाखाओं के माध्यम से परिचालन कर रहे हैं। इसके कार्यान्वयन के लिए योजना के सभी लाभार्थियों का बैंक खाता होना चाहिए और उनके खाते लाभार्थियों के आधार क्रमांकों के साथ संबद्ध होना अपेक्षित है। सभी 395 शाखाओं में खाता खोलने का कार्य प्रगति पर है। लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के हर संभव प्रयास किए गए हैं। साईनबोर्ड प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए गए हैं, पैम्फलेट वितरित किए गए हैं, गांवों में साप्ताहिक बाजार दिनों में मुनादी कराई गई और स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए हैं। शाखा कर्मचारियों को परियोजना के कार्यान्वयन और लाभार्थियों के खाते को आधार क्रमांक से संबद्ध करने तथा जिन्होंने हमारे बैंक में

achieved 102 per cent of crop loan targets showing 31 per cent rise on y-o-y basis.

As SLBC Convener, state specific financial inclusion Plan (Swabhiman) was drawn for 4292 unbanked villages (having population over 2000) in the State of Maharashtra for extending banking services. The banks in the state achieved 100 per cent coverage of the allotted villages for providing banking services through brick & mortar branches, appointment of Business correspondents and kiosk type models. Additional 2852 villages with population between 1600 to 2000, were allotted to banks in Maharashtra for providing ICT based doorstep banking services.

As conveners of SLBC, Bank is also coordinating with all member banks in implementing Direct Benefit Transfer. As Convener, bank has taken special emphasis on opening of accounts and seeding of Aadhaar numbers of the beneficiaries. The meetings were called with District collectors and with member banks apart from regularly writing to all the concerned about the progress of the scheme and its importance. Bank has also taken the lead in monitoring the progress for making available the delivery channels such as opening of branches, installation of ATMs and providing the services of Business correspondent.

7.3 Registrar for Aadhaar (UIDAI)

The Bank is non-state Registrar for enrolment of Aadhaar (A 12 digit unique identification number to resident of India) for the Unique Identification Authority of India (UIDAI).

Bank has completed the enrolment process on pilot basis at Pune, Mumbai and Thane for issuance of Aadhaar successfully with enrolment of 56,781 residents. Bank has further accelerated the process and has appointed enrolment agencies for issuance of Aadhaar in 10 clusters. These agencies have completed more than one lakh Aadhaar enrolments.

The functionality of linking of Aadhaar number to bank account number is also made available by Bank to open Aadhaar Enabled Bank Accounts (AEBA). This will enable the account holders to receive Government funds / benefits directly to their bank accounts. Bank has seeded around 7 lakhs Aadhaar numbers to their accounts.

7.4 Financial Inclusion plan – Swabhiman

Swabhiman movement facilitates opening of bank accounts, provide need based credit, remittance facilities and help to promote financial literacy in rural India using various models and technologies including branchless models through Business Correspondents (BC) / Customer Service Providers (CSPs).

Bank has been implementing IT enabled financial inclusion for providing branchless banking in all the unbanked villages allotted to our bank. Bank has covered 1215 villages (phase-I) under Swabhiman through 1133 Customer Service Providers (CSPs) and 569 villages having population below 2000 (phase-II). During year 2012-13 bank has enrolled 1,64,694 customers through BC agents & at the end of March 2013 we are having 19,54,047 no frill accounts with balance of ₹ 1,07,72,94,420/-

Govt. of India has decided to implement the scheme of Direct Cash Transfer of subsidies in 34 notified schemes, directly to the Bank account of the beneficiary in 43 districts. Out of these 43 districts we are operating in 33 districts with 395 branches. For implementing the same, all the beneficiaries of the scheme should have bank accounts and their accounts are required to be seeded with Aadhaar Numbers of the beneficiaries. The account opening is in progress in all the 395 branches. Every effort has been made for creating awareness among the people; sign boards are displayed at prominent places, pamphlets were distributed, Davandis (Munadi) are made in villages on weekly bazaar days, and advertisements have been given in local news papers. Branch staff has been sensitized for implementation of the project as well as for linking of Aadhaar number to beneficiaries' accounts &

खाते खोलने के प्रति सहमति जताई है ऐसे आधार नामांकितों के खाते खोलने के लिए जागरूक किया गया।

31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार बैंक के कुल 4121253 खाते हैं जो कि एक परिवार एक खाता के अंतर्गत 395 शाखाओं के माध्यम से 33 डीसीटी जिलों में 483239 आधार संख्या के साथ संबद्ध हैं।

8. सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं

8.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य निष्पादन

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जिसका प्रायोजन हमारे बैंक ने किया है और जिसका मुख्यालय नांदेड, महाराष्ट्र राज्य में है। बैंक की कुल शाखाएं 31.03.2013 को परिचालन के क्षेत्रों में 351 थीं जो महाराष्ट्र राज्य के 33 जिलों में से 16 जिलों में स्थित थीं।

वर्ष 2012-2013 के दौरान भारत सरकार की नीति के अनुरूप महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक को सभी हितधारकों यथा भारत सरकार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और महाराष्ट्र सरकार से उनके शेरधारण अनुपात 50:35:15 के अनुपात में पूंजी से जोखिम आस्ति अनुपात में सुधार करने हेतु पुनर्पूँजीकरण समर्थन के लिए ₹ 13.32 करोड़ प्राप्त हुए। इस प्रकार सभी स्टेकधारकों से पिछले तीन वर्षों के दौरान (अर्थात् 2010-11 से) पुनर्पूँजीकरण की कुल रकम ₹ 104.00 करोड़ होती है।

सभी 351 शाखाएं और नियंत्रक कार्यालय अब सीबीएस के अंतर्गत हैं। वर्ष के दौरान महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने 12 नई शाखाएं खोली हैं और अन्य शाखाएं खोलने की योजना तैयार की है।

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी 355 आर्बटिड ग्रामों को आईसीटी आधारित मॉडल के अंतर्गत लिया गया है। सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय कार्य पूर्ण हो गया है और व्यवसाय प्रतिनिधियों ने बीसीए की नियुक्ति करते हुए और खाते खोलते हुए महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक हेतु परिचालन आरंभ कर दिया है। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन के प्रति बैंक-एंड तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी सेवा प्रदाताओं के साथ ₹ 608.75 लाख की कुल परियोजना लागत से वाणिज्य को अंतिम रूप दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने आगामी तीन वर्षों, अर्थात् 2013 से 2016, के दौरान 2000 से कम की जनसंख्या वाले ग्रामों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय समावेशन योजना तैयार की है। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक नवंबर 2011 से अपनी सभी शाखाओं हेतु जनसामान्य के लिए एनईएफटी संचालन सहित तैयार है।

वर्ष 2012-13 के दौरान महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने कुल जमा राशियों में 19.12% की वृद्धि तथा अग्रिमों में 38.09% की वृद्धि दर्शाई है। लक्ष्यों की स्थिति और प्राप्ति निम्नानुसार है:

मानदंड	31.03.2012 की स्थिति	31.03.2013 की स्थिति
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यनिष्पादन		
जमा राशि वृद्धि प्रतिशत में	16.51%	19.12%
अग्रिम वृद्धि प्रतिशत में	25.86%	30.09%
सीबीएस के अंतर्गत शाखाएं (संख्या)	339	351
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	1.25	2.13
हानि वाली शाखाओं की संख्या (12 माह पुरानी या अधिक अवधि)	38	18

8.2 दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको)

बैंकिंग की सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1946 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 100 % अनुषंगी कंपनी दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको) स्थापित की गई। ये सेवाएं हैं :

- वसीयतों का मसौदा तैयार करना और निष्पादन करना, परामर्श
- निजी न्यासों / सार्वजनिक न्यासों का मसौदा तैयार करना , प्रबंधन और परामर्श
- एटर्नी के रूप में निवेशों एवं आवास संपत्तियों का प्रबंधन
- अवयस्क की संपत्ति की संरक्षकता

opening of accounts of Aadhaar enrollees who have given consent to open the account with our bank.

As on 31st March 2013 our bank has 41,21,253 accounts with 4,83,239 accounts seeded with Aadhaar number in 33 DCT districts, through 395 branches under one family one account.

8. SUBSIDIARIES/JOINT VENTURES AND SPONSORED INSTITUTIONS

8.1 Performance of Regional Rural Bank

Maharashtra Gramin Bank (MGB) is a Regional Rural Bank sponsored by our Bank having its Head Office at Nanded, Maharashtra state. Total no of branches as on 31.3.2013 stood at 351 in its area of operation covering 16 out of 33 districts of Maharashtra State.

During the year 2012-13, as per GOI policy, MGB has received recapitalization support of ₹ 13.32 crore for improving Capital to Risk Asset Ratio (CRAR) from all stake holder in the proportion of their share holding of 50:35:15 i.e. Government of India, Bank of Maharashtra and Government of Maharashtra respectively. Thus total amount of recapitalisation received during the last three years (i.e. from 2010-11 onwards) stands at ₹ 104.00 crore from all stake holders.

All 351 branches & controlling offices are now under CBS. During this year, MGB opened 12 new branches and plans to open further more.

Under Financial Inclusion programme, all 355 allotted villages are covered under ICT based model. Integration with service provider has been completed and the BC has started operations for MGB by appointing BCAs and opening of accounts. MGB has also finalised commercial tie-up at a total project cost of ₹ 608.75 lakh with Technical service provider for providing back end technical services to implement financial inclusion. As per RBI guidelines, MGB has prepared a financial inclusion plan for providing banking services in villages with less than 2,000 population in the next three years i.e., 2013 to 2016. MGB is ready with the NEFT functionality for general public for all its branches since Nov. 2011.

During this year 2012-13, MGB has grown by 19.12 per cent in total deposits and 38.09 per cent in advances. It has achieved all the five SOI targets for the year 2012-13. The position of targets and achievement are as under:-

Parameter	As of 31.03.2012	As of 31.03.2013
Performance of RRBs		
Deposit Growth in per cent	16.51%	19.12%
Advance Growth in per cent	25.86%	38.09%
Branches under CBS (Nos.)	339	351
Profit per employee (₹ in Lakh)	1.25	2.13
No. of loss making branches (being 12 months old or more)	38	18

8.2 The Maharashtra Executor & Trustee Company Pvt. Ltd. (METCO)

The Maharashtra Executor & Trustee Company Pvt. Ltd. (METCO), the 100% subsidiary of Bank of Maharashtra was established in 1946 with an aim to provide services auxiliary to banking such as:

- Consultation, Drafting & Execution of will
- Consultation, Drafting and Management of Private Trusts / Public Trusts
- Management of investments & house properties as attorney
- Guardianship of minor's property

- संपत्ति की खरीदी / बिक्री के लिए परामर्श देना
- व्यक्तियों के लिए आय-कर विवरणी दाखिल करना

कंपनी पुणे में स्थित है और पुणे, वाशी-मुंबई, ठाणे और नागपुर में इसकी शाखा इकाइयां हैं।

वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी के ग्राहक आधार में 11 नए न्यास जुड़े, परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा प्रबंधित निजी और सार्वजनिक न्यासों की संख्या 1034 हो गई। वर्ष के दौरान जुड़ी नई वसीयतों की संख्या 32 रही, इस प्रकार कंपनी की अभिरक्षा और निष्पादन में वसीयतों की कुल संख्या 1080 हो गई है।

कंपनी द्वारा वर्तमान में 121 चल एवं अचल दोनों संपत्तियों का प्रबंधन मुख्तारनामे के अंतर्गत किया जा रहा है। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत कंपनी ने 146 पालिसियों के संबंध में न्यासी का कार्य करती है और 6 मामलों में न्यायालय ने अवयस्क की संपत्ति का संरक्षक कंपनी को बनाया है।

9. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में विभिन्न उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने हमारे जबलपुर अंचल कार्यालय का दिनांक 14 सितंबर, 2012 को तथा सोलापुर अंचल कार्यालय का दिनांक 29.01.2013 को भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा हिंदी के प्रगामी प्रयोग का भी निरीक्षण किया। यह उल्लेखनीय है कि समिति के माननीय सदस्यों ने हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में बैंक द्वारा की गई पहलों पर अपना संतोष व्यक्त किया।

भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई को वर्ष 2011-12 हेतु श्रेष्ठ हिंदी कार्यान्वयन के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारा बैंक इस समिति का संयोजक है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अमरावती द्वारा राजभाषा के बेहतर कार्य निष्पादन हेतु हमारे अमरावती अंचल कार्यालय को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

हमारे अहमदाबाद अंचल की रावपुरा बडौदा शाखा को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बडौदा द्वारा शाखा श्रेणी में राजभाषा के बेहतर कार्य निष्पादन हेतु द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

हमारे बैंक द्वारा हिंदी में जोखिम प्रबंधन पर बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों व वरिष्ठ अधिकारियों हेतु राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन 08 जनवरी 2013 को प्रधान कार्यालय में किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व महाप्रबंधक श्री के सी मिश्रा ने उक्त विषय पर हिंदी में प्रभावी व्याख्यान दिया।

भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के उप निदेशक डॉ एम एल गुप्ता ने दिनांक 20.07.2012 को प्रधान कार्यालय को भेंट दी और प्रधान कार्यालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग का निरीक्षण किया। बैंक ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के सुचारु रूप से कार्यान्वयन और इस संबंध में बैंक द्वारा की गई पहलों पर प्रसन्नता व्यक्त की।

राजभाषा हिंदी दिवस के अवसर पर प्रधान कार्यालय में माननीय अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय की उपस्थिति में हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्टाफ सदस्य उपस्थित थे।

बैंक पुणे, मुंबई व सोलापुर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का संयोजक है। इन समितियों की अर्धवार्षिक बैठकें निर्धारित अवधि में संपन्न हुईं।

बैंक महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैंकर समिति, राजभाषा का संयोजक है। समिति की वार्षिक बैठक निर्धारित समय पर हुई और इसमें सदस्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

प्रधान कार्यालय के स्वागत हॉल में लगी हुई स्क्रीन पर हिंदी में बैंक की योजनाएं निरंतर रूप से प्रदर्शित हो रही हैं। ग्राहकों के उपयोग हेतु विविध योजनाएं शाखाओं के स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रही हैं।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पुणे शहर के सदस्य बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों के लिए हिंदी में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। हमारा बैंक इस समिति का संयोजक है।

हमारे जयपुर अंचल कार्यालय द्वारा तिलक टीचर्स प्रशिक्षण विद्यालय में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 125 शिक्षकों ने भाग लिया।

- Consultation for sale/purchase of property
- Filing of I-Tax Returns for individuals

The Company is located at Pune having its branch units at Pune, Vashi-Mumbai, Thane and Nagpur.

During 2012-13, company could get new assignments for management of additional 11 Trusts bringing total 1034 Public & Private Trusts under our fold for management. During the year, additional 32 WILLS were added making total 1080 WILLS in our custody for execution.

At present, the Company manages properties both movable and immovable of 121 clients under the Power of Attorney. The Company also acts as the Trustees in respect of 146 policies under Married Women's Property Act and as Court appointed Guardian of minor's property in 6 cases.

9. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

During the year 2012-13, the Bank has made various remarkable achievements in the field of Official Language implementation.

The Third Sub-Committee of Committee of Parliament on Official Language inspected our Jabalpur Zonal Office on 14.09.2012 and Solapur Zonal Office on 29.01.2013 for the implementation of Official Language Policy of Government of India and also for progressive use of Hindi. It is noteworthy to mention that Hon'ble Members of the Committee expressed their satisfaction for the initiatives taken by our Bank in respect of progressive use of Hindi.

Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Mumbai was awarded 2nd Prize for better use of Hindi for the year 2011-12 by Government of India, Ministry of Home Affairs, Rajbhasha Vibhag. Bank is the Convener of the committee.

Zonal Office, Amravati was awarded 2nd Prize for better use of Hindi by the TOLIC, Amravati.

Raopura Baroda branch of Ahmedabad Zone, was awarded 2nd Prize in Branch Category for better use of Hindi by the TOLIC, Baroda

State Level seminar in Hindi on Risk Management was arranged by Bank on 8th January 2013 at Head Office for executives and senior officers of Banks and Financial Institutions. Mr. K.C. Mishra, Ex General Manager, Reserve Bank of India, delivered an effective lecture on the subject in Hindi.

Dr. M.L. Gupta, Deputy Director, Regional Implementation Office, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs visited Head Office on 20th July 2012 and inspected the progressive use of Hindi at Head Office. He expressed pleasure at the implementation of O.L. Policy of Government of India in Bank and the initiatives taken by the Bank.

Hindi Kavi Sammelan was arranged at our Head Office on the occasion of Hindi Day, in the presence of our Chairman & Managing Director, which was attended by a large number of staff,

The Bank is the convener for Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) in Pune, Mumbai and Solapur. Bi-Annual Meetings of these committees were held as per schedule.

The Bank is also a Convener of State Level Bankers Committee (Rajbhasha) for the state of Maharashtra. Annual Meeting of the committee for the year was held as per schedule and prizes were awarded to the member Banks and Financial Institutions.

Various schemes of the Bank were displayed in Hindi on the screen at Reception of Head Office on continuous basis. Various schemes for the use of customers were also displayed on the screens at branches.

A seminar in Hindi was arranged by TOLIC Pune for the executives of the Member Banks and Financial Institutions of Pune City. Our Bank is the convener of this Committee.

An elocution competition in Hindi was arranged by Jaipur Zonal Office at Tilak Teachers' Training School, where about 125 trainee teachers have participated in the competition.

हमारे हैदराबाद अंचल कार्यालय द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में यूनिकोड में हिंदी टंकण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

10. निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन

निदेशक पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खाते तैयार करते समय :

- यदि कोई महत्वपूर्ण विचलन हुआ है तो उसका उचित स्पष्टीकरण देने के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लागू लेखा मानकों का पालन किया गया।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा नीतियां तैयार की गईं और उनको सतत आधार पर लागू किया गया। यदि कोई परिवर्तन किए गए तो उनका उचित प्रकटन किया गया है।
- वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्यकलापों और लाभ की सही और सत्य स्थिति दर्शाने के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लिए गए और अनुमान लगाए गए।
- भारत में बैंकों को शासित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई; और
- सतत आधार पर लेखे तैयार किए गए।


11. निदेशक मंडल में परिवर्तन

- वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:
- श्री वी. पी. भारद्वाज दिनांक 20 जुलाई 2012 से निदेशक पद पर नहीं रहे।
- श्री ए. के. पंडित ने दिनांक 17 जुलाई 2012 से निदेशक पद से त्यागपत्र दिया।
- श्री अतीश सिंह को दिनांक 20 जुलाई 2012 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- डॉ. राजकुमार अग्रवाल का दिनांक 28 दिसंबर 2012 से निदेशक के रूप में चयन किया गया।

निदेशक मंडल निर्गामी निदेशकों द्वारा दिए गए मूल्यवान सहयोग की सराहना करता है।

12. आभार

बैंक के सर्वांगीण विकास हेतु भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय बैंक संघ तथा स्टॉक एक्सचेंजों और सीडीएसएल से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए तथा ग्राहकों व शेयर धारकों द्वारा दिए गए प्रश्रय, प्रतिनिधियों और सहयोगियों द्वारा दिए गए सहयोग और "महाबैंक परिवार" के सभी बैंक कर्मचारियों की समर्पित प्रतिबद्धता और योगदान के प्रति निदेशक मंडल कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है।



निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

पुणे
दिनांक 14.06.2013

(नरेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Hindi Typing Competition in Unicode was arranged by Hyderabad Zonal Office under the auspices of TOLIC Hyderabad.

10. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended 31.03.2013:

- The applicable accounting standards of the Institute of Chartered Accountants of India, have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, are consistently applied and proper disclosures are made for changes, if any;
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and the profit of the Bank for the year.
- Proper and sufficient care was taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks, in India; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

11. CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS


During the year 2012-13, the following changes took place in the Board of Directors:

- Shri V.P. Bhardwaj ceased to be the Director w.e.f. 20th July 2012.
- Shri A.K. Pandit resigned from the Directorship w.e.f. 17th July 2012.
- Shri Ateesh Singh was appointed as Director w.e.f. 20th July 2012.
- Dr. Rajkumar Agrawal was elected as Director w.e.f. 28th December 2012.

The Board of Directors place on record their sincere appreciation for the valuable contribution made by the outgoing Directors.

12. ACKNOWLEDGMENTS:

The Board of Directors wishes to express sincere gratitude to the Government of India, the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Indian Banks' Association and Stock Exchanges and CDSL for their valuable advice and support; to the customers and shareholders for their patronage; to the correspondents and associates for their co-operation and to all the members of staff of "Mahabank Family" for their unstinted commitment and contribution to the overall development of the Bank.



For and on behalf of the Board of Directors

Pune
Date: 14.06.2013

(Narendra Singh)
Chairman and Managing Director

वर्ष 2012-13 लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स पर
निदेशक मंडल की रिपोर्ट

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON
CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2012-13

1. कार्पोरेट गवर्नेन्स पर बैंक का दर्शन:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र कार्पोरेट गवर्नेन्स की संकल्पना व महत्व को मान्यता देता है और न केवल संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन करता है, अपितु स्वैच्छिक रूप से सुदृढ़ कार्पोरेट गवर्नेन्स प्रथाओं को तैयार कर उनका पालन करता है. शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और समग्र रूप से समाज सहित सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए बैंक हमेशा भरपूर प्रयास करता है. कार्पोरेट गवर्नेन्स पर बैंक का दर्शन है कि सभी स्तरों पर पारदर्शिता जिम्मेदारी और न्यायसंगतता के उत्कृष्ट मानकों को स्थापित करना और व्यवसायिकता, सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिसाद, ठोस व्यापारिक प्रथाएं और परिचालनगत कुशलता द्वारा गुणवत्ता को अधिकतम बनाना सुनिश्चित करना. उक्त कार्य शेयरधारकों के धन को अधिकतम करने और हितधारकों के हितों की रक्षा करने हेतु बैंक को कारोबार के उच्च मानक बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं.

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का संमिश्र बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के अनुसार शासित होता है.

2.2 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 7(2) की शर्तों के अनुसार बैंक के कारोबार के सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन और प्रबंधन का अधिकार निदेशक मंडल के पास होता है. निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व में शामिल है - नीतियां तैयार करना, नई पहल करना, कार्य निष्पादन की समीक्षा करना और बैंक द्वारा किए गए विनियामक व संविधिक अनुपालन का पर्यवेक्षण करना, बैंक के विभिन्न प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रत्यायोजन करना और बैंक के विभिन्न कार्यमूलक प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों के बाहर दी गई वित्तीय मंजूरीयों का अनुमोदन कर समग्र पर्यवेक्षण करना.

31 मार्च 2013 को बैंक के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार थी:

1. Bank's philosophy on Corporate Governance:

Bank of Maharashtra recognizes the principles and importance of Corporate Governance and has been complying with not only the statutory requirements, but also has voluntarily formulated and adhered to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank has always strived hard to best serve the interest of all its stakeholders including shareholders, customers, Government and society at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to bestow high standard of transparency, fairness and accountability for performance at all levels and to ensure and achieve excellence through professionalism, social responsiveness, sound business practices and optimum efficiency. This in turn enables the Bank to maintain a high level of business ethics to maximize the shareholders' value and to protect their interest.

2. Board of Directors:

2.1 The composition of the Board is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

2.2 In terms of section 7(2) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, the general superintendence, direction and management of the business of the Bank vest with the Board of Directors. The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review, supervision over Regulatory and Statutory compliances by the Bank, delegating financial powers to various functionaries and exercising overall supervision, according financial sanctions beyond the powers delegated to various functional authorities of the Bank.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2013 is as under:

अ.क्र. Sr. No.	नाम Name	श्रेणी Position held	31.03.2013 को धारित बैंक शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2013	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता संख्या No. of membership in Sub Committees of the Bank	अन्य कंपनियों अर्थात् बैंक से अतिरिक्त में निदेशक पदों की संख्या No. of Director-ship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के निदेशक मंडलों की उप-समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता No. of Membership/Chairman ship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	अभियुक्तियां (बैंक में/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
1	श्री नरेन्द्र सिंह Shri Narendra Singh	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	शून्य Nil	08	शून्य Nil	शून्य Nil	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01.02.2012 से बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त. Appointed as the Chairman and Managing Director of the Bank w.e.f. 01.02.2012 by the Central Government
2	श्री सी.वी.आर. राजेन्द्रन Shri C.V.R. Rajendran	कार्यपालक निदेशक Executive Director	शून्य Nil	10	1	शून्य Nil	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01.03.2012 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त. आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक्जीक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. के बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं. Appointed as the Executive Director w.e.f. 01.03.2012 by the Central Government He is also the Chairman of the Board of The Maharashtra Executor and Trustee Company Pvt. Ltd.
3	श्री अतीश सिंह Shri Ateesh Singh	निदेशक (गैर कार्यपालक) सरकार द्वारा नामित Director (Non Executive) Government Nominee	शून्य Nil	06	शून्य Nil	शून्य Nil	केन्द्र सरकार द्वारा 20.07.2012 से अगले आदेशों तक निदेशक के रूप में नामित. Nominated as a Director w.e.f. 20.07.2012 by the Central Government

अ.क्र. Sr. No.	नाम Name	श्रेणी Position held	31.03.2013 को धारित बैंक शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2013	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता संख्या No. of membership in Sub Committees of the Bank	अन्य कंपनियों अर्थात् बैंक से अतिरिक्त में निदेशक पदों की संख्या No. of Director-ship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के निदेशक मंडलों की उप-समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता No. of Membership/Chairman ship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	अभियुक्तियां (बैंक में/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
4	सुश्री कमला राजन Ms. Kamala Rajan	निदेशक (गैर कार्यपालक) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित Director (Non Executive) RBI Nominee	शून्य Nil	04	शून्य Nil	शून्य Nil	केन्द्र सरकार द्वारा 30.07.2010 से निदेशक के रूप में नामित. Nominated as a Director w.e.f. 30.07.2010 by the Central Government
5	डॉ. दिनेश एस. पटेल Dr. Dinesh S. Patel	निदेशक (गैर कार्यपालक) शेयरधारक निदेशक Director (Non Executive) Shareholder Director	100	03	6	शून्य Nil	दिनांक 01.02.2011 से केन्द्र सरकार से भिन्न बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित Re-elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government, w.e.f. 01.02.2011
6	श्री शिरीष डी. धनक Shri Shirish D. Dhanak	निदेशक (गैर कार्यपालक) कर्मकार कर्मचारी प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Workmen employees	192	03	शून्य Nil	शून्य Nil	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 21.07.2010 से कर्मकार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त. Appointed as a Workmen Employee Director w.e.f. 21.07.2010 by the Central Government
7	डॉ. नरेश कुमार दराल Dr. Naresh Kumar Drall	निदेशक (गैर कार्यपालक) Director (Non Executive)	शून्य Nil	07	शून्य Nil	शून्य Nil	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 05.05.2011 से निदेशक के रूप में नामित Nominated as a Director w.e.f. 05.05.2011 by the Central Government
8	श्री रमेश चंद्र अग्रवाल Shri Ramesh Chandra Agrawal	निदेशक (गैर कार्यपालक) Director (Non Executive)	शून्य Nil	06	शून्य Nil	शून्य Nil	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 05.08.2011 से निदेशक के रूप में नामित. Nominated as a Director w.e.f. 05.08.2011 by the Central Government
9	डॉ. सुनिल यू. देशपांडे Dr. Sunil U. Deshpande	निदेशक (गैर कार्यपालक) अधिकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Officer employees	200	3	शून्य Nil	शून्य Nil	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 19.12.2011 से अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में पुनः नामित. Re-nominated as Officer Employee Director w.e.f. 19.12.2011 by the Central Government.
10	डॉ. राजकुमार अग्रवाल Dr. Rajkumar Agrawal	निदेशक (गैर कार्यपालक) शेयरधारक निदेशक Director (Non Executive) Shareholder Director	499	01	शून्य Nil	शून्य Nil	दिनांक 28.10.2012 से केन्द्र सरकार से भिन्न बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में निर्वाचित Elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government, w.e.f. 28.12.2012

2.3 वर्ष (2012-13) के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/अवसान

श्री ए.के. पंडित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 / 1980 की धारा 9(3) (i) के अधीन दिनांक 01 फरवरी 2011 से तीन वर्ष की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए थे, उन्होंने दिनांक 17 जुलाई 2012 को त्यागपत्र दे दिया.

श्री वी. पी. भारद्वाज को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 /1980 की धारा 9(3) (बी) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 10 जून 2008 को तीन वर्ष की अवधि के लिए निदेशक के रूप में नामित किया गया तथा वे दिनांक 20 जुलाई 2012 से निदेशक नहीं रहे.

श्री अतीश सिंह को दिनांक 20 जुलाई 2012 को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 /1980 की धारा 9(3) (बी) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अगले आदेशों तक निदेशक नियुक्त किया गया.

डॉ. राजकुमार अग्रवाल को दिनांक 28 दिसंबर 2012 को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 /1980 की धारा 9(3) (i) के अधीन दिनांक 31 जनवरी 2014 तक की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया.

2.3 Appointment / Cessation of Directors during the year (2012-13):

Shri A.K. Pandit elected as Shareholder Director for a period of three years on 01st February, 2011 under section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, resigned w.e.f. 17th July 2012.

Shri V.P. Bhardwaj, nominated as Director for a period of three years on 10th June 2008 by the Central Government under section 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, ceased to be a Director on 20th July 2012 .

Shri Ateesh Singh was appointed by the Central Government as Director on 20th July 2012 under section 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 until further orders.

Dr. Rajkumar Agrawal was elected as Shareholder Director w.e.f. 28th December 2012 under section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period upto 31st January, 2014.

2.4 वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान नियुक्त निदेशकों की प्रोफाइल

2.4.1 श्री अतीश सिंह

नाम	श्री अतीश सिंह
पता	वित्त मंत्रालय, डीएफएस, तीसरी मंजिल, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली 110 001
जन्म दिनांक	05.05.1969
आयु	43 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	बी.ए. (आनर्स) अर्थशास्त्र, आईआरटीएस (भारतीय रेल्वे ट्रेफिक सेवा)
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (बी) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 20.07.2012 को अगले आदेशों तक निदेशक नियुक्त किया गया
अनुभव	दिल्ली तथा अंबाला प्रभागों के वरिष्ठ प्रभागीय परिचालन प्रबंधक
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक या समिति पद	शून्य

2.4.2 डॉ. राजकुमार अग्रवाल

नाम	डॉ. राजकुमार अग्रवाल
पता	15, पहली मंजिल, एकात्मा परिसर, राजबंदन मैदान, नवभारत प्रेस के पीछे, रायपुर - 492 001 (छत्तीसगढ़)
जन्म दिनांक	02.03.1957
आयु	55 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	बी. कॉम., एफसीए, पीएच.डी.
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (आई) के अधीन दिनांक 28.12.2012 को दिनांक 31 जनवरी 2014 तक की अवधि के लिए शेरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया
अनुभव	पिछले 25 वर्षों से भी अधिक समय से सनदी लेखाकार, लेखापरीक्षा और वित्त के कार्य से जुड़े हैं. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल पर गैर-अधिकारी निदेशक के रूप में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव.
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक या समिति पद	शून्य

2.5 निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें निम्नलिखित दिनांकों पर कुल 13 बार संपन्न हुई जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 12 के अधीन न्यूनतम 6 बैठकें अनुबद्ध हैं.

05.05.12	26.05.12	25.06.12	21.07.12	25.08.12	06.10.12	23.10.12
23.11.12	22.12.12	10.01.13	22.01.13	19.03.13	30.03.13	

2.4 Profile of Directors appointed during the Financial year 2012-13

2.4.1 Shri Ateesh Singh

Name	Shri Ateesh Singh
Address	Ministry of Finance, DFS, 3rd Floor, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi 110 001
Date of Birth	05.05.1969
Age	43 years
Qualification	B.A. (Hons) Economics, IRTS (Indian Railway Traffic Services)
Nature of appointment as Director	Appointed as a Director w.e.f. 20.07.2012 by the Central Government u/s 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 until further orders
Experience	Sr. Divisional Operational Manager of Delhi and Ambala Divisions.
Directorship or Committee Positions held in other Companies	Nil

2.4.2 Dr. Rajkumar Agrawal

Name	Dr. Rajkumar Agrawal
Address	15,1st Floor, Ekatma Parisar, Rajbandhan Maidan, Behind Navbharat Press, Raipur - 492 001 (Chhattisgarh)
Date of Birth	02.03.1957
Age	55 years
Qualification	B.Com, FCA, Ph.D.
Nature of appointment as Director	Elected as Shareholder Director w.e.f. 28.12.2012 u/s 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, for a period upto 31st January 2014.
Experience	Engaged in practice of Chartered Accountancy, Audit and Finance for over 25 years. Over 5 years experience as Non-Official Director on the board of PSU Banks.
Directorship or Committee Positions held in other Companies	Nil

2.5 Board Meetings:

During the Financial Year 2012-13, 13 meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

05.05.12	26.05.12	25.06.12	21.07.12	25.08.12	06.10.12	23.10.12
23.11.12	22.12.12	10.01.13	22.01.13	19.03.13	30.03.13	

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री नरेन्द्र सिंह	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	13	13
श्री सी.वी.आर. राजेन्द्रन	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	13	12
श्री वी.पी. भारद्वाज	01.04.2012 से 20.07.2012 तक	04	03
श्री अतीश सिंह	20.07.2012 से 31.03.2013 तक	09	07
सुश्री कमला राजन	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	13	10
श्री ए.के. पंडित	01.04.2012 से 17.07.2012 तक	03	02
डॉ. डी.एस. पटेल	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	13	10
श्री एस.डी. धनक	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	13	12
डॉ. एन.के. दराल	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	13	13
श्री आर.सी. अग्रवाल	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	13	13
डॉ. एस.यू. देशपांडे	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	13	12
डॉ. आर. के. अग्रवाल	28.12.2012 से 31.03.2013 तक	04	04

2.6 आचार संहिता

निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों अर्थात् मुख्य महाप्रबंधक तथा सभी महाप्रबंधकों वाली कोर प्रबंधन टीम हेतु आचार संहिता निदेशक मंडल द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुपालन में अनुमोदित की गई है। उक्त आचारसंहिता बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in पर रखी गई है। बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

3. वार्षिक साधारण सभा :

बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक साधारण सभा सोमवार, दिनांक 25 जून, 2012 को अप्पासाहेब जोग हॉल, प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411005 में संपन्न हुई जिसमें निम्नांकित निदेशक उपस्थित थे :

01	श्री नरेन्द्र सिंह	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
02	श्री सी. वी.आर. राजेन्द्रन	कार्यपालक निदेशक
03	डॉ. डी.एस. पटेल	शेयर धारक निदेशक
04	डॉ. एन.के. दराल	निदेशक (गैर-कार्यपालक)
05	श्री आर. सी. अग्रवाल	निदेशक (गैर-कार्यपालक)
06	डॉ. एस.यू. देशपांडे	अधिकारी कर्मचारी निदेशक

4. निदेशक मंडल की समितियां

निदेशक मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है और विभिन्न कार्यमूलक क्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्योजन किया है।

4.1 प्रबंधन समिति

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक मंडल की छः सदस्यीय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। प्रबंधन समिति के कार्य और कर्तव्य निम्नानुसार हैं :

- ऋण व निवेश प्रस्तावों की मंजूरी
- ऋण समझौता/बट्टे खाते में डालने के प्रस्तावों को मंजूरी देना
- परिसर/क्वार्टर्स अधिग्रहित करने से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित करना, तथा
- निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित अन्य विषय.

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Narendra Singh	01.04.2012 to 31.03.2013	13	13
Shri C.VR. Rajendran	01.04.2012 to 31.03.2013	13	12
Shri V.P. Bhardwaj	01.04.2012 to 20.07.2012	04	03
Shri Ateesh Singh	20.07.2012 to 31.03.2013	09	07
Ms. Kamala Rajan	01.04.2012 to 31.03.2013	13	10
Shri A.K. Pandit	01.04.2012 to 17.07.2012	03	02
Dr. D.S. Patel	01.04.2012 to 31.03.2013	13	10
Shri S.D. Dhanak	01.04.2012 to 31.03.2013	13	12
Dr. N.K. Drall	01.04.2012 to 31.03.2013	13	13
Shri R.C. Agrawal	01.04.2012 to 31.03.2013	13	13
Dr. S.U. Deshpande	01.04.2012 to 31.03.2013	13	12
Dr. R.K. Agrawal	28.12.2012 to 31.03.2013	04	04

2.6 Code of Conduct

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel i.e. Core Management team comprising Chief General Manager and all General Managers, has been approved by the Board of Directors in compliance with Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in. All the Board Members and Senior Management Personnel have since affirmed the compliance of the code.

3 Annual General Meeting:

The Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on Monday, the 25th June 2012 at Appasaheb Joag Hall, Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune-411005 where following Directors were present.

01	Shri Narendra Singh	Chairman & Managing Director
02	Shri C.VR. Rajendran	Executive Director
03	Dr. D.S. Patel	Shareholder Director
04	Dr. N. K. Drall	Director (Non Executive)
05	Shri R.C. Agrawal	Director (Non Executive)
06	Dr. S. U. Deshpande	Officer Employee Director

4. Committees of Board:

The Board has constituted the following committees and delegated powers in different functional areas.

4.1 Management Committee:

The Management Committee (MC) of the Board is constituted with six members as per provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. Functions and duties of the Management Committee are as under:

- Sanction of credit and investment proposals,
- Sanction of loan compromise / write off proposals,
- Approve proposals relating to acquiring of premises/ quarters and
- Any other matter referred by the Board.

31 मार्च 2013 को समिति की संरचना निम्नानुसार थी:

i	श्री नरेन्द्र सिंह	अध्यक्ष
ii	श्री सी.वी.आर. राजेन्द्रन	सदस्य
iii	सुश्री कमला राजन	सदस्य
iv	श्री एस.डी. धनक	सदस्य
v	श्री आर. सी. अग्रवाल	सदस्य
vi	डॉ. आर. के. अग्रवाल	सदस्य

आलोच्य अवधि के दौरान समिति की 13 बैठकें निम्नलिखित दिनांकों पर हुईं:

05.05.12	26.05.12	25.06.12	21.07.12	25.08.12	24.09.12	23.10.12
23.11.12	22.12.12	10.01.13	22.01.13	19.03.13	30.03.13	

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री नरेन्द्र सिंह	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	13	13
श्री सी.वी.आर. राजेन्द्रन	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	13	12
सुश्री कमला राजन	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	13	09
श्री ए.के. पंडित	01.04.2012 से 17.07.2012 तक	02	02
डॉ. डी.एस. पटेल	26.03.2012 से 25.09.2012 तक	06	04
श्री एस.डी. धनक	23.01.2012 से 22.07.2012 तक 19.12.2012 से 31.03.2013 तक	09	09
डॉ. एन.के. दराल	21.07.2012 से 31.03.2013 तक	08	08
डॉ. एस.यू. देशपांडे	19.06.2012 से 18.12.2012 तक	06	05
श्री आर.सी. अग्रवाल	06.10.2012 से 31.03.2013 तक	07	07
डॉ. आर. के. अग्रवाल	23.01.2013 से 31.03.2013 तक	02	02

4.2 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया है। समिति के प्रत्यायोजित कार्य निम्नानुसार हैं:

- मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्य संचालन की देखरेख के साथ-साथ मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। समग्र लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली के अंतर्गत बैंक का आंतरिक निरीक्षण एवं आंतरिक लेखा परीक्षा का गुणवत्ता नियंत्रण, संचालन तथा संगठन सहित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरीक्षण तथा बैंक की बाह्य/सांविधिक लेखा परीक्षा का अनुवर्तन शामिल है।
- आंतरिक लेखा परीक्षा के विषय में मंडल की लेखा परीक्षा समिति बैंक में अनुवर्तन की दृष्टि से आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता और प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करती है। मंडल की लेखा परीक्षा समिति सभी अतिविस्तृत शाखाओं और विशेषज्ञता प्राप्त शाखाओं सहित सभी असंतोषजनक योग्यताक्रम वाली शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है।
- विशेष रूप से यह समिति अंतर-शाखा समायोजन खातों, नॉस्ट्रो खातों और अंतर-बैंक खातों में समाधान न की गई काफी समय से बकाया प्रविष्टियों, विभिन्न शाखाओं में लेखा बहियों के बकाया मिलान, धोखाधड़ी और गृहवेक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अनुवर्तन करती है।
- मंडल की लेखा परीक्षा समिति अनुपालन अधिकारी से भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही रिपोर्टें प्राप्त कर उनकी समीक्षा करती है।
- मंडल की लेखा परीक्षा समिति विनियामक लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत किए गए कार्य और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के अनुपालन की निगरानी करती है।

The composition of the Committee as on 31st March 2013 is as under:

i	Shri Narendra Singh	Chairman
ii	Shri C.VR. Rajendran	Member
iii	Ms. Kamala Rajan	Member
iv	Shri S.D. Dhanak	Member
v	Shri R.C. Agrawal	Member
vi	Dr. R.K. Agrawal	Member

The Committee met 13 times during the period under review on the following dates:

05.05.12	26.05.12	25.06.12	21.07.12	25.08.12	24.09.12	23.10.12
23.11.12	22.12.12	10.01.13	22.01.13	19.03.13	30.03.13	

The details of attendance of the Directors at the aforesaid meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri Narendra Singh	01.04.2012 to 31.03.2013	13	13
Shri C.VR. Rajendran	01.04.2012 to 31.03.2013	13	12
Ms. Kamala Rajan	01.04.2012 to 31.03.2013	13	09
Shri. A. K. Pandit	01.04.2012 to 17.07.2012	02	02
Dr. D. S. Patel	26.03.2012 to 25.09.2012	06	04
Shri. S. D. Dhanak	23.01.2012 to 22.07.2012 19.12.2012 to 31.03.2013	09	09
Dr. N.K. Drall	21.07.2012 to 31.03.2013	08	08
Dr. S. U. Deshpande	19.06.2012 to 18.12.2012	06	05
Shri R.C. Agrawal	06.10.2012 to 31.03.2013	07	07
Dr. R.K. Agrawal	23.01.2013 to 31.03.2013	02	02

4.2. Audit Committee of the Board

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India, Audit Committee of Board of Directors (ACB) is constituted. The delegated functions of the Committee are as under:

- ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function of the Bank. Total audit function implies the organization, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory / external audit of the Bank and inspection of RBI.
- As regards internal audit, ACB reviews the internal inspection/audit function in the Bank – adequacy of the system, its quality and effectiveness in terms of follow up. ACB also reviews inspection reports of specialized and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings.
- It specifically focuses on the follow up of – Inter Branch Adjustment Accounts, Un-reconciled long outstanding entries in Inter Bank Accounts and Nostro Accounts, Position of balancing of books at various branches, frauds and all other major areas of house keeping.
- ACB obtains and reviews quarterly reports from the Compliance Officer relating to implementation of various Government and RBI guidelines.
- ACB monitors the work done under concurrent audit, statutory audit and compliance of RBI inspection.

छ) मंडल की लेखा परीक्षा समिति लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन करती है और वार्षिक/अर्ध वार्षिक/त्रैमासिक खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत भी करती है. यह समिति लॉग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए सभी मुद्दों का भी अनुवर्तन करती है.

31 मार्च 2013 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री आर.सी.अग्रवाल	अध्यक्ष
ii. श्री सी.वीआर. राजेन्द्रन	सदस्य
iii. श्री अतीश सिंह	सदस्य
iv. सुश्री कमला राजन	सदस्य
v. डॉ. एन.के. दराल	सदस्य

वर्ष के दौरान मंडल की लेखा परीक्षा समिति की 10 बार बैठकें हुईं. बैठकों के दिनांक निम्न प्रकार हैं:

05.05.12	26.05.12	24.06.12	21.07.12	25.08.12
06.10.12	23.10.12	23.11.12	22.01.13	19.03.13

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर.सी.अग्रवाल	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	10	10
श्री सी.वीआर. राजेन्द्रन	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	10	09
श्री वी.पी. भारद्वाज	01.04.2012 से 20.07.2012 तक	04	03
श्री अतीश सिंह	20.07.2012 से 31.03.2013 तक	06	05
सुश्री कमला राजन	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	10	07
श्री ए.के.पंडित	01.04.2012 से 17.07.2012 तक	03	02
डॉ. एन.के. दराल	21.07.2012 से 31.03.2013 तक	06	06

श्रीमती एम.पी. देवधर, कंपनी सचिव मंडल की लेखा परीक्षा समिति की सचिव के रूप में कार्य करती हैं.

4.3 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है. इस समिति में चार निदेशक सदस्य हैं. समिति समन्वित जोखिम प्रबंधन, जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम विगोपनों को शामिल करते हुए, नीति और रणनीति तैयार करती है.

31 मार्च 2013 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री नरेन्द्र सिंह	अध्यक्ष
ii. श्री सी.वीआर. राजेन्द्रन	सदस्य
iii. डॉ. एन.के. दराल	सदस्य
iv. श्री आर.सी. अग्रवाल	सदस्य

वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की निम्नानुसार 8 बैठकें हुईं.

04.05.12	26.05.12	25.06.12	20.07.12	25.08.12	23.11.12	22.01.13	18.03.13
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री नरेन्द्र सिंह	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	08	07
श्री सी.वीआर. राजेन्द्रन	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	08	08
श्री एस.डी. धनक	01.04.2012 से 20.07.2012 तक	05	05
श्री आर.सी. अग्रवाल	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	08	08
डॉ. एन.के. दराल	21.07.2012 से 31.03.2013 तक	04	04

f) ACB approves the appointment of Statutory Central Auditors and also interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of the annual / half-yearly /quarterly accounts and reports. It also follows up all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

The composition of the Committee as on 31st March, 2013 is as under:

i. Shri R.C. Agrawal	Chairman
ii. Shri C.VR. Rajendran	Member
iii. Shri Ateesh Singh	Member
iv. Ms. Kamala Rajan	Member
v. Dr.N.K.Drall	Member

During the year, the ACB met 10 times and the dates of the meetings are as under:

05.05.12	26.05.12	24.06.12	21.07.12	25.08.12
06.10.12	23.10.12	23.11.12	22.01.13	19.03.13

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri R. C. Agrawal	01.04.2012 to 31.03.2013	10	10
Shri C.VR. Rajendran	01.04.2012 to 31.03.2013	10	09
Shri. V. P. Bhardwaj	01.04.2012 to 20.07.2012	04	03
Shri Ateesh Singh	20.07.2012 to 31.03.2013	06	05
Ms. Kamala Rajan	01.04.2012 to 31.03.2013	10	07
Shri. A.K. Pandit	01.04.2012 to 17.07.2012	03	02
Dr. N.K. Drall	21.07.2012 to 31.03.2013	06	06

Mrs. M.P. Devadhar, Company Secretary, acts as the Secretary to ACB.

4.3 Risk Management Committee of the Board:

The Risk Management Committee of the Board has been constituted with four Directors as members of the Committee as per the guidelines issued by Reserve Bank of India to devise a policy and strategy for Integrated Risk Management containing various risk exposures of the Bank including the credit risk.

The composition of the Committee as on 31st March, 2013 is as under:

i. Shri Narendra Singh	Chairman
ii. Shri C.VR. Rajendran	Member
iii. Dr. N.K. Drall	Member
iv. Shri R.C. Agrawal	Member

The Committee met 08 times during the year as under.

04.05.12	26.05.12	25.06.12	20.07.12	25.08.12	23.11.12	22.01.13	18.03.13
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri Narendra Singh	01.04.2012 to 31.03.2013	08	07
Shri C. VR. Rajendran	01.04.2012 to 31.03.2013	08	08
Shri. S. D. Dhanak	01.04.2012 to 20.07.2012	05	05
Shri R. C. Agrawal	01.04.2012 to 31.03.2013	08	08
Dr. N.K. Drall	21.07.2012 to 31.03.2013	04	04

4.4 निवेशकों और शेयरधारकों की शिकायत और शेयर अंतरण समिति

कार्पोरेट गवर्नेंस पर सेबी के दिशानिर्देशों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए लिस्टिंग समझौते की धारा 49 के अनुसार शेयरों के अंतरण, रिफंड आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश इत्यादि प्राप्त न होने से संबंधित शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों का निपटारा करने हेतु समिति का गठन किया गया है. गैर-कार्यपालक निदेशक डॉ. डी.एस. पटेल इस समिति के अध्यक्ष हैं जैसा उक्त धारा में अपेक्षित है.

समिति ने शेयर अंतरण से संबंधित विभिन्न मामलों पर भी विचार किया. वर्ष के दौरान समिति ने शेयर अंतरण, शेयरों का ट्रान्समिशन और डुप्लिकेट शेयर जारी करने का अनुमोदन माह में तीन बार परिचालन के द्वारा संकल्प अपनाते हुए किया.

31 मार्च 2013 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. डॉ. डी.एस.पटेल	अध्यक्ष
ii. श्री सी.वीआर.राजेन्द्रन	सदस्य
iii. श्री एस.डी. धनक	सदस्य
iv. डॉ. एस.यू. देशपांडे	सदस्य

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 4 बैठकें हुईं.

25.06.12	06.10.12	23.11.12	18.03.12
----------	----------	----------	----------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
डॉ. डी.एस. पटेल	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	04	04
श्री सी.वीआर.राजेन्द्रन	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	04	03
श्री एस.डी. धनक	21.07.2012 से 31.03.2013 तक	03	03
डॉ. एस.यू. देशपांडे	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	04	04

वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं:

01.04.2012 को लंबित शिकायतों की संख्या	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	582
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	582
31.03.2013 को लंबित शिकायतों की संख्या	0

शेयरों को भौतिक रूप से डी-मैट में बदलने के लिए कोई भी आवेदन लंबित नहीं था.

बैंक की निवेशकों की शिकायतों और स्टॉक एक्सचेंज के अनुपालन के संबंध में श्रीमती एम.पी. देवधर, कंपनी सचिव को बैंक का अनुपालन अधिकारी पदनामित किया गया है.

4.5 उच्च मूल्य वाली जालसाजियों की निगरानी हेतु विशेष समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार यह समिति गठित की गई है. समिति में 5 निदेशक सदस्य हैं जो उच्च मूल्य वाली जालसाजियों की निगरानी करते हैं. समिति का मुख्य कार्य ₹ 1.00 करोड़ एवं उससे अधिक की सभी जालसाजियों की निगरानी एवं समीक्षा करना है.

31 मार्च 2013 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री नरेन्द्र सिंह	अध्यक्ष
ii. श्री सी.वीआर.राजेन्द्रन	सदस्य
iii. श्री अतीश सिंह	सदस्य
iv. डॉ. डी.एस. पटेल	सदस्य
v. श्री आर.सी. अग्रवाल	सदस्य

4.4 Investors' and Shareholders' Grievances and Share Transfer Committee:

In compliance with SEBI guidelines on Corporate Governance as well as Clause 49 of the Listing Agreement, the Committee was constituted to look into the redressal of investors' and shareholders' grievances regarding transfer of shares, non-receipt of refund orders, share certificates, dividend warrants etc. Dr. D. S. Patel, Non Executive Director is the Chairman of the Committee as required in the said clause.

The Committee also considered various matters pertaining to share transfers. During the year, the Committee approved share transfers, transmission of shares and issuance of duplicate share certificates by adopting resolutions by circulation thrice in a month.

The composition of the Committee as on 31st March, 2013 is as under:

i. Dr. D.S. Patel	Chairman
ii. Shri C.VR. Rajendran	Member
iii. Shri S.D. Dhanak	Member
iv. Dr. S.U. Deshpande	Member

The Committee met 4 times during the year as under:

25.06.12	06.10.12	23.11.12	18.03.12
----------	----------	----------	----------

The details of attendance of the directors at the meetings of the Committee held during their respective tenures are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Dr. D. S. Patel	01.04.2012 to 31.03.2013	04	04
Shri C.VR. Rajendran	01.04.2012 to 31.03.2013	04	03
Shri S.D.Dhanak	21.07.2012 to 31.03.2013	03	03
Dr. S.U. Deshpande	01.04.2012 to 31.03.2013	04	04

The position of complaints received and resolved during the year is as under:

Number of complaints pending as on 01.04.2012	0
Number of complaints received during the year	582
Number of complaints resolved during the year	582
Number of complaints pending as on 31.03.2013	0

There were no pending applications for conversion of shares in physical form to Demat form.

Mrs. M.P. Devadhar, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer of the Bank in respect of compliance to the stock exchanges and investor grievances of the Bank.

4.5 Special Committee to Monitor Large Value Frauds:

As per the directions of Reserve Bank of India, the Committee, comprising of five Directors as members, was constituted to monitor large value frauds. The major functions of the Committee include monitoring and review of all the frauds of ₹ 1.00 crore and above.

The composition of the Committee as on 31st March 2013 is as under:

i. Shri Narendra Singh	Chairman
ii. Shri C. VR. Rajendran	Member
iii. Shri Ateesh Singh	Member
iv. Dr. D. S. Patel	Member
v. Shri R.C. Agrawal	Member

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नानुसार हुईं:

26.05.12	25.08.12	22.12.12	19.03.13
----------	----------	----------	----------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री नरेन्द्र सिंह	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	04	04
श्री सी.वी.आर. राजेन्द्रन	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	04	04
श्री वी. पी. भारद्वाज	01.04.2012 से 20.07.2012 तक	01	01
श्री अतीश सिंह	20.07.2012 से 31.03.2013 तक	03	02
डॉ. डी.एस. पटेल	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	04	03
डॉ. एन. के. दराल	01.04.2012 से 20.07.2012 तक	01	01
श्री आर. सी. अग्रवाल	21.07.2012 से 31.03.2013 तक	03	03

4.6 निदेशक पदोन्नति समिति

वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नतियों हेतु अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों वाली एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति सतर्कता अनुशासनिक मामलों तथा विभागीय कार्रवाइयों की समीक्षा भी करती है, जिसके लिए कार्यपालक निदेशक भी इस समिति के साथ संबद्ध होते हैं।

31 मार्च 2013 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- श्री नरेन्द्र सिंह अध्यक्ष
- श्री सी.वी.आर. राजेन्द्रन सदस्य
- श्री अतीश सिंह सदस्य
- सुश्री कमला राजन सदस्य

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नानुसार हुईं:

26.05.12	06.10.12	22.12.12	30.03.13
----------	----------	----------	----------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री नरेन्द्र सिंह	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	04	04
श्री सी.वी.आर. राजेन्द्रन	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	04	03
श्री वी. पी. भारद्वाज	01.04.2012 से 20.07.2012 तक	01	01
श्री अतीश सिंह	21.07.2012 से 31.03.2013 तक	03	03
सुश्री कमला राजन	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	04	04

4.7 ग्राहक सेवा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक की ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर प्राप्त प्रति-सूचनाओं का पुनरीक्षण करने और बैंक की कार्यविधियों और प्रणालियों में सतत आधार पर सुधार लाकर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता सुधारने हेतु नवोन्मेषी उपाय अपनाने के लिए समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च 2013 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- श्री नरेन्द्र सिंह अध्यक्ष
- श्री सी.वी.आर. राजेन्द्रन सदस्य
- श्री एस.डी. धनक सदस्य
- डॉ. एन.के. दराल सदस्य
- डॉ. एस.यू. देशपांडे सदस्य

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नानुसार हुईं:

25.06.12	06.10.12	22.12.12	18.03.12
----------	----------	----------	----------

The Committee met 4 times during the year as under:

26.05.12	25.08.12	22.12.12	19.03.13
----------	----------	----------	----------

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenures are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri Narendra Singh	01.04.2012 to 31.03.2013	04	04
Shri C.V.R. Rajendran	01.04.2012 to 31.03.2013	04	04
Shri. V. P. Bhardwaj	01.04.2012 to 20.07.2012	01	01
Shri Ateesh Singh	20.07.2012 to 31.03.2013	03	02
Dr. D. S. Patel	01.04.2012 to 31.03.2013	04	03
Dr. N. K. Drall	01.04.2012 to 20.07.2012	01	01
Shri R.C. Agrawal	21.07.2012 to 31.03.2013	03	03

4.6 Directors' Promotion Committee:

A Committee of Directors consisting of Chairman and Managing Director and the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level. The Committee also deals with review of vigilance disciplinary cases and departmental enquiries, for which the Executive Director is also associated with this committee.

The composition of the Committee as on 31st March 2013 is as under.

- Shri Narendra Singh Chairman
- Shri C.V.R. Rajendran Member
- Shri Ateesh Singh Member
- Ms. Kamala Rajan Member

The Committee met 4 times during the year as under:

26.05.12	06.10.12	22.12.12	30.03.13
----------	----------	----------	----------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri Narendra Singh	01.04.2012 to 31.03.2013	04	04
Shri C.V.R. Rajendran	01.04.2012 to 31.03.2013	04	03
Shri.V. P. Bhardwaj	01.04.2012 to 20.07.2012	01	01
Shri Ateesh Singh	21.07.2012 to 31.03.2013	03	03
Ms. Kamala Rajan	01.04.2012 to 31.03.2013	04	04

4.7 Customer Service Committee:

As per the directions of the RBI, the Committee was constituted to review a feed-back on quality of customer service in the Bank and to have innovative measures for enhancing the quality of customer service by bringing about on-going improvements in the systems and procedures of the Bank.

The composition of the Committee as on 31st March 2013 is as under:

- Shri Narendra Singh Chairman
- Shri C.V.R. Rajendran Member
- Shri S.D. Dhanak Member
- Dr. N.K. Drall Member
- Dr. S.U. Deshpande Member

The Committee met 4 times during the year as under:

25.06.12	06.10.12	22.12.12	18.03.12
----------	----------	----------	----------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिती
श्री नरेन्द्र सिंह	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	04	03
श्री सी.वी.आर. राजेन्द्रन	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	04	02
श्री ए.के. पंडित	01.04.2012 से 17.07.2012 तक	01	00
श्री एस.डी. धनक	21.07.2012 से 31.03.2013 तक	03	03
डॉ. एन.के. दराल	21.07.2012 से 31.03.2013 तक	03	03
डॉ. एस.यू. देशपांडे	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	04	04

4.8 पारिश्रमिक समिति

पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन से संबंधित प्रेरणा राशि पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया गया था। समिति में चार सदस्य हैं यथा श्री वी. पी. भारद्वाज, सुश्री कमला राजन, डॉ. एन.के. दराल तथा श्री आर.सी.अग्रवाल। समिति की बैठक दिनांक 21.07.2012 को हुई तथा पूर्णकालिक निदेशकों को निम्नानुसार कार्यनिष्पादन से संबंधित प्रेरणा राशि का अनुमोदन किया गया।

क्र.	नाम	पद	वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु कार्यनिष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन राशि (₹)
01	श्री ए.एस. भट्टाचार्य	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (01.04.2011 से 31.01.2012 तक)	₹ 5,83,333.00
02	श्री नरेन्द्र सिंह	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (01.02.2012 से 31.03.2012 तक)	₹ 1,16,667.00
03	श्री एम.जी. संघवी	कार्यपालक निदेशक (01.04.2011 से 28.02.2012 तक)	₹ 5,04,167.00
04	श्री सी. वी.आर. राजेन्द्रन	कार्यपालक निदेशक (01.03.2012 से 31.03.2012 तक)	₹ 45,833.00

4.9 नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्वाचित निदेशकों के उपयुक्त और उचित स्तर की जांच करने और उसे अनुमोदित करने के लिए समिति का गठन किया गया था। समिति में 3 गैर-कार्यपालक निदेशक सदस्य हैं।

31 मार्च 2013 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- श्री अतीश सिंह
- डॉ. एन.के. दराल
- श्री आर.सी. अग्रवाल

समिति की बैठक 23.10.2012 तथा 27.12.2012 को संपन्न हुई। समिति ने दोनों निर्वाचित निदेशकों द्वारा प्रस्तुत घोषणाओं को नोट किया और दोनों को उपयुक्त और उचित स्तर प्रदान किया।

उपरोक्त समिति की बैठक में उपस्थिति ब्यौरे निम्नानुसार है।

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिती
श्री अतीश सिंह	21.07.2012 से 31.03.2013 तक	02	02
डॉ. एन.के. दराल	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	02	02
श्री आर.सी. अग्रवाल	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	02	02

4.10 प्रौद्योगिकी समिति

सूचना प्रौद्योगिकी गवर्नंस, जिसमें सही सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति चयन तथा सभी रणनीतिक सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी शामिल है, के सभी पहलुओं हेतु बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया था।

31 मार्च 2013 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

- श्री सी.वी.आर. राजेन्द्रन अध्यक्ष
- डॉ. एन.के. दराल सदस्य
- डॉ. एस.यू. देशपांडे सदस्य

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri Narendra Singh	01.04.2012 to 31.03.2013	04	03
Shri C.VR. Rajendran	01.04.2012 to 31.03.2013	04	02
Shri. A. K. Pandit	01.04.2012 to 17.07.2012	01	00
Shri S.D. Dhanak	21.07.2012 to 31.03.2013	03	03
Dr. N.K. Drall	21.07.2012 to 31.03.2013	03	03
Dr. S.U. Deshpande	01.04.2012 to 31.03.2013	04	04

4.8 Remuneration Committee:

The Committee was constituted to evaluate the performance of whole time Directors for approving the performance-linked incentive payable to them. The Committee comprised of four members, namely Shri V.P. Bhardwaj, Ms. Kamala Rajan, Dr.N.K.Drall and Shri R.C.Agrawal. The Committee met on 21.07.2012 and approved the performance linked incentive payable to the whole time Directors as under:

Sr. No.	Name	Designation	Performance Linked Incentives for the FY 2011-12 (₹)
01	Shri A. S. Bhattacharya	Chairman and Managing Director (01.04.2011 to 31.01.2012)	₹ 5,83,333.00
02	Shri Narendra Singh	Chairman and Managing Director (01.02.2012 to 31.03.2012)	₹ 1,16,667.00
03	Shri M.G. Sanghvi	Executive Director (01.04.2011 to 28.02.2012)	₹ 5,04,167.00
04	Shri C.VR. Rajendran	Executive Director (01.03.2012 to 31.03.2012)	₹ 45,833.00

4.9 Nomination Committee:

In terms of RBI guidelines, the Committee was constituted to examine and accord 'fit and proper' status in respect of the elected directors. The Committee comprised of three non- executive directors.

The composition of Nomination Committee as on March 31, 2013 is as under:

- Shri Ateesh Singh
- Dr. N. K. Drall
- Shri R. C. Agrawal

The Committee met on 23.10.2012 and 27.12.2012 and noted the declarations filed by the elected director and accorded fit and proper status to both of them.

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Ateesh Singh	21.07.2012 to 31.03.2013	02	02
Dr. N.K. Drall	01.04.2012 to 31.03.2013	02	02
Shri R.C. Agrawal	01.04.2012 to 31.03.2013	02	02

4.10 Technology Committee

The Technology Committee of the Board was constituted in the Bank to deal with all aspects of IT Governance including choosing the right IT strategy and monitoring implementation of all strategic IT plans.

The composition of the Committee as on March 31, 2013 is as under:

- Shri. C.VR. Rajendran Chairman
- Dr. N.K. Drall Member
- Dr. S.U. Deshpande Member

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नानुसार हुईं.

26.05.12	24.06.12	24.09.12	18.03.13
----------	----------	----------	----------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिती
श्री सी.वी.आर. राजेन्द्रन	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	04	04
श्री ए.के. पंडित	01.04.2012 से 17.07.2012 तक	02	01
डॉ. एन.के. दराल	21.07.2012 से 31.03.2013 तक	02	02
डॉ. एस.यू. देशपांडे	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	04	04

4.11 कंपनियाँ जिनमें बैंक की इक्विटी है, उनमें निदेशक के निर्वाचन में उम्मीदवारों की सहायता हेतु समिति

समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- i. श्री नरेन्द्र सिंह अध्यक्ष
 - ii. डॉ. डी.एस. पटेल सदस्य
 - iii. डॉ. एन. के. दराल सदस्य
- वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई.

4.12 वसूली की निगरानी हेतु समिति

यह समिति वित्तीय सेवाएं विभाग के दिनांक 21 नवंबर 2012 के पत्र क्र. एफ क्र. 7/112/2012- बीओए द्वारा दिए गए भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार दिनांक 23 नवंबर 2012 गठित की गई है. समिति का गठन मासिक आधार पर वसूली की निगरानी हेतु किया गया था.

समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- i. श्री नरेन्द्र सिंह अध्यक्ष
- ii. श्री सी.वी.आर. राजेन्द्रन सदस्य
- iii. श्री अतीश सिंह सदस्य

वर्ष के दौरान समिति की 2 बैठकें निम्नानुसार हुईं.

22.12.2012	30.03.2013
------------	------------

उपरोक्त समिति की बैठक में उपस्थिति ब्यौरे निम्नानुसार है.

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिती
श्री नरेन्द्र सिंह	23.11.2012 से 31.03.2013 तक	02	02
श्री सी.वी.आर. राजेन्द्रन	23.11.2012 से 31.03.2013 तक	02	02
श्री अतीश सिंह	23.11.2012 से 31.03.2013 तक	02	02

4.13 ऋण अनुमोदन समिति

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970/80 में संशोधन के अनुसरण में मंडल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन दिनांक 10 फरवरी 2012 को किया गया. समिति को ₹ 250.00 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव और ऋण समझौता/बटूटे खाते प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड के अधिकार प्रदान किए गए हैं. प्रावधानों के अनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- i. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
- ii. कार्यपालक निदेशक
- iii. महाप्रबंधक, ऋण
- iv. महाप्रबंधक, ऋण प्राथमिकता
- v. महाप्रबंधक, वसूली व विधि सेवाएं
- vi. महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा
- vii. महाप्रबंधक, समन्वित जोखिम प्रबंधन

वर्ष के दौरान समिति की 49 बैठकें निम्नानुसार हुईं.

क्र.	दिनांक	क्र.	दिनांक	क्र.	दिनांक
01	09.04.12	08	30.05.12	15	09.07.12
02	18.04.12	09	07.06.12	16	16.07.12
03	21.04.12	10	09.06.12	17	27.07.12
04	30.04.12	11	18.06.12	18	04.08.12
05	10.05.12	12	21.06.12	19	06.08.12
06	14.05.12	13	26.06.12	20	10.08.12
07	21.05.12	14	06.07.12	21	16.08.12

The Committee met 4 times during the year as under:

26.05.12	24.06.12	24.09.12	18.03.13
----------	----------	----------	----------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri C.V.R. Rajendran	01.04.2012 to 31.03.2013	04	04
Shri. A.K. Pandit	01.04.2012 to 17.07.2012	02	01
Dr. N.K. Drall	21.07.2012 to 31.03.2013	02	02
Dr. S.U. Deshpande	01.04.2012 to 31.03.2013	04	04

4.11 Committee for supporting candidates in election for Director in Companies where the Bank has equity

The composition of the Committee is as under

- i. Shri Narendra Singh Chairman
- ii. Dr D.S. Patel Member
- iii. Dr N.K. Drall Member

No committee meeting was held during the financial year.

4.12 Committee for Monitoring Recovery

The committee is formed as per the direction of Government of India vide letter No F No 7/112/2012-BOA dated 21st November 2012 from Department of Financial Services. The Committee was formed on 23.11.2012 for monitoring the recovery on monthly basis.

The composition of the Committee is as under

- i. Shri Narendra Singh Chairman
- ii. Shri C.V.R. Rajendran Member
- iii. Shri Ateesh Singh Member

The Committee met 2 times during the year as under:

22.12.2012	30.03.2013
------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee Meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Narendra Singh	23.11.2012 to 31.03.2013	02	02
Shri C.V.R. Rajendran	23.11.2012 to 31.03.2013	02	02
Shri Ateesh Singh	23.11.2012 to 31.03.2013	02	02

4.13 Credit Approval Committee

The Credit Approval Committee of the Board was constituted on 10th February 2012 following the amendment to Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80. The Committee is vested with the powers of the Board with regard to credit proposals up to ₹ 250.00 crore and loan compromise/write off proposals. In terms of the provisions, the constitution of the Committee is as follows.

- i. Chairman & Managing Director
- ii. Executive Director
- iii. General Manager, Credit
- iv. General Manager, Credit Priority
- v. General Manager, Recovery and Legal Services.
- vi. General Manager, Financial Management & Accounts
- vii. General Manager, Integrated Risk Management

The Committee met 49 times during the year on the dates given below.

Sr.No	Date	Sr.No	Date	Sr.No	Date
01	09.04.12	08	30.05.12	15	09.07.12
02	18.04.12	09	07.06.12	16	16.07.12
03	21.04.12	10	09.06.12	17	27.07.12
04	30.04.12	11	18.06.12	18	04.08.12
05	10.05.12	12	21.06.12	19	06.08.12
06	14.05.12	13	26.06.12	20	10.08.12
07	21.05.12	14	06.07.12	21	16.08.12

क्र.	दिनांक	क्र.	दिनांक	क्र.	दिनांक
22	27.08.12	31	12.10.12	40	26.12.12
23	03.09.12	32	16.10.12	41	29.12.12
24	10.09.12	33	22.10.12	42	07.01.13
25	13.09.12	34	05.11.12	43	21.01.13
26	15.09.12	35	09.11.12	44	30.01.13
27	20.09.12	36	19.11.12	45	07.02.13
28	25.09.12	37	07.12.12	46	21.02.13
29	27.09.12	38	13.12.12	47	28.02.13
30	04.10.12	39	15.12.12	48	15.03.13
				49	26.03.13

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री नरेन्द्र सिंह	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	49	49
श्री सी.वी.आर. राजेन्द्रन	01.04.2012 से 31.03.2013 तक	49	47

इन बैठकों में निम्नलिखित कार्यपालक भी शामिल हुए:

- महाप्रबंधक, ऋण
- महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा
- महाप्रबंधक, समन्वित जोखिम प्रबंधन
- महाप्रबंधक, (ऋण) प्राथमिकता - आवश्यकतानुसार
- महाप्रबंधक, वसूली - आवश्यकतानुसार

4.14 अन्य समितियां

विभिन्न विशिष्ट विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा और संचालनगत मार्गदर्शन/मंजूरीयों हेतु कार्यपालकों की कुछ अन्य समितियां जैसे आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को), परिसर समिति, उच्च अधिकार प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी समिति, प्रणाली एवं क्रियाविधि समिति, निवेश समिति, उच्च प्रबंधन समिति, उच्च स्तरीय ऋण समिति तथा लेखा परीक्षा समिति इत्यादि हैं।

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

बैंक का अभिशासन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के अधीन होता है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केन्द्र सरकार निर्धारित करती है। बैंक गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सिटिंग फीस और वास्तविक यात्रा खर्च को छोड़कर किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं देता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त कुल सिटिंग फीस निम्नानुसार है: (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि निदेशक और भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक निदेशक को कोई सिटिंग फीस देय नहीं है।) शेयरधारक निदेशक श्री ए.के.पंडित को उनके निदेशानुसार बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कोई सिटिंग फीस अदा नहीं की गई।

क्र.	निदेशक का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
1	डॉ. डी.एस. पटेल	155000
2	श्री एस.डी. धनक	215000
3	डॉ. एन.के.दराल	260000
4	श्री आर.सी.अग्रवाल	285000
5	डॉ. एस.यू. देशपांडे	205000
6	डॉ. आर.के. अग्रवाल	50000
	कुल	1170000

Sr.No	Date	Sr.No	Date	Sr.No	Date
22	27.08.12	31	12.10.12	40	26.12.12
23	03.09.12	32	16.10.12	41	29.12.12
24	10.09.12	33	22.10.12	42	07.01.13
25	13.09.12	34	05.11.12	43	21.01.13
26	15.09.12	35	09.11.12	44	30.01.13
27	20.09.12	36	19.11.12	45	07.02.13
28	25.09.12	37	07.12.12	46	21.02.13
29	27.09.12	38	13.12.12	47	28.02.13
30	04.10.12	39	15.12.12	48	15.03.13
				49	26.03.13

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Narendra Singh	01.04.2012 to 31.03.2013	49	49
Shri C.V.R. Rajendran	01.04.2012 to 31.03.2013	49	47

The meetings were also attended by the following executives.

- General Manager, Credit,
- General Manager, Financial Management & Accounts
- General Manager, Integrated Risk Management.
- General Manager (Credit) Priority- - As per requirement
- General Manager, Recovery - As per requirement.

4.14 Other Committees:

There are also other Committees of executives viz., Asset Liability Management Committee (ALCO), Premises Committee, High Power IT Committee, System & Procedure Committee, Investment Committee, Top Management Committee, High Level Credit Committee and Audit Committee of Executives for reviewing functioning in various specific areas and giving operational directions/sanctions.

5. Remuneration of Directors:

The Bank is governed by the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The remuneration of the Chairman and Managing Director and the Executive Director is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the Non Executive Directors except from sitting fees as fixed by the Government of India and travel expenses, on actual basis.

The total Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the year 2012-13 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Government of India and Official Director representing Reserve Bank of India). Shri A. K. Pandit, Shareholder Director was not paid sitting fees for the Board / Committee meetings as per his instructions.

Sr. No.	Name of the Director	Amount Paid (₹)
01	Dr. D. S. Patel	155000
02	Shri S. D. Dhanak	215000
03	Dr. N.K. Drall	260000
04	Shri R.C. Agrawal	285000
05	Dr. S. U. Deshpande	205000
06	Dr. R.K. Agrawal	50000
	Total	1170000

6. सर्वसाधारण सभाएं

6.1 पिछले तीन वर्ष के दौरान आयोजित बैंक के शेयरधारकों की सर्वसाधारण बैठकों के विवरण निम्नानुसार हैं:

6. General Body Meetings:

6.1 Details of General Body Meetings of shareholders held during the last three years are given below: :

प्रकार Nature	दिनांक व समय Date & Time	स्थान Venue	उद्देश्य Purpose
सातवीं वार्षिक साधारण आम सभा Seventh Annual General Meeting	9 जुलाई, 2010 को प्रातः 10.00 बजे At 10.00 a.m. on 9th July 2010	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे -411005 Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune-411 005.	वर्ष 2009-2010 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना और लाभांश की घोषणा Adoption of audited Annual accounts and declaration of dividend for the year 2009-10.
असाधारण आम सभा Extraordinary General Meeting	23 मार्च, 2011 को प्रातः 10.00 बजे At 10.00 a.m. on 23rd March 2011	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे - 411005 Appasaheb Joag Hall. Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune-411 005.	भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के अधिमान आबंटन को विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदन Approval of Preferential Allotment of equity shares to Government of India by Special Resolution
आठवीं वार्षिक साधारण आम सभा Eighth Annual General Meeting	27 जून 2011 को प्रातः 11.30 बजे At 11.30 a.m. on 27th June 2011	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे - 411005 Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune - 411 005	वर्ष 2010-2011 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना और लाभांश की घोषणा Adoption of audited Annual accounts and declaration of dividend for the year 2010-11.
असाधारण आम सभा Extraordinary General Meeting	26 मार्च, 2012 को प्रातः 10.30 बजे At 10.30 a.m. on 26th March 2012	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे - 411005 Appasaheb Joag Hall. Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune-411 005.	भारत सरकार और एलआईसी को इक्विटी शेयरों के अधिमान आबंटन को विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदन Approval of Preferential Allotment of equity shares to Government of India and LIC of India by Special Resolution
नववीं वार्षिक साधारण आम सभा Ninth Annual Annual General Meeting	25 जून 2012 को प्रातः 10.30 बजे At 10.30 a.m. on 25th June 2012	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे - 411005 Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune - 411 005	वर्ष 2010-2011 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना और लाभांश की घोषणा Adoption of audited Annual accounts and declaration of dividend for the year 2011-12.
असाधारण आम सभा Extraordinary General Meeting	18 मार्च, 2013 को प्रातः 10.30 बजे At 10.30 a.m. on 18th March 2013	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे - 411005 Appasaheb Joag Hall. Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune-411 005.	भारत सरकार और एलआईसी को इक्विटी शेयरों के अधिमान आबंटन को विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदन Approval of preferential allotment of equity shares to Government of India and LIC of India by Special Resolution

6.2 साधारण आम सभा की किसी भी बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ।

6.3 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति का एक प्राधिकृत प्रतिनिधि साधारण आम सभाओं तथा असाधारण आम सभाओं में भाग लेने के लिए भेजा।

6.4 श्री ए.के.पंडित द्वारा दिनांक 17.07.2012 को त्यागपत्र देने के कारण उत्पन्न हुए रिक्त पद को भरने के लिए केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों के बीच से एक निदेशक का निर्वाचन करने के लिए दिनांक 10 जनवरी 2013 को बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक आयोजित की जानी थी जो निम्नलिखित कारणों से आयोजित नहीं की जा सकी:

असाधारण आम सभा की सूचना के प्रत्युत्तर में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) की शर्तों के अधीन बैंक को एक शेयरधारक निदेशक की रिक्ति के लिए डॉ. राजकुमार अग्रवाल का केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त हुआ।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004 के विनियम 66 के अनुसरण में चूँकि बैंक को केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों के बीच से निदेशक की एक रिक्ति को भरना था और केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त हुआ था, अतः उपर्युक्तानुसार नामांकित उम्मीदवार को दिनांक 28 दिसंबर 2012 से शेयरधारक निदेशक का पदभार संभालने हेतु निर्वाचित माना गया तथा उनका कार्यकाल दिनांक 31 जनवरी 2014 तक होगा।

उपर्युक्त के कारणवश, उक्त निर्वाचन हेतु गुरुवार, दिनांक 10 जनवरी 2013 को आयोजित की जाने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक को निरस्त कर दिया गया।

7. प्रकटन

7.1 सामान्य बैंकिंग के दौरान होने वाले व्यवहारों को छोड़कर बैंक के प्रवर्तकों/निदेशकों, प्रबंधन, बैंक की सहायक कंपनियों, अथवा रिश्तेदारों इत्यादि के साथ ऐसा कोई उल्लेखनीय संबद्ध संव्यवहार नहीं था जिसका बैंक के हितों से कोई प्रभावी प्रत्यक्ष संघर्ष हुआ हो।

6.2. No special resolution was passed in any of the Annual General Meetings.

6.3 The Ministry of Finance, Government of India had sent an authorized representative of President of India, to attend the Annual General Meetings and Extraordinary General Meetings of the Bank.

6.4 Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank, which was convened on 10th January 2013, for conducting election of one director from amongst the shareholders other than Central Government, to fill the vacancy caused by the resignation of Shri A.K Pandit on 17.07.2012, did not take place for the reason as below:

In response to the notice of EGM, the Bank received one valid nomination of Dr Rajkumar Agrawal as against the vacancy of one shareholder Director in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

In pursuance of the Regulation 66 of the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004, since the Bank had one vacancy of Director to be filled in from amongst the shareholders, other than Central Government, and only one valid nomination was received, the candidate nominated as above, is deemed to have been elected to assume the office of the Shareholder Director w.e.f. December 28, 2012 and his term of office will be upto 31st January 2014.

In view of the above, the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank scheduled to be held on Thursday, 10th January 2013 for the purpose of the aforesaid election was CANCELLED.

7. Disclosures:

7.1 Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoters / Directors, Management, their subsidiaries, or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.

- 7.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने सेबी के दिनांक 29 अक्टूबर, 2004 के उनके परिपत्र क्रमांक सेबी/सीएफडी/ डीआईएल/सीजी/1/2004/12/10 और बाद में दिनांक 13 जनवरी, 2006 के उनके परिपत्र क्रमांक सेबी/ सीएफडी/डीआईएल/सीजी/1/2006/13 तथा 16 दिसंबर 2010 के परि/सीएफडी/ डीआईएल/10/2010 द्वारा संशोधित तथा लिस्टिंग समझौते के संशोधित खंड 49 में उपलब्ध सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन उस सीमा तक किया है, जहां तक ये उन कानूनों और संबंधित विनियमन प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करें, जिनके अंतर्गत बैंक का गठन किया गया है.
- 7.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने पूंजी बाजार से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया. विनियामक प्राधिकारियों यथा सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या किसी अन्य संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा कानून, दिशानिर्देश और निर्देश या पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले का उल्लंघन करने के लिए बैंक पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया.
- 7.4 प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण भी निदेशकों की रिपोर्ट के अंग है.
- 7.5 लिस्टिंग समझौते के खंड 49 का अनुपालन

बैंक ने जिस सीमा तक लागू है, उस सीमा तक खंड 49 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करने हेतु कदम उठाए.

निम्नलिखित गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुसरण किया गया-

- i) कार्यपालक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के भुगतान के अनुमोदन के लिए पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया. अंतिम बैठक दिनांक 21.07.2012 को संपन्न हुई और सभी सदस्य उपस्थित थे.
- ii) मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षण:
- डॉ. नरेश कुमार दराल और श्री रमेश चंद्र अग्रवाल को दिनांक 29 जून 2012 को सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग, भा.रि. बैं., मुंबई द्वारा आयोजित गैर-अधिकारी निदेशकों के सम्मेलन हेतु नामित किया गया.
 - श्री अतीश सिंह को दिनांक 28 और 29 सितंबर 2012 को आईएमआई, मुंबई द्वारा आयोजित 'डाइरेक्टर्स कॉन्क्लेव टुवर्ड्स वैल्यू एडिग बोर्ड' के लिए नामित किया गया.
 - डॉ. नरेश कुमार दराल को दिनांक 05.11.2012 को सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग, (सीएफएआरएल) मुंबई द्वारा आयोजित 'एसीबी के प्रमुखों/ सदस्यों' के सम्मेलन हेतु नामित किया गया.
 - श्री आर.सी.अग्रवाल को दिनांक 01.02.2013 से 03.02.2013 तक 'सार्वजनिक उद्यम संस्थान', उस्मानिया विश्वविद्यालय, कैम्पस, नई दिल्ली (आईपीए) द्वारा आयोजित 'बोर्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम' हेतु नामित किया गया.
 - डॉ. नरेश कुमार दराल को दिनांक 18.02.2013 से 19.02.2013 तक आईडीआरबीटी पर स्वतंत्र निदेशकों के लिए कार्यक्रम हेतु नामित किया गया.
- iii) मंडल द्वारा अनुमोदित जालसाजी जोखिम प्रबंधन नीति के एक भाग के रूप में 'विसिल ब्लोअर' नीति को रखा गया.

8. संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है तथा अंग्रेजी में कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक तथा मराठी में एक स्थानीय दैनिक में प्रकाशित किया जाता है. परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर भी उपलब्ध किया जाता है.

वर्ष के दौरान बैंक के तिमाही/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक परिणामों को निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया.

को समाप्त अवधि	दैनिक का नाम		प्रकाशन का दिनांक
	मराठी	अंग्रेजी	
जून 2012	महाराष्ट्र टाइम्स	दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस	23.07.2012
सितंबर 2012	सकाळ	बिजनेस स्टैंडर्ड	24.10.2012
दिसंबर 2012	सकाळ	दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस	23.01.2013
मार्च 2013	सकाळ	बिजनेस लाईन	30.04.2013

- 7.2 During the year under review, the Bank has complied with all mandatory requirements, to the extent applicable, as provided in the revised Clause 49 of the Listing Agreement, as advised by SEBI vide its circular SEBI / CFD / DIL / CG / 1 / 2004/12/10 dated 29th October 2004 and later amended vide its circulars SEBI / CFD / DIL / CG / 1 / 2006 / 13 dated 13th January, 2006 and Cir/CFD/DIL/10/2010 dated 16th December 2010, to the extent they do not violate the statutes under which the Bank is constituted and guidelines or directives issued by the relevant regulatory authorities.

- 7.3 During the year under review, the Bank has complied with all requirements regarding capital market related matters. No penalties were imposed nor were strictures passed against the Bank by Regulatory authorities, viz. SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authorities for non-compliance of any law, guidelines and directives or any matter related to Capital Market.

- 7.4 The Management Discussion and Analysis forms part of the Board of Directors' Report.

- 7.5 Compliance with Clause 49 of the Listing Agreement

The Bank has complied with all the mandatory requirements of Clause 49 to the extent applicable and has also taken steps to comply with other non mandatory requirements.

Following non-mandatory requirements are complied with:

- i) Remuneration Committee is formed for approving the payment of performance linked incentive to the executive directors. Last meeting was held on 21.07.2012 and all the members were present.
- ii) Training of Board members:
- Dr Naresh Kumar Drall and Shri Ramesh Chandra Agrawal, were nominated to the Conference of Non-official Directors, organized by Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL), RBI, Mumbai on 29th June 2012.
 - Shri Ateesh Singh was nominated to the 'Director's Conclave - Towards Value adding Board' organized by IMI, Mumbai, on 28/29 September 2012.
 - Dr Naresh Kumar Drall was nominated to the Conference on 'Heads/ Members of ACB' organized by Center For Advanced Financial Research And Learning (CAFRAL), RBI, Mumbai on 05.11.2012.
 - Shri R.C. Agrawal was nominated to the 'Board Orientation Programme' conducted by 'Institute of Public Enterprises, Osmania University, Campus at New Delhi, (IPE) from 01.02.2013 to 03.02.2013.
 - Dr Naresh Kumar Drall was nominated to the programme for Independent Directors at IDRBT from 18.02.2013 to 19.02.2013.
- iii) Whistle Blower policy is made a part of the Fraud Risk Management Policy approved by the Board.

8. Means of Communication:

The quarterly, half yearly and annual financial results of the Bank are duly approved by the Board and published in at least one national Daily in English and one local daily in Marathi. The results are simultaneously displayed on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in

During the year, quarterly /half yearly /annual results of the Bank were published in the following newspapers.

Period Ended	Name of the daily		Date of publication
	Marathi	English	
June 2012	Maharashtra Times	The Financial Express	23.07.2012
September 2012	Sakal	Business Standard	24.10.2012
December 2012	Sakal	The Financial Express	23.01.2013
March 2013	Sakal	Business Lines	30.04.2013

9. शेयरधारकों का ब्यौरा:

9.1 स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध शेयरों के ब्योरे:

मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) में बैंक के शेयर 12.04.2004 से सूचीबद्ध किये गये हैं. स्ट्रिप कोड निम्नानुसार हैं -

बीएसई	532525
एनएसई	महाबैंक - ईक्यू (MAHABANK - EQ)

उक्त स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2013-14 हेतु वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया जा चुका है.

9.2 दसवीं वार्षिक साधारण आम सभा के विवरण:

लेखों व लाभांश पर विचार हेतु निदेशक मंडल की बैठक	दिनांक 29.04.2013
दसवीं वार्षिक साधारण आम सभा का स्थान, दिनांक और समय	शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2013 को प्रातः 10.30 बजे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अप्पासाहेब जोग हॉल, "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	20.05.2013
बहियों के बंद होने का दिनांक	01.06.2013 से 14.06.2013 तक (दोनों दिन शामिल हैं)
लाभांश भुगतान का दिनांक	13.07.2013

9.3 वित्तीय कैलेंडर (अनंतिम)

को समाप्त अवधि के लिए तिमाही वित्तीय परिणामों का अनुमोदन	अनंतिम समय
30 जून, 2013	14 अगस्त 2013 से पूर्व
30 सितंबर, 2013	14 नवंबर 2013 से पूर्व
31 दिसंबर, 2013	14 फरवरी 2014 से पूर्व
31 मार्च, 2014	लेखा परीक्षित वार्षिक परिणाम - 15 मई 2014 से पूर्व

9.4 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशक एवं शेयरधारकों को सहायता

मेसर्स एमसीएस लि. , मुंबई, रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (RTA) कार्यालय में शेयर अंतरण और अन्य सभी निवेशक संबंधी मामलों की देखरेख और कार्यवाहियों की जाती हैं. शेयरधारक, जो अपने शेयर भौतिक रूप में रखते हैं, वे उनके अंतरण विलेख और अन्य कागजात, शिकायतें एवम् असुविधाओं को रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट को अथवा निम्नलिखित पतों पर बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग में दर्ज करा सकते हैं :

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट	निवेशक सेवाएं विभाग
एमसीएस लिमिटेड (इकाई : बैंक ऑफ महाराष्ट्र) आफिस क्रमांक 21/22, भूतल, काशिराम जमनादास बिल्डिंग, 5, पी डिमेलो रोड (घडीयाल गोदी), मस्जिद (पु) मुंबई - 400 009 टेलीफोन : 022-2372 6253-56 फैक्स : 022-2372-6252 ई-मेल : uday_mcs@yahoo.in	बैंक ऑफ महाराष्ट्र निवेशक सेवाएं विभाग लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर पुणे - 411 005 फोन : (020) 2551 1360 फैक्स: (020) 2553 3246 ईमेल: investor_services@mahabank.co.in

9.5 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (इसीएस)

इसीएस लाभांश/ब्याज इत्यादि का भुगतान करने का अनोखा तरीका है, जिसके अंतर्गत निवेशक को देय राशि सीधे उसके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है. बैंक अपने शेयरधारकों को यह सुविधा लेने का विकल्प निम्नलिखित 43 केंद्रों पर उपलब्ध करता है, जहां इसीएस जमा समाशोधन प्रणाली कार्यरत है.

आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, बडौदा, बेंगलूर, भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, कोयंबटूर, कोलकाता, चेन्नै, देहरादून, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, जालंधर, जामनगर, जम्मू, कानपुर, कोल्हापुर, लखनऊ, लुधियाना, मद्रुरै,

9. Shareholder Information:

9.1 Details of listing of shares on Stock Exchanges:

The Bank's shares are listed on The Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) since 12.04.2004. The scrip codes are as under:

BSE	532525
NSE	MAHABANK - EQ

The annual listing fee for the year 2013-14 has been paid to the Stock Exchanges.

9.2 Particulars of the Tenth Annual General Meeting:

Board Meeting for considering Accounts and Dividend	29.04.2013
Date, Time and Venue of Tenth AGM.	At 10.30 am on Friday, the 14th June 2013, at Appasaheb Joag Hall Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune-411 005.
Posting of Annual Report	20.05.2013
Dates of Book Closure	01.06.2013 to 14.06.2013 (Both days inclusive)
Date of payment of dividend	13.07.2013

9.3 Financial Calendar (Tentative):

Approval of Quarterly Results for period ending	Tentative Time
30th June 2013	Before 14th August 2013
30th September 2013	Before 14th November 2013
31st December 2013	Before 14th February 2014
31st March 2014	Audited Annual Results before 15th May 2014

9.4 Share Transfer System and assistance to the Investors and Shareholders:

Share transfer and all other investor related matters are attended to and processed at the office of the Bank's Registrar and Transfer Agents (RTA), M/s. MCS Limited, Mumbai. The shareholders, who hold their shares in physical forms, may lodge their transfer deeds and any other documents, grievances and complaints to the RTA or alternatively to Investor Services Department of the Bank at the following addresses:

Registrar & Transfer Agent:	Investor Services Department:
MCS Limited, (Unit: Bank of Maharashtra) Office No. 21/22, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Bldg, 5, P.D' Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E), Mumbai - 400 009. Tel: (022) 2372 6253-56 Fax:(022) 2372 6252 e-mail: uday_mcs@yahoo.in	Bank of Maharashtra, Investor Services Department Lokmangal 1501, Shivajinagar Pune 411 005 Tel: (020)2551 1360 Fax (020) 2553 3246 e-mail: investor_services@mahabank.co.in

9.5 Electronic Clearing Services (ECS):

ECS is a novel method of payment of dividend/interest etc. where the amount due to investor can be directly credited to his/ her Bank account. The Bank offers this service to its shareholders with an option to avail the facility at the following fortythree centers, where ECS credit Clearing System is operative.

Agra, Ahmedabad, Amritsar, Aurangabad, Baroda, Bengaluru, Bhubaneshwar, Bhopal, Chandigarh, Coimbatore, Chennai, Dehradun, Guwahati, Gwalior, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jalandhar, Jamnagar, Jammu, Kanpur, Kolhapur, Kolkata, Lucknow, Ludhiana, Madurai,

मंगलोर, मुंबई, नागपुर, नासिक, नई दिल्ली, पणजी, पटना, पुणे, राजकोट, रायपुर, सोलापुर, सूरत, तिरुवनन्तपुरम, त्रिपुर, उडपी, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम.

उपयुक्त किसी भी केंद्र पर निवास करने वाले शेयरधारक इसीएस अधिदेश फार्म को भरकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. यह फार्म वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है. यदि शेयर भौतिक प्रारूप में है तो इस फार्म को रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट के पास भेजे और यदि शेयर डीमैट प्रारूप में रखे गए हैं तो यह फार्म संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को भेजा जाए. इसीएस के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने के विकल्प को शेयरधारक अपनी इच्छा से कभी भी बंद कर सकता है.

9.6 अदत्त लाभांश

वित्तीय वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-2011 तथा 2011-12 के लिए लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं करने वाले शेयरधारक लाभांश वारंटों के पुनर्वैधीकरण तथा आवश्यक सहायता के लिए रजिस्ट्रार/ बैंक से उक्त पते पर संपर्क कर सकते हैं.

9.7 शेयरों का डीमैट/रिअलाइजेशन

बैंक के शेयरों का अनिवार्य रूप से डी-मैट स्वरूप में ही क्रय-विक्रय होता है. बैंक के शेयरों के डी-मैटीकरण के लिए बैंक ने दोनों डिपॉजिटरियों - नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लि. (NSDL) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (CDSL) के साथ समझौते किए हैं. बैंक के इक्विटी शेयरों को आर्बिट आईएसआईएन कोड INE457A01014 है. वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक अभिरक्षा फीस सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार डिपॉजिटरी को भुगतान कर दी गई है.

31 मार्च 2013 को शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों के विवरण निम्नानुसार है :-

संवर्ग	शेयरधारकों की संख्या		शेयरों की संख्या	
	शेयरधारकों की संख्या	प्रतिशत	शेयरधारकों का संख्या	प्रतिशत
भौतिक रूप में*	50616	28.18	78995331	11.94
डीमैट:				
क. एनएसडीएल	93729	52.19	106042001	16.03
ख. सीडीएसएल**	35260	19.63	476438602	72.03
उप जोड़	128989	71.82	582480603	88.06
कुल	179605	100.00	661475934	100.00

(*भारत सरकार द्वारा धारित 7,18,83,852 शेयरों सहित)

(**भारत सरकार द्वारा धारित 46,55,06,455 शेयरों सहित)

9.8 बाजार मूल्य डाटा / बैंक के शेयरों का मूल्य निष्पादन:-

(बाजार भाव डाटा रूप में तथा मात्रा शेयरों की संख्या में)

महीना Month	बीएसई BSE			एनएसई NSE			संसेक्स SENSEX	
	उच्चतम High	न्यूनतम Low	मात्रा Volume	उच्चतम High	न्यूनतम Low	मात्रा Volume	उच्चतम High	न्यूनतम Low
अप्रैल April, 12	55.90	49.25	784046	56.00	50.05	2446412	17664	17010
मई May	56.35	46.10	798496	57.00	45.55	2348805	17432	15810
जून June	54.75	48.20	1122291	54.75	48.25	3464144	17448	15749
जुलाई July	51.25	45.10	638788	51.00	44.90	2198375	17631	16598
अगस्त August	47.00	42.90	346182	47.90	42.80	848621	17973	17027
सितंबर September	50.40	43.05	679549	50.85	43.05	2513199	18870	17251
अक्टूबर October	53.75	49.00	3638048	53.90	46.50	9774813	19137	18393
नवंबर November	56.70	50.00	2107084	56.55	50.00	4186552	19373	18256
दिसंबर December	62.00	56.00	1445033	61.80	55.90	5008404	19612	19149
जनवरी January, 13	66.20	56.00	2266290	66.20	49.85	8308170	20204	19509
फरवरी February	60.00	52.10	925936	59.25	52.15	1562936	19967	18794
मार्च March	54.80	46.40	610801	54.40	46.40	1806617	19755	18568

Mangalore, Mumbai, Nagpur, Nasik, New Delhi, Panaji, Patna, Pune, Rajkot, Raipur, Solapur, Surat, Thiruvananthapuram, Tirupur, Udupi, Vijayawada, Visakhapatnam.

The Shareholders residing at any of the above centers may avail of this facility by filling in the ECS mandate form. The form is enclosed with the Annual Report, which may be sent to the Registrars & Transfer Agent in case of shares held in physical mode and to the respective Depository Participants (DPs) in respect of the shares held in dematerialized mode. The option to receive dividend through ECS may be discontinued at any time, at the instance of the shareholder.

9.6 Unpaid Dividends:

The Shareholders who have not encashed the dividend warrants for the financial years 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 and 2011-12 may contact the Registrar / Bank on the above address for revalidation of the warrants and for necessary assistance.

9.7 Dematerialisation of shares:

Shares of the Bank are traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's Equity Shares is INE457A01014. The Annual Custody fees for the year 2013-14 have been paid to the depositories as per SEBI guidelines.

Particulars of shares held by the shareholders as on 31st March 2013 are as under:

Category	No. of shareholders		No. of shares	
	Number of shareholders	Percentage	Number of shares	Percentage
Physical *	50616	28.18	78995331	11.94
Demat:				
1. NSDL	93729	52.19	106042001	16.03
2. CDSL**	35260	19.63	476438602	72.03
Sub-total	128989	71.82	582480603	88.06
Grand Total	179605	100.00	661475934	100.00

(* includes 7,18,83,852 shares held by the Government of India)

(** Including 46,55,06,455 shares held by the Government of India)

9.8 Market Price data / price performance of Bank's Shares:

(Market Price data in Rupees and Volume in number of Shares):

9.9 प्रति शेयर डाटा

विवरण	31.3.2012	31.3.2013
अंकित मूल्य (रु.)	10/-	10/-
प्रति शेयर आय (रु.)	7.59	11.88
लाभांश (%)	22	23*
बही मूल्य (रु.)	54.06	67.10
निवल लाभ के प्रतिशत के रूप में अदा किया गया लाभांश (लाभांश कर को छोड़कर)	30.11	20.03

* शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यक्षीन

9.10 वितरण अनुसूची

31.03.2013 को शेयरधारिता का वितरण निम्नानुसार है:

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	कुल का%	शेयरों की संख्या	कुल का %
500 तक	1,67,745	93.40	2,18,06,710	3.30
501-1000	6,983	3.89	56,96,542	0.86
1001-2000	2,803	1.56	42,21,255	0.64
2001-3000	724	0.40	18,61,210	0.28
3001-4000	325	0.18	11,64,488	0.18
4001-5000	238	0.13	11,23,301	0.17
5001-10000	411	0.23	30,07,162	0.45
10000* से ऊपर	376	0.21	62,25,95,266	94.12
कुल	1,79,605	100.00	66,14,75,934	100.00

(* भारत सरकार द्वारा धारित 53,73,90,307 शेयरों का समावेश है)

9.11 शेयरधारिता का स्वरूप

दिनांक 31.03.2013 तथा 31.03.2012 को बैंक के शेयरों का शेयरधारिता का स्वरूप निम्नानुसार रहा :

शेयरधारकों की श्रेणी	31.03.2013 को		31.3.2012 को	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण से %	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण से %
भारत सरकार	53,73,90,307	81.24	46,55,06,455	78.95
बैंक/वित्तीय संस्थान / बीमा कंपनियां	6,12,52,812	9.26	6,44,70,862	10.94
म्युच्युअल फंड / यूटीआई	56,14,655	0.85	12,06,470	0.20
विदेशी संस्थागत निवेशक, अनिवासी भारतीय और विदेशी निगमित निकाय	57,56,331	0.87	53,65,721	0.91
घरेलू कंपनियां	69,25,356	1.05	72,04,077	1.22
भारतीय जनत/निवासी व्यक्ति	4,45,36,473	6.73	4,58,38,497	7.78
जोड़	66,14,75,934	100.00	58,95,92,082	100.00

9.12 भारत सरकार को अधिमन्य आबंटन आधार पर इक्विटी शेयरों का आबंटन

बैंक के शेयरधारकों की दिनांक 18 मार्च 2013 को हुई असाधारण आम सभा में विशेष संकल्प को अनुमोदित करते हुए प्रत्येक ₹ 10/- के 7,18,83,852 शेयर ₹ 46.48/- प्रति शेयर के प्रीमियम पर कुल ₹ 405,99,99,960.96/- के लिए भारत सरकार को अधिमानी आबंटन आधार पर मार्च 2013 में जारी एवं आबंटित किए गए.

9.13 शेयरधारकों से संप्रेषण में हरित पहल

"हरित पहल" के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने दिनांक 21.04.2011 के संप्रेषण क्र.17/95 /2011 सीएल-वी/परि.क्र.17 तथा दिनांक 29.04.2011 के क्र. 18/95/2011 द्वारा शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से संप्रेषण भेजने की अनुमति दी है. इसका अनुसरण करते हुए, बैंक ने शेयरधारकों को पत्र/मेल भेजे जिसमें अनुरोध किया गया कि वे अपने ई-मेल आईडी का अद्यतन कर लें जिससे कि बैंक शेयरधारकों को सूचना/संप्रेषण/दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज सके. तब से यह आवधिक रूप

9.9 Per Share Data:

Particulars	31.3.2012	31.3.2013
Face Value (₹)	10/-	10/-
EPS (₹)	7.59	11.88
Dividend (%)	22	23*
Book Value (₹)	54.06	67.10
Dividend Pay out (excluding dividend tax) as % of net profit	30.11	20.03

*Subject to approval of Shareholders

9.10 Distribution of shareholding:

The distribution of shareholding, as on 31.3.2013 is as under:

No. of Shares	No. of Shareholders	% to total	No. of shares	% to total
Up to 500	1,67,745	93.40	2,18,06,710	3.30
501 -1000	6,983	3.89	56,96,542	0.86
1001-2000	2,803	1.56	42,21,255	0.64
2001-3000	724	0.40	18,61,210	0.28
3001-4000	325	0.18	11,64,488	0.18
4001-5000	238	0.13	11,23,301	0.17
5001-10000	411	0.23	30,07,162	0.45
Above 10000*	376	0.21	62,25,95,266	94.12
Total	1,79,605	100.00	66,14,75,934	100.00

[* Includes 53,73,90,307 shares held by the Government of India]

9.11 Shareholding Pattern:

The shareholding pattern of the Bank's shares as on 31.3.2013 and 31.03.2012 was as under:

Category of shareholder	As on 31.03.2013		As on 31.03.2012	
	No. of shares held	% to total holding	No. of shares held	% to total holding
Govt. of India	53,73,90,307	81.24	46,55,06,455	78.95
Banks/Financial Institutions / Insurance Companies	6,12,52,812	9.26	6,44,70,862	10.94
Mutual Funds/ UTI	56,14,655	0.85	12,06,470	0.20
Fils, NRIs and OCBs	57,56,331	0.87	53,65,721	0.91
Domestic Companies	69,25,356	1.05	72,04,077	1.22
Indian Public / Resident individuals	4,45,36,473	6.73	4,58,38,497	7.78
Total	66,14,75,934	100.00	58,95,92,082	100.00

9.12 Allotment of equity shares to Government of India on preferential allotment basis

As approved by Special Resolution in the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank, held on 18th March 2013, 7,18,83,852 equity shares of ₹ 10/- each for cash at a premium of ₹ 46.48 per share aggregating ₹ 405,99,99,960.96 were issued and allotted to the Government of India, on preferential allotment basis in March 2013.

9.13 Green Initiatives in communication to the shareholders:

The Ministry of Corporate Affairs, vide its communications No. 17/95/2011 CL-v/Cir No.17 dated 21.04.2011 and No. 18/95/2011, dated 29.04.2011 has allowed sending the communications to the shareholders by electronic mode, as matter of "Green Initiative". Falling in line with this, the Bank has sent letters/emails to the shareholders, requesting them to inform/update their email Ids to enable the Bank to send the notices/communications/documents to the shareholders by electronic mode. This is done periodically from then and as and when

से तथा जब और जैसे शेयरधारकों को एजीएम, ईजीएम तथा वार्षिक रिपोर्ट के लिए नोटिस भेजा जाता है, तब-तब किया जाता है. हाल ही में, दिनांक 18 मार्च 2013 को संपन्न बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा की सूचना 50,495 शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजी गई.


notices for AGM, EGM and Annual Reports are sent to shareholders. Recently, the notices of the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank, held on 18th March 2013 were sent to 50,495 shareholders by electronic mode.

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का प्रमाणपत्र / घोषणा

मैं घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल ने लिस्टिंग समझौते के खंड 49 के अनुपालन में निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के कर्मचारियों के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया है. आचार संहिता बैंक की वेब साईट पर भी प्रदर्शित की गई है.

मैं यह भी घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के सभी कर्मचारियों ने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान आचार संहिता का पालन किया है.

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र



स्थान : पुणे
दिनांक : 29.04.2013


(नरेंद्र सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Certificate / Declaration of the Chairman and Managing Director

I declare that the Board has laid down the Code of Conduct for all Board Members and Senior Management Personnel of the Bank in compliance with clause 49 of the Listing Agreement. The Code of Conduct is posted on the website of the Bank.

I further declare that all Board members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance with the Code of Conduct during the year ended 31st March 2013.

For Bank of Maharashtra



Place : Pune
Date : 29.04.2013

(Narendra Singh)
Chairman & Managing Director

एन कुमार छाबरा एंड कंपनी सनदी लेखाकार एससीओ 1094-95 सेक्टर 22 बी चंडीगढ़ 160 022	डीएसपी एंड एसोसिएट सनदी लेखाकार 783, देशबंधु गुप्ता रोड फैज रोड क्रॉसिंग के पास, करोल बाग नई दिल्ली 110 005	कीर्तने एंड पंडित सनदी लेखाकार संगती, 73/2/2, भक्ति मार्ग ऑफ लॉ कॉलेज रोड पुणे - 411 004
जे सी भल्ला एंड कंपनी सनदी लेखाकार बी/5, सेक्टर-6 नोएडा उ.प्र. - 201301	जी. बसु एंड कंपनी सनदी लेखाकार 3, चौरंगी अप्रोच बसु हाउस कोलकाता 700 072	सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी सनदी लेखाकार एस आर 31, अशोक मार्केट स्टेशन स्क्वेअर भुवनेश्वर 751 001

N Kumar Chhabra & Co. Chartered Accountants SCO 1094-95, Sector 22-B Chandigarh - 160 022	DSP & Associates Chartered Accountants, 783, Desh Bandhu Gupta Road, Near Faiz Road Crossing, Karol Bagh, New Delhi - 110 005	Kirtane & Pandit Chartered Accountants Sangati, 73/2/2, Bhakti Marg, Off Law College Road Pune - 411 004
J C Bhalla & Co. Chartered Accountants B/5 Sector 6, Noida, U.P. - 201301	G. Basu & Co. Chartered Accountants 3,Chowringhee Approach, Basu House Kolkata -700 072	Singh Ray Mishra & Co Chartered Accountants, Sr 31, Ashok Market, Station Square, Bhubaneshwar-751 001.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों हेतु लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा वित्तीय वर्ष 31.03.2013 को समाप्त कारपोरेट गवर्नंस की शर्तों, जिसे लिस्टिंग एग्रीमेंट के अनुच्छेद 49 माध्यम से निर्धारित किया गया है तथा बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में दिया गया है, के अनुपालन की शर्तों की हमने आवश्यक सीमा में जांच की.

कारपोरेट गवर्नंस की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी बैंक की है.हमारी जांच उसके कार्यपद्धति एवं कार्यान्वयन तक ही सीमित थी,जिसे बैंक ने कारपोरेट गवर्नंस की शर्तों के अनुपालन की सुनिश्चितता के लिए अंगीकृत किया था.

हमारी राय में और हमारी यथेष्ट जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण और निदेशकों और प्रबंध तंत्र के प्रतिवेदन पर हम प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त लिस्टिंग एग्रीमेंट में निर्धारित कारपोरेट गवर्नंस का बैंक ने अनुपालन किया है.

हमारा कथन है कि 31 मार्च 2013 को बैंक के विरुद्ध किसी भी निवेशक की शिकायत बैंक द्वारा रखे गये अभिलेख के आधार पर एक महीने से ज्यादा लंबित नहीं थी.

हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक के भविष्य में व्यवहार्यता का न ही प्रबंध तंत्र द्वारा बैंक के कार्यकलापों के आचरण की कार्यक्षमता या प्रभविष्णुता का भावी आश्वासन है.

कृते एन. कुमार छाबरा एंड कं. सनदी लेखाकार एफआरएन 000837एन	कृते डीएसपी एंड एसोसिएट सनदी लेखाकार एफआरएन 6791एन	कृते कीर्तने एंड पंडित सनदी लेखाकार एफआरएन 105215डब्ल्यू
सीए आशीष छाबरा भागीदार सदस्यता क्र 507083	सीए अरविंद सिंघल भागीदार सदस्यता क्र 084939	सीए संदीप डी वेल्लिंग भागीदार सदस्यता क्र 044576
कृते जे सी भल्ला एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन 001111एन	कृते जी. बसु एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन 30174ई	कृते सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन 318121ई
सीए राजेश सेठी भागीदार सदस्यता क्र. 085669	सीए मनोज कुमार दास भागीदार सदस्यता क्र 013783	सीए सौनक रे भागीदार सदस्यता क्र 053815

स्थान : पुणे
दिनांक : 29 अप्रैल 2013

Auditors' Certificate to the Shareholders of Bank of Maharashtra

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Maharashtra for the year ended on 31.3.2013 as stipulated vide clause 49 of the Listing Agreement entered by the Bank with Stock Exchanges, to the extent applicable.

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and the representations made by the Directors and Management, we certify that the Bank has complied with the norms of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance was pending for a period exceeding one month as at 31st March 2013 against the Bank as per the records maintained by the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For N. Kumar Chhabra & Co Chartered Accountants FRN 000837N	For DSP & Associates Chartered Accountants FRN 6791N	For Kirtane & Pandit Chartered Accountants FRN 105215W
CA Ashish Chhabra Partner Membership No. 507083	CA Arvind Singhal Partner Membership No. 084939	CA Sandeep D.Welling Partner Membership No 044576
For J.C. Bhalla & Co Chartered Accountants FRN 001111N	For G. Basu & Co Chartered Accountants FRN 301174E	For Singh Ray Mishra & Co Chartered Accountants FRN 318121E
CA Rajesh Sethi Partner Membership No. 085669	CA Manoj Kumar Das Partner Membership No. 013783	CA Saunak Ray Partner Membership No. 053815

Place : Pune
Dated : 29 April 2013

वित्तीय विवरण

Financial Statements



31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2013

(₹ हजारों में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)
पूंजी एवं दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	1249,47,59	1177,59,21
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	5147,46,23	3545,06,66
जमाराशियां Deposits	3	94336,93,18	76528,65,08
उधारियां Borrowings	4	12877,48,82	6944,75,04
अन्य देयताएं तथा प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	3341,44,74	2941,32,62
जोड़ TOTAL		116952,80,56	91137,38,61
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	5265,29,08	4535,47,72
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks, Money at call & short notice	7	907,55,45	1208,77,87
निवेश Investments	8	31430,31,40	26031,35,83
अग्रिम Advances	9	75470,77,79	56059,76,44
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	1429,47,44	600,65,41
अन्य आस्तियां Other Assets	11	2449,39,40	2701,35,34
जोड़ TOTAL		116952,80,56	91137,38,61
संमाश्रित दायित्व Contingent Liabilities	12	24361,75,56	18788,85,69
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		2548,99,73	2044,61,87
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां Significant accounting policies	17		
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियां खातों का अभिन्न अंग हैं। The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

सी. वी.आर. राजेन्द्रन
C VR RAJENDRAN
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

नरेन्द्र सिंह
NARENDRA SINGH
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

डॉ. राजकुमार अग्रवाल
Dr RAJKUMAR AGRAWAL
निदेशक
DIRECTOR

डॉ. एस.यू. देशपांडे
Dr S U DESHPANDE
निदेशक
DIRECTOR

आर.सी. अग्रवाल
R C AGRAWAL
निदेशक
DIRECTOR

डॉ. नरेश कुमार दराल
Dr NARESH KUMAR DRALL
निदेशक
DIRECTOR

एस डी धनक
S D DHANAK
निदेशक
DIRECTOR

डॉ. डी.एस. पटेल
Dr. D S PATEL
निदेशक
DIRECTOR

सुश्री कमला राजन
MS KAMALA RAJAN
निदेशक
DIRECTOR

वी पी श्रीवास्तव
V P SRIVASTAVA
सहा. महाप्रबंधक, विप्र व लेखा
Asstt. General Manager, FM&A

वी. सुब्रमणियन
V. SUBRAMANIAN
उप महाप्रबंधक, विप्र व लेखा
Dy. General Manager, FM&A

अतुल भाटिया
ATUL BHATIA
महाप्रबंधक, विप्र व लेखा
General Manager, FM&A

बी. के. पिपरैया
B.K. PIPARAIYA
मुख्य महाप्रबंधक
Chief General Manager

स्थान : पुणे

Place : Pune

दिनांक : 29 अप्रैल, 2013

Date : 29th April, 2013

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2013

(₹ हजारों में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2013 (Current Year)	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2012 (Previous Year)
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	9613,43,21	7213,96,44
अन्य आय Other Income	14	912,00,07	640,66,61
जोड़ TOTAL		10525,43,28	7854,63,05
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	6580,08,48	4696,87,51
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	1796,64,28	1642,51,51
प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & contingencies		1389,18,56	1084,41,15
जोड़ TOTAL		9765,91,32	7423,80,17
लाभ / हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit for the year		759,51,96	430,82,88
जोड़े : आगे लाया गया लाभ Add : Profit brought forward		445,35,38	365,44,51
जोड़े : Add : Drawing from Revenue Reserve		—	,35
जोड़ TOTAL		1204,87,34	796,27,74
विनियोग APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षित को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		189,87,99	107,70,72
पूंजी आरक्षित को अंतरण Transfer to Capital Reserve		20,62,54	2,54,20
राजस्व आरक्षित को अंतरण Transfer to Revenue Reserve		445,35,38	—
विशेष आरक्षित को अंतरण Transfer to Special Reserve		150,00,00	25,00,00
निवेश आरक्षित को अंतरण Transfer to Investment Reserve		16,11,47	—
प्रस्तावित लाभांश (पीएनसीपीएस) Proposed dividend (PNCPS)		49,98,00	55,86,00
प्रस्तावित लाभांश (ईक्विटी) Proposed dividend (Equity)		152,13,95	129,71,03
लाभांश पर कर Tax on Dividend		34,35,02	30,10,41
शेष को तुलनपत्र में आगे ले जाया गया Balance carried over to Balance Sheet		146,42,99	445,35,38
जोड़ TOTAL		1204,87,34	796,27,74
प्रति शेयर अर्जन (मूल व कम की हुई) (₹) Earning per share (Basic & Diluted) (₹)		11.88	7.59

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ व हानि लेखे का अभिन्न अंग हैं। The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.
हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार. AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

कृते एन कुमार छाबरा एंड कं For N.Kumar Chhabra & Co. एफआरएन : 000837एन FRN : 000837N सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते डी एस पी एंड असोशिएट्स For DSP & Associates एफआरएन : 006791एन FRN : 006791N सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते कीर्तने एंड पंडित For Kirtane & Pandit एफआरएन : 105215डब्ल्यू FRN: 105215W सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते जे सी भल्ला एंड कं. For J C Bhalla & Co. एफआरएन : 001111एन FRN : 001111N सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते जी बसु एंड कं. For G Basu & Co. एफआरएन : 301174ई FRN : 301174E सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते सिंह रे मिश्रा एंड कं. For Singh Ray Mishra & Co. एफआरएन : 318121ई FRN : 318121E सनदी लेखाकार Chartered Accountants
सीए आशीष छाबरा CA Ashish Chhabra भागीदार Partner सदस्यता क्र.: 507083 Membership No.: 507083	सीए अरविंद सिंघल CA Arvind Singhal भागीदार Partner सदस्यता क्र.: 084939 Membership No.: 084939	सीए संधिप डी वेल्लिंग CA Sandeep D Welling भागीदार Partner सदस्यता क्र.: 044576 Membership No.: 044576	सीए राजेश सेठी CA Rajesh Sethi भागीदार Partner सदस्यता क्र.: 085669 Membership No.: 085669	सीए मनोज कुमार दास CA Manoj Kumar Das भागीदार Partner सदस्यता क्र.: 013783 Membership No.: 013783	सीए साउनक रे CA Saunak Ray भागीदार Partner सदस्यता क्र.: 053815 Membership No.: 053815

स्थान : पुणे

Place : Pune

दिनांक : 29 अप्रैल, 2013

Date : 29th April, 2013

अनुसूची - 1 : पूंजी
SCHEDULE - 1 : CAPITAL

 (₹ हजारों में)
 (₹ in thousands)

	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)		31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)	
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital ₹ 10 के इक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each		3000,00,00		3000,00,00
जारी, अभिदत्त Issued & Subscribed ₹ 10/- के 66,14,75,934 (गत वर्ष 58,95,92,082) इक्विटी शेयर 66,14,75,934 Equity Shares (Previous year 58,95,92,082) of ₹ 10/- each				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	589,59,21		481,71,26	
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	71,88,38	661,47,59	107,87,95	589,59,21
प्रदत्त पूंजी Paid Up Capital				
क. केंद्र सरकार द्वारा धारित a. Held by Central Government ₹ 10 के 53,73,90,307 (गत वर्ष 46,55,06,455) इक्विटी शेयर 53,73,90,307 (Previous year 46,55,06,455) Equity shares of ₹ 10/- each	537,39,03		465,50,65	
ख. जनता व अन्य द्वारा धारित b. Held by the Public & Others ₹ 10/- के 12,40,85,627 (गत वर्ष 12,40,85,627) इक्विटी शेयर 12,40,85,627 (Previous year 12,40,85,627) Equity Shares of ₹ 10/- each	124,08,56		124,08,56	
घटाएँ : देय आबंटन राशि Less: Allotment money due	—	661,47,59	—	589,59,21
		661,47,59		589,59,21
बेमियादी गैरसंचयी अधिमन्य शेयर Perpetual Non Cumulative Preference Shares केंद्र सरकार द्वारा धारित ₹ 10,00,000/- के 5880 बेमियादी गैरसंचयी अधिमन्य शेयर 5880 Perpetual Non Cumulative Preference Shares of ₹ 10,00,000/- each held by Central Government	588,00,00	588,00,00	588,00,00	588,00,00
जोड़ TOTAL		1249,47,59		1177,59,21

अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष
SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS

 (₹ हजारों में)
 (₹ in thousands)

	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)		31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)	
I. सांविधिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	828,27,67		720,56,95	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	189,87,99	1018,15,66	107,70,72	828,27,67
II. पूंजीगत आरक्षितियां CAPITAL RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	119,18,00		116,63,80	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	20,62,54		2,54,20	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	—	139,80,54	—	119,18,00
III. शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	928,02,42		430,80,74	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	334,11,61	1262,14,03	497,21,68	928,02,42
IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES				
क) राजस्व आरक्षितियां a) REVENUE RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	756,20,45		756,20,80	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	445,35,38		—	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	—	1201,55,83	,35	756,20,45
ख) विशेष आरक्षितियां b) SPECIAL RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	93,00,00		68,00,00	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	150,00,00		25,00,00	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	—	243,00,00	—	93,00,00
ग) पूनर्मूल्यन आरक्षितियां c) REVALUATION RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	375,02,74		443,54,56	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	1181,27,53		2,10,91	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	436,04,56	1120,25,71	70,62,73	375,02,74
घ) निवेश आरक्षित खाता d) INVESTMENT RESERVE ACCOUNT				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	—		—	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	16,11,47		—	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	—	16,11,47	—	—
V. लाभ व हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT		146,42,99		445,35,38
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV एवं V) (I, II, III, IV & V)		5147,46,23		3545,06,66

अनुसूची - 3 : जमाराशियां
SCHEDULE – 3 : DEPOSITS

(₹ हजारों में)

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)		31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)	
क. A. I. मांग जमाराशियां DEMAND DEPOSITS				
i) बैंकों से From Banks	394,17,67		58,69,12	
ii) अन्यो से From others	10791,43,91	11185,61,58	8392,77,98	8451,47,10
II. बचत बैंक जमाराशियां SAVINGS BANK DEPOSITS		27289,93,55		23180,12,14
III. मियादी जमाराशियां TERM DEPOSITS				
i) बैंकों से From Banks	180,44,44		45,33,27	
ii) अन्यो से From others	55680,93,61	55861,38,05	44851,72,57	44897,05,84
जोड़ TOTAL (I, II एवं III) (I, II & III)		94336,93,18		76528,65,08
ख. B. (i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां Deposits of Branches in India		94336,93,18		76528,65,08
(ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां Deposits of Branches outside India		—		—
जोड़ TOTAL		94336,93,18		76528,65,08

अनुसूची - 4 : उधारियां
SCHEDULE – 4 : BORROWINGS

(₹ हजारों में)

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)		31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)	
I. भारत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक से Reserve Bank Of India	600,00,00		3170,00,00	
ii) अन्य बैंकों से Other Banks	3563,00,00		—	
iii) अन्य संस्थाओं और एजन्सियों से Other Institutions and Agencies	4939,17,07		825,80,21	
iv) अन्य उधारियां Other Borrowings				
क) नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई)				
a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	295,00,00		295,00,00	
ख) बॉण्ड के रूप में जारी संमिश्र कर्ज पूंजी लिखतें				
b) Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	1250,00,00		1250,00,00	
ग) गौण ऋण बॉण्ड				
c) Subordinated Debt Bonds	1555,00,00	12202,17,07	955,00,00	6495,80,21
II. भारत के बाहर उधारियां BORROWINGS OUTSIDE INDIA		675,31,75		448,94,83
जोड़ TOTAL (I एवं II) (I & II)		12877,48,82		6944,75,04
III. उपर्युक्त I व II में जमानती उधारियां शामिल हैं SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE		—		—

अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान
SCHEDULE – 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजारों में)

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)		31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)	
I. देय बिल Bills Payable		415,27,14		409,11,91
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)		66,82,54		—
III. उपचित ब्याज Interest Accrued		340,62,41		283,48,32
IV. अन्य (इसमें प्रावधान शामिल हैं) : Others (including provisions) :				
i) मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision against standard assets	416,21,89		261,34,66	
ii) अन्य देयताएं (प्रावधान सहित) Other liabilities (including provisions)	2102,50,76	2518,72,65	1987,37,73	2248,72,39
जोड़ TOTAL (I, II, III एवं IV) (I, II, III & IV)		3341,44,74		2941,32,62

अनुसूची - 6 : नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष

(₹ हजारों में)

SCHEDULE – 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करन्सी नोट शामिल हैं) Cash in hand (including foreign currency notes)	514,55,25	503,55,06
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में In Current Accounts	4750,73,83	4031,92,66
ii) अन्य खातों में In other Accounts	–	–
जोड़ TOTAL (I एवं II) (I & II)	5265,29,08	4535,47,72

अनुसूची - 7 : बैंकों में अधिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन

(₹ हजारों में)

SCHEDULE – 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)
I. भारत में In India		
i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in		
(क) चालू खातों में (a) Current Accounts	61,42,65	381,01,76
(ख) अन्य जमा खातों में (b) Other Deposit Accounts	815,18,55	15,18,55
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice		
(क) बैंकों के पास (a) With Banks	–	–
(ख) अन्य संस्थाओं के पास (b) With Other Institutions	–	–
जोड़ TOTAL (i एवं ii) (i & ii)	876,61,20	396,20,31
II. भारत के बाहर Outside India		
बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in		
(क) चालू खातों में (a) Current Accounts	–	–
(ख) अन्य जमा खातों में (b) Other Deposit Accounts	30,94,25	812,57,56
(ग) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन (c) Money at Call & Short Notice	–	–
जोड़ TOTAL	30,94,25	812,57,56
कुल जोड़ GRAND TOTAL (I एवं II) (I & II)	907,55,45	1208,77,87

अनुसूची - 8 : निवेश
SCHEDULE – 8 : INVESTMENTS

(₹ हजारों में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)
क. A. I. भारत में निवेश Investments in India in		
क) सरकारी प्रतिभूतियां a) Government Securities (खजाना बिल व जीरो कूपन बांडों सहित) (inclusive of treasury bills & zero coupon bonds)	25373,29,69	20643,83,96
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां b) Other approved securities	–	–
ग) शेयर्स c) Shares	175,46,46	210,65,55
घ) डिबेंचर्स और बांड d) Debentures and Bonds	1171,46,99	944,45,97
ड.) सहायक प्रतिष्ठानों और / या संयुक्त उद्यम e) Subsidiaries and / or Joint Ventures	73,42,11	68,76,11
च) अन्य f) Others		
i) यू.टी.आई. / म्यूचुअल फंडों के यूनिट Units of U T I / Mutual funds	28,32,06	30,59,42
ii) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	872,33,81	1045,18,21
iii) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	9,72,60	53,26,25
iv) पी टी सी PTCs	5,50,88	15,01,96
v) आर आई डी एफ व अन्य R I D F & Others	3720,76,80	4636,66,15
जोड़ TOTAL	31430,31,40	26031,35,83
II. भारत से बाहर निवेश Investments outside India	–	–
जोड़ TOTAL	–	–
कुल जोड़ GRAND TOTAL (I & II)	31430,31,40	26031,35,83
ख. B. अ) भारत में सकल निवेश		
a) Gross Investments in India	31497,72,70	26198,26,56
घटाएं - निवेश पर मूल्य-हास Less: Depreciation on Investment	65,37,99	165,63,25
घटाएं - निवेशों हेतु प्रावधान Less: Provisions for Investment	2,03,31	1,27,48
निवल निवेश Net Investment	31430,31,40	26031,35,83
ब) भारत के बाहर सकल निवेश b) Gross Investments outside India	–	–
जोड़ TOTAL (अ एवं ब) (a & b)	31430,31,40	26031,35,83

अनुसूची - 9 : अग्रिम
SCHEDULE – 9 : ADVANCES

(₹ हजारों में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)		31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)	
क.A. i) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	1948,69,08		1489,69,90	
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	27857,77,03		19481,62,53	
iii) मियादी ऋण Term Loans	45664,31,68	75470,77,79	35088,44,01	56059,76,44
जोड़ TOTAL		75470,77,79		56059,76,44
ख.B. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत Secured by tangible assets (बही ऋण पर अग्रिमों सहित) (includes advances against Book Debts)	64456,05,85		45450,23,07	
ii) बैंक / सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank / Government Guarantees	58,56,10		7,19,91	
iii) अ-संरक्षित Unsecured	10956,15,84	75470,77,79	10602,33,46	56059,76,44
जोड़ TOTAL		75470,77,79		56059,76,44
ग.C. I. भारत में अग्रिम Advances in India				
i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	24339,55,60		18850,37,64	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	12787,04,06		13216,97,50	
iii) बैंक Banks	271,52,71		,10,98	
iv) अन्य Others	38072,65,42	75470,77,79	23992,30,32	56059,76,44
II. भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India		–		–
जोड़ TOTAL (ग I एवं ग II) (C.I & C.II)		75470,77,79		56059,76,44

अनुसूची - 10 : स्थिर आस्तियां
SCHEDULE – 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजारों में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)
I. परिसर Premises		
1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year (पूर्ववर्ती वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृद्धि शामिल है) (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)	592,12,41	643,25,24
2. वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the Period	35,54,79	,4,29
3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन Addition on account of revaluation during the year	1181,27,53	2,10,91
	1808,94,73	645,40,44
4. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	486,91,13	53,28,03
	1322,03,60	592,12,41
5. अद्यतन मूल्यहास Depreciation to date	107,79,23	154,07,46
	1214,24,37	438,04,95
II. अन्य स्थिर आस्तियां (इसमें फर्निचर व फिक्स्चर्स शामिल हैं) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)		
1. विगत वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	730,73,92	676,61,44
2. अवधि के दौरान परिवर्धन Addition during the Period	129,72,89	72,52,00
	860,46,81	749,13,44
3. अवधि के दौरान कमी Deduction during the Period	18,12,27	18,39,52
	842,34,54	730,73,92
4. अद्यतन मूल्य-हास Depreciation to date	627,11,47	568,13,46
	215,23,07	162,60,46
जोड़ TOTAL (I एवं II) (I & II)	1429,47,44	600,65,41

अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां
SCHEDULE – 11 : OTHER ASSETS

(₹ हजारों में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	–	371,79,64
II. उपचित ब्याज Interest accrued	754,32,54	585,48,92
III. अग्रिम रूप से संदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance / tax deducted at source	723,83,94	855,61,84
IV. लेखन सामग्री और स्टॉप Stationery and Stamps	5,01,93	5,31,18
V. दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	–	–
VI. अन्य Others *	966,20,99	883,13,76
जोड़ TOTAL (I,II,III,IV,V एवं VI) (I, II, III, IV, V & VI)	2449,39,40	2701,35,34

* टिप्पणी : अन्य में ₹ 41,45,43 की निवल आस्थगित कर आस्तियां शामिल हैं (गत वर्ष ₹ 261,85,96)

* Note : Others include Net Deferred Tax Assets of ₹ 41,45,43 (Previous Period ₹ 261,85,96)

अनुसूची - 12 : आकस्मिक दायित्व

(₹ हजारों में)

SCHEDULE – 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। Claims against the Bank not acknowledged as debts	1181,54,34	1175,57,05
II. आंशिक संदत्त निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments	–	–
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व* Liability on account of outstanding forward exchange contracts*	13628,90,10	9865,17,63
IV. संघटकों की ओर से दी गयी प्रतिभूतियां Guarantees given on behalf of constituents		
(क) भारत में (a) In India	5656,57,00	4834,78,66
(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	1177,15,86	740,57,84
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and obligations	2717,58,26	1772,74,51
VI. अन्य मदें जिनके लिये बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है Other items for which Bank is contingently liable	–	400,00,00
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V एवं VI) (I, II, III, IV, V & VI)	24361,75,56	18788,85,69

* वायदा विनिमय संविदाओं के समाश्रित दायित्व में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं।

* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज

(₹ हजारों में)

SCHEDULE – 13 : INTEREST EARNED

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2013 (Current Year)	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2012 (Previous Year)
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest / Discount on Advances / Bills	7298,49,90	5490,62,67
II. निवेशों पर ब्याज Interest on Investments	2263,27,95	1739,22,16
घटाएं : निवेशों का परिशोधन Less : Amortisation of Investments	32,00,27	30,64,74
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds	81,70,38	1,51,94
IV. अन्य Others	1,95,25	13,24,41
जोड़ TOTAL (I, II, III एवं IV) (I, II, III & IV)	9613,43,21	7213,96,44

अनुसूची - 14 : अन्य आय

(₹ हजारों में)

SCHEDULE – 14 : OTHER INCOME

(₹ in thousands)

	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2013 (Current Year)	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2012 (Previous Year)
I. कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange, and brokerage	491,33,75	455,07,28
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	154,79,81	31,80,22
घटाएं : निवेशों की विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of Investments	10,84,68	19,67,87
III. निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	–	–
घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	–	–
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	,64,16	,68,98
घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	,75,26	,59,48
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	60,41,78	43,81,48
घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	,5	,6,66
VI. भारत / विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों इत्यादि से लाभांशों के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or Joint Ventures abroad/in India	4,99,08	3,31,22
VII. विविध आय Miscellaneous Income	211,41,48	126,31,44
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V, VI एवं VII) (I, II, III, IV, V, VI & VII)	912,00,07	640,66,61

अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE – 15 : INTEREST EXPENDED

(₹ हजारों में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2013 (Current Year)	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2012 (Previous Year)
I. जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	5879,25,28	4293,80,71
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	312,27,28	120,05,42
III. अन्य Others	388,55,92	283,01,38
जोड़ TOTAL (I, II एवं III) (I, II & III)	6580,08,48	4696,87,51

अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय
SCHEDULE – 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजारों में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2013 (Current Year)	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2012 (Previous Year)
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिये प्रावधान Payments to and provisions for employees	1187,81,69	1113,01,73
II. भाड़ा, कर और रोशनी Rent, taxes and lighting	132,74,67	115,88,69
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	18,65,16	14,22,02
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	16,22,17	17,87,62
V. बैंक की सम्पत्ति पर मूल्य-हास Depreciation on Bank's property	73,92,99	65,66,08
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	,75,30	,71,45
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय Auditors' fees and expenses (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं)	13,20,43	11,90,45
VIII. विधि प्रभार Law Charges	9,89,24	8,72,47
IX. डाक, तार और टेलिफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	29,72,54	22,48,32
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	39,87,66	33,70,57
XI. बीमा Insurance	77,47,30	69,20,05
XII. अन्य व्यय Other expenditure	196,35,13	169,12,06
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI एवं XII) (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI & XII)	1796,64,28	1642,51,51

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखा प्रथाएं

- 1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो संलग्न वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और यह सामान्यतः अनुमोदित लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक / भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों/ दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है.
- 1.2 वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्ति और देयताएं (समाश्रित दायित्व सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में प्राक्कलन और धारणाओं पर विचार किया जाए. प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं.
- 1.3 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख परिच्छेद 6.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है.
- 1.4 राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं.

2. विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

- 2.1 विदेशी मुद्रा व्यवहारों का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा पूर्ववर्ती सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अन्तिम दरों पर किया गया है. तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों व देयताओं का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर किया गया है और उसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ / हानि का हिसाब लाभ व हानि लेखे में किया गया है.
- 2.2 बकाया वायदा विनिमय करार अनुबंधित दरों पर दर्शाए गए हैं और तुलनपत्र दिनांक को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा उपलब्ध कराई गई विनिमय दरों पर उनका पुनर्मूल्यन विनिर्दिष्ट परिपक्वता हेतु किया गया है. उसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ / हानि को भारतीय रिज़र्व बैंक / फेडाई के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया है.
- 2.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों व साख-पत्रों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को फेडाई द्वारा प्रकाशित कराई गई अंतिम विनिमय दरों पर तुलनपत्र में दर्शाया गया है.

3. निवेश :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

- 3.1 निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं.
 - क. परिपक्वता तक धारित
 - ख. बिक्री के लिए उपलब्ध
 - ग. व्यापार के लिए धारित
- 3.2 सभी प्रतिभूतियां निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं :
 - क. सरकारी प्रतिभूतियां
 - ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTIONS:

- 1.1 The financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory/ Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- 1.2 The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the period under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable.
- 1.3 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 6.1 below.
- 1.4 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances are in conformity with the prudential accounting norms issued by Reserve Bank of India from time to time.

2. FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS:

- 2.1 The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/loss is accounted for in the Profit & Loss Account.
- 2.2 Outstanding Forward Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued as on Balance Sheet date at the exchange rates published by FEDAI for specified maturities. The resulting profit/loss is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI Guidelines.
- 2.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.

3. INVESTMENTS:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

- 3.1 Investments are classified in the following categories:
 - a. Held to maturity
 - b. Available for sale
 - c. Held for trading
- 3.2 All the securities are further classified in the following six classifications:
 - a. Government Securities
 - b. Other approved securities

- ग. शेयर्स
घ. डिबेंचर तथा बांड
ङ. सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यम
च. अन्य (वाणिज्यिक प्रपत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, आरआईडीएफ इत्यादि)
- 3.3 बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी तय करता है और उसका वर्गीकरण तदनुसार करता है। निदेशक मण्डल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार प्रतिभूतियों का अंतरण एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण के दिनांक पर बाजार मूल्य / बही मूल्य / अधिग्रहण लागत में से न्यूनतम पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई है, का प्रावधान किया जाता है और प्रतिभूति का मूल्य तदनुसार बदल दिया जाता है।

3.4 रेपो / रिवर्स रेपो

बैंक ने मार्केट रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों के लेखांकन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट एकसमान लेखांकन प्रक्रिया को अपनाया है। रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमति शर्तों पर पुनर्खरीदी करार के साथ संपाश्विक उधारी / उधारी परिचालनों के रूप में माना गया है। रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाना जारी रखा गया है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया गया है। **वित्तीय वर्ष 2012-13 से बकाया रेपो/रिवर्स रेपो को उधार देने/ऋण देने के अंतर्गत क्रमशः दर्शाया गया है।** लागत और राजस्व को मामले के अनुसार ब्याज खर्च/ आय के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

3.5 निवेशों का मूल्यन :

क. परिपक्वता तक धारित

- परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन लागत पर किया गया है। जब कभी लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है तो प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में किया जाता है।
- "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत अन्य निवेशों के मामले में, जहां लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम है वहां अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है। सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के मामले में मूल्य में गिरावट का पता लगाया गया है और उसका प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निवेश का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है।
- इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) निवल लाभ को पहले लाभ हानि लेखे में लेखाबद्ध किया गया और उसके बाद लागू करों तथा संविधिक निधियों से निवल लाभ को पूंजीगत प्रारक्षिति में निवेश किया और (ख) निवल हानि को लाभ हानि लेखे में प्रभाषित किया गया है।

ख. बिक्री हेतु उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया गया है। केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन नियत आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार मूल्य पर किया गया है। राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बाण्डों का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार क्रम निर्धारण और फिमडा द्वारा सुझाई गई पद्धति से किया गया है। कोट किए गए शेयरों का मूल्यन बाजार दर से किया गया है। कोट नहीं किए गए शेयरों का मूल्यन नवीनतम उपलब्ध

- Shares
- Debentures and bonds
- Subsidiaries and Joint Ventures
- Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units, Rural Infrastructure Development Funds etc).

3.3 Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is changed accordingly.

3.4 REPO / Reverse REPO

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased under Reverse Repo are not included in Investment. Outstanding **REPO / Reverse REPO is disclosed as borrowing / lending respectively from FY 2012-13.** Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.5 Valuation of investments:

a. Held to Maturity:

- Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity.
- In case of other investments under "Held to Maturity" category, where the cost price is less than the face value, the difference is ignored. In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for. Investment in RRBs is valued at carrying cost.
- On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter net of applicable taxes and statutory reserve is appropriated to the 'Capital Reserve account' and (b) the net loss is charged to the profit and loss account.

b. Available for Sale:

The individual securities under this category are marked to market. Central Government securities are valued at market rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA]. State Government securities, other approved securities, Debentures and Bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates. Unquoted

तुलनपत्र के आधार पर बही मूल्य पर किया गया है, यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसे शेयर का मूल्यन ₹ 1 प्रति कंपनी पर किया गया है।

खजाना बिलों और वाणिज्यिक प्रपत्रों का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है। म्युचुअल फंड लिखतों का मूल्यन बाजार मूल्य पर, पुनर्खरीद मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य पर उनकी उपलब्धता के आधार पर इस क्रम में किया गया है।

"बिक्री हेतु उपलब्ध" प्रत्येक उप-श्रेणी के अंतर्गत उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर :

- (i) यदि आंकड़ों का परिणाम अधिमूल्यन है तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है।
- (ii) यदि आंकड़े मूल्यहास दर्शाते हैं तो उसे लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है और देयता के अंतर्गत प्रावधान और आकस्मिकताएं शीर्ष के अंतर्गत निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान (एएफएस) को जमा किया गया है।
- (iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक पुनर्मूल्यन को छोड़कर प्रतिभूतियों का बही मूल्य पुनर्मूल्यन के बाद परिवर्तित नहीं हुआ है।
- (iv) इस श्रेणी में निवेशों की बिक्री से हुए लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है।

ग. क्रय-विक्रय हेतु धारित :

- (i) इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मूल लागत पर धारित किया गया है इनका मूल्यन बाजार दरों पर अथवा फिमडा द्वारा घोषित कीमतों के अनुसार मासिक अंतरालों पर किया गया है, इस श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक वर्गीकरण के संबंध में निवल मूल्यहास, यदि कोई हो, को लाभ हानि खाते में प्रभारित किया गया है और देयता के अंतर्गत निवेश पर मूल्यहास पर प्रावधान (एचएफटी) को जमा किया गया है। निवल अधिमूल्यन, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की गई अपेक्षाओं को छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद प्रतिभूतियों का बही मूल्य नहीं बदला गया है।
- (ii) इस श्रेणी में निवेशों की बिक्री से हुए लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में लेखाबद्ध किया गया है।

घ. अनर्जक निवेशों को अभिनिर्धारित किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यहास / प्रावधान किया गया है।

च. प्रतिभूतियों के अर्जन के समय उपचित लागतों जैसे दलाली, फीस इत्यादि (इक्विटी/अधिमान शेयरों को छोड़कर, जहां इन्हें अधिग्रहण की लागत माना गया है) को व्यय माना गया है।

छ ब्याज दर स्वैप :

- (i) मूल्यांकन :
 - (क) हेजिंग स्वैप : हेजिंग आस्ति और देयताओं के लिए ब्याज दर स्वैप को बही में बाजार मूल्य पर अंकित नहीं किया गया है।
 - (ख) क्रय-विक्रय स्वैप : क्रय-विक्रय उद्देश्य से ब्याज दर स्वैप को बही में बाजार मूल्य पर अंकित किया गया है।

shares are valued at book value ascertained from the latest available Balance Sheet and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at ₹ 1/- per company.

Treasury bills and commercial papers are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability.

Based on the above valuation under each of six-sub classifications under 'Available for Sale':

- (i) If it results in appreciation, the same is ignored.
- (ii) If it results in depreciation, the same is charged to Profit & Loss account and credited to Provision for Depreciation on Investment (AFS) under the head Provision & Contingencies under liability.
- (iii) The book value of securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.
- (iv) Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

c. Held for Trading :

- (i) The individual scrips under this category are held at original cost. The same is valued at monthly intervals at market rates or as per the prices declared by FIMMDA and in respect of each classification under this category, net depreciation if any, is charged to profit and loss account and credited to Provision on Depreciation on Investment (HFT) under liability. Net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.
- (ii) Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and Loss account.

d. The non-performing investments are identified and depreciation/ provision is made as per RBI guidelines.

e. Costs such as brokerage, fees etc. incurred at the time of acquisition of securities (except equity/preference shares, where it is treated as cost of acquisition) are recognized as expenses.

f. Interest Rate Swaps :

- (i) Valuation:
 - (a) Hedging Swaps: Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.
 - (b) Trading Swaps: Interest Rate Swap for trading purpose is marked to market.

(ii) डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन :

- (क) हेजिंग स्वैप: आय का लेखांकन वसूली के आधार पर किया गया है. यदि कोई खर्च है और उसको निश्चित किया जा सकता है तो उसका लेखा निपटान के दिनांक को उपचय आधार पर किया गया है.
- (ख) क्रय-विक्रय स्वैप : आय या खर्च को वसूली के आधार पर निपटारे के दिनांक को लेखाबद्ध किया गया है.

(iii) स्वैप समाप्ति पर आय तथा हानि का लेखा:

- (क) हेजिंग स्वैप : समाप्त हुए स्वैप पर किसी भी लाभ या हानि को (क) स्वैप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख)आस्ति / देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, की अवधि के लिए स्वीकार किया गया है.
- (ख) क्रय-विक्रय स्वैप : स्वैप समाप्ति पर किसी भी लाभ या हानि को स्वैप समाप्ति के वर्ष में ही हानि या लाभ के रूप में दर्शाया गया है.

4. अग्रिम:

- 4.1 दर्शाए गए अग्रिमों से बट्टे डाले गये खाते, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान, ऋण गारंटी संस्थानों से निपटाए गए दावों और पुनर्भाजन घटाये गये हैं.
- 4.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया गया है.
- 4.3 अर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान को "अन्य देयताओं व प्रावधानों" के शीर्ष में दर्शाया गया है.
- 4.4 पुनर्गठित / पुनर्संरचित खातों के संबंध में, पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में अवनति के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान मूल्य आधार में किया गया है.
- 4.5 वित्तीय परिसंपत्तियों की परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) की बिक्री के मामले में, यदि बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य पर हुई है, तो इस कमी को लाभ और हानि खाते में नामे डाला गया है. यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है तो अधिशेष प्रावधान को प्रत्यावर्तित नहीं किया गया, बल्कि इसे अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटे/हानि की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाएगा.

5. स्थिर आस्तियां एवं मूल्यहास:

- 5.1 कतिपय परिसरों जिनका पुनर्मूल्यन किया गया है तथा जिन्हें पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दर्शाया गया है को छोड़कर अन्य परिसरों एवं अन्य स्थिर आस्तियों को लागत पर लेखाबद्ध किया गया है.
- 5.2 पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के मामलों को छोड़कर स्थिर आस्तियों (निम्न परिच्छेद 5.3, 5.4, 5.5 को छोड़कर) पर मूल्यहास का प्रावधान, हासमान शेष पध्दति से कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में अनुबद्ध दरों पर लिया गया है, जिनके संबंध में इन पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के आकलित स्थायित्व के आधार पर उच्च मूल्यहास किया गया है.
- 5.3 कंप्यूटरों पर मूल्यहास सरल रेखा पध्दति से 33.33% की दर पर किया गया है ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति का मूल्यहासित मूल्य तीन वर्षों में 1 रुपया रह जाए. कम्प्यूटरों में साफ्टवेयर, एटीएम और यूपीएस भी शामिल हैं.
- 5.4 ₹ 5,000/- या कम की मूल लागत वाली स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान खरीद के वर्ष में 100 प्रतिशत करने के बजाय लागू दरों पर किया गया.

(ii) Accounting of income on derivative deals:

- (a) Hedging Swaps: Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.
- (b) Trading Swaps: Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.

(iii) Accounting of gain or loss on termination of swaps:

- (a) Hedging Swaps: Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.
- (b) Trading Swaps: Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenses in the year of termination.

4. ADVANCES:

- 4.1 Advances shown are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions and rediscounts.
- 4.2 Classification of advances and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI from time to time.
- 4.3 Provision for performing assets is shown under the head "Other liabilities and provisions".
- 4.4 In respect of Rescheduled/ Restructured accounts, provision for diminution in fair value of restructured advances is made in present value basis as per RBI guidelines.
- 4.5 In case of financial assets sold to Assets Reconstruction Company (ARC)/ Securitization company (SC), if the sale is at price lower than the net book value, the short fall is debited to profit and loss account. If the sale value is higher than the net book value, the surplus provision is not reversed but will be utilized to meet the deficit/ loss on account of sale of other financial assets.

5. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION:

- 5.1 Premises and Other Fixed Assets are accounted for at cost except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.
- 5.2 Depreciation on fixed assets (other than those referred in para 5.3, 5.4, 5.5 below) is provided for on the diminishing balance method at the rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.
- 5.3 On computers, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method so as to write down the asset value in three years to Rupee One as per RBI guidelines. Computers include softwares, ATMs and UPS also.
- 5.4 On Fixed Assets having original cost below ₹ 5,000/-, depreciation is provided for at applicable rates instead of providing 100% depreciation in the year of purchase.

- 5.5 वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्तियों पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास का प्रावधान किया गया है। हटाई गई / बेची गई संपत्तियों पर वर्ष के दौरान मूल्यहास का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 5.6 पुनर्मूल्यन आस्तियों की लागत से अधिक की पुनर्मूल्यन राशि से संबंधित मूल्यहास को परि. 5.2 में उल्लेख किए अनुसार स्थिर आस्तियों की शेष अवधि पर हासमान शेष पद्धति पर प्रदान किया गया है और इसे पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि के प्रति समायोजित किया गया है। पूर्णतः मूल्यहासित संपत्ति पर पुनर्मूल्यन प्रारक्षित को अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा प्रमाणित इसकी शेष अवधि के आधार पर ऋण परिशोधित किया गया है।
- 5.7 पट्टेवाली भूमि का परिशोधन पट्टा अवधि में सरल रेखा पद्धति (एसएलएम) पर किया गया है।

6. राजस्व अभिनिर्धारण :

- 6.1 निम्नांकित मदों को छोड़कर, जिन्हें नकदी आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है, समस्त आय तथा लागत को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।
- क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज।
- ख. कमीशन से आय यथा-गारंटी, साख पत्र, सरकारी कारोबार, बैंक-बीमा कारोबार, म्युचुअल फण्ड कारोबार लॉकर किराया आय।
- ग. खरीदे गए तथा भांजित बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज।
- घ बीमा दावे
- च डिबेंचर न्यासी व्यवसाय पर पारिश्रमिक
- छ. ऋण प्रक्रिया शुल्क
- ज व्यापारी बैंकिंग परिचालन व हामीदारी कमीशन से आय
- झ इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं पर प्राप्त संव्यवहार प्रसंस्करण शुल्क
- 6.2. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानर्देशों के अनुसरण में अतिदेय जमाराशियों पर देय ब्याज का प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 22.08.2008 के परिपत्र के दिनांक से उपचय आधार पर किया गया है तथा शेष का प्रावधान नवीकरण के समय किया गया है।

7. कर्मचारी अनुलाभ :

परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए / अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

परिभाषित अनुलाभ योजना : परिभाषित अनुलाभ योजनाओं हेतु बैंक की देयताओं का निर्धारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपचित मूल्यांकन आधार पर किया गया है। अनुमानित इकाई जमा पद्धति के अंतर्गत बीमाकिक मूल्यन तुलनपत्र के दिनांक को किया गया है। बीमाकिक लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है।

8. आस्तियों की हानि

पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों की हानि, यदि कोई है को सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 28 - आस्तियों की हानि के अनुसार दर्शाया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा ही आस्तियों की हानि जारी की जाती है, जिसे लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज किया जाता है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्ति

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के मानक 29 "प्रावधान-आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्ति" के अनुसार बैंक ने प्रावधान का निर्धारण केवल तब ही किया है जब किसी पूर्व घटना के कारण उसका वर्तमान में दायित्व उत्पन्न हुआ हो। यह संभव है कि दायित्व का निपटान करने हेतु आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों के बाहरी

- 5.5 Depreciation is provided for full year in respect of assets purchased during the year. No depreciation is provided on assets sold / discarded during the year.
- 5.6 Depreciation relating to revalued amount over and above the cost of the revalued assets, is provided on diminishing balance method over the residual life of the fixed assets as stated in para 5.2 and adjusted against the Revaluation Reserve. Revaluation reserve on fully depreciated properties is amortized on the basis of their residual life as certified by approved valuers.
- 5.7 Leasehold land cost is amortized over the period of lease on Straight Line Method (SLM).

6. REVENUE RECOGNITION

- 6.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-
- a. Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms issued by RBI, from time to time.
- b. Income from commission viz on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Bancassurance, Mutual Fund business and Locker Rent.
- c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.
- d. Insurance claims.
- e. Remuneration on Debenture Trustee Business.
- f. Loan Processing Fees.
- g. Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.
- h. Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking.
- 6.2 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at Saving Bank rate effective from date of RBI circular dated 22.08.2008, and the balance at the time of renewal.

7. EMPLOYEES' BENEFITS:

Defined Contribution Plan: The contribution paid / payable under defined contribution benefit schemes are charged to profit and loss account.

Defined Benefit Plans: Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined on the basis of an actuarial valuation made at the end of financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

8. IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment losses if any, on fixed assets including Revalued Assets, are recognized in accordance with Accounting Standard 28 - Impairment of Assets issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and charged to profit and loss account.

9. PROVISIONS CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per the Accounting Standard 29-"Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of

प्रवाह की आवश्यकता में पड़ेगी जब दायित्व की रकम का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकेगा।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि इसके कारण ऐसी आय का निर्धारण हो सकता है जो कभी न हुई हो।

10. निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

घोषित निवल लाभ, आकस्मिकताओं व प्रावधानों के उपरांत है जिनमें निवेशों के मूल्य का समायोजन, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना, कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कराधान, अनुबंधी लाभ कर सहित), अग्रिमों के लिए प्रावधान तथा आकस्मिकताएं / अन्य शामिल हैं।

11. आयकर :

वर्ष के दौरान किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर, संपत्ति कर और आस्थगित कर के प्रति देयताएं शामिल हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार करयोग्य आय तथा लेखा योग्य आय के समय अन्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं ब्याज दर में परिवर्तन का प्रभार परिवर्तन की प्रयोज्यता की अवधि में लाभ और हानि खाते में अभिनिर्धारित किया गया है।

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय उस वर्ष में लिया गया है जब संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया।

आयकर प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई मांग, जिसमें बजाज भी शामिल है, उसे उन्हें उपलब्ध कराया गया। दूसरी अपील में उसे अनुमोदित किया गया (अर्थात् आईटीएटी)।

12. प्रति शेयर अर्जन :

प्रति ईक्विटी शेयर मूल और विरल अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस-20) "प्रति शेयर अर्जन" के अनुरूप की गई है। प्रति शेयर मूल अर्जन संबंधित अवधि हेतु बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा निवल लाभ को भाग देकर निकाली गई है। संबंधित अवधि के दौरान बकाया विरल संभावित ईक्विटी शेयर और भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या का उपयोग कर प्रति ईक्विटी शेयर विरल अर्जन की गणना की गई है।

resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may never be realized.

10. NET PROFIT, PROVISIONS AND CONTINGENCIES:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred tax), provision for advances and contingencies/others.

11. INCOME TAX:

The provision for tax for the year comprises liability towards Current Income Tax, Wealth Tax and Deferred Tax. The deferred tax asset/ liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by ICAI. The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account in the period of applicability of the change.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Income Tax authorities including the interest thereon is provided for when the demand is upheld in the second appeal (i.e. by ITAT)

12. EARNINGS PER SHARE

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with the Accounting Standard (AS-20) "Earnings Per Share" issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

2012-13

अनुसूची 18: खातों पर टिप्पणियां

(नोट - कोष्टक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

Bank of Maharashtra

2012-13

SCHEDULE 18: NOTES ON ACCOUNTS

(Note: Figures in bracket relate to previous year)

1. पूंजी

मदें	को	
	31.03.2013	31.03.2012
i. जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (%)		
बेसल-I	11.72	11.25
बेसल-II	12.59	12.43
ii. जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात स्तर I पूंजी (%)		
बेसल-I	7.03	7.50
बेसल-II	7.57	8.31
iii. जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात स्तर II पूंजी (%)		
बेसल-I	4.69	3.75
बेसल-II	5.02	4.12
iv. भारत सरकार की शेयर धारिता का प्रतिशत (%)	81.24	78.95
V. आईपीडीआई जारी कर उगाही गई रकम (₹ करोड़)	0.00	0.00
VI. अपर टियर-(II) जारी कर उगाही गई रकम (₹ करोड़)	0.00	0.00
VII. साधारण टियर-(II) जारी कर उगाही गई रकम (₹ करोड़)	1000.00	0.00

बैंक द्वारा वर्ष के दौरान भारत सरकार को अधिमान आबंटन आधार के माध्यम से ₹ 406.00 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) की इक्विटी पूंजी उगाही गई.

(₹ करोड़ में)

विवरण	आबंटन का दिनांक	जारी शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयर पूंजी (₹)	शेयर प्रीमियम (₹)	कुल (₹)
भारत सरकार	30.03.2013	7,18,83,852	71.88	334.12	406.00

बैंक द्वारा टियर II पूंजी के संवर्धन हेतु वर्ष के दौरान से ₹ 1000.00 करोड़ की टियर II पूंजी उगाही गई.

(₹ करोड़ में)

बॉण्ड	आईएसआईएन	आबंटन का दिनांक	जारी बॉण्ड की संख्या (₹)	प्रति बॉण्ड (₹)	कुल (₹)
9.00%-निम्न टियर-II-एसआर - X	INE457A09199	31.12.2012	10000	10 lakh	1000.00

वर्ष के दौरान से निम्नलिखित टियर II बॉण्ड परिपक्व हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड	आईएसआईएन	आबंटन का दिनांक	जारी बॉण्ड की संख्या	प्रति बॉण्ड	कुल
1	7.50%-निम्न टियर-II-एसआर VI(ए)	INE457A09066	19.01.2013	2000	10 lakh	200.00
2	7.50%-निम्न टियर-II-एसआर VI (बी)	INE457A09074	01.03.2013	2000	10 lakh	200.00
				4000		400.00

1. Capital:

Items	As on	
	31.03.2013	31.03.2012
i) CRAR (%)		
Basel - I	11.72	11.25
Basel - II	12.59	12.43
ii) CRAR - Tier I Capital (%)		
Basel - I	7.03	7.50
Basel - II	7.57	8.31
iii) CRAR - Tier II Capital (%)		
Basel - I	4.69	3.75
Basel - II	5.02	4.12
iv) Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	81.24	78.95
v) Amount raised by issue of IPDI (₹ in Crore)	0.00	0.00
vi) Amount raised by issue of Upper Tier II instrument (₹ in Crore)	0.00	0.00
vii) Amount raised by issue of Ordinary Tier II instrument (₹ in Crore)	1000.00	0.00

The Bank has raised equity capital of ₹ 406.00 crore (including share premium) through preferential allotment basis to Government of India, during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	Date of Allotment	No. of Shares issued	Equity share capital (₹)	Share premium (₹)	Total (₹)
Government of India	30.03.2013	7,18,83,852	71.88	334.12	406.00

The Bank has raised Tier II capital of ₹ 1000.00 crore during the year to augment Tier II capital:

(₹ in Crore)

Bond	ISIN	Date of Allotment	No. of Bond issued	Per Bond (₹)	Total (₹)
9.00% -Lower Tier II -Sr.X	INE457A09199	31.12.2012	10000	10 lakh	1000.00

Following Tier II bonds were matured during the year.

(₹ in Crore)

Sr. No.	Bond	ISIN	Date of Maturity	No. of Bond matured	Per Bond (₹)	Total (₹)
1.	7.50%-Lower Tier II-Sr.VI (A)	INE457A09066	19.01.2013	2000	10 lakh	200.00
2	7.70%- Lower Tier II-Sr.VI (B)	INE457A09074	01.03.2013	2000	10 lakh	200.00
				4000		400.00

2. निवेश

बैंक ने निवेश संविभाग को क्रमशः "परिपक्वता तक धारित", "बिक्री हेतु उपलब्ध" और "विपणन हेतु धारित" तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया है।

2.1 बैंक के कुल निवेश निम्नानुसार हैं. सभी निवेश भारत में हैं भारत के बाहर निवेश नहीं हैं

(₹ करोड़ में)

	मर्दें	31.03.2013	31.03.2012
(1)	निवेशों का मूल्य		
	i) निवेशों का सकल मूल्य	31497.73	26198.26
	(ii) मूल्यहास हेतु प्रावधान	67.41	166.91
	(iii) निवेशों का शुद्ध मूल्य	31430.32	26031.35
(2)	निवेशों पर मूल्यहास हेतु धारित प्रावधानों की गतिशीलता		
	(i) प्रारंभिक शेष	166.91	123.42
	(ii) जोड़िए : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	शून्य	62.13
	(iii) घटाइए : वर्ष के दौरान पुनर्लेखांकित किए गए अधिक प्रावधान	23.64	शून्य
	(iv) बट्टे खाते हेतु प्रयुक्त प्रावधान	शून्य	18.64
	(v) प्रतिभूति अंतरण के समय प्रयुक्त प्रावधान	75.86	शून्य
	(vi) अंतिम शेष	67.41	166.91

2.2 रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के संबंध में)

(₹ करोड़ में)

ब्यारे	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया	31 मार्च, 2013 को
रेपो के अधीन बेची प्रतिभूतियां				
1. सरकारी प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	5825.00 (3500.00)	2413.95 (1319.34)	800 (3120)
2. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी प्रतिभूतियां				
1. सरकारी प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	887.04 (1475.00)	30.50 (15.52)	शून्य (शून्य)
2. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

2.3 गैर-एसएलआर निवेशों का संविभाग:

(1) गैर एसएलआर निवेशों का निर्गमकर्तावार समिश्र

31.03.2013 को गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेशों (निवल मूल्यहास) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है:-

2. Investments:

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. "Held to Maturity", "Available for Sale", and "Held for Trading" and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India (RBI) guidelines.

2.1 The Total Investments of Bank, as under, are all in India and no Investments are outside India:

(₹ in Crore)

	Items	31.03.2013	31.03.2012
(1)	Value of Investments		
	(i) Gross Value of Investments	31497.73	26198.26
	(ii) Provisions for Depreciation	67.41	166.91
	(iii) Net Value of Investments	31430.32	26031.35
(2)	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	(i) Opening balance	166.91	123.42
	(ii) Add: Provisions made during the year	Nil	62.13
	(iii) Less: Write-back of excess provisions during the year	23.64	Nil
	(iv) Provision used for Write-Off	Nil	18.64
	(v) Provision used while shifting securities	75.86	Nil
	(vi) Closing balance	67.41	166.91

2.2 Repo Transactions (In face value terms)

(₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	As on March 31, 2013
Securities sold under repos				
i. Government Securities	0.00 (0.00)	5825.00 (3500.00)	2413.95 (1319.34)	800 (3120)
ii. Corporate debt securities	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)
Securities purchased under reverse repos				
i. Government Securities	0.00 (0.00)	887.04 (1475.00)	30.50 (15.52)	Nil (Nil)
ii. Corporate debt securities	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)

2.3 Non-SLR Investment Portfolio

i) Issuer composition of Non-SLR Investments

Following is the disclosure as per prudential guidelines of RBI on Investments (Net of Depreciation) in Non-SLR Securities as of 31/03/2013.

(₹ in crore)

क्रं. No.	निर्गमकर्ता Issuer	रकम Amount	निजी प्लेसमेंट का विस्तार Extent of Private Placement	निवेश से कम ग्रेड वाली प्रतिभूतियों का विस्तार Extent of 'Below Investment Grade' Securities	गैरक्रम वाली प्रतिभूतियों का विस्तार Extent of 'Unrated' Securities	असूचीबद्ध प्रतिभूतियों का विस्तार Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सरकारी उपक्रम PSU's	359.98 (238.33)	326.50 (210.53)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	2.00 (25.00)
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ FI's	214.54 (240.38)	174.12 (198.16)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	32.96 (43.13)
(iii)	बैंक Banks	1081.64 (1269.72)	1040.81 (1218.16)	0.00 (5.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	निजी निगमित निकाय Private Corporate	593.20 (516.45)	517.55 (423.39)	67.95 (53.78)	3.01 (4.98)	15.25 (18.19)
(v)	सहायक/संयुक्त उद्यम Subsidiaries/Joint Ventures	73.42 (68.76)	73.42 (68.76)	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.
(vi)	अन्य-आरआईडीएफ* Others including - RIDF*	3771.58 (3079.76)	3753.64 (3061.82)	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.
	उप जोड़ SUB TOTAL	6094.36 (5413.40)	5886.04 (5180.82)	67.95 (58.78)	3.01 (4.98)	50.21 (86.32)
	के लिए धारित प्रावधान Provision held towards					
(i)	मूल्यहास Depreciation	32.36 (9.09)				
(vii) (ii)	एनपीआई NPI	शून्य Nil (शून्य Nil)	—	—	—	—
(iii)	पुनर्संरित Restructured	2.03 (1.27)				
	कुल Total	6059.97 (5403.04)	5886.04 (5180.82)	67.95 (58.78)	3.01 (4.98)	50.21 (86.32)

* आरआईडीएफ - ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि

* RIDF- Rural Infrastructure Development Fund

टिप्पणी:

- (i) उक्त V व vi में निवेश भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्गीकरण से मुक्त है
- (ii) कॉलम 4, 5, 6 व 7 में रिपोर्ट की गई राशि परस्पर असंबद्ध नहीं हैं।
- (iii) कुल ₹ 6059.97 करोड़ (₹ 5403.04) करोड़ के निवेश में ₹ 2.94 करोड़ (₹ 2.94 करोड़) के सरकारी तेल बंधपत्र शामिल हैं। बैंक के तुलन पत्र की अनुसूची 8 में भी इन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में शामिल किया गया है।

Note:

- (i) Investments as in (v) & (vi) above are exempted from classification as per RBI guidelines.
- (ii) Amounts reported under columns 4, 5, 6 & 7 are not mutually exclusive.
- (iii) The total investment of ₹ 6059.97 crore (₹ 5403.04 crore) includes one GOI Oil Bond of ₹ 2.94 crore (₹ 2.94 crore). The same has been included as Govt. Securities in Schedule 8 to the Balance Sheet.

ii) गैर एसएलआर अनर्जक निवेश

(₹ करोड़ में)

ब्यौरे	31.03.2013	31.03.2012
प्रारंभिक शेष	0.00	18.64
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कमी	0.00	18.64
अंतिम शेष	0.00	0.00
किए गए कुल प्रावधान	0.00	0.00

ii) Non performing Non-SLR investments

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Opening balance	0.00	18.64
Additions during the year	0.00	0.00
Reductions during the year	0.00	18.64
Closing balance	0.00	0.00
Total provisions held	0.00	0.00

- 2.4 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'परिपक्वता तक धारित' निवेश के विक्रय से हुए लाभ की ₹ 20.63 करोड़ (₹ 2.54 करोड़) की राशि करों और सांख्यिक आरक्षितियों के बाद पूंजी प्रारक्षित निधि में अंतरित कर दी गयी.
- 2.5 वर्ष के दौरान निवेशों को 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणी से 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में अन्तर्गत करने के कारण मूल्य में आई कमी हेतु ₹ 69.99 करोड़ (शून्य करोड़) और 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी से 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणी हेतु ₹ 5.87 करोड़ (शून्य करोड़) के निवेशों पर बैंक ने मूल्यहास का प्रावधान समायोजित किया है.
- 2.6 बैंक ने वर्ष के दौरान 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में वर्गीकृत ₹ 32.00 करोड़ (₹ 30.65 करोड़) का परिशोधन किया और संबंधित प्रतिभूति के मूल्य को उस सीमा तक कम करते हुए रकम को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया.
3. डेरिवेटिव:
- 3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.03.2013	31.03.2012
i) स्वैप करारों का कल्पित मूलधन	600.00	1100.00
ii) यदि प्रतिपक्ष करारों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा न करें तो इस स्थिति में होने वाली नियां	शून्य	शून्य
iii) स्वैप करार हेतु बैंक से अपेक्षित प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम एकत्रीकरण	शून्य	शून्य
v) स्वैप खाताबंदी का उचित मूल्य (+) प्राप्त/(-) देय	(-)3.13	(-)19.56

बैंक ने आईआरएस/एफआरएस हेतु नीति दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं. कल्पित मूलधन के संबंध में आईआरएस / एफआरएस की अनुमोदित सीमा ₹ 2000 करोड़ है. 31 मार्च 2013 के अनुसार बैंक की 20 बकाया स्वैप रही, जिसकी सांकेतिक मूल राशि ₹ 600 करोड़ रही और नियत ब्याज प्राप्त करना तथा अस्थायी दर पर भुगतान करना या इसके विपरीत स्वैप की शर्तें हैं. उक्त 20 स्वैप में से 5 ओआईएस स्वैप ₹ 125 करोड़ के कल्पित मूलधन हेतु हेजिंग के लिए तथा 15 ओआईएस स्वैप ₹ 475 करोड़ के कल्पित मूलधन हेतु क्रय विक्रय प्रयोजनार्थ रहे. बकाया क्रय-विक्रय स्वैप हेतु एमटीएम मूल्यांकन ₹ (-) 3.13 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ (-) 5.36 करोड़) रहा.

3.2 एक्सचेंज लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव्स:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ब्यौरे	2012-13	2011-12
1	वर्ष के दौरान (लिखत-वार) किए गए एक्सचेंज लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
2	31 मार्च को बकाया (लिखत-वार) एक्सचेंज लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
3	'उच्च प्रभावी' नहीं और बकाया (लिखत-वार) एक्सचेंज लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
4	'उच्च प्रभावी' नहीं और बकाया (लिखत वार) एक्सचेंज लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य	शून्य	शून्य

3.3 डेरिवेटिव जोखिम विगोपन पर प्रकटन

क) गुणात्मक प्रकटन:

- निवेश नीति के एक भाग के रूप में निदेशक मंडल ने डेरिवेटिव नीति का अनुमोदन किया, जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम के मापन भी शामिल हैं.
- उक्त की निगरानी के लिए बैंक में हेजिंग व प्रोसेसेस नीतियां लागू हैं..
- तुलनपत्र प्रबंधन हेतु हेजिंग व्यवहार किए गए हैं. जोखिमों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उचित प्रणाली विद्यमान है.
- डेरिवेटिव परिचालनों के जोखिम प्रबंधन कार्य के प्रमुख एक उच्च स्तरीय प्रबंधन कार्यपालक होते हैं, जो बैंक के केन्द्रीय कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं. स्वैपों की निगरानी नियमित आधार पर की जाती है.
- बैंक में प्रतिरक्षित और गैर प्रतिरक्षित व्यवहारों को अभिलेखबद्ध करने की उचित लेखा नीति विद्यमान है, जिसमें आय निर्धारण, बकाया करारों का मूल्यांकन और ऋण जोखिम को कम करना शामिल है जैसाकि महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों की अनुसूची 17 के परिच्छेद 3.5 ((एफ) (ii) में बताया गया है.
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और चालू विगोपन प्रक्रिया के अनुसार परिकलित संविदा डेरिवेटिव के ऋण विगोपन पर अपेक्षित प्रावधान कर लिए हैं.

- As per RBI guidelines, an amount of ₹ 20.63 crore (₹ 2.54 Crore) net of taxes and statutory reserves being profit on sale of investment in 'Held to Maturity' category is transferred to Capital Reserve.
- During the year, Bank has adjusted provision for depreciation on investment on account of diminution in value while shifting of securities from 'Available for Sale' category to 'Held to Maturity' category ₹ 69.99 crore (Nil Crore) and from 'Held for Trading' category to 'Held to Maturity' category ₹ 5.87 crore (Nil Crore).
- The Bank has amortized ₹ 32.00 crore during the year (₹ 30.65 Crore) for securities classified under 'Held to Maturity' category, and the amount has been charged to Profit & Loss account by reducing value of the respective securities to that extent.

3. DERIVATIVES:

3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(₹ in Crore)

Items	31.03.2013	31.03.2012
i) The notional principal of swap agreements	600.00	1100.00
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	Nil	Nil
iii) Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	Nil
v) The fair value of the swap book (+) To receive / (-) To pay	(-)3.13	(-) 19.56

The Bank has in place policy guidelines for IRS/ FRAs. The approved ceiling for IRS/FRAs in terms of notional principal is ₹ 2000 crore. As on 31st March 2013, the Bank had 20 outstanding swaps for notional principal ₹ 600 crore and the terms of Swaps are to receive fixed interest and pay floating rate or vice versa. Out of 20 swaps, 5 OIS swaps for Notional Principal of ₹ 125 crore were for hedging and 15 OIS swaps for notional principal of ₹ 475 crore were for trading purpose. MTM valuation for outstanding trading swap is ₹ (-) 3.13 crore (₹ (-) 5.36 crore).

3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ in Crore)

S.N.	Particulars	2012-13	2011-12
1	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	NIL	NIL
2	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March (instrument-wise)	NIL	NIL
3	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL	NIL
4	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives out-standing and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL	NIL

3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

A) Qualitative Disclosure

- As a part of investment policy, derivative policy is approved by the Board, which includes measurement of credit & market risk.
- Policy for hedging and processes for monitoring the same are in place.
- The hedged transactions are undertaken for Balance Sheet management. Proper system for reporting and monitoring of risks is in place.
- Risk Management of derivative operations is headed by a Top Management Executive who reports to Head Office. The swaps are tracked on regular basis.
- Accounting Policy for recording hedge and non hedge transactions is in place, which includes recognition of income, valuation of outstanding contracts and credit risk mitigation as given in para 3.5 (f)(ii) of Schedule 17, viz., Significant Accounting Policies.
- The Bank has made requisite provision on credit exposure of derivative contracts computed as per current exposure method & as per RBI guidelines.

ख) मात्रात्मक प्रकटन :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	करेन्सी डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
(i)	डेरिवेटिव (कल्पित मूलधन)		
	क) हेजिंग के लिए	5708.00	125.00
	ख) व्यापार के लिए	7320.90	475.00
(ii)	[1] बाजार हेतु चिन्हित स्थितियां		
	क) आस्ति (+)	13.25	—
	ख) देयताएं (-)	Nil	(-) 3.13
(iii)	[2] ऋण विगोपन	273.83	5.85
(iv)	ब्याज दर में 1 प्रतिशत परिवर्तन का संभावित असर (100*पीवी 01)		
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	0.000676	3.60
	ख) व्यापार डेरिवेटिव पर	0.004610	(-) 14.74
(v)	वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 देखा गया अधिकतम और न्यूनतम स्तर		
	1) हेजिंग पर	अधिकतम 0.0021 न्यून.0.0007	अधिकतम (-) 4.42 न्यून.3.60
	2) व्यापार पर	अधिकतम 0.0046 न्यून.0.00175	अधिकतम (-) 14.74 न्यून.(-) 14.61

3.4 डेरिवेटिव विगोपन पर मानक प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

क्रं.	विवरण	ऋण विगोपन	31.03.2013 को मानक अग्रिमों पर लागू प्रावधान
1	ब्याज दर डेरिवेटिव	5.50	0.02
2	विदेशी विनिमय डेरिवेटिव	154.54	0.62
3	स्वर्ण संविदा	शून्य	शून्य
	कुल	160.04	0.64

4. आस्ति गुणवत्ता

4.1 अनर्जक आस्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
(i) निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	0.52	0.84
(ii) अनर्जक आस्ति गतिशीलता (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	1297.03	1173.70
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	807.55	875.88
(ग) वर्ष के दौरान कमी	967.03	752.55
(घ) अंतिम शेष	1137.55	1297.03
(iii) कुल अनर्जक आस्तियों की गतिशीलता		
(क) प्रारंभिक शेष	469.57	618.95
जोड़े: इसीजीसी/डीआईसीजीसी निपटारे गये खाते	33.58	33.57
सकल प्रारंभिक शेष	503.15	652.52
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	233.57	546.34
(ग) वर्ष के दौरान कमी	310.65	695.71
(घ) सकल अंतिम शेष	426.07	503.15
घटाये: इसीजीसी/डीआईसीजीसी निपटारे गये खाते	33.14	33.58
निवल अंतिम शेष	392.93	469.57
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों की गतिशीलता (मानक आस्तियों के प्रावधानों के अतिरिक्त)		
(क) प्रारंभिक शेष	790.11	511.28
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	582.70	673.44
(ग) बटुटे खाते	663.12	394.61
(घ) अंतिम शेष	709.69	790.11

B) Quantitative Disclosures

(₹ in Crore)

S. N.	Particulars	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)		
	a) For hedging	5708.00	125.00
	b) For trading	7320.90	475.00
(ii)	Marked to Market Positions [1]		
	a) Asset (+)	13.25	—
	b) Liability (-)	Nil	(-) 3.13
(iii)	Credit Exposure [2]	273.83	5.85
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	a) on hedging derivatives	0.000676	3.60
	b) on trading derivatives	0.004610	(-) 14.74
(v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
	a) on hedging	Max : 0.0021 Min : 0.0007	Max (-) 4.42 Min 3.60
	b) on trading	Max : 0.0046 Min : 0.00175	Max (-) 14.74 Min (-) 14.61

3.4 Standard provision on derivative exposure:

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	Credit Exposure	Provision as applicable to standard advances as on 31.03.2013
1	Interest rate derivative	5.50	0.02
2	Foreign exchange derivative	154.54	0.62
3	Gold contract	Nil	Nil
	Total	160.04	0.64

4. ASSET QUALITY

4.1 Non-Performing Assets

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	0.52	0.84
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(a) Opening balance	1297.03	1173.70
(b) Additions during the year	807.55	875.88
(c) Reductions during the year	967.03	752.55
(d) Closing balance	1137.55	1297.03
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening balance	469.57	618.95
Add: ECGC/DICGC Settled amount	33.58	33.57
Gross: Opening Balance	503.15	652.52
(b) Additions during the year	233.57	546.34
(c) Reductions during the year	310.65	695.71
(d) Gross closing balance	426.07	503.15
Less ECGC/DICGC Settled amount	33.14	33.58
Net closing Balance	392.93	469.57
(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(a) Opening balance	790.11	511.28
(b) Provisions made during the year	582.70	673.44
(c) Write off	663.12	394.61
(d) Closing balance	709.69	790.11

4.2 आस्ति पुनर्निर्माण हेतु प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2013	31.03.2012
1.	खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2.	प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों का (प्रावधानों के बाद) कुल मूल्य	0.00	0.00
3.	कुल प्रतिफल	0.00	0.00
4.	पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के मामले में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	0.00	0.00
5.	शुद्ध खाताबही मूल्य की तुलना में कुल प्राप्ति	0.00	0.00

4.3 खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	0.00	0.00
2. (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्निर्मित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	0.00	0.00

4.4 बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
1. वर्ष के दौरान बेचे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2. सकल बकाया	0.00	0.00
3. प्राप्त सकल प्रतिफल	0.00	0.00

4.5 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	सं./राशि
1	प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों हेतु बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या	
2	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	
3	तुलनपत्र के दिनांक को एमआरआर अनुपालन के प्रति बैंक द्वारा धारित विगोपन की कुल राशि	
	क) तुलनपत्र बाह्य विगोपन	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ख) तुलनपत्र की मदों के अंतर्गत विगोपन	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
4	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों के प्रति विगोपन की राशि	
	क) तुलनपत्र बाह्य विगोपन	शून्य
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ख) तुलनपत्र की मदों के अंतर्गत विगोपन	
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन	
	प्रथम हानि	
	अन्य	
	ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन	
	प्रथम हानि	
	अन्य	

4.2 Details of financial assets sold to securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2013	31.03.2012
1	No. of accounts	Nil	Nil
2	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC.	0.00	0.00
3	Aggregate consideration	0.00	0.00
4	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	0.00
5	Aggregate gain/loss over net book value.	0.00	0.00

4.3 Details of non- performing financial assets purchased

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
1. (a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	0.00	0.00
2. (a) Of these, no of accounts restructured during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	0.00	0.00

4.4 Details of non- performing financial assets sold

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
1. No. of accounts sold during the year	Nil	Nil
2. Aggregate outstanding	0.00	0.00
3. Aggregate consideration received	0.00	0.00

4.5 Disclosure relating to Securitization:

(₹ in Crore)

S.No.	Particulars	No./Amount
1	No of SPVs sponsored by the bank for securitisation transactions*	
2	Total amount of securitised assets as per books of the SPVs sponsored by the bank	
3	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	
	a) Off-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	First loss	
	Others	
4	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	NIL
	a) Off-balance sheet exposures	
	i) Exposure to own securitizations	
	First loss	
	Loss	
	ii) Exposure to third party securitisations	
	First loss	
	Others	
	b) On-balance sheet exposures	
	i) Exposure to own securitisations	
	First loss	
	Others	
	ii) Exposure to third party securitisations	
	First loss	
	Others	

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

4.6 पुनर्संरचना खातों का प्रकटीकरण; Disclosure of Restructured Accounts:

क्र. सं. SI No	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring →	सी डी आर व्यवस्था के अंतर्गत Under CDR Mechanism					एस एम ई ऋण पुनर्संरचना व्यवस्था के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					कुल Total					
		मानक Stan- dard	उप मानक Sub- Stan- dard	संदिग्ध Doubt- ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stan- dard	उप मानक Sub- Stan- dard	संदिग्ध Doubt- ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stan- dard	उप मानक Sub- Stan- dard	संदिग्ध Doubt- ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stan- dard	उप मानक Sub- Stan- dard	संदिग्ध Doubt- ful	हानि Loss	कुल Total	
	विवरण Details ↓																					
1	वित्तीय वर्ष - 1 अप्रैल के पुनर्संरचना खाते (प्रारंभिक आंकड़े) Restructured Accounts as on April 1 of the FY (opening figures)*	2	1	0	0	3	719	36	4	0	759	2816	12	2	0	2830	3537	49	6	0	3592	
	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers																					
	बकाया रकम Amount outstanding	78.67	5.42	0.00	0.00	84.09	141.46	23.12	24.04	0.00	188.62	2146.25	306.54	5.70	0.00	2458.49	2366.38	335.09	29.74	0.00	2731.21	
	उन पर प्रावधान Provision thereon	4.10	1.04	0.00	0.00	5.14	2.75	0.15	0.16	0.00	3.06	74.99	2.33	1.74	0.00	79.06	81.84	3.53	1.90	0.00	87.27	
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचनाएं Fresh restructuring during the year	10	0	0	0	10	71	3	0	0	74	1514	91	0	1	1606	1595	94	0	1	1690	
	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers																					
	बकाया रकम Amount outstanding	289.69	0.00	0.00	0.00	289.69	116.41	1.71	0.00	0.00	118.12	1543.11	4.49	0.00	3.77	1551.37	1949.21	6.20	0.00	3.77	1959.18	
	उन पर प्रावधान Provision thereon	19.20	0.00	0.00	0.00	19.20	0.89	0.09	0.00	0.00	0.97	72.54	0.21	0.00	0.00	72.75	92.63	0.29	0.00	0.00	92.92	
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग का अपग्रेडेशन Upgradations to restructured standard category during the FY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers																					
	बकाया रकम Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.32	0.00	0.00	0.32	0.00	0.47	0.00	0.00	0.47	
	उन पर प्रावधान Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	
4	पुनर्संरचित मानक खाते जिनमें उच्च प्रावधान जरूरी नहीं और/या वि. व. के अंत में अतिरिक्त जोखिम भार एवं अतः एवं अगले वि. व. के प्रारंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाना जरूरी नहीं है. Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	0				0	711				711	2635				2635	3346				3346	
	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers																					
	बकाया रकम Amount outstanding	0.00				0.00	70.16				70.16	367.33				367.33	437.49				437.49	
	उन पर प्रावधान Provision thereon	0.00				0.00	2.22				2.22	9.60				9.60	11.82				11.82	

क्र. सं. SI No	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring →	सी डी आर व्यवस्था के अंतर्गत Under CDR Mechanism					एस एम ई ऋण पुनर्संरचना व्यवस्था के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					कुल Total				
		मानक Stan- dard	उप मानक Sub- Stan- dard	संदिग्ध Doubt- ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stan- dard	उप मानक Sub- Stan- dard	संदिग्ध Doubt- ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stan- dard	उप मानक Sub- Stan- dard	संदिग्ध Doubt- ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stan- dard	उप मानक Sub- Stan- dard	संदिग्ध Doubt- ful	हानि Loss	कुल Total
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउनग्रेडेशन Downgradations of restructured accounts during the FY	0	1	0	0	1	0	4	2	1	7	0	2	0	1	3	0	7	2	2	11
		0.00	46.09	0.00	0.00	46.09	0.00	5.39	6.03	9.97	21.39	0.00	7.31	0.00	3.77	11.08	0.00	58.79	6.03	13.74	78.57
		0.00	1.12	0.00	0.00	1.12	0.00	0.08	0.19	0.00	0.27	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	1.21	0.19	0.00	1.39
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टा खातों में डालना Write-offs of restructured accounts during the FY	0	0	0	1	1	0	0	0	7	7	0	0	0	4	4	0	0	0	12	12
		0.00	0.00	0.00	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	291.84	291.84	0.00	0.00	0.00	341.95	341.95
		11	1	0	0	12	98	9	5	1	113	1703	87	0	1	1791	1812	97	5	2	1916
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक के पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े)* Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures*)	329.44	46.09	0.00	0.00	375.53	168.76	7.44	15.21	9.97	201.38	4026.57	24.54	0.00	3.77	4054.88	4524.77	76.07	15.21	13.74	4631.79
		20.56	1.12	0.00	0.00	21.68	1.15	0.18	0.23	0.00	1.57	146.77	0.26	0.00	0.00	147.03	168.48	1.56	0.23	0.00	170.27

* मानक पुनर्संरचित अग्रिमों को छोड़ कर जिनमें उच्चतर प्रावधान या जोखिम भार जरूरी नहीं है (यदि लागू हो)

* Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

4.7 मानक आस्तियों हेतु प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
वर्ष के दौरान मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	415.60	260.60
फॉरेक्स और वायदा संविदा मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	0.62	0.75
कुल	416.22	261.35

वर्ष की समाप्ति पर बैंक द्वारा धारित मानक आस्तियों हेतु संचयी प्रावधानों को तुलनपत्र की अनुसूची 5 में अन्य देयताओं और प्रावधानों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

4.8 अस्थिर प्रावधानों के विवरण

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.03.2013	31.03.2012
(क) अस्थिर प्रावधानों के खाते में प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
(ख) लेखा वर्ष के दौरान किया गया अस्थिर प्रावधान	0.00	0.00
(ग) लेखा वर्ष के दौरान आहरित की गई रकम	0.00	0.00
(घ) अस्थिर प्रावधानों के खातों में अंतिम शेष	0.00	0.00

बैंक का ₹ 21.06 करोड़ (₹ 21.06 करोड़) सामान्य प्रावधान है, जो बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान व्याप्ति अनुपात (पीसीआर) की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है।

4.9 बैंक बीमा कारोबार:

बैंक बीमा कारोबार के अंतर्गत ₹ 10.76 करोड़ (₹ 7.45 करोड़) की आय हुई है। बैंक बीमा कारोबार आय के ब्योरे निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

अनु-क्रमांक	आय की प्रकृति	2012-13	2011-12
1	जीवन बीमा पॉलिसी के विक्रय हेतु	6.58	4.95
2	गैर जीवन बीमा पॉलिसी के विक्रय हेतु	3.75	2.45
3	म्युचुअल फंड उत्पाद के विक्रय हेतु	0.43	0.23
4	अन्य (विवरण दें)	-	-
	कुल	10.76	7.45

5. कारोबारी अनुपात:

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
(i) कार्यकारी निधियों से ब्याज आय का प्रतिशत	9.33%	9.22%
(ii) कार्यकारी निधियों से ब्याजी आय का प्रतिशत	0.88%	0.82%
(iii) कार्यकारी निधियों से परिचालनगत लाभ का प्रतिशत	2.08%	1.94%
(iv) आस्तियों पर आय	0.74%	0.55%
(v) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा + अग्रिम) (₹ करोड़ में)	12.56	9.67
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	5.59	3.12

4.7 Provisions on Standard Assets as on

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Provisions towards Standard Advances	415.60	260.60
Provisions towards Standard Assets Forex & Forward Contracts	0.62	0.75
Total	416.22	261.35

The cumulative provision towards Standard Assets held by the Bank as at the yearend is included under Other Liabilities and Provisions in Schedule 5 to the Balance Sheet.

4.8 Details of floating provisions

(₹ in Crore)

Items	31.03.2013	31.03.2012
(a) Opening Balance in the floating provisions account	0.00	0.00
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
(c) Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
(d) Closing Balance in the floating provisions account	0.00	0.00

The Bank is having general provision of ₹ 21.06 crore (₹ 21.06 crore) which is used by the bank for computing the provision coverage ratio (PCR) as per RBI guidelines.

4.9 Bancassurance Business

The income earned under Bancassurance is ₹10.76 Crore (₹7.45 crore). The details of Bancassurance income is as under:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	2012-13	2011-12
1	For selling life insurance policies	6.58	4.95
2	For selling non-life insurance policies	3.75	2.27
3	For selling mutual fund products	0.43	0.23
4	Others (specify)	-	-
	Total	10.76	7.45

5. Business Ratios

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
(i) Interest Income as a percentage to Working Funds.	9.33%	9.22%
(ii) Non-Interest Income as a percentage to Working Funds.	0.88%	0.82%
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds.	2.08%	1.94%
(iv) Return on Assets	0.74%	0.55%
(v) Business (Deposits + Advances) per employee (₹ In Crore)	12.56	9.67
(vi) Profit per Employee (₹ In Lakh)	5.59	3.12

6. आस्ति देयता प्रबंधन:

आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पध्दति

आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पध्दति 31.03.2013

Maturity pattern of certain items of Assets and Liabilities 31.03.2013

	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 28दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 माह 29 days to 3 months	3 माह से अधिक और 6 माह तक Over 3 months to 6 months	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक Over 1 year to 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक Over 3 years to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमाराशियां Deposits	496.62	3627.19	1737.81	2036.26	5237.56	10235.48	18513.31	50031.54	1577.63	843.54	94336.93
अग्रिम Advances	383.63	1394.71	915.19	1115.60	6836.10	4818.71	7341.33	40865.28	10008.36	2718.28	76397.18
निवेश Investments	15.00	86.75	0.00	0.00	353.39	919.10	1047.24	3218.87	4475.74	21381.64	31497.73
उधार Borrowings	0.00	2050.50	625.00	1645.50	567.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4888.50
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ Foreign Currency Assets	66.05	408.89	81.39	256.27	4187.71	1150.55	1914.22	6.82	0.00	0.00	8071.90
विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	89.78	465.87	20.85	94.75	4154.19	1699.74	1566.79	23.41	9.58	0.00	8124.96

6. Asset Liability Management:

Maturity pattern of certain items of Assets and Liabilities

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

7. जमा व अग्रिमों का जमाव, विगोपन तथा अनर्जक आस्तियाँ

7.1 जमाराशियों का जमाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
20 बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	10840.65	6649.44
बैंक की कुल जमाराशियों से 20 बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियों का प्रतिशत	11.49%	8.69%

7.2 अग्रिमों का जमाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
20 बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	14269.60	13146.75
बैंक के कुल अग्रिमों से 20 बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	14.21%	23.07%

7.3 विगोपनों का जमाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
20 बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों का कुल विगोपन	14276.24	14146.62
उधारकर्ताओं / ग्राहकों में बैंक के कुल विगोपन से कुल अग्रिमों से 20 बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल विगोपन का प्रतिशत	14.10%	21.35%

7.4 अनर्जक आस्तियों का जमाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
पहले 4 अनर्जक खातों में कुल विगोपन	101.73	390.92

7.5 क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

अनु. क्र.	क्षेत्र	संबंधित क्षेत्र के कुल अग्रिमों से अनर्जक अग्रिमों का प्रतिशत	
		31.03.2013	31.03.2012
1	कृषि और सहायक गतिविधियाँ	5.54%	5.53%
2	उद्योग (सूक्ष्म व लघु, मध्यम और बड़े)	0.73%	2.20%
3	सेवाएँ	1.13%	1.61%
4	वैयक्तिक ऋण	1.50%	1.84%

7. Concentration of Deposits, Advances, Exposure and NPA

7.1 Concentration of Deposits

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Total Deposits of Twenty largest Depositors	10840.65	6649.44
Percentage of Deposits of Twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	11.49%	8.69%

7.2 Concentration of Advances

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Total Advances of Twenty largest borrowers	14269.60	13146.75
Percentage of Advances of Twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	14.21%	23.07%

7.3 Concentration of Exposure

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	14276.24	14146.62
Percentage of Exposures of Twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the Bank on borrowers / customers	14.10%	21.35%

7.4 Concentration of NPAs

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Total Exposure to top four NPA accounts	101.73	390.92

7.5 Sector-wise NPAs

(₹ in Crore)

S. N.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector	
		31.03.2013	31.03.2012
1	Agriculture & allied activities	5.54%	5.53%
2	Industry (Micro & small, Medium and Large)	0.73%	2.20%
3	Services	1.13%	1.61%
4	Personal Loans	1.50%	1.84%

7.6 सकल अनर्जक अग्रिमों की गतिशीलता:

(₹ करोड़ में)

विवरण	रकम
1 अप्रैल 2012 को सकल अनर्जक आस्तियां* (आरंभिक शेष)	1297.03
वर्ष के दौरान परिवर्धन	803.56
उप जोड़ (क)	2104.59
घटाईए:	
1. कोटिउन्नयन	105.19
2. वसूली (कोटिउन्नत खातों में हुई वसूली को छोड़कर)	198.73
3. बट्टे खाते में डाली गई रकम	663.12
उप जोड़ (ख)	967.04
31 मार्च 2013 को सकल अनर्जक आस्तियां (अंतिम शेष)(क-ख)	1137.55

7.7 विदेशों में आस्तियां, अनर्जक आस्तियां व राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
कुल आस्तियां	68.66	812.57
कुल अनर्जक आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	1.15	0.34

7.8 तुलनपत्र के बाहर प्रायोजित एसपीवी

(लेखा मानदंडों के अनुसार जिन्हे समेकित करना आवश्यक है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

8. विगोपन:

8.1 स्थावर संपदा क्षेत्र में विगोपन

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2013	31.03.2012
(क) प्रत्यक्ष विगोपन	12402.00	7422.21
(i) आवासीय बंधक - जिससे ₹ 25.00 लाख तक के ऋण उधारकर्ता द्वारा अधिग्रहित या अधिग्रहण की जाने वाली या किराये से दी संपत्ति पर दिये गये ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः रक्षित हैं.	7516.47	6230.49
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा: वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा रक्षित ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुप्रयोज्य वाणिज्यिक परिसर, बहु-आवासीय भवन, अधिक किरायेदार वाले वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूअधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) निवेश में गैरनिधि आधारित सीमाएं भी शामिल हैं.	4885.53	1191.72
(iii) बंधक द्वारा प्रतिरक्षित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य रक्षित विगोपनों में निवेश-		
क) आवासीय	शून्य	शून्य
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	शून्य	शून्य
(ख) अप्रत्यक्ष निवेश		
राष्ट्रीय आवास बैंक और आवासीय वित्त कंपनियों में निधि आधारित और गैर निधि आधारित निवेश	2129.99	2791.77
रियल इस्टेट क्षेत्र हेतु कुल विगोपन	14531.99	10213.98

7.6 Movement of Gross NPAs

(₹ in Crore)

Particulars	Amount
Gross NPAs* as on 1st April 2012 (Opening Balance)	1297.03
Additions during the year	807.56
Sub-total (A)	2104.59
Less:	
(i) Upgradations	105.19
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	198.73
(iii) Write-offs	663.12
Sub-Total (B)	967.04
Gross NPAs s on 31st March 2013 (Closing Balance) (A-B)	1137.55

7.7 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Total Assets	68.66	812.57
Total NPAs	Nil	Nil
Total Revenue	1.15	0.34

7.8 Off-balance sheet SPVs sponsored

(Which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

8. Exposures:

8.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ in Crore)

Category	31.03.2013	31.03.2012
(a) Direct exposure	12402.00	7422.21
(i) Residential Mortgages – Out of which Loans up to ₹ 25 lakh Lending fully secured by mortgage on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	7516.47	6230.49
	5027.87	4124.22
(ii) Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estates (office build-ings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family resi-dential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or ware-house space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure also includes non-fund based (NFB) limits.	4885.53	1191.72
(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other secure sized exposures –		
a. Residential	Nil	Nil
b. Commercial Real Estate	Nil	Nil
(b) Indirect Exposure		
Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	2129.99	2791.77
Total Exposure to Real Estate Sector	14531.99	10213.98

8.2 पूंजी बाजार का विगोपन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
(i) इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनितों में जिसकी मूलनिधि का निवेश केवल संस्थागत ऋणों में नहीं किया गया है. में प्रत्यक्ष निवेश	128.01	166.60
ii) व्यक्तियों को इक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों में निवेश करने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या किसी अन्य प्रतिभूति पर या गैर जमानती आधार पर अग्रिम	शून्य	0.09
iii) अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनितों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	0.97	शून्य
iv) अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनितों को संपाश्वर्तिक प्रतिभूति माना गया है अर्थात जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख फंड यूनितों से इतर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती.	4.93	9.09
v) स्टॉक ब्रोकरों को जमानती और गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां	55.75	72.85
vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की रकम जुटाने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर या गैर जमानती आधार पर संस्थाओं को मंजूर ऋण	शून्य	शून्य
vii) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
viii) शेयरों के प्रारंभिक निर्माण या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनितों के सम्बंध में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं	शून्य	शून्य
ix) मार्जिन व्यापार हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	शून्य	शून्य
x) उद्यमी पूंजी निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों में सभी निवेश	28.38	20.31
पूंजी बाजार में कुल निवेश	218.04	268.94

8.3 जोखिम श्रेणीवार देश निवेश

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31.03.2013 को निवेश (निवल)	31.03.2013 को धारित प्रावधान	31.03.2012 को निवेश (निवल)	31.03.2012 को धारित प्रावधान
नगण्य	1662.34	0.00	1545.26	0.00
कम	896.75	0.00	953.86	0.00
साधारण	138.55	0.00	108.99	0.00
उच्च	16.00	0.00	40.74	0.00
अति उच्च	3.21	0.00	6.83	0.00
प्रतिबंधित	4.72	0.00	7.61	0.00
ऋणेतार	0.12	0.00	0.60	0.00
कुल	2721.69	0.00	2663.89	0.00

8.2 Exposure to Capital Market

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	128.01	166.60
(ii) Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	Nil	0.09
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.97	Nil
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security or shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds ie where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	4.93	9.09
(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	55.75	72.85
(vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	Nil	Nil
(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	Nil	Nil
(viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	Nil	Nil
(ix) Financing to stockbrokers for margin trading;	Nil	Nil
(x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	28.38	20.31
Exposure to Capital Market	218.04	268.94

8.3 Risk Category wise Country Exposure

(₹ in Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2013	Provision held as at March 31, 2013	Exposure (net) as at March 31, 2012	Provision held as at March 31, 2012
Insignificant	1662.34	0.00	1545.26	0.00
Low	896.75	0.00	953.86	0.00
Moderate	138.55	0.00	108.99	0.00
High	16.00	0.00	40.74	0.00
Very High	3.21	0.00	6.83	0.00
Restricted	4.72	0.00	7.61	0.00
Off-credit	0.12	0.00	0.60	0.00
Total	2721.69	0.00	2663.89	0.00

हर देश के लिए बैंक का जोखिम श्रेणीवार निधि आधारित निवल विगोपन दिनांक 31.03.2013 को बैंक की कुल आस्तियों के 1 प्रतिशत से कम है अतः दिनांक 2 जुलाई, 2012 के भा.रि.बैंक परिपत्र क्र.डीबीओडी. बीपी.बीसी.9/21.04.048/2012-13 के अनुसार कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है।

8.4 बैंक द्वारा पार की गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान बैंक ने किसी भी व्यक्तिगत उधारकर्ता या समूह उधारकर्ता को उधार देने के संबंध में विवेकपूर्ण विगोपन सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया है।

8.5 गैर जमानती अग्रिमः

दिनांक 31.03.2013 को गैर जमानती अग्रिमों में ₹ 440.85 करोड़ (₹ 419.50 करोड़) के अग्रिम शामिल थे जो अमूर्त आस्तियों जैसे कि अधिकारों, लाइसेन्स, प्राधिकार इत्यादि पर भार जैसी सहायक प्रतिभूतियों से सुरक्षित थे। इस प्रकार की अमूर्त सहायक प्रतिभूतियों का दिनांक 31.03.2013 को अनुमानित मूल्य ₹ 889.67 करोड़ (₹ 2042.99 करोड़) है।

8.6 प्रावधान संरक्षा अनुपातः

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 01 दिसंबर, 2009 के परिपत्र क्र. डीबीओडी.एनओ.बीपी.बीसी.64/21.04.048/2009-10 के निर्देशों के अनुसार बैंक ने प्रावधान संरक्षा अनुपात का परिकलन किया है जो 83.68 प्रतिशत है। इस अनुपात का परिकलन 31.03.2013 के अनर्जक आस्तियों के स्तर के आधार पर किया गया है:

जबकि ऐसे प्रावधान संरक्षा अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 अप्रैल, 2011 के परिपत्र क्र. डीपीडीसी 87/21.04.048/2010-11 के आधार पर परिकलित किए गए हैं जो 30.09.2010 के एनपीए स्तर ₹ 2049.81 करोड़ और 31.03.2013 के एनपीए प्रावधान पर आधारित हैं जो 93.02% निकलते हैं। जिसके लिए न्यूनतम 70% की आवश्यकता थी।

9 विविधः

9.1 वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधान की रकम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12
आयकर हेतु प्रावधान	363.20	199.20

9.2 ला / हा खाते में खर्च शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान और आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2013	31.03.2012
1	अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान	585.73	673.44
2	मानक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान	155.00	69.21
3	पुनर्संरचित अग्रिमों हेतु प्रावधान	88.15	33.62
4	एएफएस / एएफटी निवेशों पर मूल्यह्रास	0.00	62.27
5	आय कर हेतु प्रावधान	363.20	199.20
6	आस्थगित कर देयता/आस्ति (निवल)	226.43	28.29
7	अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं	1.10	23.25
	उप जोड़ (क)	1419.61	1089.28
	घटायें : प्रतिलेखन / समायोजन		
1	निवेश पर मूल्यह्रास का प्रतिलेखन	24.40	0.00
2	आस्थगित कर देयता / आस्ति (निवल)	6.02	0.00
3	अन्य मदें	0.00	4.87
	उप जोड़ (ख)	30.42	4.87
	कुल प्रावधान और आकस्मिकताएं (क - ख)	1389.19	1084.41

9.3 अन्य आस्तियों व अन्य देयताओं के अन्तर्गत पुरानी प्रविष्टियों, नाममात्र खातों सहित अन्य बैंकों / संस्थाओं के पास संव्यवहारों, अंतरशाखा संव्यवहारों के समाधान/समापन/समायोजन की प्रक्रिया हेतु कदम उठाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आस्तियों / देयताओं, समाशोधन खातों और कुछ जमा खातों के संबंध में सामान्य खाता बही और अनुषंगी में शेष के बीच समाधान और अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास प्रभार तथा अचल आस्तियों के अंतरशाखा अंतरण का कार्य लंबित है। जिनके राजस्व पर प्रभाव के साथ ही इनके परिणामी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका। प्रबंधन के अभिमत में इनका राजस्व पर परिणामी प्रभाव मामूली है।

Since Bank's net funded exposure for risk category-wise exposure for each country is less than 1% of bank's total assets as on 31.03.2013, no provision is required in terms of RBI Circular No. DBOD.BP.BC.9/21.04.048/2012-13 dated July 2, 2012.

8.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank.

The Bank has not exceeded the prudential exposure limits, in respect of lending to single borrower or group borrower during the Financial Year 2012-2013.

8.5 Unsecured Advances:

Unsecured advance includes ₹ 440.85 Crore (₹ 419.50 crore) as on 31.03.2013 which are collaterally secured by intangible securities such as charge over the rights, licenses, authorities etc. The estimated value of such intangible collateral is ₹ 889.67 Crore (₹ 2042.99 crore) as on 31.03.2013.

8.6 Provisioning Coverage Ratio:

The bank has computed the Provisioning Coverage Ratio (PCR) as required vide Circular No. DBOD.No.BP.BC.64/21.04.048/2009-2010 dated December 1, 2009 which is 83.68%. This ratio is calculated on the basis of NPA level as on 31.03.2013

Whereas such Provision Coverage Ratio (PCR) calculated as per RBI Circular No.DP.DC.87/21.04.048/2011-12 dated April 21, 2011, based on NPA level as on 30.09.2010 ₹ 2049.81 Crore and NPA provision as on 31.03.2013 works out to 93.02%, as against minimum required 70%.

9. Miscellaneous:

9.1 Amount of Provision made for income tax during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	2012-13	2011-12
Provision for Income Tax	363.20	199.20

9.2 Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2013	31.03.2012
1	Provision towards NPA	585.73	673.44
2	Provisions for Standard Assets	155.00	69.21
3	Provisions for Restructured Advances	88.15	33.62
4	Depreciation on investments in AFS/HFT	0.00	62.27
5	Provision for Income tax	363.20	199.20
6	Deferred Tax Asset / Liability (Net)	226.43	28.29
7	Other provision and contingencies	1.10	23.25
	Sub-total (A)	1419.61	1089.28
	Less: Write back/adjustments		
1	Write-back of depreciation on Investment	24.40	0.00
2	Deferred Tax Assets/ Liability	6.02	0.00
3	Other items	0.00	4.87
	Sub-total (B)	30.42	4.87
	Total Provisions & Contingencies (A-B)	1389.19	1084.41

9.3 Work is in progress for adjustment/ reconciliation/elimination of inter-branch transactions, transactions with other banks/institutions, nominal accounts and old entries under other assets and liabilities. Further reconciliation between balances in subsidiary and general ledger in respect of certain deposit accounts, clearing accounts, other assets & liabilities and inter-branch transfer of fixed assets is still under progress. The effect of these including the consequential impact thereof on the revenue is not ascertainable. In the opinion of the management consequential impact there off on revenue is not material.

9.4 स्थिर आस्तियां -

- 9.4.1 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर चालू वर्ष के दौरान ₹ 61.02 करोड़ (₹ 70.63 करोड़) के मूल्यहास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में समायोजित किया गया।
- 9.4.2 बैंक की नीति के अनुसार, 31.03.2013 को 113 पात्र संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया। 31 मार्च 2013 को ऐसे पुनर्मूल्यांकन की संपत्ति/परिसर में जोड़ी गई सकल राशि ₹ 1,181.28 करोड़ (₹ 482.27 करोड़) है तथा शुद्ध मूल्य-हास राशि ₹ 1,120.26 (₹ 375.03 करोड़) है। ₹ 375.03 करोड़ के पूर्व पुनर्मूल्यन आरक्षित के मूल्य-हास मूल्य को रिवर्स किया गया।
- 9.4.3 21 संयुक्त संपत्तियों के संबंध में उन्हें विविध आय द्वारा जमीन तथा भवन लागत में यथोचित विभाजित करते हुए अनुमोदित मूल्यांककों के प्रमाणपत्रों के आधार पर ₹ 3.35 करोड़ (शून्य) की राशि के मूल्य-हास का प्रतिलेखन किया गया।
- 9.4.4 ₹ 6.54 करोड़ (₹ 7.00 करोड़) के सकल मूल्य के 4(7) से संबंधित पुनर्मूल्यांकित परिसरों के संबंध में हक विलेख कतिपय कानूनी औपचारिकताएं पूरी न होने / लंबित होने के कारण बैंक के पक्ष में निष्पादित / पंजीकृत करना शेष है।
- 9.5 आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर्शाई गई गारंटियों की रकम में ₹ 1026.57 करोड़ (₹ 714.72 करोड़) की कालातीत गारंटियों की रकम शामिल हैं, जिन्हें औपचारिकताओं की पूर्ति लंबित होने के कारण निरस्त नहीं किया गया है। ईसीजीसी के पास लंबित व उन्हें प्रस्तुत किये जाने वाले ₹ 23.49 करोड़ (₹ 3.29 करोड़) के दावों को प्रावधानों के परिकलन के प्रयोजनार्थ वसूली योग्य माना गया है।
- 9.6 अनुसूची 5 में दर्शाई गई अन्य देयताओं में अदावाकृत शेयर आवेदन धन के रूप में ₹ 0.44 करोड़ (₹ 0.47 करोड़) की रकम शामिल है।
- 9.7 वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक पर कोई दंड नहीं लगाया। (शून्य) (पिछले वर्ष-शून्य)
- 9.8 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा निपटाई गई ग्राहक शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है -

क्रं.	विवरण	2012-13	2011-12
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	31	48
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1182	1349
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1203	1366
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	10	31

9.9 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णयों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रं.	विवरण	2012-13	2011-12
(क)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	1	1
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	1	1
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0

9.10 चुकोती आश्वासन पत्र:

चालू वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 1174.44 करोड़ के 1133 ट्रेड क्रेडिट (₹ 1327.92 करोड़ के 1051 ट्रेड क्रेडिट) जारी किए और कंपनी ग्राहकों के लिए ट्रेड क्रेडिट मुहैया कराने हेतु शाखाओं द्वारा विभिन्न अन्य बैंकों के पक्ष में चुकोती आश्वासन पत्र जारी किए गए।

दिनांक 31.03.2012 को ₹ 553.81 करोड़ के 407 ट्रेड क्रेडिट के बदले दिनांक 31.03.2013 को ₹ 509.17 करोड़ के 432 ट्रेड क्रेडिट बकाया थे।

10. बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों का उनके लागू होने की मात्रा तक निम्नानुसार अनुपालन किया है:

10.1 लेखा मानक 5 - अवधि के दौरान शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मदों और लेखा नीतियों में परिवर्तन

चूँकि आय / व्यय की पूर्व अवधि मदें कोई महत्वपूर्ण नहीं हैं अतः उन्हें संबंधित लेखा शीर्षों में प्रभारित / लेखाबद्ध किया है।

9.4 Fixed Assets

- 9.4.1 Depreciation for the current year amounting to ₹ 61.02 crore (₹ 70.63 crore) on revalued assets has been adjusted to Revaluation reserve account.
- 9.4.2 As per Bank's policy, revaluation of 113 eligible properties has been done as on 31.03.2013. The gross amount of such revaluation included in properties/premises at as on 31st March 2013 is ₹ 1,181.28 crore (₹ 482.27 crore) and net of depreciation amount is ₹ 1,120.26 crore (₹ 375.03 crore). Further, the WDV of earlier Revaluation Reserve of ₹ 375.03 crore has been reversed.
- 9.4.3 On the basis of certificates of approved valuers, depreciation amounting to ₹ 3.35 crore (Nil) has been written back in respect of 21 composite properties by appropriately segregating land and building cost by miscellaneous income.
- 9.4.4 The title deeds in respect of 4 (7) revalued properties/premises having cost of ₹ 6.54 crore (₹ 7.00 crore) were not yet executed/registered in favour of the Bank due to long pending legal disputes/formalities.
- 9.5 Contingent Liabilities include expired guarantees amounting to ₹ 1026.57 Crore (₹ 714.72 Crore) which has not been cancelled because of pending completion formalities. Claims pending and to be preferred with ECGC amounting to ₹ 23.49 Crore (₹ 3.29 Crore) have been considered as realizable for the purpose of computing provisions
- 9.6 Other Liabilities disclosed in Schedule - 5 include ₹ 0.44 Crore (₹ 0.47 cr.) towards unclaimed Share Application Money.
- 9.7 During the year, Reserve Bank of India has not imposed any penalty on the Bank under the provisions of Section 46(4) of the Banking Regulation Act, 1949.
- 9.8 The details of Customer complaints dealt with by the Bank during the year are as under:

Sr.No.	Particulars	2012-13	2011-12
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	31	48
(b)	No. of complaints received during the year	1182	1349
(c)	No. of complaints redressed during the year	1203	1366
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	10	31

9.9 The details of awards passed by the Banking Ombudsman are as under:

Sr.No.	Particulars	2012-13	2011-12
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year.	0	0
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year.	1	1
(c)	No. of Awards implemented during the year.	1	1
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year.	0	0

9.10 Letters of Comfort (LOCs):

During the current year, 1133 trade credits aggregating to ₹ 1174.44 Crore (1051 trade credits aggregating to ₹ 1327.92 Crore) were sanctioned by the Bank and Letters of Comfort issued by the branches in favor of various other Banks for arranging trade credit to corporate clients.

As on 31.03.2013, 432 trade credits amounting to ₹ 509.17 Crore were outstanding as against 407 Trade Credits amounting to ₹ 553.81 Crore as on 31st March, 2012.

10. The Bank has complied with the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

10.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts.

10.2 लेखा मानक 9- राजस्व निर्धारण

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की अनुसूची 17 में दी गई लेखा नीति क्रमांक 6.1 के अनुसार आय की कुछ मदों का निर्धारण सांविधिक आवश्यकताओं या महत्व के कारण वसूली के आधार पर किया गया है।

10.3 लेखा मानक 11 - विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव का प्रभाव

वर्ष हेतु लाभ और हानि खाते में विनिमय अंतर जमा के कारण निवल आय ₹ 60.42 करोड़ (₹ 45.19 करोड़) रहा।

10.4 लेखा मानक-15 (संशोधित 2005) " कर्मचारियों के लाभ "

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएँ और लाभ और हानि खाते में निर्धारित रकम:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
क) भविष्य निधि	0.32	0.34
ख) कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान - कल्याण निधि आकस्मिकता	0.00	1.80

(ख) परिभाषित लाभ योजनाएँ

- क) पेंशन योजना यह रोजगार पश्चात लाभ है, जो कि पेंशनयोग्य सेवा के अधिकतम 33 वर्षों हेतु अंतिम वेतन का 50% है। यह निधिगत योजना है।
- ख) उपदान योजना यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह उपदान संदाय अधिनियम, 1972 यथासंशोधित के अंतर्गत उपदान और कंपनी नियमों के अनुसार उपदान में से उच्चतम के रूप में संदेय है। यह निधिगत योजना है।
- ग) छुट्टी नकदीकरण/प्रतिपूरित अनुपस्थिति यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह अंतिम वेतन पर आधारित संचयी छुट्टी के 240 दिनों की अधिकतम अवधि हेतु संदेय है। यह गैरनिधि योजना है।

I. परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में बदलाव:

क्र.सं. S.No	विवरण Particulars	पेंशन योजना Pension Plans		उपदान योजना Gratuity Plans		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment	
		31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12
1.	परिभाषित लाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य Opening Present Value of Defined Benefit Obligation	2431.55	2156.79	450.16	443.49	207.82	178.11
2.	ब्याज लागत Interest Cost	188.46	177.32	33.59	35.46	15.98	14.01
3.	चालू सेवा लागत Current Service Cost	423.78	144.84	22.17	20.58	27.14	25.79
4.	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	प्रदत्त लाभ Benefits Paid	(151.58)	(141.31)	(60.56)	(52.65)	(16.18)	(12.39)
6.	वर्ष हेतु उपचित (लाभ) / हानि Actuarial (Gains) / Losses for the year	(119.37)	93.91	37.93	3.28	(25.84)	2.31
7.	परिभाषित लाभ दायित्वों का समापन वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	2772.84	2431.55	483.29	450.16	208.92	207.82

10.2 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

As per Accounting Policy No. 6.1, given in Schedule -17 – Significant Accounting Policies, certain items of income are recognized on realization basis on account of statutory requirements or on account of materiality.

10.3 Accounting Standard 11 – Effect of Changes in Foreign Exchange Rates

Net income on account of exchange differences credit to in the Profit and Loss account for the year is ₹ 60.42 crore (₹ 45.19 crore).

10.4 Accounting Standard (AS) 15 (Revised 2005)- “Employee Benefits”

(A) Defined Contribution Plans:

(₹ in Crores)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
a. Provident Fund	0.32	0.34
b. Contribution to Staff Welfare – Welfare Fund Contingency	0.00	1.80

(B) Defined Benefit Plans:

- a. **Pension Plan-** This is a post employment benefit, which is 50% of final pay for a maximum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.
- b. **Gratuity Plan-** This is a post employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Company's Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.
- c. **Leave Encashment/ Compensated Absences -** This is a post employment benefit and is payable for a maximum limit of 240 days of accumulated leave based on final pay. This is an unfunded scheme.

I. Change in the Present value of Defined Benefit Obligations:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्र.सं. S.No	विवरण Particulars	पेंशन योजना Pension Plans		उपदान योजना Gratuity Plans		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment	
		31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12
1.	परिभाषित लाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य Opening Present Value of Defined Benefit Obligation	2431.55	2156.79	450.16	443.49	207.82	178.11
2.	ब्याज लागत Interest Cost	188.46	177.32	33.59	35.46	15.98	14.01
3.	चालू सेवा लागत Current Service Cost	423.78	144.84	22.17	20.58	27.14	25.79
4.	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	प्रदत्त लाभ Benefits Paid	(151.58)	(141.31)	(60.56)	(52.65)	(16.18)	(12.39)
6.	वर्ष हेतु उपचित (लाभ) / हानि Actuarial (Gains) / Losses for the year	(119.37)	93.91	37.93	3.28	(25.84)	2.31
7.	परिभाषित लाभ दायित्वों का समापन वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	2772.84	2431.55	483.29	450.16	208.92	207.82

II. योजनाबद्ध आस्तियों का आरंभिक वर्तमान मूल्य:

II. Change in the Fair Value of Plan Assets:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12
1.	योजनाबद्ध आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening fair value of plan assets	2085.35	1605.09	373.16	332.50
2.	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित पुर्नअदायगी Expected return on plan assets	177.25	139.48	31.72	28.26
3.	किया गया अंशदान Contributions made	417.00	470.61	33.00	69.58
4.	प्रदत्त लाभ Benefits paid	(151.58)	(141.31)	(60.56)	(52.65)
5.	उपचित (लाभ) / हानि Actuarial gains/losses	13.47	11.48	6.24	(4.53)
6.	योजनाबद्ध आस्तियों का समापन उचित मूल्य Closing fair value of plan assets	2541.49	2085.35	383.56	373.16

III. तुलन पत्र में निर्धारित रकम:

III. Amount recognized in the Balance Sheet:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्र.सं. Sr No	विवरण Particulars	निधि परिभाषित लाभ दायित्व Funded Defined Benefit Obligations						गैरनिधि परिभाषित लाभ दायित्व Unfunded Defined Benefit Obligations	
		पेंशन योजनाएं Pension Plans		उपदान योजनाएं Gratuity Plans		कुल Total		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment	
		31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12
1.	परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present Value of Defined Benefit Obligations	2772.84	2431.55	483.29	450.16	3256.13	2881.70	208.92	207.82
2.	योजनाबद्ध आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets	(2541.49)	(2085.35)	(383.56)	(373.16)	(2925.05)	(2458.51)	0.00	0.00
3.	निर्धारित निवल देयता Net liability to be recognized	231.35	346.20	99.73	77.00	331.08	423.19	208.92	207.82
4.	तुलनपत्र में निर्धारित अन्य रकम Other amount recog-nized in the Balance Sheet	37.87	37.87	0.00	0.00	37.87	37.87	0.00	0.45
5.	तुलनपत्र में निर्धारित निवल देयता Net liability recognized in the Balance Sheet	269.22	384.07	99.73	77.00	368.95	461.07	208.92	208.28

IV. लाभ और हानि लेखा में निर्धारित रकम:

IV. Amount recognized in the Profit & Loss Account:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्र.सं. S.No	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं Pension Plans		उपदान योजनाएं Gratuity Plans		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment	
		31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12
1.	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	423.78	144.84	22.17	20.58	27.14	25.79
2.	ब्याज लागत Interest Cost	188.46	177.32	33.59	35.46	15.98	14.01
3.	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected Return on Plan Assets	(177.25)	(139.48)	(31.72)	(28.26)	0.00	0.00
4.	वर्ष हेतु निवल जीवनांकिक (लाभ)/ हानियां Actuarial (Gains)/Losses for the year	(132.84)	82.43	31.69	7.81	(25.84)	2.31
5.	सेवा पूर्व लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	निर्धारित व्यय Expense to be recognized	302.15	265.11	55.73	35.59	17.27	42.10
7.	वर्ष 2011-12 में अधिसूचना क्र.बीओडी. क्र. बीसी.80/ 21.04.018/2011-12 के द्वारा पेन्शन योजना के पुनर्प्रारंभ व उपदान सीमा में बढ़ोत्तरी के कारण आगे लाए गए वृद्धिगत दायित्व Carry forward of enhanced obligations due to reopening of Pension Plan & increase in Gratuity Limit vide. Notification No. BOD. No.BC.80/21.04.018/2011-12 in 2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	दूसरे विकल्पकर्ता द्वारा पेन्शन निधि में सीधे लौटाई गई निधि Fund refunded by 2nd Optee directly to Pension Fund	0.00	(6.94)	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान Additional provision made during the year	0.00	0.70	0.00	9.13	0.00	0.00
10.	कर्मचारी लागत में शामिल और लाभ व हानि खाते में निर्धारित कुल खर्च Net expense recognized in Profit & Loss Account and included in Staff Cost	302.15	258.87	55.73	44.72	17.27	42.10

V. तुलन पत्र में निर्धारित निवल देयता का समाधान

V. Reconciliation in the Net Liability recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्र.सं. S.No	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं Pension Plans		उपदान योजनाएं Gratuity Plans		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment	
		31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12
1.	प्रारंभिक निवल देयता Opening Net Liability	384.07	588.87	77.00	101.86	208.28	178.57
2.	निर्धारित व्यय Expense recognized	302.15	265.81	55.73	44.72	17.27	42.10
3.	प्रदत्त अंशदान / लाभ Contributions/Benefits paid	(417.00)	(470.61)	(33.00)	(69.58)	(16.63)	(12.39)
4.	समापन निवल देयता Closing Net Liability	269.22	384.07	99.73	77.00	208.92	208.28

VI. योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय

VI. Actual Return on Plan Assets

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्र.सं. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं Pension Plans		उपदान योजनाएं Gratuity Plans	
		31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12
1.	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	177.25	139.48	31.72	28.26
2.	योजनाबद्ध आस्तियों पर जीवनांकिक लाभ (हानि) Actuarial gain (loss) on plan assets	13.47	11.48	6.24	(4.53)
3.	योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय Actual return on plan assets	190.72	150.96	37.96	23.73

VII. मूल जीवनांकिक मान्यताएँ (धारित औसतों के रूप में व्यक्त)

VII. Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages)

क्र.सं. S.No	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं Pension Plans		उपदान योजनाएं Gratuity Plans		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment	
		31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12
1.	भांजित दर Discount rate	8.00%	8.50%	8.00%	8.50%	8.00%	8.50%
2.	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	8.50%	8.69%	8.50%	8.50%	NA	NA
3.	वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर Expected rate of salary increases	5.50%	5.00%	5.50%	5.00%	5.50%	5.00%

ग. अन्य दीर्घावधि लाभ :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं. S.No	विवरण Particulars	लाभ व हानि खाते में निर्धारित	
		31.03.13	31.03.12
1.	पुनर्स्थापन भत्ता	0.06	1.73
2.	छुट्टी किराया रियायत	11.00	8.75
3.	रजत जयंती पुरस्कार	(2.13)	1.62
	जोड़	8.93	12.10

C. Other Long Term Benefits:

(₹ in Crores)

S. No.	Particulars	Recognized in Profit & Loss Account	
		31.03.13	31.03.12
1.	Resettlement Allowance	0.06	1.73
2.	Leave Fare Concession	11.00	8.75
3.	Silver Jubilee Award	(2.13)	1.62
	Total	8.93	12.10

घ. गैर परिशोधन पेंशन व उपदान देयता

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 09 फरवरी, 2011 की अधिसूचना क्रमांक डीबीओडी क्र.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उपदान सीमा में वृद्धि तथा विद्यमान कर्मचारियों हेतु पेंशन विकल्प के पुनर्प्रारंभ के संबंध में परिशोधन के प्रति दिनांक 31.03.2013 को समाप्त वर्ष हेतु ₹ 102.48 करोड़ का प्रावधान किया गया. (यह वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान लाभ व हानि खाते पर प्रभावित किए जाने वाले परिशोधित शेष के प्रति ₹ 512.38 करोड़ की कुल गैर परिशोधित देयता का 1/5वां भाग यथा ₹ 102.48 करोड़ दर्शाता है). दिनांक 31.03.2013 को यथास्थिति उपदान सीमा में वृद्धि तथा विद्यमान कर्मचारियों हेतु पेंशन विकल्प के पुनर्प्रारंभ के संबंध में परिशोधन देयता निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

पेंशन योजनाएं		उपदान योजनाएं		कुल	
31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12
150.09	225.14	54.85	82.28	204.94	307.42

D. Unamortized Pension and Gratuity Liability

In accordance with guidelines issued by RBI vide Notification No. DBOD.No.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011, provision for ₹ 102.48 crore has been made for the year ended 31.03.2013 towards the amortization relating to enhancement in Gratuity limit and re-opening of pension option for existing employees (representing 1/5th of the total unamortized liability amounting to ₹ 512.38 i.e ₹ 102.48 crore being the amount of amortized balance to be charged to the profit & loss account during the financial year 2012-13). The unamortized liability relating to enhancement in Gratuity limit and re-opening of pension option for existing employees as on 31.03.2013 is as under:

(₹ in Crores)

Pension Plans		Gratuity Plans		Total	
31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12
150.09	225.14	54.85	82.28	204.94	307.42

10.5 लेखा मानक 17 - क्षेत्र रिपोर्टिंग

बैंक ने अपने प्राथमिक रिपोर्ट करने योग्य क्षेत्रों का अभिनिर्धारण निम्नानुसार किया है.

भाग क : व्यवसाय क्षेत्र

10.5 Accounting Standard 17- Segment Reporting

Bank has identified its primary reportable segments as under:

Part A : Business segments

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

व्यवसाय क्षेत्र Business Segments →	खजाना Treasury		संस्थागत/थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other banking operations		कुल Total	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
विवरण Particulars										
राजस्व Revenue	2566.72	1780.98	5549.09	3682.21	2310.17	2323.36	99.45	68.08	10525.43	7854.63
परिणाम Result	105.77	(145.84)	844.44	453.48	321.04	322.10	70.94	45.13	1342.19	674.87
अनाबंटित व्यय Unallocated expenses									0.00	15.90
परिचालन लाभ Operating profit									1342.19	658.97
कर आस्थगित करों सहित Taxes including deferred taxes									582.67	228.14
असाधारण लाभ / हानि Extraordinary profit/loss	शून्य Nil	शून्य Nil	-	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	-	-
निवल लाभ Net profit									759.52	430.83
अन्य जानकारीयां : Other Information:										
क्षेत्र आस्तियां Segment assets	33031.31	27333.24	49144.11	37906.74	28171.05	19206.61	5841.04	5202.18	116187.51	89648.77
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									765.30	1488.62
कुल आस्तियां Total assets									116952.81	91137.39
क्षेत्र देयताएं Segment liabilities	32105.63	26480.31	45646.55	36320.55	26180.80	18406.02	6386.42	4992.18	110319.40	86199.06
अनाबंटित देयताएं Unallocated liabilities									236.47	215.67
पूँजी और अन्य प्रारक्षितियां Capital & Other Reserves									6396.94	4722.66
कुल देयताएं Total liabilities									116952.81	91137.39

- क) खजाना क्षेत्र में निवेश, भारत के बाहर के बैंकों में शेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे होने वाली सम्बंधित आय शामिल हैं.
- ख) संस्थागत/थोक बैंकिंग क्षेत्रों में न्यासों, भागीदारों फर्मों, कम्पनियों और सांविधिक निकायों को प्रदत्त सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है.
- ग) खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में व्यक्ति/व्यक्तियों या छोटे कारोबारों में निवेश शामिल है जहां
- कुल औसत वार्षिक पण्यवर्त ₹ 50.00 करोड़ से कम है और
 - एक प्रतिपक्ष में किया गया कुल निवेश बैंक के समग्र खुदरा संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है और
 - एक प्रतिपक्ष में किया गया अधिकतम निवेश ₹ 5.00 करोड़ तक है.
- घ) अन्य बैंकिंग परिचालनों के क्षेत्र में ऐसे सभी अन्य बैंकिंग व्यवहार शामिल हैं जिन्हें उपर्युक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है.

- a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on investments and related income therefrom.
- b) Corporate/Whole sale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies and statutory bodies which are not included in Retail Banking Segments.
- c) Retail Banking Segments include exposure to the individual person/ persons or to a small business where
- Total average annual turnover is less than ₹ 50 Crore and
 - No aggregate exposure to one counter party exceeds 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and
 - The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to ₹ 5 Crore.
- d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.

Part B: Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

भाग ख: भौगोलिक क्षेत्र

चूँकि बैंक के परिचालन केवल भारत के भीतर होते हैं, अतः भौगोलिक क्षेत्र लागू नहीं है.

10.6 लेखा मानक 18- सम्बंधित पक्ष प्रकटन

इस सम्बंध में विवरण निम्नानुसार हैं

(क) सम्बंधित पक्षों का नाम और बैंक से उनके संबंध:

- बैंक की अनुषंगी कंपनी - दी महाराष्ट्र एक्जिक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
- बैंक की सहायक संस्था - महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
- महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक
 - श्री नरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (01.02.2012 से)
 - श्री सी. वी.आर. राजेन्द्रन, कार्यपालक निदेशक (01.03.2012 से)

10.6 Accounting Standard 18 – Related party disclosures

The details in this regard are as under:

(A) Name of the Related Parties and their relationship:

- Subsidiary of the Bank – The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited
- Associate of the Bank – Maharashtra Gramin Bank
- Key Management Personnel
 - Shri Narendra Singh, Chairman & Managing Director (from 01.02.2012)
 - Shri C.VR. Rajendran, Executive Director (from 01.03.2012).

(ख) सम्बंधित पक्षों से संव्यवहार -

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.13	31.03.12
वेतन व भत्ते	42.94	48.23

एस 18 संबंधित पक्ष प्रकटन के परिच्छेद 9 के मेनजर बैंक की अनुषंगी कंपनी और सहायक संस्थाओं के साथ संव्यवहार का प्रकटन नहीं किया गया है, जो कि राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य संबंधित पक्ष जो कि राज्य द्वारा नियंत्रित है, उनके संव्यवहारों से संबंधित किसी भी प्रकटन से छूट देता है।

10.7 लेखा मानक-20 - प्रति शेयर अर्जन

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
मूल / अनुकृत प्रति शेयर अर्जन	₹ 11.88	₹ 7.59
मूल / अनुकृत प्रति शेयर अर्जन की गणना.		
क) कर उपरांत निवल लाभ और अधिमान लाभांश सह कर (₹ लाख में)	₹ 70104.55	₹ 36590.72
ख) ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में)	5899.85	4823.03
ग) प्रति शेयर मूल अर्जन [(क) विभाजित (ख) द्वारा]	₹ 11.88	₹ 7.59
घ) प्रति शेयर अभिहित मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00

10.8 लेखा मानक 22 - आय पर करों का लेखांकन

बैंक ने एस 22 का पालन करते हुए वर्तमान कर का लेखांकन किया है। तदनुसार, आस्थगित कर-आस्तियाँ और आस्थगित कर देयताएँ निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
आस्थगित कर आस्तियाँ		
1) अशोध्य और संदिग्ध प्रावधानों के प्रति समय के अंतर के रूप में	0.00	158.41
2) कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधानों के रूप में	67.93	67.57
3) अन्य प्रावधान जहां डीटीए बनाया गया है।	74.22	142.60
कुल	142.15	368.58
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत विशेष प्रारक्षित निधि के रूप में	29.28	29.28
2) निवेश पर मूल्यह्रास के रूप में	68.45	77.44
3) स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के रूप में	2.97	0.00
कुल	100.70	106.72
निवल आस्थगित कर आस्ति	41.45	261.86

10.9 लेखा मानक 24 - परिचालन का समापन

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अपनी किसी भी व्यवसाय गतिविधियों/परिचालनों का समापन नहीं किया जिसका परिणाम आस्तियों की वसूली तथा देयताओं का निपटान रहा और अपनी समग्रता में व्यवसाय गतिविधि के समापन को अंतिम रूप देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया जिसका उक्त प्रभाव पड़ेगा।

10.10 लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - आंतरिक रूप से निर्मित के अतिरिक्त:
 उपयोग अवधि - 3 वर्ष
 परिशोधन दर - 33.33%
 परिशोधन पद्धति - लागत पर सरल रेखा पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	2.92	4.01
वर्ष के दौरान लिये गये सॉफ्टवेयर	4.13	2.90
वर्ष के दौरान परिशोधन	3.33	3.99
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	3.72	2.92

10.11 लेखा मानक - 28 - आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक ने अभिनिर्धारित किया है कि अचल आस्तियाँ अनर्जक नहीं हुई हैं। इसलिए लेखा मानक 28 के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

(B) Transactions with Related parties

(₹ in lakhs)

Particulars	31.03.13	31.03.12
Salary & Allowances (including perquisites)	42.94	48.23

The transactions with the subsidiary and associate of the bank have not been disclosed in view of para 9 of the AS- 18 Related Parties Disclosures, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other state controlled related parties.

10.7 Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Basic / Diluted E.P.S.	₹ 11.88	₹ 7.59
Calculation of Basic/Diluted EPS		
a) Net Profit after Tax and preference dividend plus tax on dividend (₹ in lakh)	₹ 70104.55	₹ 36590.72
b) Weighted Average number of Equity Shares (Nos. in Lakhs)	5899.85	4823.03
c) Basic Earnings per share [(a) divided by (b)]	₹ 11.88	₹ 7.59
d) Nominal Value per Share	₹ 10.00	₹ 10.00

10.8 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

The bank has accounted for current tax in compliance with AS 22.

Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Deferred Tax Assets		
1) On account of timing difference towards provisions for Bad & Doubtful Debts	0.00	158.41
2) On account of provisions for Employees' benefits	67.93	67.57
3) Other Provisions where DTA is created	74.22	142.60
Total	142.15	368.58
Deferred Tax Liability		
1) On account of Special Reserve	29.28	29.28
2) On account of Depreciation on Investment	68.45	77.44
3) On account of Depreciation on Fixed Assets	2.97	0.00
Total	100.70	106.72
Net Deferred Tax Asset	41.45	261.86

10.9 Accounting Standard-24 – Discontinuing Operations

The Bank, during the financial year 2012-13, has not discontinued any of its business activities / operations which resulted in discharging of liabilities and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue a business activity in its entirety which will have the above effects.

10.10 Accounting Standard 26 — Accounting for Intangible Assets.

Computer Software – other than internally generated:
 Useful life - 3 years
 Amortization Rate - 33.33%
 Amortization Method - Straight line at cost

(₹ In Crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Software at the beginning of the year	2.92	4.01
Software acquired during the year	4.13	2.90
Amortization during the year	3.33	3.99
Net carrying amount at the end of the year	3.72	2.92

10.11 Accounting Standard 28 — Impairment of Assets

Bank has identified that there is no impairment of fixed assets and as such, no provision is required as per AS-28.

- 10.12 लेखा मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक अस्तित्वां
प्रबंधन के मतानुसार अनुसूची 12 में संदर्भित आकस्मिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं है।
11. चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलना करने हेतु जहां आवश्यक समझा गया वहां पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों को समूहबद्ध / पुनःवर्गीकृत किया गया।

बेसल II (पिलर 3) प्रकटन

सारणी डीएफ-1 अनुप्रयोग की व्याप्ति

गुणात्मक प्रकटन

- क) समूह में शीर्ष बैंक का नाम जिसपर संरचना लागू हो : बैंक ऑफ महाराष्ट्र
- ख) लेखांकन और विनियामक प्रयोजनों हेतु समेकन के आधार पर फर्कों की रूपरेखा, समूह के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं के संक्षिप्त विवरणसहित
- i) जो पूर्णतः समेकित हैं।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र समूह का शीर्ष बैंक है जिस पर नई पूंजी पर्याप्तता संरचना लागू होती है। बैंक की निम्नानुसार केवल एक सहायक संस्था है सहायक संस्था का नाम : दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
निगमन का देश : भारत
स्वामित्व का अनुपात : 100 प्रतिशत
उक्त संस्था का समेकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 के अनुसार किया गया है।
- ii) जिनका समेकन समानुपातिक आधार पर किया गया है।
समूह में ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसका समेकन समानुपातिक आधार पर किया गया है।
- iii) जिन पर कटौती व्यवहार लागू है।
1. संस्था का नाम : दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
2. संस्था का नाम : महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
निगमन का देश : भारत
स्वामित्व का अनुपात : 35%
उक्त संस्थाओं का समेकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 23 के अनुसार किया गया है।
- iv) जो न तो समेकित हैं और न ही कटौती के अन्तर्गत (उदा. जहां निवेश जोखिम-धारित है) - शून्य

मात्रात्मक प्रकटन

- ग) समेकन में न आने वाली सभी सहायक संस्थाओं में पूंजी अभाव की कुल रकम अर्थात जिनमें कटौती की गई है और ऐसी सहायक संस्थाओं के नाम - शून्य
- घ) बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हितों की सकल रकम(चालू बही मूल्य) जो जोखिम-धारित हैं तथा उनके नाम, उनके निगमन या आवास का देश, हित के स्वामित्व का अनुपात और, यदि अलग हो तो, इन संस्थाओं में मताधिकार का अनुपात. इसके अतिरिक्त इस पद्धति के उपयोग बनाम कटौती पद्धति के उपयोग के विनियामक पूंजी पर पड़ने वाले मात्रात्मक प्रभाव- शून्य.

सारणी-डीएफ-2- पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटन

- क) सभी पूंजीगत निवेशों, विशेषकर टियर 1 या अपर टियर 2 में समाविष्ट करने हेतु पात्र पूंजीगत लिखतों
के मामले में मुख्य मुख्य बातों से सम्बंधित शर्तों की संक्षिप्त जानकारी.
बैंक की पूंजी संरचना में इक्विटी, प्रारक्षितियां व अधिशेष तथा नवोन्मेष बेमीयादी बॉण्ड शामिल हैं. वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 406.00 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) की इक्विटी पूंजी उगाही है, जो कि निम्नानुसार है :

10.12 Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In the opinion of the management, no further provision is required against contingent liabilities referred to in Schedule 12.

11. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figure.

BASEL II (PILLAR 3) DISCLOSURE

TABLE DF - 1 SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures

- a. The name of the top Bank in the group to which the frame work applies: BANK OF MAHARASHTRA
- b. An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group
- i) that are fully consolidated
Bank of Maharashtra is the top bank in the group to which the new capital adequacy frame works applies. The bank has only one subsidiary as under:
Name of the subsidiary : The Maharashtra Executor and Trustee Company Pvt. Ltd.
Country of Incorporation : India
Proportion of ownership : 100%
The above subsidiary is consolidated as per "Accounting Standard 21" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- ii) that are pro-rata consolidated
There is no entity in the group which is consolidated on pro-rata basis.
- iii) that are given a deduction treatment;
1. Name of the subsidiary : The Maharashtra Executor and Trustee Company Pvt. Ltd.
2. Name of the Associate : Maharashtra Gramin Bank.
Country of Incorporation : India
Proportion of ownership : 35%
The above entity is consolidated as per "Accounting Standard 23" issued by ICAI
- iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted) - Nil

Quantitative Disclosures

- c. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries – Nil
- d. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction – Nil

TABLE DF – 2- CAPITAL STRUCTURE

Qualitative Disclosures

- (a) Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments, eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2.
The Capital Structure of the Bank comprises Equity, Preference shares, Reserves & Surplus and Innovative Perpetual Bonds. The Bank has raised equity capital of ₹ 406.00 crore (including share premium) through allotment of equity share capital to Government of India on preferential basis during the year as under:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	आबंटन की तिथि Date of Allotment	जारी शेयरों की संख्या No. of Shares issued	ईक्विटी शेयर पूंजी Equity share capital	शेयर प्रीमियम Share premium	कुल Total
1.	भारत सरकार (भारत सरकार) Government of India (GoI)	30.03.2013	7,18,83,852	71.88	334.12	406.00

शेयर पूंजी की उक्त समाविष्टि को देखते हुए 31 मार्च 2013 को भारत सरकार की शेयरधारिता बढ़कर 81.24 प्रतिशत हो गई.

In view of the above infusion of share capital, the shareholding of the GOI has increased to 81.24% as on 31.03.2013.

बैंक ने टियर II पूंजी में समावेशन हेतु पात्र अन्य बॉन्ड के साथ नवोन्मेष बेमीयादी बॉण्ड (टियर I पूंजी) जारी किए हैं. इन बॉन्ड की कुछ महत्वपूर्ण नियम व शर्तें नीचे दी गई हैं :

The Bank has issued Innovative Perpetual Bonds (Tier 1 capital) and also other bonds eligible for inclusion in Tier 2 capital. The some of the important terms and conditions of the bonds are given below:

i) पूर्ण प्रदत्त अप्रतिभूत, किसी भी प्रतिबंधनात्मक खण्ड से मुक्त अपरिवर्तनीय बेमीयादी गौण बॉण्ड (टियर 1 पूंजी)

Fully Paid Up Unsecured, free of any restrictive clause Non-Convertible Subordinated Perpetual Bonds (Tier 1 Capital)

श्रृंखला Series	आबंटन का दिनांक Date of Allotment	बॉण्ड की रकम (₹ करोड़ में) Amount (₹ in crore)	कूपन दर Coupon Rate	अवधि Tenor	अन्य महत्वपूर्ण शर्तें Other Important Terms and conditions
I	31 जुलाई 2007 31st July 2007	225.00 225.00	पहले 10 वर्षों के लिए 10.65% प्रतिवर्ष. यदि बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग दिनांक 31.07.2017 को नहीं किया तो बाद के वर्षों के लिए 11.15% की बढ़ी हुई कूपन दर 10.65% p.a for first 10 years. If call option is not exercised by the Bank on 31.07.2017, the step up coupon rate of 11.15% p.a. for subsequent years.	बेमीयादी Perpetual	मांग विकल्प- दिनांक 31.07.2017 को या उसके बाद हर वर्षाण दिन को (भा.रि. बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर मांग विकल्प. विक्रय विकल्प- कोई नहीं Call Option - at par on 31.07.2017 or thereafter on each anniversary date (with prior approval of RBI) Put Option - None
II	30 सितंबर 2009 30th Sept 2009	70.00 70.00	पहले 10 वर्षों के लिए 9.25% प्रतिवर्ष. यदि बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग दिनांक 30.09.2019 को नहीं किया तो बाद के वर्षों के लिए 9.75% की बढ़ी हुई कूपन दर 9.25% p.a. for first 10 Years If call option is not exercised by the Bank on 30.09.2019 the step up coupon rate of 9.75% p.a. for subsequent years	बेमीयादी Perpetual	मांग विकल्प- दिनांक 30.09.2019 को या उसके बाद (भा.रि. बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर मांग विकल्प. विक्रय विकल्प- कोई नहीं Call Option - at par on 30.09.2019 or thereafter (with prior approval of RBI) Put Option-None

मांग विकल्प भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन है Call options subject to RBI guidelines

ii) पूर्ण प्रदत्त अप्रतिभूत, किसी भी प्रतिबंधनात्मक खण्ड से मुक्त भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के साथ प्रतिदेय गौण (अपर टियर 2 पूंजी)

Fully paid up, unsecured, free of any restrictive clause redeemable with prior approval of RBI Subordinated (Upper Tier 2 Capital)

श्रृंखला Series	आबंटन का दिनांक Date of Allotment	बॉण्ड की रकम (₹ करोड़ में) Amount (₹ in crore)	कूपन दर Coupon Rate	अवधि Tenor	अन्य महत्वपूर्ण शर्तें Other Important Terms and conditions
I	14 अक्टूबर 2006 14th October 2006	300.00 300.00	पहले 10 वर्षों के लिए 9.10% प्रति वर्ष की दर. यदि आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों के बाद भी बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो बॉण्डों पर 14 अक्टूबर 2016 से शेष 5 वर्षों की अवधि के लिए 9.60% प्रतिवर्ष की बढ़ी हुई कूपन दर होगी. 9.10% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised after 10 years by the Bank from the date of allotment, the bonds shall carry step up coupon rate of 9.60% p.a. for the remaining period of 5 years from 14th October 2016.	15 वर्ष 15 years	मांग विकल्प- बैंक द्वारा आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों बाद (भा.रि. बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर मांग विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है. विक्रय विकल्प- कोई नहीं. Call Option - Can be exercised at par by the Bank after 10 years from the date of allotment (with prior approval of RBI) Put Option-None
II	21 मार्च 2007 21st March 2007	200.00 200.00	पहले 10 वर्षों के लिए 9.90% प्रति वर्ष. यदि आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों के बाद भी बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो बॉण्डों पर 21 मार्च 2017 से शेष 5 वर्षों की अवधि के लिए 10.40% प्रतिवर्ष की बढ़ी हुई कूपन दर होगी. 9.90% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised by the Bank after 10 years from the date of allotment, the bonds shall carry coupon rate of 10.40% p.a. for the remaining period of 5 years from 21st March 2017.	15 वर्ष 15 years	मांग विकल्प- बैंक द्वारा आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों बाद (भा.रि. बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर मांग विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है. विक्रय विकल्प - कोई नहीं. Call Option - Can be exercised by the Bank after 10 years from the date of allotment (with prior approval of RBI) Put Option-None
III	30 मार्च 2007	150.00	पहले 10 वर्षों के लिए 10.25% प्रति वर्ष. यदि आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों के बाद भी बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो बॉण्डों पर 30 मार्च 2017 से शेष 5 वर्षों की अवधि के लिए 10.75% प्रतिवर्ष की बढ़ी हुई कूपन दर होगी.	15 वर्ष	मांग विकल्प- बैंक द्वारा आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों बाद (भा.रि. बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर मांग विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है. विक्रय विकल्प - कोई नहीं.

श्रृंखला Series	आबंटन का दिनांक Date of Allotment	बॉण्ड की रकम (₹ करोड़ में) Amount (₹ in crore)	कूपन दर Coupon Rate	अवधि Tenor	अन्य महत्वपूर्ण शर्तें Other Important Terms and conditions
	30th March 2007	150.00	10.25% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised by the Bank after 10 years from the date of allotment, the bonds shall carry coupon rate of 10.75% p.a. for the remaining period of 5 years from 30th March 2017.	15 years	Call Option - Can be exercised at par by the Bank after 10 years from the date of allotment (with prior approval of RBI) Put Option-None
IV	19 जुलाई 2007	200.00	पहले 10 वर्षों के लिए 10.35% प्रति वर्ष. यदि आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों के बाद भी बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो बॉण्डों पर 19 जुलाई 2017 से शेष 5 वर्षों की अवधि के लिए 10.85% प्रतिवर्ष की कूपन दर होगी.	15 वर्ष	मांग विकल्प- बैंक द्वारा आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों बाद (भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर मांग विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है. विकल्प विकल्प - कोई नहीं.
	19th July 2007	200.00	10.35% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised by the Bank after 10 years from the date of allotment, the bonds shall carry coupon rate of 10.85% p.a. for the remaining period of 5 years from 19th July 2017.	15 years	Call Option - Can be exercised at par by the Bank after 10 years from the date of allotment (with prior approval of RBI) Put Option-None
V	30 सितंबर 2009	100.00	पहले 10 वर्षों के लिए 8.95% प्रति वर्ष. यदि आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों के बाद भी बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो बॉण्डों पर 30 सितंबर 2019 से शेष 5 वर्षों की अवधि के लिए 9.45% प्रतिवर्ष की कूपन दर होगी.	15 वर्ष	मांग विकल्प- बैंक द्वारा आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों बाद (भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर मांग विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है. विकल्प विकल्प - कोई नहीं.
	30th September 2009	100.00	8.95% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised by the Bank after the end of 10th year from the date of allotment, the bonds shall carry coupon rate of 9.45% p.a. for the remaining period of 5 years from 30th September 2019.	15 years	Call Option - can be exercised at par by the Bank the end of 10th year from the date of allotment (with prior approval of RBI) Put Option-None
VI	1 फरवरी 2010	300.00	पहले 10 वर्षों के लिए 8.65% प्रति वर्ष. यदि आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों के बाद भी बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो बॉण्डों पर 1 फरवरी 2020 से शेष 5 वर्षों की अवधि के लिए 9.15% प्रतिवर्ष की कूपन दर होगी.	15 वर्ष	मांग विकल्प- बैंक द्वारा आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों बाद (भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर मांग विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है. विकल्प विकल्प - कोई नहीं.
	1st February 2010	300.00	8.65% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised by the Bank at the end of 10th year from the date of allotment, the bonds shall carry coupon rate of 9.15% p.a. for the remaining period of 5 years from 1st February 2020.	15 years	Call Option - can be exercised at par by the Bank the end of 10th year from the date of allotment (with prior approval of RBI) Put Option-None

मांग विकल्प भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन Call options subject to RBI guidelines

iii) पूर्ण प्रदत्त, असुरक्षित, किसी भी प्रतिबंधात्मक खण्ड से मुक्त अपरिवर्तनीय प्रतिदेय गौण बॉण्ड (टियर 2 पूंजी)

Fully Paid-up, Unsecured, Free from Restrictive Clause, Non Convertible Redeemable Subordinated Bonds (Tier II Capital)

श्रृंखला Series	आबंटन का दिनांक Date of Allotment	बॉण्ड की रकम (₹ करोड़ में) Amount (₹ in crore)	कूपन दर Coupon Rate	अवधि (महीने में) Tenor	अन्य महत्वपूर्ण नियम व शर्तें Other Important Terms and conditions
VII	25 जुलाई 2006	225.00	9.45%	120 माह	बॉण्ड पूर्णतः, प्रदत्त गैर जमानती, किसी भी प्रतिबंधात्मक खंड से मुक्त और प्रतिदेय हैं. इस प्रकार के टियर 2 बॉण्डों के निवेशकों के दावों का दर्जा बैंक के मौजूदा गौण ऋणों के साथ साथ और अन्य सभी लेनदारों के दावों के बाद रहेगा. बॉण्ड केवल भा.रि. बैंक के पूर्वानुमोदन से केवल परिपक्वता पर ही प्रतिदेय हैं.
	25th July 2006	225.00	9.45% p.a.	120 months	The bonds are redeemable on maturity of the bonds only with the prior approval of RBI. Claims of the investors in such tier II Bonds shall rank parri passu with the existing subordinated debts of the Bank & subordinate to the claims of all other creditors & depositors.
VIII	15 जनवरी 2008	200.00	9.20% प्रतिवर्ष	123 माह	ये बॉण्ड आपस में बगैर किसी वरीयता के बैंक की प्रत्यक्ष, गैरजमानती व गौण प्रतिबद्धताओं से युक्त होंगे. ये बॉण्ड केवल भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से परिपक्वता पर प्रतिदेय हैं.
	15th January 2008	200.00	9.20% p.a.	123 months	Bonds would constitute direct, unsecured and subordinated obligations of the bank without any preference among themselves. The bonds are redeemable on maturity only with the prior approval of RBI.

श्रृंखला Series	आबंटन का दिनांक Date of Allotment	बॉण्ड की रकम (₹ करोड़ में) Amount (₹ in crore)	कूपन दर Coupon Rate	अवधि Tenor	अन्य महत्वपूर्ण शर्तें Other Important Terms and conditions
IX	30 सितंबर 2009	130.00	8.74% प्रतिवर्ष	115 माह	अन्य लेनदारों के दावों के साथ जोड़ा गया है ये बॉण्ड भा.रि. बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना या धारक की पहल पर प्रतिदेय नहीं हैं. मांग या विक्रय विकल्प - कोई नहीं.
	30th September 2009	130.00	8.74% p.a.	115 months	Subordinated to the claims of other creditors, shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI. There is no call and put option.
X	31 दिसंबर 2012	1000.00	9.00% प्रतिवर्ष	120 माह	अन्य लेनदारों के दावों के साथ जोड़ा गया है ये बॉण्ड भा.रि. बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना या धारक की पहल पर प्रतिदेय नहीं हैं. मांग या विक्रय विकल्प - कोई नहीं.
	31st December 2012	1000.00	9.00%pa	120 months	Subordinated to the claims of other creditors, shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI. There is no call and put option.

सारणी-डीएफ-3 - पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटन

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता के आधीन है. ऋण विगोपन या कारोबार में होने वाली हानि की जोखिम से सुरक्षा के लिए बैंक द्वारा पूंजी पर्याप्तता बनाई रखी गई है ताकि जमाकर्ताओं, साधारण लेनदारों और हितधारकों को इस प्रकार की हानियों से बचाया जा सके. बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया(आईसीएपी) संरचना निर्मित की और अपनाई है बैंक की पूंजी आवश्यकताओं का निर्धारण और पुनरीक्षा आवधिक अंतराल पर की जाती है.

बैंक के पास अपनी जोखिम प्रोफाइल से संबंधित समग्र पूंजी पर्याप्तता के मूल्यांकन के लिए अपनी प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया इस बात का आश्वासन उपलब्ध करती है कि बैंक के पास उसके कारोबार से संबंधित सभी जोखिमों के लिए पर्याप्त पूंजी है और कारोबारी प्रोफाइल के अनुसार बैंक ने उचित सुरक्षित पूंजी बनाई रखी है. बैंक के पास कारोबार में होने वाली भावी वृद्धि के लिए पूंजी बनाए रखने की नीति है ताकि सतत आधार पर आवश्यक न्यूनतम पूंजी बनाई रखी जा सके.

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक ने नई पूंजी पर्याप्तता संरचना - बेसल II के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात के परिकलन के लिए बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत मीयादी दृष्टिकोण ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण और परिचालन जोखिम के लिए बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है.

बैंक बेसल - II संरचना के उन्नत दृष्टिकोण के रूपांतरण की प्रक्रिया में है, ताकि इसकी जोखिम और पूंजी प्रबंधन क्षमताओं में वृद्धि हो सके. उन्नत दृष्टिकोण में साख जोखिम हेतु आधारभूत एवं उन्नत आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (एफआईआरबीए व एआईआरबीए) का समावेश है. परिचालन जोखिम हेतु मानक दृष्टिकोण और उन्नत मापदंड दृष्टिकोण (टीएसए व एएमए) तथा बाजार जोखिम हेतु आंतरिक मॉडेल दृष्टिकोण (आईएमए).

न्यूनतम पूंजी आवश्यकता हेतु विवेकपूर्ण न्यूनतम सीमा:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नई पूंजी पर्याप्तता संरचना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा रखी जाने वाली न्यूनतम पूंजी हेतु निम्नलिखित में से उच्चतम रकम की शर्त रखी गई है

(क) ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम हेतु बेसल II मानदंडों के अनुसार न्यूनतम पूंजी

(ख) ऋण और बाजार जोखिमों हेतु बेसल I मानदंडों के अनुसार न्यूनतम पूंजी का 80%

बेसल I मानदंडों के अनुसार 31 मार्च 2013 को बैंक द्वारा रखी जाने वाली न्यूनतम पूंजी बेसल I मानदंडों के अनुसार पूंजी आवश्यकता का 80% अर्थात ₹ 5611.26 करोड़ है या बेसल II मानदंडों के अनुसार ₹ 6474.56 करोड़, दोनों में से जो अधिक है, वह है.

तथापि 31 मार्च 2013 को बैंक द्वारा रखी गई वास्तविक पूंजी (टियर 1 और टियर 2) ₹ 9,059.14 करोड़ है जो विवेकपूर्ण न्यूनतम सीमा से अधिक है.

Table DF-3 CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures:

The Bank is subjected to the Capital Adequacy guidelines stipulated by RBI. Adequate capital is maintained by the Bank as a cushion for covering the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors, general creditors and stakeholders against such losses. The Bank has evolved and put in place a Board approved Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) framework. Assessment and review of Bank's capital requirements are carried out at periodical intervals.

The Bank has a process for assessing its overall Capital Adequacy in relation to its risk profile, economic environment, regulatory requirement and the process provides an assurance that the Bank has adequate capital to support all risks in its business and an appropriate capital buffer based on its business profile. The Bank has a policy to maintain capital to take care of the future growth in business so that the minimum capital required is maintained on continuous basis.

In line with the guidelines of the RBI, the Bank has adopted the Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing Capital Adequacy Ratio under New Capital Adequacy Framework - Basel II.

Bank is in the process of migrating to the Advanced Approaches of the Basel II framework so as to enhance its Risk and Capital Management capabilities. Advanced approaches include Foundation and Advanced Internal Ratings Based Approach ('FIRBA' & 'AIRBA') for Credit Risk, The Standardized Approach and Advanced Measurement Approach ('TSA' & 'AMA') for Operational Risk and Internal Models Approach ('IMA') for Market Risk.

Prudential floor limit for minimum capital requirement:

The guidelines for implementation of the New Capital Adequacy Framework issued by RBI stipulates higher of the following amounts as minimum capital required to be maintained by the Bank.

(a) Minimum capital as per Basel II norms for Credit, Market and Operational Risk.

(b) 80% of Minimum capital as per Basel I norms for Credit and Market risks.

The minimum capital required to be maintained by the Bank as on March 31, 2013 is 80% of the capital requirement under Basel I norms i.e. ₹ 5,611.26 Crore or capital requirement as per Basel II norms i.e. ₹ 6,474.56 Crore, whichever is higher.

However, the actual capital (Tier 1 and Tier 2) maintained by the Bank as on March 31, 2013 is ₹ 9,059.14 Crore, which is above the prudential floor limit.

मात्रात्मक प्रकटन

		(₹ करोड़ में)
		31.03.2013
(क)	साख जोखिम (मानक दृष्टिकोण)	
	i. मानक दृष्टिकोण @ 9% के अधीन संविभाग	5807.93
	ii. प्रतिभूतिकरण विगोपन	-
	साख जोखिम हेतु कुल पूंजी प्रभार	5807.93
(ख)	बाजार जोखिम (मानक अवधि दृष्टिकोण)	
	i. ब्याज दर जोखिम	172.07
	ii. ईक्विटी स्थिति जोखिम	37.89
	iii. विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	4.50
	बाजार जोखिमों हेतु कुल पूंजी प्रभार	214.46
(ग)	परिचालन जोखिम (मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण)	
	परिचालन जोखिमों हेतु कुल पूंजी प्रभार	452.16
(घ)	बैंक और इसकी सहयोगी संस्थाओं के लिए पूंजी अनुपात	
	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	
	सीआरएआर (%)	12.59
	सीआरएआर - टियर I पूंजी (%)	7.57
	सीआरएआर - टियर II पूंजी (%)	5.02
	समेकित समूह	
	सीआरएआर (%)	12.59
	सीआरएआर - टियर I पूंजी (%)	7.57
	सीआरएआर - टियर II पूंजी (%)	5.02
	महत्वपूर्ण बैंक सहयोगी संस्थाओं के लिए (एकल या उप-समेकित, संरचना के लागू होने के आधार पर)	
	सीआरएआर (%)	लागू नहीं
	सीआरएआर - टियर I पूंजी (%)	लागू नहीं
	सीआरएआर - टियर II पूंजी (%)	लागू नहीं

सारणी-डीएफ-4 -- ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन:

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम, बैंक के संविभाग में प्रतिपक्षों या उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता में आये हास से उत्पन्न हानियों से संबंधित है। ऋण जोखिम अधिकांशतः बैंक की उधार गतिविधियों से पैदा होती हैं और यह उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षों की ऋण गुणवत्ता /साख में आने वाले संभाव्य परिवर्तनों के कारण पैदा होती है। व्यवहार जोखिम (विभिन्न ऋण प्रस्तावों में जोखिम), उद्योग और कारोबार जोखिम जिनमें अग्रिम दिए गए हैं, भौगोलिक जमाव जोखिम और ऋणों के प्रकार(कर्ज, नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट इत्यादि) का समग्र जोड़ ऋण जोखिम है।

नीति व रणनीति

बैंक संतुलित जोखिम दर्शन का अनुपालन कर रहा है। जोखिम दर्शन के महत्वपूर्ण बातों को विभिन्न नीतियों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों में समाहित किया गया है। लाभ, उठाई गई विभिन्न जोखिमों का स्तर, पूंजी का स्तर, बाजार परिदृश्य और प्रतियोगिता इत्यादि बातों को ध्यान में लेकर बैंक के कारोबारी उद्देश्य और रणनीतियां तैयार की जाती हैं। बैंक अपनी आस्ति गुणवत्ता और आय के प्रति सतर्क है तथा जोखिम नियंत्रण के साथ लाभ को अधिकतम करने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से संतुलन करता है।

बैंक ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से निम्नलिखित नीतियां लागू की हैं

1. उधारी और ऋण पुनरीक्षण नीति
2. जोखिम प्रबंधन नीति
3. ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन
4. निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति

उधारी और ऋण पुनरीक्षण नीति, जोखिम प्रबंधन नीति के दस्तावेज संगठनात्मक ढांचे, भूमिका और जिम्मेदारियों तथा प्रक्रियाओं और साधनों को परिभाषित करते हैं जिनके परिणामस्वरूप बैंक द्वारा उठाई जा रही ऋण जोखिम का अभिनिर्धारण, उसकी मात्रा

Quantitative Disclosures:

(₹ in Crore)

		31.03.2013
(a)	CREDIT RISK (Standardised Approach)	
	i Portfolios subject to standardized approach @ 9%	5807.93
	ii Securitization exposure	-
	Total capital charge for credit risks (i+ii)	5807.93
(b)	MARKET RISK (Standardized Duration Approach)	
	i Interest Rate Risk	172.07
	ii Equity Position Risk	37.89
	iii Foreign Exchange Risk (including gold)	4.50
	Total capital charge for market risks (i+ii+iii)	214.46
(c)	OPERATIONAL RISK (Basic Indicator Approach)	
	Total capital charge for operational risks	452.16
(d)	The Capital ratios of the bank and subsidiaries are:	
	Bank of Maharashtra	
	CRAR %	12.59
	CRAR – Tier I Capital (%)	7.57
	CRAR – Tier II Capital (%)	5.02
	Consolidated Group	
	CRAR %	12.59
	CRAR – Tier I Capital (%)	7.57
	CRAR – Tier II Capital (%)	5.02
	For significant bank subsidiaries (stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied)	
	CRAR %	N/A
	CRAR – Tier I Capital (%)	N/A
	CRAR – Tier II Capital (%)	N/A

Table DF-4 GENERAL DISCLOSURES FOR CREDIT RISK

Qualitative Disclosures:

Credit Risk:

Credit Risk is related to the losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counterparties in a bank's portfolio. Credit risk arises mostly from lending activities of the bank and it emanates from changes in the credit quality / worthiness of the borrowers or counterparties. Credit Risk is an aggregation of Transaction Risk (risk in various credit propositions), Industry and Business line risk wherein advances are lent, Geographic Concentration Risk and types of credit (such as loans, Cash credit, overdrafts etc.).

Policy & Strategy

The Bank has been following a conservative risk philosophy. The important aspects of the risk philosophy are embodied in various policies, circulars, guidelines etc. The business objectives and the strategy of the bank is decided taking into account the profit considerations, the level of various risks faced, level of capital, market scenario and competition. The Bank is conscious of its asset quality and earnings and judiciously matches profit maximization with risk control.

The Bank has put in place the following policies approved by the Board.

- i) Lending & Loan Review Policy
- ii) Risk Management Policy
- iii) Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management
- iv) Investment Management Policy & Investment Risk Management Policy

The Lending & Loan Review Policy, Risk Management Policy documents define organizational structure, role and responsibilities and, the processes and tools whereby the credit risks carried by the Bank can be identified,

का निर्धारण किया जा सकता है और उसे बैंक के विचार में उसके अधिदेश तथा जोखिम अपेड़ाट के अनुसार निर्धारित फ्रेमवर्क में प्रबंधित किया जा सकता है। विभिन्न विवेकी और विगोपन सीमाओं, सहायक प्रतिभूति मानक तथा ऋण जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य से विभिन्न वित्तीय न्यूनतम सीमाओं का निर्धारण का उपबंध नीतियों में किया गया है। ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन नीति बेसल II फ्रेमवर्क के अंतर्गत ऋण जोखिम प्रशमन के लिए पात्र सहायक प्रतिभूतियों के विवरण निर्धारित करती है। निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति बैंक की ऋण जोखिम नीति का अभिन्न अंग है।

ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक ढांचा

ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य के लिए बैंक के संगठनात्मक ढांचे में शीर्ष स्तर पर समग्र रूप से जोखिमों का पर्यवेक्षण करने के लिए निदेशक मंडल है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति तैयार करती है। परिचालनगत स्तर पर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति ऋण जोखिम का प्रबंधन करती है। ऋण जोखिम प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम नीति का कार्यान्वयन करना, व्यापक आधार पर बैंक की ऋण जोखिम की निगरानी करना तथा निदेशक मंडल / ऋण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित विभिन्न न्यूनतम जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना है। समन्वित जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रमुख महाप्रबंधक के पद वाले मुख्य जोखिम अधिकारी है।

ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए प्रणालियां / प्रक्रियाएं / साधन

ऋण मूल्यांकन मानक : बैंक के पास क्रेडिट ओरिजिनेशन के लिए सुस्थिर मानक, ऑफ बैलन्स शीट मदों सहित सभी ऋण विगोपनों के दस्तावेजीकरण और रखरखाव हेतु अग्र सक्रिय ऋण जोखिम प्रबंधन नीति है। आवधिक पुनरीक्षण, आवधिक निरीक्षण और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन प्रणाली जैसी प्रणालियां बैंक में विद्यमान हैं।

विगोपन सीमाएं : एकल / समूह उधारकर्ता सीमाएं, बड़ी विगोपन सीमाएं और सेक्टर / उद्योग से संबंधित विगोपन सीमाओं सहित ऋण जोखिम सीमाएं लागू हैं। विगोपन की तुलना में सीमाओं की निगरानी की जाती है।

ऋण अनुमोदन ग्रिड : बड़ी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालय / प्रधान कार्यालय में नए / ऋण सीमा में वृद्धि या बिना वृद्धि के वर्तमान प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ऋण अनुमोदन ग्रिड का गठन किया गया है। प्रधान कार्यालय में नए ऋण प्रस्तावों पर उक्त विनिर्दिष्ट सीमाओं के आधार पर सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन देने के लिए नए व्यापारिक समूह (एनबीजी) नामक एक नया समूह बनाया गया है।

मंजूरी अधिकार : बैंक में ऋणों की मंजूरी हेतु एक सुपरिभाषित बहुस्तरीय विवेकाधिकार संरचना को अपनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बेहतर रेटिंग वाले ग्राहकों को ऋण और अग्रिम मंजूर करने हेतु मंजूरकर्ता प्राधिकारियों को उच्चतर मंजूरी अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है।

ऋण जोखिम योग्यताक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया : बैंक अपने ऋण जोखिम का प्रबंध हर बाध्यताधारी (उधारकर्ता) और संविभाग स्तर की जोखिमों के सतत परिमाण एवं अनुप्रवर्तन के जरिये करता है। बैंक के पास एक मजबूत आंतरिक ऋण जोखिम रेटिंग संरचना और सुस्थापित मानकीकृत ऋण मूल्यांकन/अनुमोदन प्रक्रियाएं हैं। ऋण जोखिम रेटिंग एक सरलीकृत प्रक्रिया है जिससे बैंक को किसी प्रस्ताव में अन्तर्निहित गुणों-अवगुणों के निर्धारण में सहायता मिलती है और यह निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक साधन है जिससे बैंक को किसी भी ऋण प्रस्ताव की स्वीकार्यता के बारे में या अन्यथा निर्णय लेने में मदद मिलती है। यह बैंक की जोखिम आधारित मूल्यांकन संरचना के अनुसार ऋण सुविधाओं का यथोचित मूल्य निर्धारित करने में भी सहायक होता है। बैंक ने खुदरा ऋणों के लिए भी ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल विकसित किये तथा अपनाए हैं। बैंक ने ऋण जोखिम रेटिंग प्राप्त करने के लिए अपने वार्ड एरिया नेटवर्क पर आंतरिक रूप से विकसित सॉफ्टवेयर लगाया है ताकि उसकी शाखायें/क्षेत्र के कार्यालय उधारकर्ताओं की ऋण जोखिम रेटिंग निश्चित करने हेतु इस प्रक्रिया का तत्काल उपयोग कर सकें।

कड़ी ऋण जोखिम प्रबंधन पद्धति के मापदंड के रूप में बैंक ने ऋण जोखिम रेटिंग के अनुमोदन के लिए एक अवधारणा मौजूद है। हर उधारकर्ता के रेटिंग की कम से कम वर्ष में एकबार पुनरीक्षा की जाती है। ऋण संविभाग गुणवत्ता की निगरानी निम्न रेटिंग वाले उधारकर्ताओं और उच्च मूल्य वाले विगोपनों के लिए द्वि वार्षिक ऋण जोखिम रेटिंग द्वारा की जाती है।

ऋण पुनरीक्षण तंत्र : बैंक में लागू ऋण पुनरीक्षण तंत्र के उद्देश्य हैं

1. बैंक की उधारी नीति और प्रत्यायोजित उधारी अधिकारों के अनुसार विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा ऋण मंजूर करना सुनिश्चित करना।
2. मंजूरी की शर्तों और निबंधनों का पालन और विभिन्न स्वीकृतियों उपरांत अनुवर्तन, निगरानी और बैंक द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षी उपायों का पालन सुनिश्चित करना।
3. सभी ऋण सुविधाओं का पुनरीक्षण / नवीकरण समय पर सुनिश्चित करना ताकि जोखिम संभावनाओं को संशोधित कर यदि आवश्यक हो तो तत्काल सुधारात्मक कदम उठाना सुनिश्चित करना।

quantified and managed within the framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk appetite. The policies prescribe various prudential and exposure limits, collateral standards, financial benchmarks for the purpose of credit risk management. The policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management lays down the details of eligible collaterals for credit risk mitigation under Basel II framework. The Investment Management Policy & Investment Risk Management Policy forms an integral part of credit risk in the Bank.

Organizational Structure for Credit Risk Management

The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the apex level that has the overall oversight of management of risks. The Risk Management Committee of the Board (RMC) devises the policy and strategy for Integrated Risk Management. At operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main functions of the CRMC include implementation of the credit risk policy approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis and ensure adherence to threshold risk limits approved by the Board / Risk Management Committee. The Integrated Risk Management Department is headed by the Chief Risk Officer of General Manager Rank.

Systems / Process / tools for Credit Risk Management

Credit Appraisal standards : The Bank has in place proactive credit risk management practices like consistent standard for the credit origination, maintenance and documentation for all credit exposures including off balance sheet items. Systems of periodic reviews, periodic inspections and collateral management systems are in place.

Exposure Limits : Credit risk limits including single / group borrower limits, substantial exposure limits, exposure limits in respect of sectors / industries are in place. The exposure vis-à-vis the limits are monitored.

Credit Approval Grids : Credit Approval Grids have been constituted at various levels covering very large branches / Regional offices / Head Office for considering fresh / existing proposals with or without enhancement. A structure namely, New Business Group (NBG) is in place at Head Office level for considering in-principle approval for taking up fresh credit proposal above a specified cut-off.

Sanctioning Powers : The Bank follows a well-defined multi-layered discretionary power structure for sanction of loans. Higher sanctioning powers are delegated to sanctioning authorities for sanctioning loans and advances to better rated customers in line with RBI guidelines.

Credit Risk Rating and Appraisal Process : The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at each obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has in place an internal credit risk rating framework and well established standardized credit appraisal / approval processes. Credit risk rating enables the Bank to accurately assess the risk in a credit proposition and take a decision to accept or reject the proposal based on the risk appetite of the Bank. It also enables risk pricing of credit facilities for risk return trade off. The Bank has developed and put in place credit risk rating models for retail loans also. The Bank has in-house developed software for undertaking credit risk rating, which is available on the Wide Area Network (WAN) of the Bank facilitating instant access by the Branches / Field Offices for undertaking credit risk rating of borrowers.

As a measure of robust credit risk management practices, the Bank has in place a framework for approval of credit risk ratings. Rating for every borrower is reviewed at least once in a year. Credit portfolio quality is monitored by undertaking bi-annual credit risk rating for high value exposures and inferior rated borrowers. Credit risk rating, as a concept, has been well internalized in the Bank.

Loan review Mechanism: The objectives of the Loan Review Mechanism in place in the Bank are:

- i) To ensure that credit decisions by various authorities are in conformity with the Bank's Lending Policy and delegated lending powers.
- ii) To ensure that stipulated terms & conditions of sanction are complied with and various post sanction follow up, monitoring and supervision measures prescribed by the Bank are adhered to.
- iii) To ensure that all credit facilities are reviewed / renewed well in time so as to revise the risk perception and take necessary corrective action if necessary, immediately.

4. आस्ति की मानक गुणवत्ता बनाए रखने और अनर्जक आस्तियों में सुधार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखना ताकि अनर्जक आस्तियों पर प्रतिबंध / कमी / कोटिउन्नयन द्वारा बैंक की लाभप्रदता पर अनुकूल प्रभाव डाला जा सके.
5. बैंक के ऋण संविभाग की गुणवत्ता की जांच करना और इसकी जानकारी समय समय पर उच्च प्रबंधन को देना.

ऋण देने के लिए जांच और संतुलन का तंत्र है जैसे कि ऋण स्वीकृतियों से ऋण जोखिम प्रबंधन को अलग करना, ऋण जोखिम रेटिंग देने की प्रणाली, रेटिंग की जांच, ग्राहक की जोखिम रेटिंग के अनुसार ऋण सुविधा का मूल्यांकन करने का तंत्र, ऋण लेखा परीक्षा इत्यादि लागू हैं. प्रवेश स्तरीय न्यूनतम रेटिंग भी निर्धारित किए गए हैं. अन्य बैंकों पर किए गए समग्र विगोपन और देश के ऋण विगोपनों की निगरानी करने के लिए तंत्र उपलब्ध है. एक विकेन्द्रीकृत ऋण संविभाग बनाए रखा गया है और समय समय पर संविभाग का विश्लेषण किया जाता है ताकि जारी ऋण जमाव नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके.

विगत में देय एवं अनर्जक ऋण:

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने हेतु लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार बैंक ऋण और अग्रिमों की निम्नलिखित श्रेणियों को अनर्जक आस्ति मानता है जहां

- सावधि ऋण के सम्बंध में ब्याज और/या मूलधन की किश्त 90 दिनों या अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रही हो.
- ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण के सम्बंध में खाता 'अनियमित' रहा हो.
- बिल खरीद और भांजित बिल के सम्बंध में बिल 90 दिन या अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रहा हो
- कृषि अग्रिमों के सम्बंध में ब्याज और/या मूलधन की किश्त दो फसल मौसमों हेतु (कम अवधि वाली फसलों के सम्बंध में) और एक फसल मौसम (लम्बी अवधि वाली फसलों के सम्बंध में) अतिदेय रही हो.
- अन्य खातों के सम्बंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि हेतु अतिदेय कोई भी प्राय्य रकम.
- किसी भी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज जिसे तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर न चुकाया गया हो.

अनियमित स्थिति : एक खाता तब अनियमित माना जाता है जब मंजूरी सीमा / आहरण अधिकारों से खाते में बकाया शेष लगातार अधिक रहता है. ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालित खाते में बकाया शेष मंजूर अधिकारी / आहरण अधिकार से कम है किंतु खाते में तुलनपत्र की दिनांक से 90 दिनों तक लगातार कोई रकम जमा नहीं हुई है या खाते में जमा रकम अवधि के दौरान नामे की जाने वाली ब्याज की रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो इस प्रकार के खातों को अनियमित माना जाएगा.

अतिदेय : किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि बैंक द्वारा निर्धारित दिनांक पर भुगतान नहीं की जाती तो उसे अतिदेय माना जाता है.

मात्रात्मक प्रकटन:

- (क) कुल सकल ऋण जोखिम विगोपन, निधि आधारित और गैर निधि आधारित अलग-अलग.

(₹ करोड़ में)

निधिक	87569.32
गैर-निधिक	12855.26

- (ख) विगोपनों का भौगोलिक वितरण, निधि आधारित और गैर निधि आधारित अलग-अलग

I. समुद्रपारीय

(₹ करोड़ में)

निधिक	शून्य
गैर-निधिक	शून्य

II. घरेलू

(₹ करोड़ में)

निधिक	87569.32
गैर-निधिक	12855.26

- (ग) विगोपनों का उद्योगवार वितरण (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित अलग-अलग)

- iv) To aim at achieving maintenance of standard assets quality and improvement in non-performing assets (NPAs) so as to have a favourable impact on profitability of the Bank through prevention / reduction / up gradation of NPAs.
- v) To assess the health of credit portfolio of the Bank and to apprise the Top Management about the same from time to time.

Checks and balances viz. separation of credit risk management from credit sanctions, system of assigning credit risk rating, vetting of ratings, mechanism to price credit facilities depending on risk rating of customer, credit audit etc. are in place. Minimum entry level rating benchmarks are stipulated. A suitable mechanism is in place to monitor aggregate exposure on other banks and country exposures. A diversified credit portfolio is maintained and a system to conduct regular analysis of portfolio so as to ensure ongoing control of credit concentration is in place.

Loans past due and Impaired:

The regulatory guidelines are adhered to in respect of income recognition, asset classification and provisioning, the Bank considers following categories of loans and advances as Non-performing Assets, wherein:

- Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC)
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of Bills Purchased and Discounted
- In case of agricultural advances, interest and/or installment of principal remains overdue for 2 crop seasons (in respect of short duration crops) & 1 crop season (in respect of long duration crops).
- Any amount receivable that remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.

'Out of Order' status : An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are also treated as 'out of order'.

Overdue: Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Quantitative Disclosures:

- (a) Total gross credit risk exposures, Fund based and Non-fund based separately.

(₹ in Crore)

Funded	87569.32
Non Funded	12855.26

- (b) Geographic distribution of exposures, Fund based and Non-fund based separately

I. Overseas

(₹ in Crore)

Funded	Nil
Non Funded	Nil

II. Domestic

(₹ in Crore)

Funded	87569.32
Non Funded	12855.26

- (c) Industry type distribution of exposures, fund based and non-fund based separately

31.03.2013 को उद्योग-वार निधिक एवं गैर-निधिक विगोपन
Industry wise Exposure - FUNDED & NON FUNDED EXPOSURE As On 31-MAR-2013

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्रं. Sr.No.	उद्योग INDUSTRY	निधिक विगोपन राशि FUNDED EXPOSURE Amt	गैर-निधिक विगोपन राशि NON FUNDED EXPOSURE Amt
1	कोयला व खान Coal & Mining	840.51	0.13
2	लोहा व इस्पात Iron & Steel	1,904.61	209.38
3	अन्य धातु व उत्पाद Other Metal & Metal Products	2,171.48	130.12
4	सभी अभियांत्रिकी All Engineering	3,047.10	1,735.29
	4.1 इलेक्ट्रॉनिक Electronics	388.10	90.27
	4.2 अन्य Other	2,659.00	1,645.02
5	इलेक्ट्रिसिटी Electricity	0.00	0.00
6	सूती वस्त्र Cotton Textiles	620.30	137.83
7	पटसन वस्त्र Jute Textiles	17.50	0.00
8	अन्य वस्त्र Other Textiles	1,275.77	0.00
9	चीनी Sugar	311.40	0.02
10	चाय Tea	0.00	0.00
11	खाद्य प्रसंस्करण Food Processing	209.86	141.01
12	वनस्पति तेल Veg. Oil	248.77	0.00
13	तम्बाकू Tobacco	337.19	62.18
14	कागज व कागज उत्पाद Paper & Paper Products	396.61	29.66
15	रबर Rubber	546.53	57.53
16	रसायन, डाई, पेंट आदि Chemical Dyes Paints	1,744.05	124.35
	16.1 उर्वरक Fertilizers	172.85	0.10
	16.2 पेट्रो रसायन Petrochemicals	639.56	36.30
	16.3 औषध व भेषज Drugs Pharmaceuticals	845.44	76.97
	16.4 अन्य रसायन Chemicals Others	86.20	10.97
17	सीमेंट Cement	892.34	10.67
18	चमड़ा Leather	63.67	4.26
19	रत्न और जेवरात Gems & Jewellery	517.66	152.92
20	निर्माण Construction	345.32	3.91
21	पेट्रोलियम Petroleum	1,854.46	30.86
22	आटोमोबाइल Automobiles	1,308.34	94.86
23	कंप्यूटर विज्ञान Computer Science	92.00	19.84
24	अवसंरचना Infra Structure	13,991.18	866.07
	24.1 ऊर्जा Power	8,918.29	214.99
	24.2 टेलीकॉम Telecom	710.49	2.33
	24.3 सड़क व बंदरगाह Roads & Ports	1,605.38	308.13
	24.4 अस्पताल Hospital	0.00	0.00
	24.5 शिक्षण Education	11.34	0.00
	24.6 अन्य अवसंरचना Other Infra Structure	2,745.67	340.62
25	एनबीएफसी NBFC	7,559.79	0.14
26	व्यापार Trading	6,674.05	940.74
27	अन्य उद्योग Other Industry	1,004.55	15.48
28	कुल खाद्य ऋण Total Food Credit	1,930.73	0.00
29	अवशिष्ट अन्य अग्रिम Residuary	37,663.55	8,088.02
	कुल जोड़ GRAND TOTAL	87,569.32	12,855.26

उद्योग वार विगोपन सकल निधिक और गैर-निधिक विगोपन के 5% से अधिक है.

INDUSTRY WISE EXPOSURE IS MORE THAN 5% OF GROSS FUNDED & NON FUNDED EXPOSURE

(₹ करोड़ में)

व्यापार	7614.79
एनबीएफसी	7559.92
मूलभूत संरचना	14857.25

(₹ in Crores)

TRADING	7614.79
NBFC	7559.92
INFRASTRUCTURE	14857.25

(घ) आस्तियों का अवशिष्ट परिपक्वता विश्लेषण :

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता स्वरूप	अग्रिम	निवेश	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ
1 दिन	383.63	15.00	66.05
2 से 7 दिन	1394.71	86.75	408.89
8 से 14 दिन	915.19	0.00	81.39
15 से 28 दिन	1115.60	0.00	256.27
29 दिन से 3 महीने	6836.10	353.39	4187.71
3 महीने से अधिक किन्तु 6 महीने तक	4818.71	919.10	1150.55
6 महीने से अधिक किन्तु 1 वर्ष तक	7341.33	1047.24	1914.22
1 वर्ष से अधिक किन्तु 3 वर्ष तक	40865.28	3218.87	6.82
3 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष तक	10008.36	4475.74	0.00
5 वर्ष से अधिक	2718.28	21381.64	0.00
कुल	76397.18	31497.73	8071.90

(ङ) अनर्जक आस्तियाँ / अनर्जक निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.3.2013
(क) सकल अनर्जक आस्तियाँ	
अवमानक	581.70
संदिग्ध 1	177.92
संदिग्ध 2	167.90
संदिग्ध 3	43.09
हानि	166.93
कुल	1137.55
(ख) निवल अनर्जक आस्तियाँ	392.93
(ग) अनर्जक आस्ति अनुपात	
सकल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियाँ (%)	1.49
निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	0.52
(घ) अनर्जक आस्तियों की गतिशीलता (सकल)	
i प्रारंभिक शेष	1297.03
ii जोड़े- अवधि के दौरान वृद्धि	807.56
iii घटाए- अवधि के दौरान कमी	967.04
अर्ध वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष (i + ii + iii)	1137.55
(ङ) अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधानों की गतिशीलता	
i प्रारंभिक शेष	790.11
ii अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	582.70
iii अवधि के दौरान किये गये बट्टे खाते	663.12
iv अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	0.00
अंतिम शेष (i + ii - iii - iv)	709.69
(च) अनर्जक निवेश (एनपीआई)	0.00
(छ) अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान	0.00
(ज) निवेशों पर मूल्यहास हेतु प्रावधानों की गतिशीलता	
i प्रारंभिक शेष	166.91
ii अवधि के दौरान किये गये प्रावधान (निवल)	शून्य
iii अवधि के दौरान किये गये बट्टे खाते में प्राप्त	23.64
iv प्रतिभूतियों के अंतरण को दौरान प्रयुक्त प्रावधान	75.86
अंतिम शेष (i + ii - iii - iv)	67.41

सारणी-डीएफ-5 - ऋण जोखिम - मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर संविभाग

गुणात्मक प्रकटन

मानकीकृत दृष्टिकोण के अन्तर्गत संविभागों के लिए

मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत बैंक ऋण जोखिम रेटिंग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित ईसीएआई की रेटिंग को स्वीकृत करता है और जहां ऐसी रेटिंग उपलब्ध है, वहां जोखिम भास्ति आस्तियों के परिकलन हेतु ऐसी रेटिंग का उपयोग किया गया है.

(d) The Residual Maturity break-down of Assets as on 31.03.2013:

(₹ in Crore)

Maturity Pattern	Advances	Investments	Foreign Currency Assets
1 day	383.63	15.00	66.05
2 to 7 days	1394.71	86.75	408.89
8 to 14 days	915.19	0.00	81.39
15 to 28 days	1115.60	0.00	256.27
29 days to 3 months	6836.10	353.39	4187.71
Over 3 months and upto 6 months	4818.71	919.10	1150.55
Over 6 months and upto 1 year	7341.33	1047.24	1914.22
Over 1 year and upto 3 years	40865.28	3218.87	6.82
Over 3 years and upto 5 years	10008.36	4475.74	0.00
Over 5 years	2718.28	21381.64	0.00
Total	76397.18	31497.73	8071.90

(e) NPA / NPI

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2013
(a) Gross NPA	
Sub-standard	581.70
Doubtful 1	177.92
Doubtful 2	167.90
Doubtful 3	43.09
Loss	166.93
Total	1137.55
(b) Net NPA	392.93
(c) NPA Ratios	
% of Gross NPAs to Gross Advances	1.49
% of Net NPAs to Net Advances	0.52
(d) The movement of Gross NPA	
i Opening Balance	1297.03
ii Add - Addition during the period	807.56
iii Less - Reduction during the period	967.04
Closing balance as at the end of the year (i + ii - iii)	1137.55
(e) The movement of provision for NPAs	
i Opening Balance	790.11
ii Provisions made during the period	582.70
iii Write - off made during the period	663.12
iv Write - back of excess provisions	0.00
Closing balance (i + ii - iii - iv)	709.69
(f) Non Performing Investments (NPI)	0.00
(g) Provisions for NPI	0.00
(h) The movement of provision for depreciation on investments	
i Opening balance	166.91
ii Provisions made during the period	शून्य
iii Write back during the year	23.64
iv Provision used while shifting securities	75.86
Closing balance (i + ii - iii - iv)	67.41

Table DF-5 CREDIT RISK: PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures:

For portfolios under the Standardised Approach:

Under Standardised Approach, Bank accepts rating of following RBI approved ECAI (External Credit Assessment Institution) for credit risk rating and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available.

1. भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड (क्रिसिल)
2. क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड
3. एफआईटीसीएच इंडिया
4. आईसीआरए लिमिटेड
5. ब्रिकवर्क
6. एसएमई रेटिंग एजेन्सी ऑफ इंडिया लि (स्मीरा)

- विगोपन के प्रकार जिनके लिए हर क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी का उपयोग किया गया है: ₹ 5 करोड़ से अधिक के सभी प्रकार के विगोपनों के लिए उपर्युक्त सभी एजेन्सियों का अनुमोदन किया गया है।
- सार्वजनिक निर्गम रेटिंग को बैंकिंग बहियों में तुलनीय आस्तियों में अंतरण हेतु उपयोग में लाई गई प्रक्रिया का विवरण।
- बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ताओं से मांगी गई और उनके द्वारा स्वीकृत उक्त किन्हीं भी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गई रेटिंग का उपयोग करेगा। बैंक द्वारा पूंजी के परिकलन हेतु केवल पिछले 15 महीनों के दौरान दी गई बाहरी रेटिंग, नई या पुनरीक्षित को ही ध्यान में लिया जाएगा।
- जहां भी उपलब्ध हो, बैंक ऋण सुविधा या बैंक ऋण की रेटिंग का उपयोग उधारकर्ताओं के ऋण जोखिमों को मापने के लिए करता है। जहां भी जारीकर्ता रेटिंग उपलब्ध है, जब तक कि ऋण को विशिष्ट रूप से रेट न किया गया हो बैंक ऐसी रेटिंग का उपयोग करता है।
- बैंक एक ही उधारकर्ता के एक निवेश हेतु एक क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी और दूसरे निवेश हेतु अन्य रेटिंग एजेन्सी का उपयोग साथ-साथ नहीं करता जब तक कि सम्बंधित निवेशों की रेटिंग चुनी गई क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों में से ही किसी एक द्वारा न की गई हो। इसके अलावा, एक हीनिगमित समूह के अन्तर्गत किसी विशिष्ट प्रतिष्ठान को आर्बिट्रिट रेटिंग का उपयोग बैंक उस समूह के अन्य प्रतिष्ठान की क्रेडिट रेटिंग के लिए नहीं करता।
- नकदी ऋण जैसी चल सीमाओं को दीर्घकालीन निवेश माना जाता है और तदनुसार ऐसे विगोपनों हेतु जोखिम भार के निर्धारण के लिए दीर्घकालीन रेटिंग का उपयोग किया जाता है।
- क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गई रेटिंग को कार्यान्वित/लागू करने समय बैंक विनियामक दिशानिर्देशों / बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति से मार्गदर्शन प्राप्त करता है।

मात्रात्मक प्रकटन

मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर जोखिम प्रशमन के उपरान्त विभिन्न जोखिम बकेट्स में विगोपनों राशियाँ निम्नानुसार हैं-

(₹ करोड़ में)

क्रं.	वर्गीकरण	31.3.2013		
		विगोपन	योग्यताक्रम प्राप्त	योग्यताक्रम अप्राप्त
i	बकाया विगोपन 100% जोखिम भार से कम	101045.86	20473.63	80572.23
ii	बकाया विगोपन 100% जोखिम भार	37550.45	7015.11	30535.34
iii	बकाया विगोपन 100% जोखिम भार से अधिक	10436.82	6223.36	4213.46
iv	काटा गया सीआरएम मूल्य जोड़ा गया	3779.51	-	-
	कुल विगोपन	152812.64	33712.10	115321.03

सारणी-डीएफ - 6 -- ऋण जोखिम प्रशमन

गुणात्मक प्रकटन

- ऑफ एंड ऑन बैलेन्स शीट नेटिंग का उपयोग किस सीमा तक बैंक करता है इसका संकेत देने हेतु नीतियाँ और प्रक्रियाएँ

ऋण जोखिम (एफआईआरबी/एआईआरबी) के लिए उन्नत दृष्टिकोण पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने ऋण जोखिम प्रशमन तकनीकों और संपार्श्विक प्रतिभूति

1. Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL),
2. Credit Analysis and Research limited (CARE),
3. FITCH India
4. ICRA Limited.
5. Brickwork
6. SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA)

- Types of exposure for which each credit rating agency is used: All the above agencies are approved for rating of all types of exposure in excess of ₹ 5 Crore.
- A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking book:
- The Bank shall use the ratings assigned by any of these credit rating agencies as solicited and accepted by the borrowers in line with RBI guidelines. External ratings assigned, fresh or reviewed, at least during the previous 15 months only are considered for capital computation by the Bank.
- Wherever available, the Bank uses facility rating or bank loan rating for risk weighting the borrower's exposures. Where issuer rating is available the Bank uses such ratings unless the bank loan is specifically rated.
- The Bank does not simultaneously use the rating of one credit rating agency for one exposure and that of another credit rating agency for another exposure of the same borrower, unless the respective exposures are rated by only one of the chosen credit rating agencies. Further, the Bank does not use rating assigned to a particular entity within a corporate group to risk weight other entities within the same group.
- Running limits such as cash credit are treated as long term exposures and accordingly, long term ratings are used for assigning risk weights for such exposures.
- While mapping / applying the ratings assigned by the credit rating agencies, the Bank is guided by Regulatory guidelines / Bank's Board approved Policy.

Quantitative Disclosures:

The exposure amounts after risk mitigation (subject to the Standardized Approach) in different risk buckets are as under:

(Amount in ₹ Crore)

Sr No	Particulars	31.03.2013		
		Exposure	Rated	Unrated
i	Below 100% risk weight exposure outstanding	101045.86	20473.63	80572.23
ii	100% risk weight exposure outstanding	37550.45	7015.11	30535.34
iii	More than 100% risk weight exposure outstanding	10436.82	6223.36	4213.46
iv	Deducted CRM Value is added	3779.51	-	-
	Total Exposure	152812.64	33712.10	115321.03

Table DF-6 CREDIT RISK MITIGATION

Qualitative Disclosures:

- Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting

In line with RBI guidelines on Advance approach for Credit Risk (FIRB/AIRB), the Bank has in place the Policy on Credit Risk Mitigation

प्रबंधन नीति को संशोधित किया है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया. जोखिम प्रशमन के लिए बैंक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली सहायक प्रतिभूतियों में वित्तीय सहायक प्रतिभूतियां (बैंक जमा, सरकारी / डाक प्रतिभूति और अभ्यर्पण मूल्य के साथ जीवन बीमा पालिसी, स्वर्ण आभूषण इत्यादि जिनमें बैंक के पास कानूनी रूप से नेटिंग का अधिकार होता है और जिनमें विशिष्ट ग्रहणाधिकार शामिल होता है.) शामिल हैं. मार्जिन लागू करने और उचित मूल्यांकन के परिकलन हेतु सॉफ्टवेयर उपयोग में लाया जाता है.

सहायक प्रतिभूतियों के मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियां और प्रक्रियाएँ

- सहायक प्रतिभूतियां और गारंटियों का निर्धारण और प्रबंधन बुद्धिमानी से किया जाता है और इसका उपयोग निम्नलिखित के लिए होता है
 - अनुमानित नकदी प्रवाह में कमी आने के कारण उधारकर्ता द्वारा ऋण सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक करने की दशा में सहायक संसाधन उपलब्ध कर जोखिम कम करना.
 - चूक की दशा में पुनर्भुगतान के साधन पर नियंत्रण हासिल करना.
 - जोखिम भारित आस्तियों को आदर्शतम करना और बची हुई जोखिमों को पर्याप्त रूप से संरक्षित करना.
- ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन पर नीति के अतिरिक्त बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित उधारी नीति को भी लागू किया है. इन नीतियों में बैंक द्वारा ऋण देने हेतु आमतौर पर स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों के प्रकार तथा उनसे सम्बंधित जोखिमों को न्यूनतम करने हेतु बैंक के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन/अनुप्रवर्तन का निर्धारण किया गया है. बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों को रक्षित करने हेतु प्राप्त अचल और चालू दोनों आस्तियों का मूल्यांकन बैंक के पैल पर विद्यमान बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा कराया जाता है.
- बैंक द्वारा ली जाने वाली संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मुख्य प्रकारों की व्याख्या

जोखिम प्रशमक के रूप में बैंक द्वारा सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली संपार्श्विक प्रतिभूतियों में वित्तीय सहायक प्रतिभूतियां (जैसे-बैंक जमाराशियां, सरकारी प्रतिभूतियां, केवीपी, एनएससी, अभ्यर्पण मूल्य के साथ जीवन बीमा पालिसी, स्वर्ण आभूषण आदि) तथा बैंक गैर वित्तीय सहायक प्रतिभूतियाँ जैसे स्टॉक, पुस्तक ऋण, आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों का गिरवी और संयंत्र व मशीनरी भी स्वीकार करता है.
- गारंटीदाता प्रतिपक्ष के मुख्य प्रकार व उनकी साख

जहां भी आवश्यक हो, ऋण जोखिम के प्रशमन हेतु अतिरिक्त प्रतिभूति संवर्धन के रूप में बैंक वैयक्तिक या संस्थागत गारंटी प्राप्त करता है जिसे गारंटीदाता पर प्रत्यक्ष दावे के रूप में परिवर्तित किया जा सके और जो बिना शर्त और अपरिवर्तनीय हो. सामान्यतः गारंटीदाता की साख को उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति द्वारा संबद्ध या प्रभावित नहीं किया जाता. प्रतिभूति संवर्धन के रूप में बैंक राज्य / केन्द्र सरकार / ईसीजीसी/सीजीटीएमएसई द्वारा प्रदत्त गारंटी भी स्वीकार करता है.
- प्रशमन के अन्तर्गत जोखिम संकेन्द्रीकरण (बाजार या ऋण) के बारे में जानकारी

ऋण जोखिम प्रशमन हेतु पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियां सहज रूप से वसूली जा सकने वाली वित्तीय प्रतिभूतियां हैं. अतः फिलहाल ऋण जोखिम प्रशमकों में संकेन्द्रीकरण जोखिम से निपटने हेतु कोई सीमा / अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है.

मात्रात्मक प्रकटन:

(क) अलग-अलग प्रकट ऋण जोखिम प्रत्येक संविभाग के लिए मार्जिन के उपयोग के बाद पात्र वित्तीय सहायक प्रतिभूतियों से रक्षित कुल विगोपन (जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेंस शीट नेटिंग के बाद).

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013
मार्जिन के उपयोग के बाद पात्र वित्तीय सहायक प्रतिभूतियों से रक्षित कुल विगोपन (जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेंस शीट नेटिंग के बाद)	3779.51

Techniques & Collateral Management, duly approved by the Board. The collaterals used by the Bank as the risk mitigants comprise of the financial collaterals (i.e. bank deposits, Govt. / Postal securities, Life policies with declared surrender value, gold jewellery etc.), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien. Software is in place for calculation of correct valuation and application of haircut.

• Policies & processes for collateral valuation and management:

Collaterals and guarantees prudently stipulated and managed would serve to:

- Mitigate the risk by providing secondary source of repayment in the event of borrower's default on a credit facility due to inadequacy in expected cash flow.
- Gain control on the source of repayment in the event of default.
- Optimize risk weighted assets and to address residual risks adequately.

• In addition to the policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management, Bank has also put in place Lending Policy duly approved by the Board. These policies lay down the types of securities normally accepted by the Bank for lending, and administration/monitoring of such securities in order to safeguard/protect the interest of the Bank so as to minimize the risk associated with it. Both the fixed and the current assets obtained to secure the loans granted by the Bank as per policy prescription are subjected to valuation by outside valuers empanelled by the Bank.

• Description of the main types of collateral taken by the Bank

The main types of financial collaterals commonly used by the Bank as risk mitigants comprise of financial collaterals (i.e. Bank Deposits, Government Securities, KVP, NSC, Life Insurance Policies with declared surrender value, Gold jewellery etc.). Bank also accepts non-financial collateral i.e. stock, book debts, mortgage of residential & commercial property and plant & machinery.

• Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness

Wherever required the Bank obtains personal or corporate guarantee as an additional comfort for mitigation of credit risk which can be translated into a direct claim on the guarantor which is unconditional and irrevocable. The Bank also accepts guarantee given by State / Central Government/ECGC/CGTMSE as a security comfort.

• Information about (Market or Credit) risk concentrations within the mitigation taken

All types of securities eligible for credit risk mitigation are easily realizable financial securities. As such, at present no limit / ceilings have been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants.

Quantitative Disclosures:

(a) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.

(Amount in ₹ Crore)

	31.03.2013
The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.	3779.51

(ख) अलग-अलग प्रकट प्रत्येक संविभाग (जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेंस शीट नेटिंग के बाद) के लिए गारंटियों/ऋण डेरिवेटिव्स (जहां विशेष रूप से भा.रि.बैं. ने अनुमति दी है) से रक्षित कुल विगोपन.

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013
कुल विगोपन (जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो गारंटियों / ऋण डेरिवेटिव्स (जहां विशेष रूप से भा.रि.बैं. ने अनुमति दी है) से रक्षित कुल विगोपन	शून्य

(b) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI).

(Amount in ₹ Crore)

	31.03.2013
Total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees / credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	NIL

सारणी-डीएफ - 7-- प्रतिभूतिकरण

गुणात्मक प्रकटन:

बैंक ने वर्ष 2012-13 के दौरान किसी भी निवेश का प्रतिभूतिकरण नहीं किया है.

मात्रात्मक प्रकटन:

मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए मात्रात्मक प्रकटन लागू नहीं है.

सारणी-डीएफ - 8 -- व्यापार की बहियों में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटन:

बाजार जोखिम:

बाजार जोखिम को बैंक को बाजार के व्युत्पन्न जैसे ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, इक्विटी मूल्यों और वस्तु मूल्यों में प्रतिकूल संचलनों के कारण होने वाली हानि की संभावना के रूप में परिभाषित किया जाता है. बाजार जोखिम में बैंक का ऋण जोखिम विदेशी मुद्रा विनिमय स्थितियों, व्यापार बहियों (एएफएस और एचएफटी दोनों श्रेणियों) में घरेलू निवेशों (ब्याज से सम्बंधित लिखत और इक्विटी) से पैदा होता है. बैंक वस्तुओं में व्यापार नहीं करता है. बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य बाजार जोखिम के कारण आय तथा इक्विटी पूंजी से सम्बंधित हानियों के प्रभाव को न्यूनतम बनाना है.

बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियां, रणनीतियां व प्रक्रियाएं

बैंक में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आर्स्टि देयता प्रबंधन नीति विद्यमान हैं. उक्त नीतियों में बाजार जोखिम प्रबंधन के कार्यों हेतु सुपरिभाषित संगठनात्मक ढांचे एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है जिनके द्वारा बैंक को होने वाले बाजार जोखिमों का अभिनिर्धारण, परिमाणन, अनुप्रवर्तन और नियंत्रण किया जाता है जो बैंक की जोखिम सहन करने की क्षमता के अनुरूप नीतिगत संरचना के भीतर आता हो. नीतियों में बाजार जोखिम के प्रभावी अनुप्रवर्तन हेतु रिपोर्टिंग संरचना का भी समावेश है. नीतियों में बाजार जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन हेतु विभिन्न जोखिम सीमाओं जैसे ओवरनाईट लिमिट, इन्ट्राडे लिमिट, एग्रीगेट गैप लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, वीएआर लिमिट आदि का भी निर्धारण किया गया है. प्रतिपक्ष बैंकों के लिए भी ऋण जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं जिनका अनुप्रवर्तन दैनिक आधार पर किया जाता है.

आर्स्टि देयता प्रबंधन नीति (एएलएम) विशेष रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन व ब्याज दर जोखिम प्रबंधन संरचना से सम्बंधित है. जैसा कि नीति में परिकल्पित है, तरलता जोखिम का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार आर्स्टि व देयताओं की अवशिष्ट परिपक्वता/प्रवृत्ति के आधार पर पारंपरिक गैप एनालिसिस और ड्यूरेशन गैप एनालिसिस के जरिये किया जाता है. बैंक ने तरलता प्रबंधन हेतु अल्पकालिक गतिशील तरलता प्रबंधन तंत्र तथा आकस्मिक योजना तैयार की है. प्रभावी आर्स्टि देयता प्रबंधन हेतु अलग अलग अवशिष्ट परिपक्वता अवधि श्रेणियों के लिए विवेकपूर्ण (सह्य-सीमा) सीमाएं निर्धारित की गई हैं. तरलता प्रबंधन हेतु बैंक की आकस्मिक योजना में तरलता स्थिति पर पड़ने वाले सभी प्रकार के दबावों से निपटने हेतु किये जाने वाले विभिन्न आकस्मिक उपाय शामिल हैं. बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित तनाव परीक्षण नीति बनाई है और वह तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के सम्बंध में आवधिक रूप से तनाव परीक्षण आयोजित करता है.

ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन अस्थिर भाव वाली आर्स्टियों व देयताओं के गैप एनालिसिस के जरिये किया जाता है जिसका अनुप्रवर्तन निर्धारित किये गये विवेकपूर्ण (सह्य-सीमा) सीमाओं के माध्यम से किया जाता है. बैंक ने ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु ड्यूरेशन गैप एनालिसिस फ्रेमवर्क भी तैयार किया है. बैंक निवल ब्याज आय तथा इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव के

Table DF-7 – SECURITIZATION

Qualitative Disclosures:

The Bank has not securitized any exposure during the year 2012-13

Quantitative Disclosures:

Quantitative Disclosure for Standardized Approaches is Not Applicable

Table DF-8 MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative Disclosures:

Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank caused by adverse movements in the market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories), the Foreign exchange positions. Bank is not trading in commodities. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity arising from market risk.

Policies, strategies and processes for management of Market Risk

The Bank has put in place Board approved Investment Management Policy & Investment Risk Management Policy, Risk Management Policy, Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) Policy for effective management of market risk in the Bank. The above policies lay down well-defined organization structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the Bank are identified, measured, monitored and controlled within the policy framework consistent with the Bank's risk tolerance. The policies deal with the reporting framework for effective monitoring of market risk and also set various risk limits such as Overnight Limit, Intra-day limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit etc. Exposure limits are set for the counterparty banks and the exposures are monitored on daily basis.

The ALM Policy specifically deals with liquidity risk and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, liquidity risk is managed through the Traditional Gap Analysis & Duration Gap Analysis based on the residual maturity / behavioural pattern of assets and liabilities as prescribed by the RBI. The Bank has put in place mechanism of short term dynamic liquidity management and contingency plan for liquidity management. Prudential (Tolerance) limits are set for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. The Bank's contingency plan for liquidity management comprises various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. The Bank has put in place Board approved Stress Testing Policy and conducts periodic stress tests on liquidity risk, interest rate risk and foreign exchange risk.

Interest rate risk is managed through use of Gap Analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (Tolerance) limits prescribed. The Bank also has put in place Duration Gap Analysis framework for management of interest rate risk. The Bank estimates Earnings at Risk (EaR) and Modified Duration Gap (DGAP) periodically against adverse

निर्धारण हेतु जोखिम भरे अर्जनों और ब्याज दर की प्रतिकूल गतिशीलता के विरुद्ध संशोधित ड्यूरेशन गैप का प्राक्कलन करता है ताकि शेयरधारक के मूल्य को ईष्टतम बनाया जा सके।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) / बोर्ड बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन का अनुप्रवर्तन करता है। डीलिंग रूम के कार्य केन्द्रीकृत हैं और डीलिंग रूम के कार्यों पर निगरानी रखने हेतु एक प्रणाली मौजूद है। खजाना एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग सतत आधार पर विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन पर निगरानी रखता है।

बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति - यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक के परिचालन बाज़ार जोखिम के समक्ष आय की प्रबंधन की अपेक्षाओं के अनुरूप ही हैं, यह अत्यावश्यक है कि बैंक क्रय-विक्रय और बैंक की बहियों में उसके सामने आ रहे बाज़ार जोखिमों का प्रबंध करने के लिए किस प्रकार योजना बनाता है, इसे व्यक्त करने के लिए बैंक के पास सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का एक परिभाषित सेट रहे।

बैंक की बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति का लक्ष्य प्रक्रियाओं की विस्तृत रूपरेखा बनाना है जिसके द्वारा बैंक द्वारा उठाए जा रहे जोखिमों को प्रबंध किया जा सके अर्थात् इसका अभिनिर्धारण, मापन, नियंत्रण, निगरानी इस प्रकार की जा सके कि उठाया गया जोखिम अनुमोदित जोखिम सह्य सीमाओं के भीतर हो। इस नीति की व्यापकता बैंकिंग बही के निवेश भाग और बैंक की व्यापार बही के कारण उत्पन्न हो रहे बाज़ार जोखिम को कवर करती है। बैंकिंग बही के कारण उत्पन्न होने वाली निधिक तरलता और ब्याज दर जोखिम को बैंक की एएलएम नीति और भा. रि. बैं. के निर्धारणों के अनुसरण में एएलएम कार्य द्वारा प्रबंधित किया गया है।

देश जोखिम के अनुप्रवर्तन हेतु देशवार आधार पर सकल ऋण जोखिम का आकलन किया जाता है। विभिन्न देशों के जोखिम वर्गीकरण हेतु बैंक द्वारा ईसीजीसी जोखिम वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है। अत्यधिक जोखिम वाले देशों के ऋण जोखिम का निर्धारण यथोचित जोखिम प्रशमन से किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटन:

बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं-

(₹ करोड़ में)

	जोखिम की श्रेणी	31.03.2013
i	ब्याज दर जोखिम	172.07
ii	इक्विटी स्थिति जोखिम	37.89
iii	विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	4.50
	मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अंतर्गत बाज़ार जोखिमों के लिए कुल पूंजी प्रभार (i + ii + iii)	214.46

सारणी-डीएफ - 9 -- परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटन:

परिचालन जोखिम:

परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल हो चुकी आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली हानियों का जोखिम होता है। परिचालन जोखिम में विधिक जोखिम शामिल होता है किन्तु रणनीतिक व प्रतिष्ठात्मक जोखिम शामिल नहीं होता है।

परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियां:

बैंक ने बेसल II संरचना के अंतर्गत परिचालन जोखिम के लिए उन्नत दृष्टिकोणों (टीसीए एंड एएमए) हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु बोर्ड द्वारा अपनाई गई अन्य नीतियों में निम्नलिखित का समावेश है क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति ख) व्यवसाय निरंतरता आयोजन नीति ग) अनुपालन नीति और घ) बाह्यस्रोत-उपयोग नीति ङ) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति। बैंक ने 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) तथा 'धन शोधन निवारण' (एएमएल) की कार्यविधियों के सम्बंध में दिशानिर्देश जारी किये हैं।

रणनीतियां और प्रक्रियाएं - बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, कार्पोरेट मूल्यों को शामिल कर ठोस परिचालन प्रक्रियाओं और मजबूत संगठनात्मक संस्कृति द्वारा संचालित है।

बैंक विधिक प्रलेखों की पर्याप्तता तथा प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करने हेतु विधिक प्रलेखों की सतत रूप से पुनरीक्षा करता है। जोखिम अंतरण के उपाय के रूप में बैंक ने अपने स्वामित्व

movement in interest rate for assessing the impact on Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE).

The Asset Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence of prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in light of the market conditions. Dealing room activities are centralized and system is in place to monitor the dealing room activities. The Mid- Office at the Treasury & International Banking Department (TIBD) also monitors adherence of prudential limits on a continuous basis.

Market Risk Management Policy - To ensure that the Bank's operations are in line with Management expectations of return vis-à-vis market risk, it is crucial that the Bank has a defined set of principles and processes in place for articulating how it plans to manage the market risks it faces, in the Trading or Banking Book.

The Bank's Market Risk Management Policy aims to set out the broad outlines of the processes by which the market risks carried by the Bank shall be managed i.e. identified, measured, controlled and monitored in such a way that the risk taken is within the approved risk tolerance limits. The scope of this policy covers market risks arising from the bank's "Trading book" and investment portion of "Banking book". Funding liquidity and interest rate risk arising on account of "Banking book" investments are managed by ALM function in accordance with bank's ALM policy and RBI prescriptions.

The aggregate exposure on country-wise basis is taken for monitoring the country risk. For risk categorization of various countries, the ECGC risk classification is used by the Bank. Exposure on High Risk countries are taken with proper risk mitigation.

Quantitative Disclosure:

The Capital requirements for Market Risk are as under:

(Amount in ₹ Crore)

	Risk Category	31.03.2013
i	Interest Rate Risk	172.07
ii	Equity Position Risk	37.89
iii	Foreign Exchange Risk (including gold)	4.50
	Total capital charge for market risks under standardized duration approach (i + ii + iii)	214.46

Table DF-9 OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures:

Operational risk:

Operational Risk is risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes Legal risk but excludes Strategic and Reputation Risk.

Policies on management of Operational Risk:

The Bank has framed Operational Risk Management Policy in line with the RBI Guidelines for the Advanced Approaches for Operational Risk (TSA & AMA) under Basel II framework, duly approved by the Board. The other policies approved by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information System Security Policy, (b) Business Continuity Planning Policy, (c) Compliance Policy, (d) Outsourcing Policy and (e) Fraud Risk Management Policy. The Bank has issued guidelines on 'Know Your Customer' (KYC) and 'Anti-Money Laundering' (AML) procedures.

Strategies and processes: The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, internal control culture, effective internal reporting. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

The Bank has been constantly reviewing the legal documents to ensure that the legal documents are comprehensive and enforceable. As a measure of

में आने वाली सभी आस्तियों के लिए बीमा सुरक्षा प्राप्त की है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जोखिम प्रशमन उपाय के रूप में बैंक द्वारा वित्तपोषित सभी आस्तियों भी पर्याप्त रूप से बीमाकृत हैं। परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति में संगठनात्मक ढांचे तथा परिचालन जोखिम प्रबंधन विस्तृत प्रक्रियाओं की रूपरेखा दी गई है। नीति का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण परिचालनगत हानियों सहित परिचालनगत जोखिम विगोपनों की समय से रिपोर्टिंग द्वारा और परिचालन जोखिमों के नियंत्रण/प्रशमन, निर्धारण, निगरानी और प्रभावी अभिनिर्धारण हेतु स्पष्ट रूप से भूमिकाएँ तय करने के द्वारा बैंक की दैनिक जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली को ध्यानपूर्वक एकीकृत करना है। बैंक में परिचालन जोखिम का प्रबंधन एक व्यापक एवं सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण संरचना के जरिये किया जाता है।

परिचालन जोखिम हेतु पूंजी प्रभार परिकलन के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण:

बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी प्रभार का परिकलन करने के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपनाया है। बैंक उन्नत बेसल II दृष्टिकोणों के अंतर्गत परिचालन जोखिम हेतु पूंजी जोखिम प्रभार की गणना के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) और तत्पश्चात उन्नत माप दृष्टिकोण (एमए) हेतु प्रवर्जन के लिए तैयारी कर रहा है।

गुणात्मक प्रकटन:

मूल संकेतक दृष्टिकोण के अंतर्गत परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार ₹ 452.16 करोड़ है।

सारणी-डीएफ - 10 -- बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटन:

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम:

ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों से बैंक की बहियों पर पड़ने वाले संभावित वित्त प्रतिकूल प्रभाव का संदर्भ बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबी) है। ब्याज दर जोखिम का मापन और निगरानी दो विधियों से की जाती है।

- जोखिम पर आय** - आय पर पड़ने वाले प्रभाव (अर्जन परिप्रेक्ष्य) का मापन गॉप एनालिसिस के जरिये 100 आधार अंकों तक कल्पित दर शॉक-अप (आस्तियों और देयताओं में ब्याज दर में समानांतर बदलाव) लागू करते हुए किया गया है।
- इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ड्यूरेशन गैप एनालिसिस)** - बैंक ने भा.रि.बैंक द्वारा सुझाई गई विधि के अनुसरण में इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) प्रभाव के निर्धारण हेतु (प्रतिशत के रूप में) ड्यूरेशन गैप एनालिसिस को अपनाया है। यह इक्विटी की संशोधित अवधि पर अंतिम रूप से पहुँचने के लिए आस्तित्व और देयताओं की संशोधित अवधि के परिकलन द्वारा किया जाता है।
 - डीजीए के अनुसार ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण बना लिया गया है।
 - प्रत्येक आस्तित्व और देयता की अवधि, प्रत्येक टाइम बकेट के मध्यबिंदु को परिपक्वता दिनांक की तरह और औसत उत्पन्न को कूपन की तरह तथा डिस्काउंटिंग के उद्देश्य के लिए बाजार दर लेने से आई है। निवेशों के लिए, वास्तविक अवधि ली गई है।
 - भा.रि.बैंक द्वारा निर्देश के अनुसार 200 आधार अंक का कल्पित ब्याज दर शॉक के लिए इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य में) प्रभाव को विश्लेषित किया गया है।

इक्विटी के आर्थिक मूल्य का मापन और निगरानी त्रैमासिक आधार पर की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटन: जोखिम पर अर्जन:

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर में परिवर्तन	1 वर्ष का पुनर्मूल्यन 31.03.2013
0.25%	-1.19
0.50%	-2.38
0.75%	-3.57
1.00%	-4.76

इक्विटी का आर्थिक मूल्य

	31.03.2013
200 आधार अंक शॉक हेतु इक्विटी मूल्य में कमी	2.62%

risk transfer, the Bank has obtained insurance cover for all the assets owned by the Bank. It is also ensured that the assets financed by the Bank are also adequately insured as a risk mitigation measure. The operational risk management policy outlines the organization structure and detail processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management system into the day-to-day risk management processes of the Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling / mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses. Operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework.

Approach adopted for capital charge computation for operational risk:

The Bank is following Basic Indicator Approach (BIA) for calculating capital charge for Operational Risk. The Bank is preparing for migrating to The Standardized Approach (TSA) and then for Advanced Measurement Approach (AMA) for calculation of capital risk charge for Operational Risk under Advanced Basel II approaches.

Quantitative Disclosure:

Capital charge for Operational Risk under Basic Indicator approach is ₹ 452.16 Crore.

Table DF-10 INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

Interest Rate Risk in the Banking Book:

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) refers to the potential adverse financial impact on the Bank's Banking Book from changes in interest rates. The interest rate risk is measured and monitored through two approaches.

- Earnings at Risk:** The impact on income (Earning Perspective) is measured through use of Traditional Gap Analysis by applying notional rate shock (parallel shift in the interest rates across assets and liabilities) upto 100 basis point (bps).
- Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis):** The Bank has adopted Duration Gap Analysis for assessing the impact (as a percentage) on the economic value of equity (Economic Value Perspective) in line with method suggested by RBI. It is done by calculating modified duration of assets and liabilities to finally arrive at modified duration of equity.
 - Interest Rate Sensitivity statement as per DGA is prepared.
 - The duration of each asset and liability is arrived at taking the midpoint of each time bucket as the maturity date and the average yield as coupon and taking the market rate for discounting purpose. For investments, the actual duration is taken.
 - The impact on the Economic Value of Equity is analysed for a 200 bps rate shock as indicated by RBI.

The Economic Value of Equity is measured and monitored on a quarterly basis.

Quantitative Disclosure: Earning at Risk:

(Amount in ₹ Crore)

Change in interest rate	Reprising at 1 Year 31.03.2013
0.25%	-1.19
0.50%	-2.38
0.75%	-3.57
1.00%	-4.76

Economic Value of Equity:

	31.03.2013
For a 200 bps notional rate shock the drop in equity value	2.62%

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2013

(₹ हजार में) (₹ in Thousands)

ब्योरे Particulars	31-03-2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2013		31-03-2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2012	
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:				
आय Income				
वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from advances, Investments etc.	9613,43,21		7213,96,44	
अन्य आय Other Income	912,00,07	10525,43,28	640,66,61	7854,63,05
घटाएं: व्यय व प्रावधान Less: Expenditure & Provisions				
वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings	6580,08,48		4696,87,51	
परिचालन व्यय Operating Expenses	1796,64,28		1642,51,51	
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	1389,18,56	9765,91,32	1084,41,15	7423,80,17
कुल व्यय के उपर कुल आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि Net Increase in Cash due to Increase of Income over Expenses		759,51,96		430,82,88
जोड़े : गैर नकदी मद एवं अलग विचारित मदें				
Add : Non Cash Items & Items Considered Separately				
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	1389,18,56		1084,41,15	
अचल संपत्तियों हेतु मूल्यहास Depreciation on Fixed Assets	73,92,99		65,66,08	
अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि Profit/Loss on sale of Fixed Assets	11,10		-9,50	
आय कर मांग पर ब्याज Interest on Income Tax demand	-		5,87,57	
बॉन्ड्स, पीसीपीएस व आईपीडीआईपर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	248,10,85	1711,33,50	229,95,82	1385,81,12
		2470,85,46		1816,64,00
घटाएं: प्रदत्त प्रत्यक्ष कर Less: Direct Taxes Paid (Net)		230,00,00		477,62,37
परिचालन से अर्जित नकद लाभ (I) Cash Profit Generated From Operations (I)		2240,85,46		1339,01,63
परिचालनगत देयताओं की वृद्धि/कमी : Increase/(Decrease) of Operating Liabilities:				
जमाराशियां Deposits	17808,28,10		9683,91,56	
उधारियां (टीयर I/II बॉन्ड को छोड़कर) Borrowings (Excl Tier I/II Bonds)	5932,73,78		3868,18,62	
अन्य देयताएं व प्रावधान Other Liabilities & Provision	-1646,36,21		-836,29,82	
परिचालनगत देयताओं में कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Liabilities	22094,65,67		12715,80,36	
घटाएं : परिचालन आस्तियों की वृद्धि/कमी				
Less : Increase/(Decrease) of Operating Assets				
निवेश Investments	5394,29,57		3524,40,38	
अग्रिम Advances	19411,01,35		9178,99,85	
अन्य आस्तियां Other Assets	-481,95,94		-130,49,07	
कुल परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Assets	24323,34,98		12572,91,16	
परिचालनगत आस्तियों पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि (II)				
Net Increase of Operating Liabilities Over Operating Assets (II)		-2228,69,31		142,89,20
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (A) = (I+II)				
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A) = (I+II)		12,16,15		1481,90,83
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES				
अचल संपत्तियों का विक्रय Sale of Fixed Assets	5,73,76		69,46,25	
अचल संपत्तियों का क्रय Purchase of Fixed Assets	-126,86,67		-68,89,19	
सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश Investment made in Associates	-4,66,00		-15,87,00	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)				
Net Cash Flow Form Investing Activities (B)		-125,78,91		-15,29,94
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:				
i) गौण बांडों को जारी / (मोचन) करना Issue/(Redemption) of Subordinated Bonds	600,00,00		-	
ii) इक्विटी एवं पीएनसीपीएस पर लाभांश Dividend on Equity & PNCPs	-185,57,03		-125,93,18	
iii) लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax	-30,10,41		-20,91,57	
iv) बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-248,10,85		-229,95,82	
v) इक्विटी शेअर्स को जारी करना Issue of Equity Shares	405,99,99		605,09,63	
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग) Cash Flow From Financing Activities (C)		542,21,70		228,29,06
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग) Total Cash Flow During The Year (A+B+C)		428,58,94		1694,89,95

नोट: पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित व पुनःवर्गीकृत किया गया।

Note: Previous year figures have been regrouped and reclassified whenever necessary.

(₹ हजार में) (₹ in Thousands)

ब्योरे Particulars	31-03-2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2013	31-03-2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2012
द्वारा प्रतिनिधित्व - REPRESENTED BY -		
वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी समकक्ष		
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balance with RBI	4535,47,72	3846,00,33
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस प्राप्त धन Balances with Banks & Money at Call & Short notice	1208,77,87	203,35,31
	5744,25,59	4049,35,64
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समकक्ष		
Cash and Cash equivalents at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balances with RBI	5265,29,08	4535,47,72
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस प्राप्त धन Balance with banks & money at call & Short notice	907,55,45	1208,77,87
	6172,84,53	5744,25,59
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR	428,58,94	1694,89,95

अतुल भाटिया
A P BHATIA
महाप्रबंधक, विप्र व लेखा
General Manager, FM&A

बी. के. पिपरिया
B. PIPARARIYA
मुख्य महाप्रबंधक
Chief General Manager

सी. वी.आर. राजेन्द्रन
C. VR. RAJENDRAN
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

नरेन्द्र सिंह
NARENDRA SINGH
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

कृते एन. कुमार छाबरा एंड कं.
For N Kumar Chhabra & Co.
एफआरएन000837एन
FRN 000837N
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

कृते डीएसपी एंड एसोसिएट
For D S P & Associates
एफआरएन006791एन
FRN 006791N
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

कृते कीर्तने एंड पंडित
For Kirtane & Pandit
एफआरएन 105215डब्ल्यू
FRN 105215W
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

कृते जे सी भल्ला एंड कंपनी
For J C Bhalla & Co.
एफआरएन 001111एन
FRN 001111N
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

कृते जी. बसु एंड कंपनी
For G Basu & Co.
एफआरएन 301174ई
FRN 301174E
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

कृते सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी
For Singh Ray Mishra & Co.
एफआरएन 318121ई
FRN 318121E
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

आशीष छाबरा
Ashish Chhabra
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र 507083
Membership No. 507083

अरविंद सिंघल
Arvind Singhal
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र 084939
Membership No. 084939

संदीप डी वेल्लिंग
Sandeep D Welling
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र 044576
Membership No. 044576

राजेश सेठी
Rajesh Sethi
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र 085669
Membership No. 085669

मनोज कुमार दास
Manoj Kumar Das
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र 013783
Membership No. 013783

सौनक रे
Saunak Ray
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र 053815
Membership No. 053815

स्थान : पुणे
दिनांक : 29 अप्रैल, 2013

Place : Pune
Date : 29th April, 2013

एन कुमार छाबरा एंड कंपनी सनदी लेखाकार एससीओ 1094-95 सेक्टर 22 बी चंडीगढ़ 160 022	डीएसपी एंड एसोसिएट सनदी लेखाकार 783 देशबंधु गुप्ता रोड करोल बाग, नई दिल्ली 110 005	कीर्तने एंड पंडित सनदी लेखाकार संगती, भक्ति मार्ग ऑफ लॉ कॉलेज रोड पुणे - 411 004	जे सी भल्ला एंड कंपनी सनदी लेखाकार बी/5, सेक्टर-6 नोएडा उ.प्र. - 201301	जी. बसु एंड कंपनी सनदी लेखाकार 3, चौरंगी अप्रोच बसु हाऊस कोलकाता 700 072	सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी सनदी लेखाकार एस आर 31, अशोक मार्केट स्टेशन स्क्वेअर भुवनेश्वर 751 001
N. Kumar Chhabra & Co., Chartered Accountants, SCO 1094-95, Sector 22-B, Chandigarh – 160 022	DSP & Associates, Chartered Accountants, 783, DeshBandhu Gupta, Road, Karol Bagh, New Delhi – 110 005	Kirtane & Pandit, Chartered Accountants, Sangati, Bhakti Marg, Off Law College Road, Pune – 411 004	J. C. Bhalla & Co., Chartered Accountants, B/5, Sector 6, Noida, U.P. - 201301	G. Basu & Co., Chartered Accountants, 3, Chaowringhee Approach, Basu House, Kolkata 700 072	Singh Ray Mishra & Co. Chartered Accountants, S R 31, Ashoka Market, Station Square, Bhubaneswar 751 001

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. बैंक ऑफ महाराष्ट्र के दिनांक 31 मार्च, 2013 के संलग्न वित्तीय विवरण जिसमें 31.03.2013 का तुलन पत्र लाभ और हानि खाता तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी सूचनाएं शामिल हैं, की हमने लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं की विवरणियां तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरिष्कृत 711 शाखाओं की विवरणियां शामिल हैं। जैसा हमें बताया गया है, हमारे द्वारा लेखा परीक्षित व अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया है। साथ ही तुलन पत्र और लाभ व हानि के विवरण में 997 शाखाएँ जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं हैं की विवरणियां भी शामिल हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में 10.51 प्रतिशत, जमाराशियों में 25.06 प्रतिशत, ब्याज आय में 14.19 प्रतिशत और ब्याज खर्च में 12.54 प्रतिशत हिस्सा है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. इन समेकित वित्तीय विवरणों को समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अनुसार तैयार करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित इस जिम्मेदारी में आंतरिक नियंत्रण को तैयार करना उसका कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है ये वित्तीय विवरण जालसाजी या किसी अन्य गलती के कारण से किया भी गलत कथन से मुक्त है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के आधार पर अभिमत व्यक्त करना है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर लेखा परीक्षा करते हैं। इन लेखा मानकों के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होता है और लेखा परीक्षा की योजना तैयार कर लेखा परीक्षा करना होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वित्तीय विवरण किसी भौतिक गलत कथन से मुक्त हैं।
4. वित्तीय विवरणों में प्रकटन और रकम से संबंधित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित कार्यविधि निष्पादित करना लेखा परीक्षा में शामिल होता है। जालसाजी या गलती के कारण वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत कथन का मूल्यांकन करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय के आधार पर चुनी गई कार्यविधि आधारित होती है। ये जोखिम मूल्यांकन करने के लिए कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों और परिस्थिति विशेष में उचित लेखा परीक्षा कार्यविधि तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुति हेतु लेखा परीक्षकों ने विचार किया है। उपयोग में लाई गई नीति की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों का औचित्य तथा उसी प्रकार वित्तीय विवरणों की समग्र तैयारी का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में शामिल होता है।
5. हम विश्वास करते हैं कि प्राप्त साक्ष्य हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं।

अभिमत :

6. हमारी राय में, बैंक की खाता-बहियों में दर्शाए गये अनुसार तथा हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार और तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

AUDITORS' REPORT

To,
The President of India

Report on Financial Statements -

1. We have audited the accompanying Financial Statements of BANK OF MAHARASHTRA as at 31st March, 2013 which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2013, Profit and Loss Account and the Cash Flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches & audited by us and 711 branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are the returns from 997 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 10.51 per cent of advances, 25.06 per cent of deposits, 14.19 per cent of interest income and 12.54 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements -

2. Management is responsible for the preparation of these Financial Statements in accordance with Banking Regulation Act, complying with Reserve Bank of India Guidelines from time to time. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditors Responsibility -

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statement, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
5. We believe that our audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion -

6. In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanation given to us,

- (i) समेकित तुलन पत्र, उसमें दी गई टिप्पणियों सहित परिपूर्ण और समुचित तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक ब्यौरों का समावेश है और वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार इस ढंग से बनाया गया है कि उससे बैंक के 31 मार्च, 2013 के व्यवहारों का सही चित्र सामने आ सके.
- (ii) समेकित लाभ हानि लेखा और उस पर की गयी टिप्पणियां विवरण लाभ का सही शेष दर्शाती है जो खाते द्वारा कवर किए गए वर्ष के लिए भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप है और
- (iii) समेकित नकदी प्रवाह विवरण उस दिनांक को समाप्त वर्ष में हुए नकदी प्रवाह का सही व उचित चित्र प्रस्तुत करता है.

- (a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2013 conformity with accounting principles generally accepted in India;
- (b) Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit/loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
- (c) The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matters –

7. We draw attention to the note 10.4D in Schedule 18 which describes deferment of pension and gratuity liability of the bank to the extent of ₹ 204.94 crore pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the Public Sector Banks from application of the Accounting Standard 15 (Revised) - Employees Benefit vide its circular DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 of February 2011 on reporting of pension option to employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity limits - Prudential Regulatory Treatment.

Had the said circular not been issued, the "Profit before Tax" of the bank would have been lower by ₹ 204.94 crore pursuant to the application of the requirements of AS 15 (Revised), the consequential effect of which has not been ascertained on the other related components of the financial statements.

मामलों का महत्व

7. सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प दुबारा रिपोर्ट करने तथा उपदान सीमाओं में वृद्धि- विवेकी विनियामक उपचार पर फरवरी 2011 का भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीओडी.बीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 के अनुसार बैंकों को लेखा मानक 15-(संशोधित) कर्मचारी लाभ से संबंधित छूट देने के परिणामस्वरूप मूल कंपनी के समेकित लेखों के साथ संलग्न अनुसूची 18 की टिप्पणी क्र. 10.4 डी जिसमें बैंक की कुल आस्थगित पेंशन और उपदान देयताओं को कुल ₹ 204.94 करोड़ बताया गया है. यदि ये परिपत्र जारी नहीं हुआ होता तो बैंक का कर पूर्व लाभ लेखा मानक 15 लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 204.94 करोड़ से कम होता. इसका परिणामी प्रभाव वित्तीय विवरणों के अन्य संबंधित घटकों पर निश्चित नहीं किया गया है.

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. समेकित तुलन पत्र और लाभ व हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तीसरे खंड के क्रमशः फॉर्म अ तथा ब के अनुसार तैयार किया गया है.
9. उपर्युक्त परिच्छेद 1 व 5 में इंगित लेखा परीक्षा की सीमाओं के आधार पर तथा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण व अर्जन) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन निम्नलिखित के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि
- क. हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह हमने प्राप्त कीं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया.
- ख. बैंक के संव्यवहार जो मेरे/हमारे ध्यान में आए हैं, वह बैंक के अधिकारों के भीतर हैं.
- ग. बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पायी गईं.
10. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि लेखा व नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

Report on Other Legal & Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and Profit & Loss Account have been drawn up in Forms 'A' and 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
9. Subject to the limitations of audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
- a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of the audit and have found them to be satisfactory.
- b. The transactions of the Bank, which have come to my/our notice have been within the powers of the Bank.
- c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.
10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

कृते एन. कुमार छाबरा एंड कं. सनदी लेखाकार एफआरएन 000837एन	कृते डीएसपी एंड एसोसिएट सनदी लेखाकार एफआरएन 006791एन	कृते कीर्तन एंड पंडित सनदी लेखाकार एफआरएन 105215डब्ल्यू
सीए आशीष छाबरा भागीदार सदस्यता क्र 507083	सीए अरविंद सिंघल भागीदार सदस्यता क्र 084939	सीए संदीप डी वेल्लिंग भागीदार सदस्यता क्र 044576
कृते जे सी भल्ला एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन 001111एन	कृते जी. बसु एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन 30174ई	कृते सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन 318121ई
सीए राजेश सेठी भागीदार सदस्यता क्र 5085669	सीए मनोज कुमार दास भागीदार सदस्यता क्र 013783	सीए साँनक रे भागीदार सदस्यता क्र 053815

For N. Kumar Chhabra & Co Chartered Accountants FRN 000837N	For DSP & Associates Chartered Accountants FRN 006791N	For Kirtane & Pandit Chartered Accountants FRN 105215W
CA Ashish Chhabra Partner Membership No. 507083	CA Arvind Singhal Partner Membership No. 084939	CA Sandeep D.Welling Partner Membership No 044576
For J.C. Bhalla & Co Chartered Accountants FRN 001111N	For G. Basu & Co Chartered Accountants FRN 301174E	For Singh Ray Mishra & Co Chartered Accountants FRN 318121E
CA Rajesh Sethi Partner Membership No. 085669	CA Manoj Kumar Das Partner Membership No. 013783	CA Saunak Ray Partner Membership No. 053815

स्थान : पुणे
दिनांक : 29 अप्रैल 2013

Place : Pune
Dated : 29th April 2013

समेकित वित्तीय विवरण Consolidated Financial Statements



31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2013

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)
पूंजी एवं दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	1249,47,59	1177,59,21
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	5176,36,78	3564,40,64
जमाराशियां Deposits	3	94330,21,04	76521,96,30
उधारियां Borrowings	4	12877,48,82	6944,75,04
अन्य देयताएं तथा प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	3347,16,81	2947,10,85
जोड़ TOTAL		116980,71,04	91155,82,04
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	5265,29,20	4535,47,79
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks, Money at call & short notice	7	907,55,48	1208,77,90
निवेश Investments	8	31458,01,13	26049,61,57
अग्रिम Advances	9	75470,77,79	56059,76,44
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	1429,48,94	600,67,17
अन्य आस्तियां Other Assets	11	2449,58,50	2701,51,17
जोड़ TOTAL		116980,71,04	91155,82,04
संमाश्रित देयताएँ Contingent Liabilities	12	24361,75,56	18788,85,69
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		2548,99,73	2044,61,87
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां Significant accounting policies	17		
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलनपत्र का अभिन्न भाग हैं। The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

सी. वी.आर. राजेन्द्रन
C VR RAJENDRAN
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

नरेन्द्र सिंह
NARENDRA SINGH
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

डॉ. राजकुमार अग्रवाल
Dr RAJKUMAR AGRAWAL
निदेशक
DIRECTOR

डॉ. एस.यू. देशपांडे
Dr S U DESHPANDE
निदेशक
DIRECTOR

आर. सी अग्रवाल
R C AGRAWAL
निदेशक
DIRECTOR

डॉ. नरेश कुमार दराल
Dr NARESH KUMAR DRALL
निदेशक
DIRECTOR

एस डी धनक
S D DHANAK
निदेशक
DIRECTOR

डॉ. डी.एस.पटेल
Dr. D S PATEL
निदेशक
DIRECTOR

सुश्री कमला राजन
MS KAMALA RAJAN
निदेशक
DIRECTOR

वी पी श्रीवास्तव
V P SRIVASTAVA
सहा. महाप्रबंधक, विप्र व लेखा
Asstt. General Manager, FM&A

वी.सुब्रमणियन
V. SUBRAMANIAN
उप महाप्रबंधक, विप्र व लेखा
Dy. General Manager, FM&A

अतुल भाटिया
ATUL BHATIA
महाप्रबंधक, विप्र व लेखा
General Manager, FM&A

बी.के. पिपरैया
B.K. PIPARAIYA
मुख्य महाप्रबंधक
Chief General Manager

स्थान : पुणे
दिनांक : 29 अप्रैल, 2013

Place : Pune
Date : 29th April, 2013

पृष्ठ 111 पर जारी
Contd. on page 111

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि लेखा

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2013 (Current Year)	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2012 (Previous Year)
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	9613,44,36	7213,98,51
सहयोगी संस्थाओं में आय/हानि का हिस्सा Share of earnings/loss in Associates		9,43,96	5,92,60
अन्य आय Other Income	14	912,90,61	641,64,77
जोड़ TOTAL		10535,78,93	7861,55,88
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	6579,58,61	4696,46,05
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	1797,87,59	1643,85,47
प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & contingencies		1389,24,20	1084,43,27
जोड़ TOTAL		9766,70,40	7424,74,79
लाभ / हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ Consolidated Net Profit for the year		769,08,53	436,81,09
जोड़े : आगे लाया गया लाभ Add: Profit brought forward		454,97,54	370,28,47
जोड़े : राजस्व प्रारक्षितियों से आहरण Add: Drawing from Revenue Reserve		—	35
जोड़ TOTAL		1224,06,07	807,09,91
विनियोग APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षिति को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		191,79,78	108,90,73
पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve		20,62,54	2,54,20
राजस्व आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue Reserve		445,35,38	—
विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve		150,00,00	25,00,00
निवेश आरक्षिति को अंतरण Transfer to Investment Reserve		16,11,47	—
प्रस्तावित लाभांश (पीएनसीपीएस) Proposed dividend (PNCPS)		49,98,00	55,86,00
प्रस्तावित लाभांश (ईक्विटी) Proposed dividend (Equity)		152,13,95	129,71,03
लाभांश पर कर Tax on Dividend		34,35,02	30,10,41
शेष को तुलनपत्र में आगे ले जाया गया Balance carried over to Balance Sheet		163,69,93	454,97,54
जोड़ TOTAL		1224,06,07	807,09,91
प्रति शेयर अर्जन (मूल व कम की हुई) (₹) Earning per share (Basic & Diluted) (₹)		12.04	7.71

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ व हानि लेखे का अभिन्न अंग हैं। The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account. हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार. AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

कृते एन कुमार छाबरा एंड कं For N.Kumar Chhabra & Co. एफआरएन : 000837एन FRN : 000837N सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते डी एस पी एंड असोशिएट्स For DSP & Associates एफआरएन : 006791एन FRN : 006791N सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते कीर्तन एंड पंडित For Kirtane & Pandit एफआरएन : 105215डब्ल्यू FRN: 105215W सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते जे सी भल्ला एंड कं. For J C Bhalla & Co. एफआरएन : 001111एन FRN : 001111N सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते जी बसु एंड कं. For G Basu & Co. एफआरएन : 301174ई FRN : 301174E सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते सिंह रे मिश्रा एंड कं. For Singh Ray Mishra & Co. एफआरएन : 318121ई FRN : 318121E सनदी लेखाकार Chartered Accountants
सीए आशीष छाबरा CA Ashish Chhabra भागीदार Partner सदस्यता क्र.: 507083 Membership No.: 507083	सीए अरविंद सिंघल CA Arvind Singhal भागीदार Partner सदस्यता क्र.: 084939 Membership No.: 084939	सीए संदीप डी वेल्लिंग CA Sandeep D Welling भागीदार Partner सदस्यता क्र.: 044576 Membership No.: 044576	सीए राजेश सेठी CA Rajesh Sethi भागीदार Partner सदस्यता क्र.: 085669 Membership No.: 085669	सीए मनोज कुमार दास CA Manoj Kumar Das भागीदार Partner सदस्यता क्र.: 013783 Membership No.: 013783	सीए साउनक रे CA Saunak Ray भागीदार Partner सदस्यता क्र.: 053815 Membership No.: 053815

स्थान : पुणे

Place : Pune

दिनांक : 29 अप्रैल, 2013

Date : 29th April, 2013

अनुसूची - 1 : पूंजी
SCHEDULE - 1 : CAPITAL
(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)		31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)	
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital		3000,00,00		3000,00,00
₹ 10 के इक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each				
जारी, अभिलक्षित Issued & Subscribed				
₹ 10/- के 66,14,75,934 (गत वर्ष 58,95,92,082) इक्विटी शेयर 66,14,75,934 Equity Shares (Previous year 58,95,92,082) of ₹ 10/- each				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	589,59,21		481,71,26	
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	71,88,38	661,47,59	107,87,95	589,59,21
प्रदत्त पूंजी Paid Up Capital				
क. केंद्र सरकार द्वारा धारित				
a. Held by Central Government				
₹ 10 के 53,73,90,307 (गत वर्ष 46,55,06,455) इक्विटी शेयर 53,73,90,307 (Previous year 46,55,06,455) Equity shares of ₹ 10/- each	537,39,03		465,50,65	
ख. जनता व अन्य द्वारा धारित				
b. Held by the Public & Others				
₹ 10/- के 12,40,85,627 (गत वर्ष 12,40,85,627) इक्विटी शेयर 12,40,85,627 (Previous year 12,40,85,627) Equity Shares of ₹ 10/- each	124,08,56		124,08,56	
घटाएँ : देय आबंटन राशि Less: Allotment money due	—	661,47,59	—	589,59,21
		661,47,59		589,59,21
बेमियादी गैरसंचयी अधिमान्य शेयर				
Perpetual Non Cumulative Preference Shares				
केंद्र सरकार द्वारा धारित ₹ 10,00,000/- के 5880 बेमियादी गैरसंचयी अधिमान्य शेयर 5880 Perpetual Non Cumulative Preference Shares of ₹ 10,00,000/- each held by Central Government	588,00,00	588,00,00	588,00,00	588,00,00
जोड़ TOTAL		1249,47,59		1177,59,21

अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष
SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS
(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)		31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)	
I. सांविधिक आरक्षिति STATUTORY RESERVE				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	831,07,57		722,16,84	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	191,79,78	1022,87,35	108,90,73	831,07,57
II. पूंजीगत आरक्षिति CAPITAL RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	119,18,00		116,63,80	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	20,62,54		2,54,20	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	—	139,80,54	—	119,18,00
III. शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	928,02,41		430,80,74	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	334,11,61	1262,14,02	497,21,67	928,02,41
IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES				
क a) राजस्व आरक्षिति REVENUE RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	763,12,38		763,12,73	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	445,35,38		—	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	—	1208,47,76	35	763,12,38
ख b) विशेष आरक्षिति SPECIAL RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	93,00,00		68,00,00	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	150,00,00	243,00,00	25,00,00	93,00,00
ग c) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति REVALUATION RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	375,02,74		443,54,55	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	1181,27,53		2,10,91	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	436,04,56	1120,25,71	70,62,72	375,02,74
घ d) निवेश आरक्षिति खाता INVESTMENT RESERVE ACCOUNT				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	—		—	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	16,11,47		—	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	—	16,11,47	—	—
V. लाभ व हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT		163,69,93		454,97,54
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV व V)		5176,36,78		3564,40,64

अनुसूची - 3 : जमाराशियां
SCHEDULE - 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)		31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)	
क A. I. मांग जमाराशियां DEMAND DEPOSITS				
i) बैंकों से From Banks	394,17,67		58,69,12	
ii) अन्यो से From others	10789,88,80	11184,06,47	8391,80,56	8450,49,68
II. बचत बैंक जमाराशियां SAVINGS BANK DEPOSITS		27289,49,70		23179,78,78
III. मियादी जमाराशियां TERM DEPOSITS				
i) बैंकों से From Banks	180,44,44		45,33,27	
ii) From others	55676,20,43	55856,64,87	44846,34,57	44891,67,84
जोड़ (I, II व III) TOTAL (I, II & III)		94330,21,04		76521,96,30
ख B. i) भारत में सहायक कंपनियों की जमाराशियां, विदेशी कार्यालयों सहित, यदि कोई हो				
Deposits of subsidiaries in India including foreign offices, if any		-		-
ii) भारत के बाहर की सहायक कंपनियों की जमाराशियां, भारतीय कार्यालयों सहित, यदि कोई हो				
Deposits of subsidiaries outside India including Indian offices, if any		-		-
iii) मूल कंपनी की जमाराशियां Deposits of Parent		94330,21,04		76521,96,30
जोड़ (I, II व III) TOTAL (I, II & III)		94330,21,04		76521,96,30
ग C. i) मूल कंपनी की भारत में जमाराशियां				
Deposits of parent in India		94330,21,04		76521,96,30
ii) भारत में सहायक कंपनियों की जमाराशियां				
Deposits of subsidiaries in India		-		-
iii) भारत में कुल जमाराशियां (i + ii)				
Total Deposits in India (i + ii)		94330,21,04		76521,96,30
iv) मूल कंपनी की भारत से बाहर जमाराशियां				
Deposits of parent outside India		-		-
v) सहायक कंपनियों की भारत के बाहर जमाराशियां				
Deposits of subsidiaries outside India		-		-
vi) भारत के बाहर कुल जमाराशियां (iv + v)				
Total Deposits outside India (iv + v)		-		-
जोड़ (III व VI) TOTAL (III & VI)		-		-
जोड़ TOTAL (C III + C VI)		94330,21,04		76521,96,30

अनुसूची - 4 : उधारियां
SCHEDULE - 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)		31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)	
I. भारत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक से Reserve Bank of India	600,00,00		3170,00,00	
ii) अन्य बैंकों से Other Banks	3563,00,00		-	
iii) अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से Other Institutions and Agencies	4939,17,07		825,80,21	
iv) डिबेंचर्स Debentures	-		-	
v) अन्य उधारियां Other Borrowings				
क a) नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखतें				
Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	295,00,00		295,00,00	
ख b) बांड के रूप में जारी संमिश्र कर्ज पूंजी लिखतें				
Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	1250,00,00		1250,00,00	
ग c) गौण ऋण बांड Subordinated Debt Bonds	1555,00,00	12202,17,07	955,00,00	6495,80,21
II. भारत के बाहर उधारियां BORROWINGS OUTSIDE INDIA		675,31,75		448,94,83
जोड़ (I व II) TOTAL (I & II)		12877,48,82		6944,75,04
III. उपर्युक्त I व II में जमानती उधारियों सहित SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE		-		-

अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान
SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)		31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)	
I. देय बिल Bills Payable	415,27,14		409,11,91	
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)				
क. a. मूल कंपनी Parent	66,82,54		-	
ख. b. सहायक कंपनी Subsidiary	-		-	
III. अंतर समूह समायोजन (निवल) Inter group adjustment (net)	-		-	
IV. उपचित ब्याज Interest Accrued	340,55,28		283,39,40	
V. अन्य (प्रावधानों सहित): Others (including provisions):				
क) मानक आस्तियों पर प्रावधान a) Provision against standard assets	416,21,89		261,34,66	
ख) अन्य देयताएं (प्रावधानों सहित) b) Other liabilities (including provisions)	2108,29,96		1993,24,88	
जोड़ (I, II, III, IV व V) TOTAL (I, II, III, IV & V)	3347,16,81		2254,59,54	
			2947,10,85	

अनुसूची - 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष
SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)		31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)	
I. हाथ में नकद (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं) Cash in hand (including foreign currency notes)	514,55,37		503,55,13	
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिशेष Balances with Reserve Bank of India				
i) चालू खाते में In Current Accounts	4750,73,83		4031,92,66	
ii) अन्य खातों में In other Accounts	-		-	
जोड़ (i व ii) TOTAL (i & ii)	5265,29,20		4535,47,79	

अनुसूची - 7 : बैंकों में अधिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन
SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)		31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)	
I. भारत में In India				
i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
(क) (a) चालू खातों में Current Accounts	61,42,68		381,01,79	
(ख) (b) अन्य जमा खातों में Other Deposit Accounts	815,18,55		15,18,55	
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice				
(क) (a) बैंकों के पास With Banks	-		-	
(ख) (b) अन्य संस्थाओं के पास With Other Institutions	-		-	
जोड़ (i व ii) TOTAL (i & ii)	876,61,23		396,20,34	

अनुसूची - 7 : बैंकों में अधिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन (क्रमशः)

(₹ हजार में)

SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE (Contd.)

(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)
II. भारत के बाहर Outside India		
i) बैंकों के पास अधिशेष Balances with Banks in		
(क) (a) चालू खातों में Current Accounts	-	-
(ख) (b) अन्य जमा खातों में Other Deposit Accounts	30,94,25	812,57,56
(ग) (c) मांग तथा अन्य जमा खातों में Money at Call & Short Notice	-	-
जोड़ (i व ii) TOTAL	30,94,25	812,57,56
कुल जोड़ (I व II) GRAND TOTAL (I & II)	907,55,48	1208,77,90

अनुसूची - 8 : निवेश

(₹ हजार में)

SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS

(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)
I. निम्नलिखित में भारत में निवेश Investments in India in		
क) सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिल व शून्य कूपन बांडों सहित)		
a) Government Securities (inclusive of treasury bills & zero coupon bonds)	25373,53,88	20644,08,12
ख) b) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other approved securities	-	-
ग) c) शेयर्स Shares	175,46,46	210,65,55
घ) d) डिबेंचर्स और बांड Debentures and Bonds	1171,46,99	944,45,97
च) सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश (₹ 22,96,08 की ख्याति सहित, गत वर्ष ₹ 23,18,22)		
e) Investment in Associates (Including Goodwill of ₹ 22,96,08, previous year ₹ 23,18,22)	100,87,65	86,77,69
छ) f) अन्य Others		
i) यूटीआई/म्युचुअल फंडों के यूनिट Units of UTI / Mutual funds	28,32,06	30,59,42
ii) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	872,33,81	1045,18,21
iii) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	9,72,60	53,26,25
iv) पीटीसी PTCs	5,50,88	15,01,96
v) आरआईडीएफ व अन्य R I D F & Others	3720,76,80	3019,58,40
जोड़ TOTAL	31458,01,13	26049,61,57
II. भारत से बाहर निवेश Investments outside India		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)		
i) Government Securities (including local authorities)	-	-
ii) सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश		
ii) Investment in Associates	-	-
iii) अन्य निवेश (स्पष्ट करें)		
iii) Other Investments (to be specified)	-	-
जोड़ TOTAL	-	-
कुल जोड़ (I व II) GRAND TOTAL (I & II)	31458,01,13	26049,61,57
III. भारत में निवेश Investments in India		
i) निवेशों का सकल मूल्य Gross Value of Investments	31525,42,43	26216,52,30
ii) मूल्यहास/निवेश हेतु प्रावधानों का जोड़		
ii) Aggregate of Provisions for Depreciation/Investment	67,41,30	166,90,73
iii) निवल निवेश (i-ii) Net Investment (i-ii)	31458,01,13	26049,61,57
निवेशों के विवरण : Details of Investments:		
I. सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश Investment in Associates	100,87,65	86,77,69
II. अन्य निवेश Other Investments	31357,13,48	25962,83,88
जोड़ (I व II) TOTAL (I & II)	31458,01,13	26049,61,57

अनुसूची - 9 : अग्रिम
SCHEDULE - 9 : ADVANCES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)		31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)	
क. i) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल				
A. i) Bills purchased and discounted		1948,69,08		1489,69,90
ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand		27857,77,03		19481,62,53
iii) मीयादी ऋण Term Loans		45664,31,68		35088,44,01
		75470,77,79		56059,76,44
जोड़ TOTAL		75470,77,79		56059,76,44
ख. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमों सहित)				
B. i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)		64456,05,85		45450,23,07
ii) बैंक / सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees		58,56,10		7,19,91
iii) अ-संरक्षित Unsecured		10956,15,84		10602,33,46
जोड़ TOTAL		75470,77,79		56059,76,44
ग. I. भारत में अग्रिम				
C. I. Advances in India				
i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector		24339,55,60		18850,37,64
ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector		12787,04,06		13216,97,50
iii) बैंक Banks		271,52,71		10,98
iv) अन्य Others		38072,65,42		23992,30,32
II. भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India				56059,76,44
i) बैंकों से देय Due from banks		-		-
ii) अन्यो से देय Due from others		-		-
क) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल				
a) Bills purchased and discounted		-		-
ख b) संघीय ऋण Syndicated Loans		-		-
ग b) अन्य Others		-		-
जोड़ (ग I एवं ग II) TOTAL (C.I & C.II)		75470,77,79		56059,76,44

अनुसूची - 10 : स्थिर आस्तियां
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)		31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)	
I. परिसर Premises				
1. गत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (गत वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्य में हुई वृद्धि सहित) At cost as on 31st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)		592,12,41		643,25,24
2. अवधि के दौरान वृद्धि Addition during the Period		35,54,79		4,29
3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year		1181,27,53		2,10,91
		1808,94,73		645,40,44
4. वर्ष के दौरान कमी Deductions during the year		486,91,13		53,28,03
		1322,03,60		592,12,41
5. अद्यतन मूल्यहास Depreciation to date		107,79,23		154,07,46
		1214,24,37		438,04,95

अनुसूची - 10 : स्थिर आस्तियां (जारी)
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS (Contd.)

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)
II. अन्य स्थिर आस्तियां (इसमें फर्नीचर व फिक्सचर शामिल हैं) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)		
1. गत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार At cost as on 31st March of the preceding year	730,85,31	676,72,60
2. अवधि के दौरान वृद्धि Addition during the Period	129,72,98	72,52,24
	860,58,29	749,24,84
3. अवधि के दौरान कमी Deduction during the Period	18,12,29	18,39,53
	842,46,00	730,85,31
4. अघटन मूल्यहास Depreciation to date	627,21,43	568,23,09
जोड़ (I व II) TOTAL (I & II)	215,24,57 1429,48,94	162,62,22 600,67,17

अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां
SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)		
क a. मूल Parent	—	371,79,64
ख b. सहायक प्रतिष्ठान Subsidiaries	—	—
II. उपचित ब्याज Interest accrued	754,33,54	585,48,92
III. अग्रिम रूप से संदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	724,32,73	856,03,10
IV. लेखन सामग्री और स्टॉप Stationery and Stamps	5,01,97	5,31,22
V. दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	—	—
VI. अन्य Others	965,90,26	882,88,29
जोड़ TOTAL (I,II,III,IV,V एवं VI) (I, II, III, IV, V & VI)	2449,58,50	2701,51,17

अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएँ
SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2013 (Current Year)	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2012 (Previous Year)
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। Claims against the Bank not acknowledged as debts	1181,54,34	1175,57,05
II. आंशिक संदत्त निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments	—	—
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता* Liability on account of outstanding forward exchange contracts*	13628,90,10	9865,17,63
IV. संघटकों की ओर से दी गयी प्रतिभूतियां Guarantees given on behalf of constituents		
(क)(a) भारत में In India	5656,57,00	4834,78,66
(ख)(b) भारत के बाहर Outside India	1177,15,86	740,57,84
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and obligations	2717,58,26	1772,74,51
VI. अन्य मदें जिनके लिये बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है Other items for which Bank is contingently liable	—	400,00,00
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V एवं VI) (I, II, III, IV, V & VI)	24361,75,56	18788,85,69

* वायदा विनिमय संविदाओं के समाश्रित देयता में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं।
Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts.

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज
SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED

(₹ हजार में)
 (₹ in thousands)

	31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2013 (Current Year)		31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2012 (Previous Year)	
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills		7298,49,90		5490,62,67
II. निवेशों पर ब्याज Interest on Investments	2263,29,10		1739,24,23	
घटाएं : निवेशों का परिशोधन Less - Amortisation of Investments	32,00,27	2231,28,83	30,64,74	1708,59,49
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds		81,70,38		1,51,94
IV. अन्य Others		1,95,25		13,24,41
जोड़ TOTAL (I, II, III एवं IV) (I, II, III & IV)		9613,44,36		7213,98,51

अनुसूची - 14 : अन्य आय
SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में)
 (₹ in thousands)

	31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2013 (Current Year)		31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2012 (Previous Year)	
I. कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange, and brokerage		491,33,75		455,07,28
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	154,79,81		31,80,22	
घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of Investments	10,84,68	143,95,13	19,67,87	12,12,35
III. निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	-		-	
घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	-	-	-	-
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	64,16		68,98	
घटाएं : भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	75,26	-11,10	59,48	9,50
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	60,41,78		43,81,48	
घटाएं: विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	5	60,41,73	6,66	43,74,82
VI. भारत / विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों इत्यादि से लाभांशों के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries / companies and/or Joint Ventures abroad / in India		4,99,08		3,31,22
VII. विविध आय Miscellaneous Income		212,32,02		127,29,60
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V, VI एवं VII) (I, II, III, IV, V, VI & VII)		912,90,61		641,64,77

अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2013 (Current Year)	31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2012 (Previous Year)
I. जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	5878,75,41	4293,39,25
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	312,27,28	120,05,42
III. अन्य Others	388,55,92	283,01,38
जोड़ TOTAL (I,II एवं III) (I, II & III)	6579,58,61	4696,46,05

अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय
SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2013 (Current Year)	31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2012 (Previous Year)
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिये प्रावधान Payments to and provisions for employees	1188,90,61	1114,27,22
II. भाड़ा, कर और रोशनी Rent, taxes and lighting	132,75,15	115,88,69
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	18,66,66	14,22,89
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	16,22,20	17,87,85
V. बैंक की सम्पत्ति पर मूल्य-हास्र Depreciation on Bank's property	73,93,33	65,66,50
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	75,30	71,45
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं) Auditors' fees and expenses (incl. branch auditors' fees and expenses)	13,20,73	11,90,69
VIII. विधि प्रभार Law Charges	9,89,24	8,72,47
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	29,73,56	22,49,44
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	39,89,23	33,71,03
XI. बीमा Insurance	77,47,73	69,20,05
XII. अन्य व्यय Other expenditure	196,43,85	169,17,19
जोड़ (I,II,III,IV,V,VI, VII,VIII,IX,X,XI एवं XII) TOTAL (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI & XII)	1797,87,59	1643,85,47

अनुसूची 17
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

1. लेखा प्रथाएं

- 1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो संलग्न समेकित वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और यह सामान्यतः अनुमोदित लेखा सिद्धान्तों (जीएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों/दशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है।
- 1.2 वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्ति और देयताएं (समाश्रित दायित्व सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में प्राक्कलन और धारणाओं पर विचार किया जाए। प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं।
- 1.3 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" और लेखा मानक 23- "समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन" के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं।
- 1.4 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख परिच्छेद 7.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।
- 1.5 बैंकिंग व्यवसाय के संदर्भ में राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं।
- 1.6 समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक और सहयोगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च 2013 के अनुसार बनाये गये हैं।

2. समेकन के सिद्धान्त

- क) **मूल इकाई :** वित्तीय विवरण बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मूल इकाई और इसके सहायक प्रतिष्ठान सहित इसके अनुषंगियों को शामिल कर निम्नानुसार समेकित किए गए हैं।
- ख) **संबद्ध इकाई :** लेखा मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान को समेकन में शामिल किया गया है।

कंपनी का नाम	देश / आवास	संबंध	स्वामित्व हित
दि महाराष्ट्र एक्ज़िक्यूटर्स एण्ड ट्रस्टी कं.प्रा.लि. (आगे "मेटको" के रूप में संदर्भित)	भारत	संपूर्ण स्वामित्व का सहायक प्रतिष्ठान	100%

लेखा मानक 23 - "समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन" के अनुसार इक्विटी पद्धति से निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान का लेखांकन किया गया है।

कंपनी का नाम	देश / आवास	संबंध	स्वामित्व हित
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित)	भारत	सहयोगी प्रतिष्ठान	35%

SCHEDULE-17
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(Figures in bracket relate to previous year)

1. Accounting Conventions:

- 1.1 The accompanying consolidated financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory/ Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- 1.2 The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the period under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable.
- 1.3 The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23 – "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- 1.4 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 7.1 below.
- 1.5 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances in relation to Banking Business are in conformity with the prudential norms issued by the Reserve Bank of India from time to time.
- 1.6 The financial statements of the Subsidiary and Associate considered in preparation of Consolidated Financial Statement are drawn up to 31st March 2013.

2. Principles of Consolidation:

A) Parent Entity:

The Financial Statements are consolidated for Bank of Maharashtra, the parent entity and its subsidiary along with associated enterprise as follows.

B) Related Entity:

The following subsidiary has been consolidated as per Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statement".

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
The Maharashtra Executors & Trustee Co. Pvt. Ltd. (hereafter referred as "METCO")	India	Wholly Owned Subsidiary	100%

The following Associate Company has been accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard 23 – "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements"

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
Maharashtra Gramin Bank (sponsored by Bank of Maharashtra)	India	Associate Enterprise	35%

ग) समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार और उसका प्रभाव

बैंक और उसके सहायक प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों को अंतरा-समूह अतिशेषों / संव्यवहारों को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए, आस्तियों, दायित्वों, आय और खर्च इत्यादि जैसी मदों के बही मूल्य को लाइन-दर-लाइन आधार पर जोड़ कर समेकित किया गया है। मूल में निवेश की लागत के आधिक्य को निवेश के दिनांक को सहायक प्रतिष्ठान की ईक्विटी में आनुपातिक हिस्से को ख्याति के रूप में माना गया है जबकि ईक्विटी में सहायक प्रतिष्ठान हिस्से के आधिक्य को आरक्षित पूंजी में जमा किया गया है।

बैंक और उसके सहायक प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों को ईक्विटी पद्धति आधार पर एकत्र किया गया है। सहायक प्रतिष्ठान में रखाव लागत के आधिक्य को वित्तीय विवरणों में ख्याति माना गया है।

जहां कहीं आवश्यक है वहां, सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को मूल बैंक के साथ पुनःसमूहबद्ध किया गया है।

सहायक प्रतिष्ठान ने कतिपय मामलों में समान परिस्थितियां और समान व्यवहारों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई पद्धति से अलग पद्धति को अपनाया है। समेकित वित्तीय विवरण बनाते समय जब इनका उपयोग किया गया तब सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है। तथापि समेकित वित्तीय विवरणों की मद के वे भाग, जहां सहायक प्रतिष्ठान द्वारा अलग लेखांकन नीतियों का उपयोग किया गया है, मामूली हैं।

3. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

3.1 विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा पिछले सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अंतिम दरों पर निर्धारित किया गया है। तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों पर किया गया है, और परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

3.2 बकाया वायदा एक्सचेंज संविदाओं को संविदात्मक दरों पर दर्शाया गया है और विशिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फेडाई द्वारा प्रकाशित विनिमय दरों पर तुलन पत्र की दिनांक पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है। परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ हानि खाते में भारतीय रिजर्व बैंक / फेडाई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है।

3.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों और साख पत्रों के कारण उत्पन्न समाश्रित दायित्वों को फेडाई द्वारा प्रकाशित समाप्त विनिमय दरों पर तुलनपत्र में दर्शाया गया है।

4. निवेश

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

- i. निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं।
 - क. परिपक्वता तक धारित
 - ख. बिक्री के लिए उपलब्ध
 - ग. व्यापार के लिए धारित
- ii. सभी प्रतिभूतियां निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं :
 - क. सरकारी प्रतिभूतियां
 - ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
 - ग. शेयर्स
 - घ. डिबेंचर तथा बांड
 - ङ. सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
 - च. अन्य (वाणिज्यिक प्रपत्र, पारस्परिक निधि यूनिट, आर ई डी एफ इत्यादि)
- (iii) बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी का निर्धारण करता है और तदनुसार उनका वर्गीकरण करता है। अंतरण की दिनांक पर अधिग्रहण लागत/

C) Basis of Preparation of Consolidated Financial Statement & its impact

The Consolidated financial statements of the Bank & its subsidiary have been combined on a line-by-line basis by adding together the like items of assets, liabilities, income & expenses, after fully eliminating intra-group balances / transactions. The excess of the cost of investment to the parent over and above its proportionate share in equity of the subsidiary as on date of investment is recognized as Goodwill. While excess of share in equity of the subsidiary over the cost of investment is credited to Capital Reserve.

The Consolidated financial statements of the Bank & its associate have been combined on Equity Method basis. The excess of carrying cost of Bank's investment in Associate is recognized in the financial statements as goodwill.

The financial statement of the Subsidiary has been regrouped with that of the parent Bank, wherever necessary.

The subsidiary has used accounting policies other than those adopted by the Bank in certain cases for like transactions & events in similar circumstances. No adjustments have been made to the financial statements of the subsidiary, when they are used in preparing the consolidated financial statements. However, the proportion of the items in the consolidated financial statements to which the different accounting policies are applied by the subsidiary is insignificant.

3. Foreign Exchange Transactions:

3.1 The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/loss is accounted for in the Profit & Loss Account.

3.2 Outstanding Forward Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued as on Balance Sheet date at the exchange rates published by FEDAI for specified maturities. The resulting profit/loss is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI Guidelines.

3.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.

4. Investments:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

- i. Investments are classified in following categories:
 - a. Held to maturity
 - b. Available for sale
 - c. Held for trading
- ii. All the securities are classified in the following six classifications:
 - a. Government Securities
 - b. Other approved securities
 - c. Shares
 - d. Debentures and bonds
 - e. Subsidiaries and Joint Ventures
 - f. Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units, Rural Infrastructure Development Fund etc).
- iii. Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting

बही मूल्य / बाजार मूल्य तीनों में से जो मूल्य कम हो उस पर निवेशों का अंतरण एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में किया जाता है। ऐसे अंतरण के कारण यदि कोई मूल्यह्रास पैदा होता है तो उसका प्रावधान किया जाता है और प्रतिभूतियों का बही मूल्य बदल दिया जाता है।

(iv) रेपो/रिवर्स रेपो :

बैंक ने बाजार रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों के लेखांकन के लिए (एलएएफ को छोड़कर) एकरूप लेखांकन पद्धति अपनाई है। रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के करार सहित संपार्श्विक ऋण/उधारी संव्यवहार माना जाता है। रेपो के अंतर्गत विक्रय की गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया गया है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीद की गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया गया है। बकाया रेपो/रिवर्स रेपो का प्रकटन वित्तीय वर्ष 2012-13 से क्रमशः उधार लेने/उधार देने के रूप में है। लागत और राजस्व को मामले के अनुसार ब्याज खर्च/आय के रूप में लिया गया है।

V. निवेशों का मूल्यन :

क. परिपक्वता तक धारित :

- i) परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन लागत पर किया गया है। जहां कहीं लागत, अंकित मूल्य से अधिक है वहां प्रीमियम अतिरिक्त अधिग्रहण लागत, यदि कोई हो, का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में किया गया है।
- ii) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत अन्य निवेशों के मामले में जहां लागत मूल्य, अंकित मूल्य से कम है, अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है। सहायक प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मामले में मूल्यों में आई स्थायी कमी को अभिनिर्धारित तथा प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया गया है।
- iii) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) लाभ पहले लाभ हानि लेखे में लेखाबद्ध किया गया और उसके बाद उसे कर और सांविधिक आरक्षित से निवल करके आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया गया तथा (ख) निवल हानि को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

ख. बिक्री हेतु उपलब्ध :

- i. इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मार्क-टू-मार्केट किया गया है। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन नियत आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार मूल्यों पर किया गया है। राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाए गए पद्धति से किया गया है। उद्धृत शेयरों का मूल्यन बाजार दर से किया गया है। अनुद्धृत शेयरों का मूल्यन नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्र से प्राप्त बही मूल्य से किया गया है तथा यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो शेयर का मूल्यन रुपया 1 प्रति कंपनी किया गया है।
- ii. खजाना बिलों और वाणिज्यिक प्रपत्रों का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है। पारस्परिक निधियों की लिखतों का मूल्यन क्रमशः बाजार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है।
- iii. "बिक्री हेतु उपलब्ध" के अंतर्गत प्रत्येक उप-श्रेणी के उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर :
 - यदि आंकड़ों का परिणाम अधिमूल्यन है तो इसे उपेक्षित किया गया है।
 - यदि आंकड़ों का परिणाम मूल्यह्रास है तो उसे लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है।
 - जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, उसे छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है।
 - इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

ग. व्यापार हेतु धारित :

- i. इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक स्क्रिप को मूल लागत पर धारित किया गया

of securities from one category to another is done once in a year with the approval of Board of Directors at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is changed accordingly.

iv. REPO / Reverse REPO

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased under Reverse Repo are not included in Investment. Outstanding REPO / Reverse REPO is disclosed as borrowing / lending respectively from FY 2012-13. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

v. Valuation of investments

a. Held to Maturity:

- i Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity.
- ii In case of other investments under "Held to Maturity" category, where the cost price is less than the face value, the difference is ignored. In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for. Investment in RRBs is valued at carrying cost.
- iii On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter net of applicable taxes and statutory reserve is appropriated to the 'Capital Reserve account' and (b) the net loss is charged to the profit and loss account.

b. Available for Sale:

- i. The individual securities under this category are marked to market. Central Government securities are valued at market rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA]. State Government securities, other approved securities, Debentures and Bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at book value ascertained from the latest available Balance Sheet and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at ₹ 1/- per company.
- ii. Treasury bills and commercial papers are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability.
- iii. Based on the above valuation under each of six-sub classifications under Available for Sale:-
 - If it results in appreciation, the same is ignored.
 - If it results in depreciation, the same is charged to Profit & Loss account.
 - The book value of securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.
 - Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

c. Held for Trading:

- i. The individual scrip under this category are held at original

- है। इनका मूल्यन मासिक अंतर से बाजार दरों पर अथवा फिमडा द्वारा घोषित कीमतों के अनुसार किया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक वर्गीकरण के संबंध में निवल मूल्यहास, यदि कोई हो, को राजस्व पर प्रभारित किया गया है और निवल अधिमूल्यन, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार जहां आवश्यक था उसे छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद प्रतिभूति का बही मूल्य नहीं बदला गया है।
- ii. इस श्रेणी में निवेश विक्रय पर लाभ या हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।
- घ. अनर्जक निवेशों को अभिनिर्धारित किया गया और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यहास / प्रावधान किया गया है।
- ड. प्रतिभूतियों के अर्जन के समय (इक्विटी / अधिमान शेयरों को छोड़कर, जहां इन्हें अधिग्रहण की लागत माना गया है) उपचित लागतों यथा दलाली, फीस इत्यादि को व्यय माना गया है।
- च. **ब्याज दर स्वैप :**
- (i) **मूल्यन :**
- क) हेजिंग स्वैप : हेजिंग आस्तियों और देयताओं के लिए ब्याज दर स्वैप मार्क टू मार्केट नहीं है।
- ख) ट्रेडिंग स्वैप : ट्रेडिंग उद्देश्य से ब्याज दर स्वैप मार्क टू मार्केट है।
- (ii) **डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन:**
- क) **हेजिंग स्वैप :** वसूली के आधार पर आय का लेखांकन किया गया। व्यय यदि कोई है, को उपचय आधार पर, यदि निश्चय है, लेखाबद्ध किया गया।
- ख) **ट्रेडिंग स्वैप:** आय या व्यय को निपटान के दिनांक पर वसूली के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।
- (iii) **स्वैप निरसन पर आय या लाभ का लेखा**
- (क) **हेजिंग स्वैप :** निरस्त हुए स्वैप पर किसी भी लाभ या हानि को (क)स्वैप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख)आस्ति / देयता की शेष अवधि में से जो अवधि कम हो, के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।
- (ख) **ट्रेडिंग स्वैप :** स्वैप निरसन पर किसी भी लाभ या हानि को निरसन के वर्ष में ही हानि या लाभ के रूप में स्वीकार किया गया।
5. **अग्रिम :**
- 5.1 तुलनपत्र में दर्शाए गए अग्रिम बट्टे खाते लिखे, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधानों, ऋण गारंटी संस्थानों के साथ निपटाए गए दावों और पुनर्भाजन से निवल हैं।
- 5.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भा.रि.बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया गया है।
- 5.3 अर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान को "अन्य देयताएं व प्रावधान" शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है।
- 5.4 पुनर्निर्धारित/पुनर्संरचित खातों के संबंध में पुनर्संरचित अग्रिमों के उचित मूल्य में हास हेतु प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान मूल्य आधार पर किया गया है।
- 5.5 वित्तीय परिसंपत्तियों की परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) की बिक्री के मामले में, यदि बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य पर हुई है, तो इस कमी को लाभ और हानि खाते में नामे डाला गया है। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है तो अधिशेष प्रावधान को प्रत्यावर्तित नहीं किया गया, बल्कि इसे अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटे/हानि की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाएगा।
6. **स्थिर आस्तियां एवं मूल्यहास:**
- 6.1 परिसरों एवं अन्य स्थिर आस्तियों को लागत पर लेखाबद्ध किया गया है, कतिपय परिसरों को छोड़कर जिनका पुनर्मूल्यन किया गया है तथा पुनर्मूल्यांकित राशि पर उल्लेख किया गया है।

cost. The same is valued at monthly intervals at market rates or as per the prices declared by FIMMDA and in respect of each classification under this category, net depreciation if any, is charged to profit and loss account and net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.

- ii. Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and Loss account.
- d. The non-performing investments are identified and depreciation/ provision is made as per RBI guidelines.
- e. Costs such as brokerage, fees etc. incurred at the time of acquisition of securities (except equity / preference shares, where it is treated as cost of acquisition) are recognized as expenses.
- f. **Interest Rate Swaps:**
- (i) **Valuation:**
- (a) **Hedging Swaps:** Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.
- (b) **Trading Swaps:** Interest Rate Swap for trading purpose is marked to market.
- (ii) **Accounting of income on derivative deals:**
- (a) **Hedging Swaps:** Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.
- (b) **Trading Swaps:** Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.
- (iii) **Accounting of gain or loss on termination of swaps:**
- (a) **Hedging Swaps:** Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.
- (b) **Trading Swaps:** Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenses in the year of termination.
5. **Advances:**
- 5.1 Advances shown are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions and rediscounts.
- 5.2 Classification of advances and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI from time to time.
- 5.3 Provision for performing assets is shown under the head "Other liabilities and provisions".
- 5.4 In respect of Rescheduled/ Restructured accounts, provision for diminution in fair value of restructured advances is made in present value basis as per RBI guidelines.
- 5.5 In case of financial assets sold to Assets Reconstruction Company (ARC)/ Securitization company(SC), if the sale is at price lower than the net book value, the short fall is debited to profit and loss account. If the sale value is higher than the net book value, the surplus provision is not reversed but will be utilized to meet the deficit/ loss on account of sale of other financial assets.
6. **Fixed Assets and Depreciation:**
- 6.1 Premises and other Fixed Assets are accounted for at cost except certain premises, which are revalued and stated at revalued amount.

- 6.2 पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के मामलों को छोड़कर स्थिर आस्तियों (निम्न उप परिच्छेद क, ख, ग में संदर्भित के अलावा) पर मूल्यहास का प्रावधान, ह्रासमान शेष पध्दति से कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में अनुबद्ध दरों पर लिया गया है, जिनके संबंध में इन पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के आकलित स्थायित्व के आधार पर उच्च मूल्यहास किया गया है।
- क) कंप्यूटरों पर मूल्यहास सरल रेखा पध्दति से 33.33% की दर पर किया गया है ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति का मूल्यहासित मूल्य तीन वर्षों में 1 रुपया रह जाए. कम्प्यूटरों में साफ्टवेयर, यूपीएस और एटीएम भी शामिल हैं.
- ख) ₹ 5,000/- या कम की मूल लागत वाली स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास खरीदी वर्ष के दौरान 100 प्रतिशत करने के स्थान पर लागू दरों पर किया गया.
- ग) वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्तियों के संबंध में मूल्यहास पूरे वर्ष के लिए किया गया. वर्ष के दौरान नष्ट हुई / बेची गई संपत्तियों पर मूल्यहास नहीं किया गया है.
- 6.3 पुनर्मूल्यन से संबंधित मूल्यहास को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया.
- 6.4 पूर्णतः मूल्य-हासित संपत्ति पर पुनर्मूल्यन आरक्षित को अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा प्रमाणित इसकी शेष अवधि के आधार पर ऋण परिशोधित किया गया है.
- 6.5 पट्टेवाली भूमि का परिशोधन सरल रेखा पध्दति से पट्टा अवधि में किया जाता है.

सहायक प्रतिष्ठान के मामले में :

- 6.6 मेटको के मामले में, स्थिर आस्तियों का मूल्यन लागत में से मूल्यहास कम कर के किया गया है. स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों के आधार पर ह्रासमान शेष पध्दति से लगाया गया है.

7. राजस्व अभिनिर्धारण :

- 7.1 निम्नांकित मदों को छोड़कर, जिन्हें नकदी आधार पर लेखाबद्ध किया गया है, समस्त राजस्व तथा लागतों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है :
- क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज.
- ख. कमीशन अर्थात् गारंटियों, साख पत्रों, सरकारी व्यवसाय, बैंक एश्योरेंस, लॉकर किराया, म्यूच्युअल फंड व्यवसाय से आय.
- ग. खरीदे गए तथा भांजित बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज.
- घ. बीमा दावे.
- ङ. डिबेंचर न्यासी व्यवसाय पर पारिश्रमिक.
- च. प्रसंस्करण फीस.
- छ. व्यापारी बैंकिंग परिचालनों तथा हामीदारी कमीशन से आय.
- 7.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अतिदेय मीयादी जमाराशियों पर देय ब्याज का प्रावधान उपचित आधार पर बचत खाता ब्याज दर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 22.08.2008 के परिपत्र के दिनांक से और शेष का नवीकरण के समय किया गया है.

8. कर्मचारी अनुलाभ :

परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए / अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है.

- 6.2 Depreciation on fixed assets (other than those referred in sub para a, b, c below) is provided for on the diminishing balance method at the rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 on fixed assets except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets:-
- a. On computers, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method so as to write down the asset value in three years to Rupee one as per Reserve Bank of India guidelines. Computers include software, ATM and UPS also.
- b. On Fixed Assets having original cost below ₹ 5,000/, depreciation is provided for at applicable rates instead of providing 100% depreciation in the year of purchase.
- c. Depreciation is provided for full year in respect of assets purchased during the year. No depreciation is provided on assets sold/discarded during the year.
- 6.3 Depreciation relating to revaluation is adjusted against the Revaluation Reserve.
- 6.4 Revaluation reserve on fully depreciated properties is amortized on the basis of their residual life as certified by approved valuers.
- 6.5 Leasehold land is amortized over the period of lease on Straight Line Method (SLM).

In case of the subsidiary:

- 6.6 In the case of METCO, the fixed assets are valued at cost less depreciation. The depreciation on fixed assets has been charged on WDV basis at the rates prescribed under Schedule XIV of the Companies Act, 1956.

7. Revenue Recognition

- 7.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-
- a. Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms issued by Reserve Bank of India, from time to time.
- b. Income from commission viz on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Bancassurance, Mutual Fund business and Locker Rent.
- c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.
- d. Insurance claims.
- e. Remuneration on Debenture Trustee Business.
- f. Processing Fees.
- g. Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.
- 7.2 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at Saving Bank rate effective from date of RBI circular dated 22.08.2008, and the balance at the time of renewal.

8. Employees' Benefits:

Defined Contribution Plan: The contribution paid / payable under defined contribution benefit schemes are charged to profit and loss account.

परिभाषित अनुलाभ योजना : परिभाषित अनुलाभ योजनाओं हेतु बैंक की देयताओं का निर्धारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपचित मूल्यांकन आधार पर किया गया है. अनुमानित इकाई जमा पद्धति के अंतर्गत बीमाकिक मूल्यन तुलनपत्र के दिनांक को किया गया है. बीमाकिक लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है.

9. आस्तियों का अनर्जक होना

पुनर्मूल्यन आस्तियों सहित अचल संपत्तियों के अनर्जक होने के कारण हुई हानि को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28- आस्तियों का अनर्जक होना, के अनुसार अभिनिर्धारित कर लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

10. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 29-प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां के अनुसार बैंक केवल किसी पिछली घटना के कारण पैदा हुई वर्तमान प्रतिबद्धताओं के लिए प्रावधान करता है. यह संभव है कि जब प्रतिबद्धता का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता हो तब प्रतिबद्धताओं का निपटारा करने हेतु आर्थिक लाभ सहित किसी संसाधन के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता पड़े आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया गया है चूंकि इससे ऐसी आय का अभिनिर्धारण हो सकता है जो कभी वसूली न जा सके.

11. शुद्ध लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

घोषित शुद्ध लाभ, आकस्मिकताओं व प्रावधानों के उपरांत है जिनमें निवेशों के मूल्य का समायोजन, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना, कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कराधान, अनुषंगी लाभ कर सहित), अग्रिमों के लिए प्रावधान तथा आकस्मिकताएं / अन्य शामिल हैं.

12. आयकर :

वर्ष के दौरान किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर, संपत्ति कर और आस्थगित कर के प्रति देयताएं शामिल हैं. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार करयोग्य आय तथा लेखा योग्य आय के समय अन्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है.

आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं ब्याज दर में परिवर्तन का प्रभार परिवर्तन की प्रयोज्यता की अवधि में लाभ और हानि खाते में अभिनिर्धारित किया गया है.

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय उस वर्ष में लिया गया है जब संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया.

दूसरी अपील (अर्थात आईटीएटी द्वारा) में मांग को जारी रखे जाने पर आयकर प्राधिकारियों द्वारा मांग की गई राशि, उस पर ब्याज सहित, का प्रावधान किया गया.

समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाए कर व्यय मूल व सहायक कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरण में उल्लेखित कर व्ययों की राशी का जोड़ है.

13. प्रति शेयर अर्जन :

प्रति ईक्विटी शेयर मूल और शिथिल अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एस-20) "प्रति शेयर अर्जन" के अनुरूप की गई है. प्रति शेयर मूल अर्जन संबंधित अवधि हेतु बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा निवल लाभ को भागकर निकाली गई है. संबंधित अवधि के दौरान बकाया शिथिल संभावित ईक्विटी शेयर और भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या का उपयोग कर प्रति ईक्विटी शेयर शिथिल अर्जन की गणना की गई है.

Defined Benefit Plan: Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined on the basis of an actuarial valuation made at the end of financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

9. Impairment of Assets

Impairment losses if any, on fixed assets including Revalued Assets, are recognized in accordance with Accounting Standard 28- "Impairment of Assets" issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and charged to profit and loss account.

10. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29 - "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may never be realized.

11. Net Profit, Provisions and Contingencies:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred taxation), provision for advances and contingencies/others.

12. Income tax:

The provision for tax for the year comprises liability towards Current Income Tax, Wealth Tax and Deferred Tax. The deferred tax asset/ liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account in the period of applicability of the change.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Income Tax authorities including the interest thereon is provided for when the demand is upheld in the second appeal (i.e. by ITAT)

The tax expenses shown in the Consolidated Financial Statements is the aggregate of the amounts of tax expenses appearing in the separate financial statements of the parent & subsidiary.

13. Earnings Per Share

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with the Accounting Standard (AS-20) "Earnings Per Share" issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

अनुसूची 18

SCHEDULE - 18

खातों पर टिप्पणियां

1. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने कुल पुनःपूंजीकरण निधि ₹ 36.40 करोड़ (₹ 104 करोड़ का 35%) के हिस्से में से ₹ 4.66 करोड़ की शेष पूंजी लगाई है. महाराष्ट्र सरकार ने अपनी निधि के शेष हिस्से का भुगतान वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान किया है. भारत सरकार द्वारा भी ₹ 6.66 करोड़ की शेष राशि लगाई गई है. जोखिम भारत परिसंपत्ति की तुलना में सुधार की दृष्टि से सहायक प्रतिष्ठानों को सहायता हेतु यह किया गया.
2. **निवेश :**
बैंक ने निवेश संविभाग को तीन श्रेणियों क्रमशः "परिपक्वता धारित", "बिक्री हेतु उपलब्ध" और "विपणन हेतु धारित" में वर्गीकृत किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया है.
3. बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों का लागू सीमा तक निम्नानुसार पालन किया है:
- 3.1 **लेखा मानक 5 - अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, गतावधि मर्दे तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन**
चूंकि आय/व्यय की गतावधि मर्दे वास्तविक नहीं हैं इसलिए उन्हें संबंधित लेखा शीर्ष में प्रभारित/लेखाबद्ध किया गया है.
- 3.2. **लेखा मानक 9 - राजस्व निर्धारण**
उक्त दी गई महत्वपूर्ण लेखा नीति 7(i) के अनुसार सांविधिक आवश्यकताओं या वास्तविकता के कारण आय की कतिपय मर्दों का निर्धारण वसूली के आधार पर किया गया है.
4. **अचल संपत्ति**
 - i. पुनर्मूल्यित संपत्ति पर वर्तमान वर्ष के ₹ 61.02 करोड़ (₹ 70.63 करोड़) राशि के मूल्य-हास को पुनर्मूल्यन आरक्षित खाते में समायोजित किया गया.
 - ii. बैंक की नीति के अनुसार, 31.03.2013 को 113 पात्र संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया. 31 मार्च 2013 को ऐसे पुनर्मूल्यांकन की संपत्ति/परिसर में जोड़ी गई सकल राशि ₹ 1,181.28 करोड़ (₹ 482.27 करोड़) है तथा शुद्ध मूल्य-हास राशि ₹ 1,20.26 (₹ 375.03 करोड़) है. ₹ 375.03 करोड़ के पूर्व पुनर्मूल्यन आरक्षित के मूल्य-हास मूल्य को रिवर्स किया गया.
 - iii. 21 संयुक्त संपत्तियों के संबंध में उन्हे विविध आय द्वारा जमीन तथा भवन लागत में यथोचित विभाजित करते हुए अनुमोदित मूल्यांककों के प्रमाणपत्रों के आधार पर ₹ 3.35 करोड़ (शून्य) की राशि के मूल्य-हास का प्रतिलेखन किया गया.
 - iv. 4(7) के संबंध में पुनर्मूल्यित संपत्तियों/परिसरों के स्वत्व विलेख जिनकी लागत ₹ 6.54 करोड़ (₹ 7.00 करोड़) है, काफी समय से लंबित विधि विवादों/ औपचारिकताओं के कारण बैंक के पक्ष में अभी तक निष्पादित/पंजीकृत नहीं किए गए हैं.
5. **लेखा मानक (एस) 15 (संशोधित 2005) - "कर्मचारी अनुलाभ" (मूल बैंक)**
- क. **परिभाषित अंशदान योजना :**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
क. भविष्य निधि	0.32	0.34
ख. कर्मचारी कल्याण में अंशदान - आकस्मिकता कल्याण निधि	0.00	1.80

NOTES ON ACCOUNTS

1. During the current financial year, the bank has infused balance amount of ₹ 4.66 crore out of share of total recapitalization fund of ₹ 36.40 crore (35% of ₹ 104 crore). Maharashtra Government has paid its remaining share of fund in the year FY 2012-13. Government of India has also infused balance amount of ₹ 6.66 crore. This is to support the associate entity to improve its CRAR.
2. **Investments:**
The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. "Held to Maturity", "Available for Sale" and "Held for Trading" and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India guidelines.
3. The Bank has complied with the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:
- 3.1 **Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.**
As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts.
- 3.2 **Accounting Standard 9 – Revenue Recognition**
As per Accounting Policy No. 7(i), given herein above certain items of income are recognized on realization basis on account of statutory requirements or materiality.
4. **Fixed Assets**
 - i. Depreciation for the current year amounting to ₹ 61.02 crore (₹ 70.63 crore) on revalued assets has been adjusted to Revaluation reserve account.
 - ii. As per Bank's policy, revaluation of 113 eligible properties has been done as on 31.03.2013. The gross amount of such revaluation included in properties/premises at as on 31st March 2013 is ₹ 1,181.28 crore (₹ 482.27 crore) and net of depreciation amount is ₹ 1,120.26 crore (₹ 375.03 crore). Further, the WDV of earlier Revaluation Reserve of ₹ 375.03 crore has been reversed.
 - iii. On the basis of certificates of approved valuers, depreciation amounting to ₹ 3.35 crore (Nil) has been written back in respect of 21 composite properties by appropriately segregating land and building cost by miscellaneous income.
 - iv. The title deeds in respect of 4(7) revalued properties/premises having cost of ₹ 6.54 crore (₹ 7.00 crore) were not yet executed/registered in favour of the Bank due to long pending legal disputes/formalities.
5. **Accounting Standard (AS) 15 (Revised 2005)- "Employee Benefits" (Parent Bank)**

A. **Defined Contribution Plans:**

(₹ in crores)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
a. Provident Fund	0.32	0.34
b. Contribution to Staff Welfare – Welfare Fund Contingency	0.00	1.80

ख. परिभाषित अनुलाभ योजना :

- क. पेंशन योजना - यह सेवा पश्चात अनुलाभ है, जो कि अधिकतम 33 वर्षों की पेंशन योग्य सेवा हेतु अंतिम वेतन के 50% है. यह निधिगत योजना है.
- ख. उपदान योजना - यह सेवा पश्चात अनुलाभ है तथा यह कंपनी के नियमों व यथासंशोधित उपदान अधिनियम 1972 के अंतर्गत उच्च उपदान के रूप में संदेय है. यह निधिगत योजना है.
- ग. छुट्टी नकदीकरण/क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति - यह सेवा पश्चात अनुलाभ है तथा अंतिम वेतन पर आधारित 240 दिनों की संचयी छुट्टियों की अधिकतम सीमा के प्रति संदेय है. यह निधिगत योजना है.

B. Defined Benefit Plans:

- a. Pension Plan - This is a post employment benefit, which is 50% of final pay for a maximum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.
- b. Gratuity Plan - This is a post employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Company's Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.
- c. Leave Encashment/ Compensated Absences - This is a post employment benefit and is payable for a maximum limit of 240 days of accumulated leave based on final pay. This is an unfunded scheme.

I. परिभाषित अनुलाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

Change in the Present value of Defined Benefit Obligations:

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

अ. क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12
1	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य Opening Present Value of Defined Benefit Obligation	2431.55	2156.79	450.16	443.49	207.82	178.11
2	ब्याज लागत Interest Cost	188.46	177.32	33.59	35.46	15.98	14.01
3	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	423.78	144.84	22.17	20.58	27.14	25.79
4	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	भुगतान किए अनुलाभ Benefits Paid	(151.58)	(141.31)	(60.56)	(52.65)	(16.18)	(12.39)
6	वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	(119.37)	93.91	37.93	3.28	(25.84)	2.31
7	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का अंतिम वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	2772.84	2431.55	483.29	450.16	208.92	207.82

II. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन Change in the Fair Value of Plan Assets:

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12
1	योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening fair value of plan assets	2085.35	1605.09	373.16	332.50
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	177.25	139.48	31.72	28.26
3	दिया गया अंशदान Contributions made	417.00	470.61	33.00	69.58
4	भुगतान किया गया अनुलाभ Benefits paid	(151.58)	(141.31)	(60.56)	(52.65)
5	बीमांकिक लाभ / हानि Actuarial gains/losses	13.47	11.48	6.24	(4.53)
6	योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य Closing fair value of plan assets	2541.49	2085.35	383.56	373.16

III. तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि Amount recognized in the Balance Sheet:

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

अ. क्र. Sr. No.	विवरण Particulars	निधिगत परिभाषित अनुलाभ के दायित्व FUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS					गैर निधिगत परिभाषित अनुलाभ के दायित्व UNFUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS		
		पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		कुल TOTAL		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12
1	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present Value of Defined Benefit Obligations	2772.84	2431.55	483.29	450.16	3256.13	2881.70	208.92	207.82
2	योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets	(2541.49)	(2085.35)	(383.56)	(373.16)	(2925.05)	(2458.51)	0.00	0.00
3	मान्यता हेतु निवल देयता Net liability to be recognized	231.35	346.20	99.73	77.00	331.08	423.19	208.92	207.82
4	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त अन्य राशि Other amount recognized in the Balance Sheet	37.87	37.87	0.00	0.00	37.87	37.87	0.00	0.45
5	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता Net liability recognized in the Balance Sheet	269.22	384.07	99.73	77.00	368.95	461.07	208.92	208.28

IV. लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशि Amount recognized in the Profit & Loss Account:

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

अ. क्र. Sr. No.	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12
1	चालू सेवा लागत Current Service Cost	423.78	144.84	22.17	20.58	27.14	25.79
2	ब्याज लागत Interest Cost	188.46	177.32	33.59	35.46	15.98	14.01
3	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected Return on Plan Assets	(177.25)	(139.48)	(31.72)	(28.26)	0.00	0.00
4	वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains) / Losses for the year	(132.84)	82.43	31.69	7.81	(25.84)	2.31
5	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	मान्यता हेतु व्यय Expense to be recognized	302.15	265.11	55.73	35.59	17.27	42.10
7	पेंशन योजना के पुनःआरंभ होने तथा 2010-11 में अधिसूचना क्र. बीओडी.क्र. बीसी 80/21.04.018/2010-11 द्वारा उपदान सीमा में वृद्धि के कारण बढ़े हुए दायित्व अग्रेषित Carry forward of enhanced obligations due to reopening of Pension Plan & increase in Gratuity Limit vide. Notification No. BOD.No.BC.80/21.04.018/2010-11 in 2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	दूसरा विकल्प देने वालों द्वारा पेंशन निधि में सीधे वापस Fund refunded by 2nd Optee directly to Pension Fund	0.00	(6.94)	0.00	0.00	0.00	0.00
9	वर्ष के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान Additional provision made during the year	0.00	0.70	0.00	9.13	0.00	0.00
10	लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त तथा स्टाफ लागत में शामिल निवल व्यय Net expense recognized in Profit & Loss Account and included in Staff Cost	302.15	258.87	55.73	44.72	17.27	42.10

V. तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता में समाधान

Reconciliation in the Net Liability recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

अ. क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12
1	आरंभिक निवल देयता Opening Net Liability	384.07	588.87	77.00	101.86	208.28	178.57
2	मान्यता प्राप्त व्यय Expense recognized	302.15	265.81	55.73	44.72	17.27	42.10
3	अंशदान/अनुलाभ का भुगतान Contributions/Benefits paid	(417.00)	(470.61)	(33.00)	(69.58)	(16.63)	(12.39)
4	अंतिम निवल देयता Closing Net Liability	269.22	384.07	99.73	77.00	208.92	208.28

VI. योजना आस्तियों पर वास्तविक आय Actual Return on Plan Assets

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12
1	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	177.25	139.48	31.72	28.26
2	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि) Actuarial gain (loss) on plan assets	13.47	11.48	6.24	(4.53)
3	योजना आस्तियों पर वास्तविक आय Actual return on plan assets	190.72	150.96	37.96	23.73

VII. मूल बीमांकिक मान्यताएं (भारित औसत के रूप में व्यक्त)

Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages)

अ. क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12
1	बट्टा दर Discount rate	8.00%	8.50%	8.00%	8.50%	8.00%	8.50%
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	8.50%	8.69%	8.50%	8.50%	NA	NA
3	वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर Expected rate of salary increases	5.50%	5.00%	5.50%	5.00%	5.50%	5.00%

ग. अन्य दीर्घवधि अनुलाभ :

(₹ करोड़ में)

अ. क्र.	विवरण	लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त	
		31.03.13	31.03.12
1	पुनर्वास भत्ता	0.06	1.73
2	छुट्टी किराया रियायत	11.00	8.75
3	रजत जयंती अवार्ड	(2.13)	1.62
	कुल	8.93	12.10

घ. अपरिशोधित पेंशन व उपदान देयता

भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 9 फ़रवरी 2011 की अधिसूचना संख्या डीबीओडी.क्र.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11, द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 31.03.2013 को समाप्त वर्ष हेतु उपदान की सीमा में वृद्धि और विद्यमान कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प फिर से देने से संबंधित ₹ 102.48 करोड़ का प्रावधान किया गया है (वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कुल अपरिशोधित दायित्व ₹ 512.38 करोड़ की राशि के 1/5 अर्थात् ₹ 102.48 करोड़ परिशोधित राशि लाभ व हानि खाते को प्रभाषित की गई दर्शाती है). 31.03.2013 को विद्यमान कर्मचारियों हेतु उपदान सीमा में वृद्धि व पेंशन विकल्प फिर से देने से संबंधित अपरिशोधित देयता निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

पेंशन योजना		उपदान योजना		कुल	
31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12
150.09	225.14	54.85	82.28	204.94	307.42

6. समेकित खंड रिपोर्टिंग (लेखा मानक 17)

व्यवसाय खंड Business Segments →	खजाना Treasury		निगमित / संपूर्ण बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग परिचालन Retail Banking operations		अन्य बैंकिंग परिचालन Other banking operations		कुल Total	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
विवरण Particulars										
राजस्व Revenue	2566.72	1780.98	5549.09	3682.21	2310.17	2323.36	109.81	75.01	10535.79	7861.56
परिणाम Result	105.77	(145.84)	845.36	453.92	321.43	322.38	79.26	50.40	1351.82	680.86
अ-आबंटित खर्च Unallocated expenses									0.00	15.90
परिचालनगत लाभ Operating profit									1351.82	664.96
आस्थगित कर सहित कर Taxes including deferred taxes									582.73	228.15
असाधारण लाभ / हानि Extraordinary profit / loss	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
निवल लाभ Net profit									769.09	436.81
खंड आस्तियां Segment assets	33059.01	27351.50	49144.12	37906.74	28171.06	19206.61	5841.23	5202.35	116215.42	89667.20
अ-आबंटित आस्तियां Unallocated assets									765.29	1488.62
कुल आस्तियां Total assets									116980.71	91155.82
खंड देयताएं Segment liabilities	32133.33	26498.57	45624.68	36303.99	26168.25	18397.63	6392.13	4997.96	110318.39	86198.15
अ-आबंटित देयताएं Unallocated liabilities									236.47	215.67
पूंजी और अन्य आरक्षितियां Capital & Other Reserves									6425.85	4742.00
कुल देयताएं Total liabilities									116980.71	91155.82

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

C. Other Long Term Benefits:

(₹ in crores)

Sr No	Particulars	Recognized in Profit & Loss Account	
		31.03.13	31.03.12
1	Resettlement Allowance	0.06	1.73
2	Leave Fare Concessionation	11.00	8.75
3	Silver Jubilee Award	(2.13)	1.62
	Total	8.93	12.10

D. Unamortized Pension and Gratuity Liability

In accordance with guidelines issued by RBI vide Notification No. DBOD.No.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011, provision for ₹ 102.48 crore has been made for the year ended 31.03.2013 towards the amortization relating to enhancement in Gratuity limit and re-opening of pension option for existing employees (representing 1/5th of the total unamortized liability amounting to ₹ 512.38 i.e ₹ .102.48 crore being the amount of amortized balance to be charged to the profit & loss account during the financial year 2012-13). The unamortized liability relating to enhancement in Gratuity limit and re-opening of pension option for existing employees as on 31.03.2013 is as under:

(₹ in crores)

PENSION PLANS		GRATUITY PLANS		TOTAL	
31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12	31.03.13	31.03.12
150.09	225.14	54.85	82.28	204.94	307.42

6. Consolidated Segment Reporting (AS-17):

- क) खजाना खंड में निवेश, भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष, भारत के बाहर स्थित बैंकों में अधिशेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे संबंधित आय इत्यादि को शामिल किया गया है।
- ख) निगमित और थोक बैंकिंग खंड में न्यासों, भागीदारी फर्मों, कंपनियों और सांविधिक निकायों को दिए गए सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें फुटकर बैंकिंग खंड में शामिल नहीं किया गया है।
- ग) फुटकर बैंकिंग में वैयक्तिक व्यक्ति / व्यक्तियों अथवा ऐसे लघु व्यवसायों को शामिल किया गया है, जहां
- कुल वार्षिक औसत आवर्त ₹ 50.00 करोड़ से कम है, और
 - किसी भी एक प्रतिरूप को दी गई सकल उधारियां बैंक के समग्र रिटेल संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं हैं, और
 - एक प्रतिरूप को प्रदान किया गया अधिकतम सकल फुटकर उधार ₹ 5.00 करोड़ तक है।
- घ) ऊपर विनिर्दिष्ट खंडों के अधीन शामिल नहीं किए गए अन्य सभी बैंकिंग संव्यवहारों को अन्य बैंकिंग प्रचालन खंड में शामिल किया गया है।
- ड) भौतिकता के कारण आनुषंगिक कंपनियों के बैंकिंग संव्यवहार अन्य बैंकिंग संव्यवहार में शामिल किये गये हैं।

भौगोलिक खंड

चूंकि बैंक का प्रचालन केवल भारत की सीमा के अंदर है अतः कोई भौगोलिक खंड लागू नहीं है।

7. लेखा मानक 18 - संबद्ध पक्ष प्रकटन:

इस संबंधी ब्योरे निम्नानुसार हैं:

(क) संबंधित पक्षों का नाम और उनके संबंध:

- क. बैंक की अनुषंगी कंपनी दि. महाराष्ट्र एक्सिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
- ख. बैंक की सहायक संस्था महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
- ग. महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मी -
- श्री नरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (01.02.2012 से)
 - श्री सी.वी.आर. राजेन्द्रन, कार्यपालक निदेशक (01.03.2012 से)

(ख) संबंधित पक्षों से संव्यवहार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.13	31.03.12
वेतन व भत्ते (अनुलाभ सहित)	0.43	0.48

एस 18 संबंधित पक्षों के प्रकटन की दृष्टि से बैंक की अनुषंगी कंपनी और सहायक संस्थाओं के साथ संव्यवहार का प्रकटन नहीं किया गया है जो कि राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यमों को अन्य राज्य नियंत्रित संबंधित पक्षों के साथ उनके संव्यवहारों से संबंधित प्रकटन के संबंध में छूट देता है।

8. लेखा मानक 20 - प्रति शेयर आय

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
मूल/डायल्यूटेड प्रति शेयर आय	₹ 12.04	₹ 7.71
मूल/डायल्यूटेड प्रति शेयर आय की गणना		
क) कर उपरांत निवल लाभ और अधिमान लाभांश सह कर (₹ लाख में)	₹ 71061.12	₹ 37188.93
ख) इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या (संख्या लाख में)	5899.85	4823.02
ग) प्रति शेयर मूल आय (ख) द्वारा विभाजित (क)	₹ 12.04	₹ 7.71
घ) प्रति शेयर नाममात्र मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00

- a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on Investments and related income there from.
- b) Corporate/ Whole sale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies and statutory bodies which are not included in Retail Banking Segments.
- c) Retail Banking Segments include exposure to the individual person/ persons or to a small business where
- total average annual turnover is less than ₹ 50.00 crore and
 - no aggregate exposure to one counter part exceeds 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and
 - The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to ₹ 5.00 crore.
- d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.
- e) Business operations of subsidiary company is included in other banking operation on account of materiality.

Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

7. Accounting Standard 18 – Related party disclosures:

The details in this regard are as under:

(A) Name of the Related Parties and their relationship:

- Subsidiary of the Bank – The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited
- Associate of the Bank – Maharashtra Gramin Bank

(C) Key Management Personnel-

- Shri Narendra Singh, Chairman & Managing Director (from 01.02.2012)
- Shri C.VR.Rajendran, Executive Director (from 01.03.2012).

(B) Transactions with Related parties

(₹ in crore)

Particulars	31.03.13	31.03.12
Salary & Allowances (including perquisites)	0.43	0.48

The transactions with the subsidiary and associate of the bank have not been disclosed in view of para 9 of the AS-18 Related Parties Disclosures, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other state controlled related parties.

8. Accounting Standard 20- Earning per Share

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Basic / Diluted E.P.S.	₹ 12.04	₹ 7.71
Calculation of Basic / Diluted EPS		
a) Net Profit after Tax and preference dividend plus tax on dividend (₹ in lakh)	₹ 71061.12	₹ 37188.93
b) Weighted Average number of Equity Shares (Nos. in Lakhs)	5899.85	4823.02
c) Basic Earnings per share (a) divided by (b)	₹ 12.04	₹ 7.71
d) Nominal Value per Share	₹ 10.00	₹ 10.00

9. आय पर करों का लेखा (लेखा मानक 22):

लेखा मानक 22 के अनुसार मूल बैंक ने आयकर का लेखांकन किया है। तदनुसार आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर दायित्वों का अभिनिर्धारण किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर दायित्वों के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
आस्थगित कर आस्तियां		
1) अशोध्य व डूबंत ऋणों हेतु प्रावधान के लिए समय अंतर के कारण	0.00	158.41
2) लेखा मानक 15 (संशोधित) के अनुसार कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधान की रकम के कारण	67.95	67.57
3) अन्य प्रावधान - जहां डीटीए बनाया गया है	74.22	142.68
कुल	142.17	368.66
आस्थगित कर देयता		
1) विशेष आरक्षितियों के कारण	29.28	29.28
2) निवेश में ह्रास के कारण	68.45	77.44
3) अचल संपत्तियों के मूल्य-ह्रास के कारण	2.97	0.00
कुल	100.70	106.72
निवल आस्थगित कर आस्तियां	41.47	261.94

10. लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - आंतरिक रूप से निर्मित के अतिरिक्त:

उपयोगी अवधि	-	3 वर्ष
परिशोधन दर	-	33.33%
परिशोधन पद्धति	-	लागत पर सीधी रेखा पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	2.92	4.01
वर्ष के दौरान लिए गये सॉफ्टवेयर	4.13	2.90
वर्ष के दौरान परिशोधन	3.33	3.99
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	3.72	2.92

11. आस्तियों का अनर्जक होना (लेखा मानक-28):

बैंक ने अभिनिर्धारित किया है कि आस्तियों में कोई भौतिक क्षति नहीं हुई है इसलिए लेखा मानक 28 के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

12. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (लेखा मानक-29)

प्रबंधन के मतानुसार अनुसूची 12 में संदर्भित आकस्मिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं है।

13. अन्य आस्तियों व अन्य देयताओं के अन्तर्गत पुरानी प्रविष्टियों, नाममात्र खातों सहित अन्य बैंकों / संस्थाओं के पास संव्यवहारों, अंतरशाखा संव्यवहारों के समाधान/समापन/समायोजन की प्रक्रिया हेतु कदम उठाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आस्तियों / देयताओं, समाशोधन खातों और कुछ जमा खातों के

9. Accounting for Taxes on Income (AS-22):

The parent bank has accounted for Income Tax in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are recognized. Major Components of Deferred Tax Assets & Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Deferred Tax Assets		
1) On account of timing difference towards provisions for Bad & Doubtful Debts	0.00	158.41
2) On account of provisions for Employees benefits	67.95	67.57
3) Other Provisions where DTA is created	74.22	142.68
Total	142.17	368.66
Deferred Tax Liability		
1) On account of Special Reserve	29.28	29.28
2) On account of Depreciation on Investment	68.45	77.44
3) On account of Depreciation on Fixed Assets	2.97	0.00
Total	100.70	106.72
Net Deferred Tax Asset	41.47	261.94

10. Accounting Standard 26 – Accounting for Intangible Assets

Computer Software – other than internally generated:

Useful life	-	3 years
Amortization Rate	-	33.33%
Amortization Method	-	Straight line at cost

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2013	31.03.2012
Software at the beginning of the year	2.92	4.01
Software acquired during the year	4.13	2.90
Amortization during the year	3.33	3.99
Net carrying amount at the end of the year	3.72	2.92

11. Impairment of Assets (AS-28):

Bank has identified that there is no impairment of fixed assets and as such no provision is required as per AS-28.

12. Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets (AS-29):

In the opinion of the management, no provision is required against contingent liabilities referred in Schedule 12.

13. Work is in progress for adjustment/ reconciliation/elimination of inter-branch transactions, transactions with other banks/institutions, nominal accounts and old entries under other assets and liabilities. Further reconciliation between balances in subsidiary and general ledger in respect of certain deposit

संबंध में सामान्य खाता बही और अनुषंगी में शेष के बीच समाधान और अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास प्रभाव तथा अचल आस्तियों के अंतरशाखा अंतरण का कार्य लंबित है। जिनके राजस्व पर प्रभाव के साथ ही इनके परिणामी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका। प्रबंधन के अभिमत में इनका राजस्व पर परिणामी प्रभाव मामूली है।

14. ख्याति व निवेशों पर रखाव-लागत

दि.31.3.2013 को ₹ 22.96 करोड़ (₹ 23.18 करोड़) की ख्याति सहायक प्रतिष्ठानों से संबंधित थी।

वर्ष के दौरान बैंक ने महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में पूंजी के रूप में ₹ 4.66 करोड़ की पूंजी लगाई। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के शेयर के यथार्थ मूल्य के आधार पर ₹ 4.88 करोड़ नए निवेश की रखाव-लागत दर्शाई गई है तथा नए निवेश से ₹ 0.22 करोड़ की पूंजी आरक्षित अभिनिर्धारित की गई है जो उसी सहयोगी से निर्मित ख्याति के आरंभिक शेष के साथ समायोजित की गई।

15. खातों पर अन्य विशिष्ट टिप्पणियां

इनका उल्लेख "खातों पर टिप्पणियां" के अधीन बैंक और इसके सहायक प्रतिष्ठानों तथा सहयोगियों के सोलो वित्तीय विवरणों में दी गई है।

16. जहां कहीं आवश्यक हुआ हो वहां गत वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहबद्ध / पुनःवर्गीकृत किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाया जा सके।

accounts, clearing accounts, other assets & liabilities and inter-branch transfer of fixed assets is still under progress. The effect of these including the consequential impact thereof on the revenue is not ascertainable. In the opinion of the management consequential impact there off on revenue is not material.

14. Goodwill and carrying amount of investment.

Goodwill of ₹ 22.96 crores (₹ 23.18 crores) pertains to associate as on 31.03.2013.

During the year, the bank has infused ₹ 4.66 crore in the form of capital in Maharashtra Gramin Bank. Based on the intrinsic value of share of Maharashtra Gramin Bank, ₹ 4.88 crore has been shown as carrying amount of fresh investment and ₹ 0.22 crore is identified as capital reserve out of fresh infusion made which is adjusted with opening balance of goodwill arises from same associate.

15. Other significant Notes on Accounts.

These are set out under "Notes on Accounts" as given in the Stand alone Financial Statements of Bank, its subsidiary and the associate.

16. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figures.

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण

STATEMENT OF CONSOLIDATED CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2013

(₹ हजार में) (₹ in Thousands)

ब्योरे Particulars	31-03-2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2013		31-03-2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2012	
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:				
आय Income				
वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from advances, Investments etc.	9613,44,36		7213,98,51	
अन्य आय Other Income	922,34,57	10535,78,93	647,57,37	7861,55,88
घटाएं: व्यय व प्रावधान Less: Expenditure & Provisions				
वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings	6579,58,61		4696,46,05	
परिचालन व्यय Operating Expenses	1797,87,59		1643,85,47	
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	1389,24,20	9766,70,40	1084,43,27	7424,74,79
कुल व्यय के उपर कुल आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि Net Increase in Cash due to Increase of Income over Expenses		769,08,53		436,81,09
जोड़े : गैर नकदी मद एवं अलग विचारित मद				
Add : Non Cash Items & Items Considered Separately				
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	1389,24,20		1084,43,27	
अचल संपत्तियों हेतु मूल्यहास Depreciation on Fixed Assets	73,93,33		65,66,50	
सहयोगी संस्थाओं में शेयर पर अर्जन/हानि Share of earnings / loss in Associates	-9,43,96		-5,92,60	
अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि Profit/Loss on sale of Fixed Assets	11,10		-9,50	
आय कर मांग पर ब्याज Interest on Income Tax demand	-		5,87,57	
बॉन्ड्स, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	248,10,85	1701,95,52	229,95,82	1379,91,06
		2471,04,05		1816,72,15
घटाएं: प्रदत्त प्रत्यक्ष कर Less: Direct Taxes Paid (Net)		230,02,50		477,64,17
परिचालन से अर्जित नकद लाभ (I) Cash Profit Generated From Operations (I)		2241,01,55		1339,07,98
परिचालनगत देयताओं की वृद्धि/कमी : Increase/(Decrease) of Operating Liabilities:				
जमा राशियां Deposits	17808,24,74		9683,06,61	
उधारियां (टीयर I/II बॉन्ड को छोड़कर) Borrowings (Excl Tier I/II Bonds)	5932,73,78		3868,18,62	
अन्य देयताएं व प्रावधान Other Liabilities & Provision	-1637,04,03		-829,81,83	
परिचालनगत देयताओं में कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Liabilities	22103,94,49		12721,43,40	
घटाएं : परिचालन आस्तियों की वृद्धि/कमी				
Less : Increase/(Decrease) of Operating Assets				
निवेश Investments	5403,73,56		3530,32,95	
अग्रिम Advances	19411,01,35		9178,99,85	
अन्य आस्तियां Other Assets	-481,95,17		-130,63,02	
कुल परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Assets	24332,79,74		12578,69,78	
परिचालनगत आस्तियों पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि (II)				
Net Increase of Operating Liabilities Over Operating Assets (II)		-2228,85,25		142,73,62
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (A) = (I+II)				
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A) = (I+II)		12,16,30		1481,81,60
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES				
अचल संपत्तियों का विक्रय Sale of Fixed Assets	5,73,76		69,55,74	
अचल संपत्तियों का क्रय Purchase of Fixed Assets	-126,86,77		-68,89,43	
सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश Investment made in Associates	-4,66,00		-15,87,00	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)				
Net Cash Flow Form Investing Activities (B)		-125,79,01		-15,20,69
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:				
i) गौण बॉन्ड को जारी/(मोचन) करना Issue/(Redemption) of Subordinated Bonds	600,00,00		-	
ii) इक्विटी एवं पीएनसीपीएस पर लाभांश Dividend on Equity & PNCPs	-185,57,03		-125,93,18	
iii) लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax	-30,10,41		-20,91,57	
iv) बॉन्ड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-248,10,85		-229,95,82	
v) इक्विटी शेअर्स को जारी करना Issue of Equity Shares	405,99,99		605,09,63	
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग) Cash Flow From Financing Activities (C)		542,21,70		228,29,06
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग) Total Cash Flow During The Year (A+B+C)		428,58,99		1694,89,97
नोट: पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित व पुन:वर्गीकृत किया गया। Note: Previous year figures have been regrouped and reclassified whenever necessary.				

(₹ हजार में) (₹ in Thousands)

ब्योरे Particulars	31-03-2013 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2013	31-03-2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2012
द्वारा प्रतिनिधित्व - REPRESENTED BY -		
वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी समकक्ष		
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balance with RBI	4535,47,79	3846,00,41
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस प्राप्त धन Balances with Banks & Money at Call & Short notice	1208,77,90	203,35,31
	5744,25,69	4049,35,72
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समकक्ष		
Cash and Cash equivalents at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balances with RBI	5265,29,20	4535,47,79
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस प्राप्य धन Balance with banks & money at call & Short notice	907,55,48	1208,77,90
	6172,84,68	5744,25,69
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR	428,58,99	1694,89,97

अतुल भाटिया
A P BHATIA
महाप्रबंधक, विप्र व लेखा
General Manager, FM&A

बी. के. पिपरिया
B. PIPARARIYA
मुख्य महाप्रबंधक
Chief General Manager

सी. वी.आर. राजेन्द्रन
C. VR. RAJENDRAN
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

नरेन्द्र सिंह
NARENDRA SINGH
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

हमारी समादिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

कृते एन. कुमार छाबरा एंड कं.
For N Kumar Chhabra & Co.
एफआरएन 000837एन
FRN 000837N
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

कृते डीएसपी एंड एसोसिएट
For D S P & Associates
एफआरएन 006791एन
FRN 006791N
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

कृते कीर्तने एंड पंडित
For Kirtane & Pandit
एफआरएन 105215डब्ल्यू
FRN 105215W
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

कृते जे सी भल्ला एंड कंपनी
For J C Bhalla & Co.
एफआरएन 001111एन
FRN 001111N
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

कृते जी. बसु एंड कंपनी
For G Basu & Co.
एफआरएन 301174ई
FRN 301174E
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

कृते सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी
For Singh Ray Mishra & Co.
एफआरएन 318121ई
FRN 318121E
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

आशीष छाबरा
Ashish Chhabra
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र 507083
Membership No. 507083

अरविंद सिंघल
Arvind Singhal
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र 084939
Membership No. 084939

संदीप डी वेल्लिंग
Sandeep D Welling
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र 044576
Membership No. 044576

राजेश सेठी
Rajesh Sethi
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र 085669
Membership No. 085669

मनोज कुमार दास
Manoj Kumar Das
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र 013783
Membership No. 013783

सौनक रे
Saunak Ray
भागीदार
Partner
सदस्यता क्र 053815
Membership No. 053815

स्थान : पुणे
दिनांक : 29 अप्रैल, 2013

Place : Pune
Date : 29th April, 2013

एन कुमार छाबरा एंड कंपनी सनदी लेखाकार एससीओ 1094-95 सेक्टर 22 बी चंडीगढ़ - 160 022	डीएसपी एंड एसोसिएट सनदी लेखाकार 783, देशबंधु गुप्ता रोड करोल बाग नई दिल्ली - 110 005	कीर्तन एंड पंडित सनदी लेखाकार संगती, भक्ति मार्ग, लॉ कॉलेज रोड के पास, पुणे - 411 004	जे सी भल्ला एंड कं. सनदी लेखाकार बी/ 5, सेक्टर 6, नोयडा उ. प्र. - 201 301	जी बसु एंड कं. सनदी लेखाकार 3, चौंरंगी एप्रोच बसु हाउस कोलकाता - 700 072	सिंह रे मिश्रा एंड कं. सनदी लेखाकार एस आर 31, अशोका मार्केट स्टेशन स्क्वेअर भुवनेश्वर - 751 001
N. Kumar Chhabra & Co., Chartered Accountants, SCO 1094-95, Sector 22-B, Chandigarh - 160 022	DSP & Associates, Chartered Accountants, 783, DeshBandhu Gupta, Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005	Kirtane & Pandit, Chartered Accountants, Sangati, Bhakti Marg, Off Law College Road, Pune - 411 004	J. C. Bhalla & Co, Chartered Accountants, B/5, Sector 6, Noida, U.P. - 201 301	G. Basu & Co, Chartered Accountants, 3, Chaowringhee Approach, Basu House, Kolkata - 700 072	Singh Ray Mishra & Co. Chartered Accountants, S R 31, Ashoka Market, Station Square, Bhubaneswar - 751 001

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

AUDITORS' REPORT

सेवा में

बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निदेशक मंडल

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. बैंक ऑफ महाराष्ट्र उसकी सहायक कंपनी तथा एक सहयोगी संस्था (समूह) के दिनांक 31 मार्च, 2013 के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण जिसमें 31.03.2013 का समेकित तुलन पत्र समेकित लाभ और हानि खाता तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य सपष्टीकरण संबंधी सूचनाएं शामिल हैं, की हमने लेखा परीक्षा की है।
2. हमारे द्वारा लेखा परीक्षित मूल बैंक (अर्थात् बैंक ऑफ महाराष्ट्र) के वित्तीय विवरण में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं की विवरणियां अन्य शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 711 शाखाओं की विवरणियां शामिल हैं।
जैसा हमें बताया गया है, हमारे द्वारा लेखा परीक्षित व अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया है। साथ ही, मूल बैंक के तुलन पत्र और लाभ व हानि के विवरण में 997 शाखाओं, जो प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं लेकिन लेखा परीक्षा के अधीन नहीं हैं, की विवरणियां भी शामिल हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में 10.51% जमाराशियों में 25.06%, ब्याज आय में 14.19% और ब्याज खर्च में 12.54% हिस्सा है।
3. हमने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरण में दिनांक 31.3.2013 को ₹ 774.33 लाख की कुल आस्तियां तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु ₹ 12.61 लाख का निवल लाभ दर्शाया गया है। साथ ही, सहायक प्रतिष्ठानों की भी लेखा परीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरण में उस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में दिया गया है, समूह के लाभ के हिस्से को ₹ 943.96 लाख बताया गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई। इस सहायक कंपनी से संबंधित राशियों के मामले में हमारा मत केवल अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर आधारित है।
4. हम सूचित करते हैं कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 समेकित वित्तीय विवरणों और लेखा मानक-23 - समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक ने समेकित वित्तीय विवरण और सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश लेखा मानक 23 के अनुसार और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल बैंक इसकी सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षा किए गए वित्तीय विवरणों पर तैयार किए गए हैं। ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत किये गये हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

5. इन समेकित वित्तीय विवरणों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित इस जिम्मेदारी में आंतरिक नियंत्रण को तैयार करना उसका कार्यव्यवहन और रखरखाव शामिल है ये वित्तीय विवरण जालसाजी या किसी अन्य गलती के कारण से किसी भी गलत कथन से मुक्त है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

6. हमारी जिम्मेदारी समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के आधार पर अभिमत व्यक्त करना है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर लेखा परीक्षा करते हैं। इन लेखा मानकों के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होता है और लेखा परीक्षा की योजना तैयार कर लेखा परीक्षा करना होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वित्तीय विवरण किसी भी गलत कथन से मुक्त हैं।
7. वित्तीय विवरणों में प्रकटन और रकम से संबंधित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित कार्यविधि निष्पादित करना लेखा परीक्षा में शामिल होता है। जालसाजी या गलती के कारण वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत कथन का मूल्यांकन करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय के आधार पर चुनी गई कार्यविधि आधारित होती है। ये जोखिम मूल्यांकन करने के लिए

To,

The Board of Directors of Bank of Maharashtra
Report on Financial Statements

1. We have audited the accompanying Consolidated financial statements of Bank of Maharashtra, its one subsidiary and one associate (the Group) as at 31st March 2013 which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2013, and the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.
2. The Financial Statements of parent (i.e. Bank of Maharashtra) audited by us and incorporated in these statements incorporate the returns of 20 branches and the returns of 711 branches audited by other Branch Auditors.
The branches audited by us and those audited by other auditors, as informed to us, have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit & Loss of parent are the returns from 997 branches which have not been subjected to audit but certified by the management. These unaudited branches of Parent account for 10.51 per cent of advances, 25.06 per cent of deposits, and 14.19 per cent of interest income and 12.54 per cent of interest expenses of the Parent.
3. We did not audit the financial statements of subsidiary whose financial statements reflect total assets of ₹ 774.33 lacs as on 31st March, 2013 and net profit of ₹ 12.61 lacs for the year ended on that date, and associate whose financial statements reflect the Group share of profit of ₹ 943.96 Lacs for the year ended on that date as considered in consolidated financial statements. These financial Statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us and our opinion in so far as it relates to the amounts included in respect of the subsidiary and the associate is based solely on the reports of the other auditors.
4. We report that the Consolidated Financial Statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirements of the 'Accounting Standard (AS)21-Consolidated Financial Statements' and 'AS 23 - Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements', and on the basis of separate audited financial statements of the Bank and its subsidiary and associate included in the Consolidated Financial Statements. These Consolidated Financial Statements have been drawn up in the form prescribed by the Reserve Bank of India.

Management's Responsibility for the Financial Statements

5. Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements in accordance with the Banking Regulation Act, complying with Reserve Bank of India Guidelines from time to time. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditors Responsibility

6. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with standards on auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements free from material misstatements.
7. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers

कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों और परिस्थिति विशेष में उचित लेखा परीक्षा कार्यविधि तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुति हेतु लेखा परीक्षकों ने विचार किया है. उपयोग में लाई गई नीति की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों का औचित्य तथा उसी प्रकार वित्तीय विवरणों की समग्र तैयारी का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में शामिल होता है.

8. हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त साक्ष्य हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं.

अभिप्राय

हमारी राय में हमारी अधिकतम जानकारी और हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों व समूह की बहियों में दर्शाए गये अनुसार:

- समेकित तुलन पत्र, उसमें दी गई टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण सहित परिपूर्ण और समुचित तुलन पत्र हैं जिसमें सभी आवश्यक ब्यौरों का समावेश है और वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार इस ढंग से बनाया गया है कि उससे समूह के 31 मार्च, 2013 के व्यवहारों का सही चित्र सामने आ सके.
- समेकित लाभ हानि लेखा और उस पर की गयी टिप्पणियां तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लाभ का सही शेष दर्शाता है जो समाप्त वर्ष हेतु भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप है और
- नकदी प्रवाह विवरण उस दिनांक को समाप्त वर्ष में हुए नकदी प्रवाह का सही व उचित चित्र प्रस्तुत करता है.

मामलों का महत्व

हमारे अभिमत की अर्हता के बिना हम ध्यान आकर्षित करते हैं कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प दुबारा खोलने तथा उपदान सीमाओं में वृद्धि- विवेकी विनियामक उपचार पर दिनांक फरवरी 2011 का भा. रि. बैंक का परिपत्र क्रं. डीबीओडी.डीपी. बीसी/80/21.04.018/2010-11 के अनुसार बैंकों को लेखा मानक 15 (संशोधित) - कर्मचारी लाभ से संबंधित छूट देने के परिणामस्वरूप मूल कंपनी के समेकित लेखों के साथ संलग्न अनुसूची 18 की टिप्पणी क्रं. 5 डी जिसमें बैंक की कुल आस्थगित पेंशन और उपदान देयताओं को कुल ₹ 204.94 करोड़ बताया गया है.

यदि ये परिपत्र जारी नहीं हुआ होता तो मूल कंपनी का 'कर पूर्व लाभ' लेखा मानक-15 (संशोधित) लागू करने के परिणाम स्वरूप ₹ 204.94 करोड़ से कम होता. इसका परिणामी प्रभाव वित्तीय विवरणों के अन्य संबंधित घटकों पर निश्चित नहीं किया गया है.

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- तुलन पत्र और लाभ व हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तीसरे खंड के क्रमशः फॉर्म अ तथा ब के अनुसार तैयार किया गया है.
- उपर्युक्त परिच्छेद 1 व 8 में इंगित लेखा परीक्षा की सीमाओं के आधार पर तथा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण व अर्जन) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन निम्नलिखित के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि -
 - हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह हमने प्राप्त कीं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया.
 - समूह के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पायी गईं.
 - हमारी राय में समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ हानि लेखा व समेकित नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

internal control relevant to company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

8. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Group:-

- The Consolidated Balance Sheet, read with the notes thereon and Statement of Significant Accounting Policies is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit the true and fair state of affairs of the Group as at 31st March, 2013 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
- the Consolidated Profit and Loss Account, read with the notes thereon and Statement of Significant Accounting Policies shows a true Balance of Profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the accounts; and
- the Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

Without qualifying our opinion, we draw attention to the note 5D in Schedule 18 which describes deferment of pension and gratuity liability of the Bank to the extent of ₹ 204.94 Crore pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the Public Sector Banks from application of the Accounting Standard 15 (Revised) - Employees Benefit vide its circular DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 of February 2011 on reporting of pension option to employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity limits - Prudential Regulatory Treatment.

Had the said circular not been issued, the "profit before Tax" of the Bank would have been lower by ₹ 204.94 Crore pursuant to the application of the requirements of AS-15 (Revised), the consequential effect of which has not been ascertained on the other related components of the financial statements.

Report on Other Legal & Regulatory Requirements

- The Balance Sheet and Profit & Loss Account have been drawn up in Forms 'A' and 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- Subject to the limitations of audit indicated in paragraph 1 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - The returns received from the offices and branches of the group have been found adequate for the purpose of our audit.
 - In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

कृते एन. कुमार छाबरा एंड कंपनी For N Kumar Chhabra & Co.	कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स For D S P & Associates	कृते कीर्तने एंड पंडित For Kirtane & Pandit	कृते जे सी भल्ला एंड कंपनी For J C Bhalla & Co.	कृते जी. बसु एंड कंपनी For G Basu & Co.	कृते सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी For Singh Ray Mishra & Co.
एफआरएन000837एन FRN 000837N सनदी लेखाकार Chartered Accountants	एफआरएन006791एन FRN 006791N सनदी लेखाकार Chartered Accountants	एफआरएन 105215डब्ल्यू FRN 105215W सनदी लेखाकार Chartered Accountants	एफआरएन 001111एन FRN 001111N सनदी लेखाकार Chartered Accountants	एफआरएन 301174ई FRN 301174E सनदी लेखाकार Chartered Accountants	एफआरएन 318121ई FRN 318121E सनदी लेखाकार Chartered Accountants
आशीष छाबरा Ashish Chhabra भागीदार Partner सदस्यता क्र 507083 Membership No. 507083	अरविंद सिंघल Arvind Singhal भागीदार Partner सदस्यता क्र 084939 Membership No. 084939	संदीप डी वेल्लिंग Sandeep D Welling भागीदार Partner सदस्यता क्र 044576 Membership No. 044576	राजेश सेठी Rajesh Sethi भागीदार Partner सदस्यता क्र 085669 Membership No. 085669	मनोज कुमार दास Manoj Kumar Das भागीदार Partner सदस्यता क्र 013783 Membership No. 013783	सौनक रे Saunak Ray भागीदार Partner सदस्यता क्र 053815 Membership No. 053815

स्थान : पुणे
दिनांक : 29 अप्रैल, 2013

Place : Pune
Date : 29th April, 2013

(भौतिक रूप से शेयरधारण करने वाले शेयर धारकों के लिए)

एमसीएस लिमिटेड

यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

आफिस क्रमांक 21/22 ग्राउण्ड फ्लोर काशीराम जमनादास बिल्डिंग 5, पी.डि.मेलो रोड
(घाडियाल गोदी) मस्जिद (पूर्व) मुंबई - 400 009
फोन: (022) 2372 6253 56 फैक्स : (022) 2372 6252

प्रिय महोदय,

विषय : बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ईक्विटी शेयर्स - इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा जिन केंद्रों पर उपलब्ध है वहां इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने का विकल्प

मेरे / हमारे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ईक्विटी शेयर्स हैं.

मैं / हम इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा के माध्यम से मेरे / हमारे लाभांश का भुगतान करने का अनुरोध करता हूँ / करते हैं और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लाभांश को मेरे / हमारे खाते में जमा किया जाए.

(For Shareholders holding shares in physical form only)

MCS Limited

Unit: Bank of Maharashtra

Office No.21/22, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Bldg.,5, P.D. Mello Road,
(Ghadiyal Godi), Masjid (E), Mumbai-400 009.
Phone (022) 23726253 Fax (022) 23726252

Dear Sir,

Re: Equity Shares of Bank of Maharashtra - option to receive dividend through Electronic Clearing Service (ECS) facility at centres wherever it is available.

I / We hold equity shares of Bank of Maharashtra in physical form.

I / We request you to arrange for payment of my / our dividend through ECS facility and credit the same to my / our account as per details given below:

1.		प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम	First / Sole Shareholder's name
2.		रजिस्टर्ड फोलियो क्रमांक	Registered Folio No.
3.		बैंक खाते का विवरण	Particulars of Bank Account
	क. a.	बैंक का नाम	Bank Name
	ख. b.	शाखा नाम	Branch Name
	ग. c.	शाखा का पता	Address of the Branch
	घ. d.	टेलीफोन क्रमांक और फैक्स क्रमांक	Telephone number and Fax number
	ङ e.	बैंक द्वारा जारी माईकर चेक पर अंकित बैंक और शाखा का 9 अंकों वाला माईकर कूट क्रमांक	9 - digit MICR code number of the Bank and Branch as appearing on the MICR Cheques issued by the Bank
	च. f.	खाते का प्रकार (बचत/चालू/नकद साख, कूट क्रमांक 10/11/13 सहित)	Account type (Savings / Current / Cash Credit with code 10/11/13)
	छ. g.	खाता क्रमांक जैसा चेक बुक पर अंकित है*	Account Number as appearing on the Cheque Book*

(उक्त विवरणों के सत्यापन के लिए कृपया अपना कोरा चेक या अपने कोरे चेक की या आपके खाता पासबुक के अगले पेज की फोटो कॉपी संलग्न करें)

मैं / हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और पूर्ण है. यदि कोई व्यवहार असत्य या अपूर्ण जानकारी के कारण विलंबित या प्रभावित होता है तो मैं /हम बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा/ठहराएंगे. मैं/हमने समझ लिया है कि बैंक के नियंत्रण के बाहर अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण यदि बैंक इसीएस के माध्यम से लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो बैंक के पास मुझे / हमें देय लाभांश भौतिक रूप से लाभांश वारंट के रूप में भेजने का अधिकार सुरक्षित है.

(*Please attach a cancelled blank cheque or photocopy thereof or front page of your savings bank passbook issued by the Bank for verification of the above details).

I / We hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If any transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I / We would not hold the Bank responsible. I / We understand that the Bank also reserves the right to send the dividend payable to me by a physical dividend warrant on account of unforeseen circumstances beyond the control of the Bank that may effect the payment of dividend through ECS.

Yours faithfully,

Date:

(Name and signature of First / Sole Shareholder)

दिनांक :

(प्रथम / एकल शेयरधारक के नाम और हस्ताक्षर)

नोट :

- यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक (डीमेट) प्रारूप में शेयर उपलब्ध हैं तो कृपया अपने बैंक का विवरण सीधे डिपॉजिटरी सहभागी को उपलब्ध कराएं.
- ईसीएस सुविधा वर्तमान में निम्नलिखित केंद्रों पर उपलब्ध है :
आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, बडौदा, बेंगलूर, भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नै, देहरादून, गुवाहाटी, ग्वालीयर, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, जालंधर, जामनगर, जम्मू, कानपुर, कोल्हापुर, कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना, मदुरै, मैंगलोर, मुंबई, नागपुर, नासिक, नई दिल्ली, पणजी, पटना, पुणे, रायचुर, रायपुर, राजकोट, सोलापुर, सूरत, तिरुवनन्तपुरम, त्रिपुर, उडपी, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम.
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) लाभांश को भुगतान की केन्द्रीय प्रक्रिया को सरल बनाता है. एनईसीएस के माध्यम से बैंक ईसीएस सुविधा को गैर-ईसीएस केंद्रों पर उपलब्ध कराती है. अतः हम सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि नए ईसीएस दावों को, यदि कोई हों तो, सीबीएस बैंक खाता संख्या के साथ भेजें ताकि पुराने बैंक खाता क्रमांक को इससे अद्यतन किया जा सके. जो शेयरधारकों के पास शेयर भौतिक रूप में रखे हैं वे विधिवत भरे हुए प्रारूप को रजिस्ट्रार व शेयर अन्तरण एजेंट (आरटीए-एमसीएस लि.) को भेज दें. जिन शेयरधारकों के पास डीमेट रूप में शेयर हैं उन्हें अपना अधिदेश संबंधित डिपॉजिटरी (डीपी) को भेजना चाहिए.

Notes:

- In case you hold shares in electronic (Demat) form, kindly give the Bank details directly to your Depository participant.
- The ECS facility is available at present at the following centres:
Agra, Ahmedabad, Amritsar, Aurangabad, Baroda, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Dehradun, Guwahati, Gwalior, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jalandhar, Jammu, Jamnagar, Kanpur, Kolhapur, Kolkata, Lucknow, Ludhiana, Madurai, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Nasik, New Delhi, Panaji, Patna, Pune, Raipur, Rajkot, Solapur, Surat, Thiruvanthapuram, Tirupur, Udupi, Vijayawada, Visakhapatnam.
- National Electronic Clearing Services (NECS) facilitates centralized processing of dividend payment. The Bank would extend ECS facility at Non-ECS centres also through NECS. We, therefore, request all the shareholders to send new ECS mandate with CBS Bank account number, if any, for updating the same in place of old Bank account number. The Shareholders holding shares in physical form are required to send the duly filled in form to Registrar and Share Transfer Agent (RTA)-MCS LTD and Shareholders holding shares in DEMAT FORM are required to send the Mandate to their respective Depository Participant (DP).



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005
Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagr, Pune - 411 005

उपस्थिति पर्ची / ATTENDANCE SLIP

(सभागृह में प्रवेश से पूर्व प्रस्तुत की जाए) / (To be handed over at the time of entry to the Venue)

दिनांक: 14.06.2013

Date : 14.06.2013

समय : सुबह 10.30 बजे

Time : 10.30 a.m.

स्थान : अप्पासाहेब जोग हॉल, लोकमंगल,

1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005

Venue : Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra

Lokmanagal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present	
रजिस्टर फोलियो / Regd Folio	डीपी आईडी / DP ID
	क्लायंट आईडी / Client ID
अगर डीमेट नहीं है तो / If not dematerialised	यदि डीमेट है तो / If dematerialised
शेयरधारक का नाम / Name of the Shareholder	
शेयरों की संख्या / Number of Shares	



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005
Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagr, Pune - 411 005

प्रवेश पत्र / ENTRY PASS

(सम्पूर्ण सभा के दौरान संभाल कर रखा जाए / To be retained throughout the meeting)

दिनांक: 14.06.2013

Date : 14.06.2013

समय : सुबह 10.30 बजे

Time : 10.30 a.m.

स्थान : अप्पासाहेब जोग हॉल, लोकमंगल,

1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005

Venue : Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra

Lokmanagal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present	
रजिस्टर फोलियो / Regd Folio	डीपी आईडी / DP ID
	क्लायंट आईडी / Client ID
अगर डीमेट नहीं है तो / If not dematerialised	यदि डीमेट है तो / If dematerialised
शेयरधारक का नाम / Name of the Shareholder	
शेयरों की संख्या / Number of Shares	

शेयरधारक / प्राक्सीधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र पर बैंक के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के अनुसार विधिवत हस्ताक्षर कर इसे सभागृह में प्रवेश से पूर्व प्रस्तुत करें. यदि आवश्यक हो तो, सभागृह में प्रवेश अन्य सत्यापन / जांच पर भी आधारित हो सकता है. किसी भी परिस्थिति में उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र की अनुलिपि सभागृह में प्रवेश से पूर्व जारी नहीं की जाएगी.

Shareholders / proxy holders / representatives are requested to produce the above Attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signature registered with the Bank alongwith the entry pass for admission to the venue. The admission may, however, be subject to further verification / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass be issued at the entrance to the meeting hall.



प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005

प्रॉक्सी फार्म
(शेयरधारकों द्वारा भरा जाएं)

रजिस्टर फोलियो सं.	डीपी आईडी	
	क्लायंट आईडी	
अगर डीमेट नहीं हो तो		अगर डीमेट है तो

मैं/हम, राज्य _____ के जिले _____ के निवासी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारक एतद्वारा राज्य _____, जिले _____ के निवासी श्री/श्रीमती _____ को या उनकी अनुपस्थिति की दशा में राज्य _____ के जिले _____ के निवासी श्री/श्रीमती _____ को दिनांक 14 जून 2013 को संपन्न होने वाली बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की दसवीं वार्षिक आम बैठक में और बैठक आस्थगन की दशा में मेरी/हमारी प्रॉक्सी के रूप में मेरी/हमारी ओर से वोट देने के हेतु नियुक्त करते हैं.

दिन _____ दिनांक _____ 2013 को हस्ताक्षरति

नाम _____

पता _____

कृपया
30 पैसे का
राजस्व टिकट
लगाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

(प्रथम / एकल धारक के हस्ताक्षर)

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश :

- कोई प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि
 - व्यक्तिगत शेयरधारकों की दशा में, उसके एटर्नी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर या लिखित रूप से प्राधिकृत न कर दिया जाए.
 - संयुक्तधारकों की दशा में, रजिस्टर में उल्लिखित प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हों या लिखित रूप से प्राधिकृत न कर दिया गया हो.
 - निगमित निकायों की दशा में, इसके अधिकारी या कोई एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और लिखित में विधिवत प्राधिकृत न कर दिया गया हो.
- किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ शेयरधारकों द्वारा यदि अपना नाम या कोई चिन्ह लगाया जाता है और इसे किसी जज या मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या एश्वोरेन्स के उप रजिस्ट्रार या सरकार के राजपत्रित अधिकारी और/या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाता है तो प्राक्सी के ऐसे लिखत को शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित किया माना जाएगा.
- किसी भी प्राक्सी को तब तक वैध नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसे विधिवत रूप से मोहर लगाकर व हस्ताक्षरित कर मुख्तारनामे के साथ या अन्य प्राधिकार, जिसके अंतर्गत इसे हस्ताक्षरित किया गया है, या मुख्तारनामे की प्रति और/या नोटरी पब्लिक, मैजिस्ट्रेट द्वारा अधिप्रमाणित प्राधिकारपत्र की प्रति को वार्षिक साधारण आम सभा के दिनांक, अर्थात 10 जून 2013, से चार दिन पूर्व को या उससे पूर्व नीचे दिए पते पर प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है और तब तक, जब तक कि ऐसे मुख्तारनामे को या अन्य प्राधिकार को बैंक में पहले जमा और पंजीकृत नहीं कर दिया जाता है.
 - बैंक ऑफ महाराष्ट्र, निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, 'लोकमंगल', 11501, शिवाजीनगर, पुणे- 411005
 - एमसीएस लिमिटेड, (इकाई: बैंक ऑफ महाराष्ट्र), आफिस क्रमांक 21/22 ग्राउण्ड फ्लोर, काशीराम जमनादास बिल्डिंग, 5, पी.डिमेलो रोड (घाडियाल गोडी), मस्जिद (पूर्व) मुंबई - 400 009
- यदि संबंधित मुख्तारनामा पहले से बैंक ऑफ महाराष्ट्र या शेयर अंतरण एजेंट और रजिस्ट्रार के पास पहले से पंजीकृत है तो मुख्तारनामे के पंजीकरण क्रमांक तथा ऐसे पंजीकरण के दिनांक का उल्लेख किया जाए.
- बैंक में जमा किए गए प्रॉक्सी लिखत अटल और अंतिम रहेंगे.
- यदि कोई प्राक्सी विलेख वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में जारी किया जाता है तो एक से अधिक फार्म का निष्पादन नहीं किया जाएगा.
- शेयर लिखत का निष्पादन करने वाले शेयरधारक को व्यक्तिगत रूप से साधारण आम सभा में वोटिंग करने की पात्रता नहीं होगी.
- बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को प्रॉक्सी या प्रतिनिधि के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है.
- नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा.



Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.

PROXY FORM

(To be filled by the shareholders)

Regd.Folio No.		DP ID No.	
		Client ID No.	
If not dematerialised		If dematerialised	

I/We, _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder /s of Bank of Maharashtra, hereby appoint Shri / Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my / our proxy to vote for me / us and on my/our behalf at the Tenth Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Maharashtra to be held on 14th June 2013 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2013.

Name _____

Address _____

Please affix
Thirty paise
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

(Signature of the first holder/ sole holder)

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM:

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - In the case of an individual shareholder, it is signed by the shareholder or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - In the case of a body corporate signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Maharashtra.
- No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before 10th June 2013, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
 - Bank of Maharashtra, Investor Services Department, Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune- 411 005 OR
 - MCS Limited, Unit: Bank of Maharashtra, Office No.21 /22, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Bldg, 5, P.D' Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E), Mumbai-400 009.
- In case the relevant power of attorney is already registered with Bank of Maharashtra or Registrar and Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.
- The Proxy appointed will not have any right to speak at the Meeting.